राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 3] पंचम् विधान सभा के तृतीय सत्र का 49वां दिवस [संख्या 34

बृहस्पतिवार

दिनांक 5-4-73

विधान सभा की बैठक म० पू० 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[कृषि, वित्त, समाज कल्याण, गृह, अकाल राहत, आबकारी, जनस्वास्थ्य, उद्योग, श्रम, नियोजन, स्वायत्त शासन, चिकित्सा एवं नगर आयोजना-विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न-1।

श्रीमती गौरी पूनिया।

मकराना में पुलिस स्टेशन की स्थापना।

982. **श्रीमती गौरी पूनिया (मकराना)**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

पुलिस स्टेशन स्थापित करने के क्या क्या आधार हैं ? क्या मकराना इन आधारों के अन्तर्गत आता है ? अगर हां, तो यहां पुलिस स्टेशन कब तक स्थापित हो जायेगा ? अगर नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, गृह (श्रीमती कमला बेनीवाल) : पुलिस स्टेशन स्थापित करने के विभिन्न आधार हैं जिनमें मुख्यतया स्थानवृत, जनसंख्या, अपराध संख्या, औद्योगिक महत्ता आदि हैं। मकराना में पुलिस थाना स्थापित करने का मामला पुलिस विभाग के पुनर्गठन हेतु बनी समिति के विचाराधीन है, अतः उक्त समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर राज्य सरकार अन्य मामलों के साथ इस संबंध में भी उचित निर्णय लेगी।

श्रीमती गौरी पूनिया : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया ने जो भी पुलिस स्टेशन स्थापित करने के तीन आधार बताये हैं, वह तीनों ही आधार मकराना में शत-प्रतिशत लागू होते हैं। उसके बावजूद भी इसको अन्य मामलों के साथ जोड़ कर टालने का प्रयास किया जा रहा है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : इस प्रकार के सभी मामले एक समिति के विचाराधीन हैं। समिति की कार्यवाही पूरी होने पर निर्णय लिया जायेगा।

श्रीमती गौरी पूनिया : जब समिति की रिपोर्ट आ जायेगी तो पुलिस स्टेशन खोला जायेगा ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : समिति का गठन 6 माह के लिए किया गया था और उसकी रिपोर्ट 15-12-72 को आने वाली थी। अब छः माह के लिये अवधि बढ़ाई गई है और उम्मीद की जाती है कि आने वाले दो महीनों में उनकी रिपोर्ट आ जायेगी।

श्रीमती गौरी पूनिया : पिछले वर्ष भी इस प्रश्न का उत्तर यही था और इस वर्ष भी यही है। तो क्या मैं यह आशा करूं कि अगली दफा आपको रिप्लाइ देने का कष्ट नहीं करना पड़ेगा ?

श्री दीपंकर (लाडनूं) : क्या नागौर जिले में कहीं भी पुलिस स्टेशन कायम करने का सुझाव है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : कहां-कहां पुलिस स्टेशन कायम किये जायें इस सब के बारे में समिति विचार कर रही है, उसमें नागौर जिला भी आ जाता है।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : उस समिति की बैठक भी होती है या नहीं ? अगर होती है, तो कौन-कौन सी तारीख पर हुई थी ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : तारीख तो याद नहीं है, लेकिन बराबर बैठकें हो रही हैं और काफी तेजी के साथ वह समिति काम कर रही है।

श्रीमती नगेन्द्र बाला (दीगोद) : क्या यह आशा की जाये कि उस समिति की रिपोर्ट आने के पश्चात् मकराना में पुलिस स्टेशन खोला जायेगा ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य (मावली) : सरकार के पास अभी तो वह रिपोर्ट आना बाकी है, और रिपोर्ट जब सरकार के पास आयेगी तो सरकार छः माह और लेगी। सारी स्थिति का अन्दाजा कब तक लग जायेगा, इसके लिये आप फर्मा दीजिये।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : जब कभी इस प्रकार का प्रश्न पूछते हैं तो एक ही जवाब मिलता है कि समिति को सुपुर्द किया गया है। तो उसकी रिपोर्ट के लिए आखिर कोई टाईम तो निश्चित होना चाहिए। टाईम आप बढ़ाते जा रहे हैं।

श्री शंकरलाल (पाली) : मकराना एक महत्वपूर्ण जगह है और वहां पर पुलिस स्टेशन होना आवश्यक है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : अगले दो महीनों के अन्दर यह समिति रिपोर्ट देगी।

श्री शंकरलाल : अन्तिम स्वरूप तो राज्य सरकार ही देगी। वह कितना समय लेगी ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जी हां।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

अकाल राहत कार्य के सम्बन्ध में अधिकारियों व समितियों को अधिकार

983. **श्री शंकरलाल** (पाली) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

अकाल राहत कार्य स्वीकृत करने और चालू करने के सम्बन्ध में भिन-भिन अधिकारियों व समितियों को क्या-क्या अधिकार दिये गये हैं ? और क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई है ? सरकारी निर्णयों की प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

Page No. 3

अकाल राहत मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : सहायता कार्यों की स्वीकृति के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने जो प्रक्रिया साधारणतया निर्धारित कर रखी है उसके अनुसार राहत कार्यों के विषय में जिला राहत सलाहकार समिति की सिफारिशों को सम्बन्धित जिलाधीश अपनी राय के साथ सहायता आयुक्त को भेजते हैं। इस प्रकार जो प्रस्ताव जिलाधीश द्वारा भेजे जाते हैं उन प्रस्तावों में कुछ बिन्दुओं के बाबत स्पष्ट जानकारी उनसे अपेक्षित है। विस्तृत विवरण इस विभाग के आदेश क्रमांक 10198-10223, दिनांक 17-2-73 में दिया गया है, जिसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

प्रस्ताव प्राप्त होने पर सहायता आयुक्त इन प्रस्तावों का परीक्षण कर उन्हें सहायता मंत्री एवं वित्त मंत्री को स्वीकृति के लिये भेजते हैं।

आपतकालीन स्थिति जहां हो वहां आवश्यकतानुसार मुख्य मंत्री अथवा सहायता मंत्री कार्यों को मौके पर भी स्वीकृत कर सकते हैं।

जिला राहत सलाहकार समिति की सलाह से एवं निर्धारित नार्म्स के अनुसार 25 हजार रुपये के अनुमान तक के राहत कार्य चालू करने के लिये जिलाधीश को अधिकृत किया गया है। ऐसे कार्यों की औपचारिक स्वीकृति उचित समय में तुरन्त ही सहायता विभाग से प्राप्त करना जरूरी है।

विभिन्न जिलों के लिये सहायता व्यवस्था की समुचित देख भाल हेतु मंत्रीगण को इन्चार्ज बनाया गया है। इन्चार्ज मंत्रीगण आवश्यकतानुसार राहत कार्यों की स्वीकृति कर सकते हैं। ऐसे कार्यों की औपचारिक स्वीकृति सरकार से बाद में प्राप्त की जायेगी। जिलाधीश इस प्रकार की स्वीकृति की प्रतिलिपि मुख्य मंत्री, वित्त मंत्री एवं सहायता मंत्री को भेजेंगे। प्रक्रिया सम्बन्धी आदेशों की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(आदेशों की प्रतिलिपियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

श्री शंकरलाल : आपने जो 25 हजार तक के पावर्स जिलाधीश और एडवाईजरी कमेटी को दे रखे हैं यह क्या स्वीकृत करने का अधिकार जिलाधीश को है या सलाहकार समिति को है ? यह जो आपने आदेश निकाला है वह कंट्राडिक्टरी है। एक जगह तो आप कह रहे हैं कि सरकार से पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक होगी, यह जो आपका परिपत्र है 17 फरवरी का उसमें आपने कहा है कि उनकी स्वीकृति सहायता विभाग से ही की जायेगी, और दूसरी जगह कह रहे हैं कि कार्य शुरू करके बाद में स्वीकृति लें। यह दोनों कंट्राडिक्टरी हैं। दूसरी बात यह है कि आप सारे पॉवर्स काम शुरू करने के जिला राहत कमेटी को ही क्यों नहीं दे देते हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : 17 फरवरी के आदेश में कन्ट्राडिक्शन है यह तो मेरी समझ में नहीं आया कि कहां कंट्राडिक्शन है। काम प्रारम्भ करने के पावर्स दिये हैं, लेकिन ऐसे कार्यों के लिये औपचारिक स्वीकृति सहायता विभाग से लेनी होगी।

दूसरी जो बात आपने कही कि जिला राहत समितियों को ही पूरे अधिकार दे दिये जायं, तो राजस्थान के अन्दर 26 जिला राहत समितियां हैं, उसके बाद दस मिनिस्टर्स

(श्री परसराम मदेरणा)

और एक रिलीफ डिपार्टमेंट भी है। कुल मिलाकर 37 हो जाते हैं, तो इन सभी 37 एजेंसीज द्वारा किये गये खर्चे पर कन्ट्रोल करना और फाइनेन्शियल डिसीप्लिन रखना रिलीफ डिपार्टमेंट के लिये सम्भव नहीं हो सकेगा। इसलिए जिला राहत समितियों को पावर्स देने में सरकार असहमत है।

इसके अलावा कई बार राहत समितियों द्वारा ऐसे भी सुझाव आते हैं जो टेक्निकली साउन्ड नहीं होते हैं। रिलीफ डिपार्टमेंट को यह भी देखना पड़ता है कि जो स्कीम आई है वह टेक्निकली भी साउन्ड है या नहीं, उस पर जो खर्चा होगा उससे वह काम कम्प्लीट भी होगा या नहीं, और उसके साथ-साथ उसका स्प्रेड ओवर नहीं होना चाहिये, काम प्रोडक्शन नेचर का होना चाहिये, यह सभी बातें देखी जाती हैं। अगर हम इतने वास्ट पावर्स राहत समितियों को दे देते हैं, तो न तो खर्चे का कन्ट्रोल हो पायेगा और ऐसे भी काम लिये जा सकते हैं जो प्रॉडक्टिव न हों और टेक्निकली फीजिबल न हों। विशेष स्थिति को देखते हुए छोटे-छोटे काम शुरू करने के पावर्स दे रखे हैं। सेंक्शन आने में टाइम लगता है, उससे बचने के लिये फाइनेन्शियल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंक्शन आप बाद में ले लीजिये और काम को प्रारम्भ कर दीजिये ताकि लोगों को राहत मिल सके।

श्री शंकरलाल : आपने जो कहा कि कन्ट्राडिक्शन नहीं है, वह है। मैं आपको 17 फरवरी, 1973 का परिपत्र पढ़कर सुनाता हूं। पैरा 6 : जिलाधीशों को केवल टेस्ट रिलीफ कार्यों को स्वीकृत करने का अधिकार दिया गया था। अभाव स्थिति की घोषणा के पश्चात् जो भी सहायता कार्य चालू किये जाते हैं वह नियमित (रेग्युलर) कार्य होते हैं और उनकी स्वीकृति सहायता विभाग द्वारा ही की जायेगी। अतः कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सहायता विभाग की स्वीकृति अनिवार्य है।

और इसके नीचे पैरा 7 में लिखा है:

जिलाधीशों को 25,000 तक के पूर्ण कार्य जिला सलाहकार समिति की सलाह से सहायता विभाग की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना चालू करने का अधिकार है, लेकिन ऐसे कार्यों पर भी तुरन्त औपचारिक स्वीकृति सहायता विभाग से प्राप्त करना अनिवार्य होगी। इसका मतलब यह है कि काम चालू करने के बाद भी स्वीकृति दे सकते हैं।

दूसरा निवेदन यह है कि आपने यह कहा कि अनलिमिटेड पावर्स देने से.....

श्री परसराम मदेरणा : टेस्ट रिलीफ की बात है।

श्री शंकरलाल : 6 और 7 दोनों नम्बर हैं।

दूसरी बात कही कि अनलिमिटेड पावर्स देने से, टेक्निकल ऑफिसर्स हैं या नहीं, ये सब बातें आवेंगी, तो मैं निवेदन कर दूं कि जितने भी टेक्निकल ऑफिसर्स होते हैं इरिगेशन, एग्रीकल्चर, सोइल कन्जरवेशन, ये सब वहां होते हैं। एम० एल०एज० वगैरह होते हैं। वह कमेटी अच्छी तरह से जान सकती है कि टेक्निकली ठीक है या नहीं। उसके बाद भी प्रपोजल बना कर भेजें और सब्यूलेट हों, माननीय मंत्री जी को अधिकार है मुख्यमंत्री जी की ओर से काम कराने का....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न आप बहुत लम्बा पूछ रहे हैं।

श्री शंकरलाल : काम जल्दी चले। अमाउन्ट फिक्स कर दीजिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष : सप्लीमेन्टरी पूछें। लम्बी तकरीर न हो।

श्री शंकरलाल : जवाब लम्बा दिया इसलिये सप्लीमेन्टरी भी लम्बा पूछा।

श्री परसराम मदेरणा: माननीय अध्यक्षजी, पाली से आने वाले माननीय सदस्य 17, 2 और 6 की बात कह रहे हैं। टेस्ट रिलीफ वर्क्स के संबंध में। अकाल की घोषणा न हो और नोटिफाई कर दिया कलेक्टर को सर्टेन पावर्स दिये गये हैं और वे बराबर कराते जा रहे हैं। वे टेस्ट वर्क्स न होकर रेग्युलर वर्क्स कहलायेंगा। 25 हजार तक के कामों को पूर्व में प्रारम्भ किया जाता है। उसकी कोई फार्मेलिटी नहीं है।

श्री सज्जनसिंह (सुमेरपुर) : एक प्रश्न रह गया है। सलाहकार समिति की ओर से कलेक्टर को सुझाव दिये जाते हैं। लेकिन मंत्री महोदय के ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि समिति में ऑलरेडी सेन्क्शन्ड प्रपोजल्स पेश होते हैं। कलेक्टर रखता है। उसमें हमारी सलाह की कोई आवश्यकता नहीं होती है।

श्री परसराम मदेरणा : किसको स्वीकृत करके रखते हैं ?

श्री सज्जनसिंह : Collector himself बाद में छाप लगवाते हैं।

श्री अध्यक्ष : छाप मत लगवाओ।

श्री परसराम मदेरणा : रिलीफ एडवाईजरी कमेटी में जाते हैं तो पहले से ही लम्बी लिस्ट दे देते हैं इसलिये कलेक्टर यह समझता है कि यह किया जाय। प्रपोजल्स भेजते हैं। कोई दस भेज रहा है। कोई पन्द्रह भेज रहा है। उस पर माननीय सदस्यों की राय ले ली गयी यह कलेक्टर से जानकारी मिलती है। पाली जिले के संबंध में मैंने इमरजेन्सी में कलेक्टर को स्वीकृति दी थी। जिलाधीशों ने जो कुछ भी भेजा जिला सलाहकार समिति बाद में कन्फर्म करती है तो जिलों के कलेक्टर्स को आदेश दिये जावेंगे कि इस प्रक्रिया को अविलम्ब बन्द कर दें।

श्री अध्यक्ष : श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा।

राजस्थान में शराब बंदी की घोषणा

984. **श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा** (फागी) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने सन् 1972 तक राजस्थान में पूर्ण शराब बंदी की घोषणा की थी ? यदि हां, तो उसको कार्य रूप में परिणित क्यों नहीं किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि घोषणा के विपरीत नये ठेके देकर शराब खोरी को बढ़ावा दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) अब शराब बन्दी के विषय में राज्य सरकार क्या विचार रखती है ?

राज्य मंत्री, आबकारी (श्री जुझारसिंह): (1) सरकार मद्य निषेध से होने वाली आर्थिक हानि तथा मद्य निषेध के कानून व्यवस्था पर होने वाले खर्च को फिलहाल बर्दाश्त

(श्री जुझारसिंह)

करने की स्थिति में नहीं है इसलिये 1-4-72 से पूर्ण नशाबन्दी लागू नहीं की जा सकी।

(2) जी नहीं।

(3) राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार होने पर स्थिति पर पुर्नविचार किया जा सकेगा।

श्री देवीलाल (सराड़ा) : नशाबन्दी वाले लोग नशाबन्दी कराने के लिये बैठे हैं उनको क्या जवाब दे रहे हैं ?

श्री जुझारसिंह : जो मैंने जवाब दिया वही।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ) : क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने यह बताया है कि 12 करोड़ की आय होगी इससे उसके बजाय इस साल 6 करोड़ की ही आय होगी?

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : माननीय मंत्री महोदय ने यह बताया कि सरकार इस खर्च को इस आय के बन्द होने से बर्दाश्त नहीं कर सकती इसलिये देरी कर दी। गत सैशन में यह घोषणा की थी कि एक वर्ष के पश्चात् सारी स्थिति को देखकर नशाबन्दी कर देंगे। लेकिन दूसरा वर्ष भी व्यतीत हो रहा है वैसा ही फिर उत्तर मिल रहा है। हम आश्वासन चाहते हैं कि वास्तव में इसके लिये समय निर्धारित कर दिया जिससे गरीब जनता पर इसका भार न पड़े।

श्री जुझारसिंह : यह प्रश्न नीति संबंधी है जिसका जवाब मैं यहां देने में असमर्थ हूं। जहां तक आमदनी का प्रश्न है इससे 10 करोड़ की आमदनी गवर्नमेन्ट को होती है। कोई इसका आल्टरनेटिव क्रियेट न करने के पहले इसको छोड़ देना यह राज्य के वित्तीय साधनों के विपरीत है इसलिये इस पर अभी निर्णय नहीं लिया जा सकता है।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : शराब से जो आय होती है उसका बहुत बड़ा हिस्सा गरीब, हरिजन और आदिवासियों की जेब से प्राप्त होता है जिनको आप छात्रवृत्ति देते हैं। इस प्रकार आप उनसे यह लेकर उन्हीं का शोषण करते हैं।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : मेरा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : ववश्चन तो आपका ही है

मुख्य मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां): माननीय अध्यक्ष महोदय, गुजरात में कम्पलीट प्रोहिबिशन है और राजस्थान में जहां प्रोहिबिशन किया उसको रिलेक्स नहीं किया है। पूरे भारत में जहां-जहां प्रोहिबिशन है वहां पर भी आज 35 पैसे में पैग बिक रहा है। एक तरफ रिसोर्सेज चाहते हैं, दूसरी तरफ पांचवां फाइव इयर प्लान को पूरा करना है इसलिये हमारी यह मजबूरी है। हम यह स्टेप नहीं ले सकते हैं।

श्री मोहनराज (बाली) : वित्तीय स्थिति की जहां तक बात है राज्य पर वित्तीय बोझ कम पड़े इस तरह की कोई योजना माननीय गोकुल भाई भट्ट ने राज्य सरकार को पेश की है उस संबंध में गोकुल भाई से माननीय मुख्य मंत्रीजी ने चर्चा की है?

श्री बरकतुल्ला खां : उनकी भी स्कीम है। डॉ० सुशीलाजी नैयर ने भी स्कीम दी है, जीवराजजी मेहता ने भी स्कीम दी थी। उनको पूरी तरह से एक्जामिन किया। उससे इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि साधन उससे पूरे नहीं होते हैं।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : आपने प्रश्न के भाग 2 में जी नहीं का उत्तर दिया। शराबखोरी के लिये बहुत बड़े ठेके दिये गये हैं। जयपुर की गली-गली में दुकानें खोल दी हैं।

श्री अध्यक्ष : सवाल क्या है ?

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : जी नहीं का जो उत्तर दिया वह गलत है। यदि मेरे साथ चल कर देखें तो मालूम होगा कि जयपुर की गली-गली में शराब के ठेके दिये गये हैं, लाइसेन्स दिये गये हैं उनके।

श्रीमती नगेन्द्र बाला : क्या यह सरकार...

श्री अध्यक्ष : महिलाओं को मना करना भी मुश्किल है।

श्रीमती नगेन्द्र बाला : क्या यह सरकार की मंशा है कि भले ही वित्त पर भार पड़ता है शराब बन्दी से, पर शराब कम होनी चाहिये और इससे चूंकि लोगों को नुकसान होता है इसलिए उससे बचाया जाना चाहिये, क्या सरकार की यह मंशा है ?

श्री बरकतुल्ला खां : सरकार की तो मंशा शुरू से ही यह रही है नशाबन्दी में सभी प्रकार के नशे बन्द होने चाहिये, शराब ही नहीं, भांग भी बन्द होना चाहिये। अमल, गांजा, चरस सभी बन्द होने चाहिये। जितने नशे हैं नशा मात्र बन्द होना चाहिये। पर इन सबका बन्द करना इतना आसान नहीं है जितना समझा जाता है। इस स्टेज पर कइयों ने एक्सपेरीमेंट किये हैं। पर वे फेल हो गये हैं काफी जगह। वैसे यह तथ्य है कि कोई भी समाज नशे की प्रवृत्ति को बढाकर ज्यादा तरक्की नहीं कर सकता, इसलिये मैं समझता हूं कि यह एक बिल्कुल साफ सवाल है। इसमें दो राय नहीं हैं।

प्रश्न संख्या 985

श्री अध्यक्ष : श्रीमती मदनकौर।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

समाज कल्याण विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारीगणों को सस्पेन्ड करने के नियम

986. **श्री राम चरण** (अटरू) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या समाज कल्याण विभाग द्वारा ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर अधिकारी एवं कर्मचारीगणों को सस्पेण्ड किया जाता है ?

(2) सस्पेण्ड करने के विभागीय नियम क्या-क्या हैं ?

(3) क्या कोटा में चल रही न्यूट्रीशन स्कीम के बारे में शिकायत प्राप्त हुई थी। यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

समाज कल्याण मंत्री (श्री ओंकारलाल चौहान) : (1) समाज कल्याण विभाग के आन्तरिक लेखा निरीक्षण दल द्वारा प्रेषित आडिट रिपोर्ट में यदि कोई गम्भीर अनियमितता गबन अथवा राजकीय धनराशि के दुरुविनियोग का केस पाया जाता है तथा तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता हो तो दोषी अधिकारी एवं कर्मचारी को निलम्बित कर दिया जाता है अन्यथा उनका जवाब तलब कर कार्यवाही की जाती है।

(2) राजस्थान सिविल सर्विसेज (क्लासिफिकेशन, कन्ट्रोल एण्ड अपील) रूल्स, 1958 के नियमों के अनुसार निलम्बित किया जाता है।

(श्री औंकारलाल चौहान)

(3) जी हां । जांच की जा रही है ।

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर) : वह जांच कब तक कम्पलीट हो जावेगी ?

श्री औंकारलाल चौहान : जल्दी ही निपटाया जा रहा है ।

श्री रामचरण : 46 हजार का गबन किया है। इस आदमी को सिर्फ इसलिए बचाया जा रहा है कि चूंकि यह मंत्री महोदय का क्लास फेलो है । गम्भीर शिकायतें हैं पर इसे हटा नहीं रहे हैं।

राजस्थान में ऊन का उत्पादन

987. **श्री नानालाल** (राजसमन्द) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि राष्ट्र का 45 प्रतिशत ऊन उत्पादन राजस्थान में होता है किन्तु इसके द्वारा विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का कालीन उद्योग राजस्थान में नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में कोई विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

राज्य मंत्री, उद्योग (श्रीमती कमला बेनीवाल) : जी हां । राजस्थान खादी बोर्ड द्वारा ऊनी खादी कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रयोगात्मक रूप से कालीन बनाने का काम हाथ में लिया गया है । वृहदाकार पर उत्पादन की योजना प्रयोगात्मक कार्यक्रम के परिणामों पर निर्भर होगी ।

श्री नानालाल : अध्यक्ष महोदय, यह तो प्रश्न का जवाब नहीं है । खादी बोर्ड में इस ऊन का केवल 8 प्रतिशत काम आ रहा है । जब कि 90 पर्सेंट यहां की ऊन विदेशों में जाती है और इसका एक मात्र उपयोग कालीन में किया जाता है। आपने यह प्रश्न खादी बोर्ड पर टाल दिया । जब तक आप या तो स्वयं कालीन उद्योग यहां स्थापित करें या प्राईवेट सेक्टर को निमन्त्रण दें, उसे प्रोत्साहन दें इस को स्थापित करने के लिये ताकि इसका लाभ राजस्थान को मिल सके । यहां के लोगों को अधिकाधिक रोजगार इसके द्वारा मिल सके और सरकार को भी अधिक आय हो ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : खादी बोर्ड ने यह काम हाथ में लिया है, कालीन का । इसके अलावा 13 और जगहों पर भी कालीन उद्योग का काम चल रहा है। जयपुर, टोंक आदि जगहों पर यह उद्योग हैं बीकानेर में भी है । खादी बोर्ड द्वारा बड़े स्तर पर यह काम लिया गया है। इसका काम दिसम्बर, 72 से प्रारम्भ हुआ है । प्रयोग सफल हुआ तो आगे बढावेंगे ।

श्री नानालाल : कितने पर्सेन्ट ऊन ये काम में ले रहे हैं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : यह जानकारी तो अभी मेरे पास नहीं है ।

श्री नानालाल : आपकी खरीद से पता लगता है कि आठ लाख प्रति वर्ष ये खरीदते हैं। जब कि उत्पादन इसका 150 लाख के करीब साल का है । तो यह तो बड़ी शोचनीय बात है । इससे तो सरकार की अयोग्यता ही मालूम होती है ।

श्री औंकारलाल, निवासी छीपा बड़ौद द्वारा प्रमाण-पत्रों में कांट-छांट

988. **श्री झाबरमल सुण्डा** (फतेहपुर): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि श्री औंकारलाल

(श्री झाबरमल सूण्डा)

पुत्र श्री जमनालाल, निवासी छीपा बड़ौद कोटा को राजस्थान राज-पत्र–भाग 7 (ख), सूचना पृष्ठ संख्या 210, दिनांक 30 जून, 1955 के नोटिफिकेशन के अनुसार मूल प्रमाण-पत्रों में कांट-छांट करने के कारण आगे की परीक्षा में भाग लेने से 1954 में 5 वर्ष के लिये वंचित किया गया जो कि भ्रष्टाचार जालसाजी की संज्ञा में आता है? यदि आता है, तो श्री औंकारलाल चौहान के विरूद्ध और क्या कार्यवाही की गई?

(2) श्री औंकारलाल चौहान ने सन् 1954 में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई प्रशासनिक सेवा तथा पुलिस एवं अकाउन्टस् सेवाओं के लिये प्रस्तुत मूल प्रमाण-पत्रों में जो कांट-छांट किये उनकी मूल प्रतियां एवं लोक सेवा आयोग की मूल टिप्पणी सहित सदन की मेज पर प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्रीमती कमला बेनीवाल): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न में चाही गई जानकारी बहुत वर्ष पुरानी है और इसकी जानकारी के लिये सम्बन्धित विभाग को लिखा गया तो जवाब आया है कि ये तमाम कागजात सामग्री पुरानी होने से नष्ट कर दी गई हैं इसलिये इस प्रश्न के बारे में उत्तर देना सम्भव नहीं है।

श्री झाबरमल सूंडा: जानकारी मेरे पास है। सारे रेकार्ड मेरे पास हैं। विभाग द्वारा सबको नष्ट कर देने के बाद भी सब नष्ट नहीं होते हैं। वह सदस्य जिसके बारे में प्रश्न किया गया है वे मंत्री मण्डल के सदस्य हैं क्या सरकार की यह जानकारी में है? यदि हां, तो वे स्वयं ही जवाब दे दें हां या ना में।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट!

श्री झाबरमल सूंडा: अध्यक्ष महोदय, उत्तर सम्बन्धित व्यक्ति स्पष्ट दें। इफ या बट्स में नहीं। मेरे पास रेकार्ड है।

श्री अध्यक्ष: आफिशियली आपको जवाब दे दिया गया है।

श्रीमती नगेन्द्रबाला: अध्यक्ष महोदय, प्रश्न तो गम्भीर है।

श्री बरकतुल्ला खां: जब यह प्रश्न आया तो पी० एस० सी० को लिखा गया था कि सम्बन्धित कागज वे हमें भेजें या सर्टीफाइड कॉपी भेज दें। पर उन्होंने उत्तर दिया कि मामला पुराना हो गया इसलिये उन्होंने सारा रेकार्ड नष्ट कर दिया है। उन्होंने हमें लिखा कि जो नोटिफिकेशन है उसकी कॉपी वे भेज रहे हैं। नोटिफिकेशन की कॉपी आने पर मालूम हुआ कि रेकार्ड की दुबारा न तो जांच हुई न इस सम्बन्ध में हमारे पास कोई डेफीनिट मैटीरियल मिल पाया। पर मैं चाहूंगा कि इस बारे म वह स्वयं ही कोई जवाब दे दें।

श्री औंकारलाल चौहान: मैं इस प्रश्न से सम्बन्धित हूं। पर मेरे द्वारा ऐसी कोई अनियमितता नहीं की गई है। यह मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं।

श्री झाबरमल सूंडा: है तो आपके सम्बन्ध में ही न?

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट!

Page No. 10

श्री आर० एन० भण्डारी, सहायक निदेशक, सेवा नियोजन निदेशालय द्वारा यात्रा भत्ता

989. **श्री मुन्शीलाल महावर** (बस्सी) : क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि श्री आर० एन० भण्डारी, सहायक निदेशक, सेवा नियोजन निदेशालय ने अनेक बार सड़क द्वारा यात्रा करके प्रथम श्रेणी रेल का किराया राज्य सरकार के खजाने से वसूल किया ?

(2) क्या यह सही है कि एक बार जयपुर से डूंगरपुर वे जिलाधीश, डूंगरपुर के साथ उनकी कार में बैठ कर गये परन्तु सरकार से रेल का प्रथम श्रेणी का किराया वसूल कर लिया ? यदि हां, तो क्या नियमानुसार यह सही है, यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की, तो क्यों नहीं की गई ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त श्री मण्डारी न्यायालय के वारन्ट पर जयपुर से अजमेर गये तथा वापिस आये ? यदि हां, तो क्या इसका यात्रा भत्ता नियमानुसार उनको मिलना चाहिये था ? यदि नहीं, तो उन्होंने सरकारी खजाने से पूरा यात्रा भत्ता कैसे ले लिया ? क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्रम मंत्री (श्री ओंकारलाल चौहान) : (1) जी हां। श्री आर० एन० भण्डारी, सहायक निदेशक, सेवा नियोजन निदेशालय, जयपुर ने पिछले साल तीन बार सड़क द्वारा यात्राएं की हैं एवं उसका प्रथम श्रेणी का किराया चार्ज किया है।

(2) जी हां, वित्त विभाग ने यह राय दी थी कि वे इसे चार्ज नहीं कर सकते किन्तु इसकी सूचना देने पर इन्होंने इस प्रकरण पर पुनः आवेदन दिया है जो विचाराधीन है।

(3) जी हां, इस प्रकरण पर वित्त विभाग की राय ली गई थी तथा उनकी राय के अनुसार श्री भण्डारी इस मामले में यात्रा भत्ता प्राप्त करने के हकदार नहीं थे। इस निर्णय की सूचना भी उन्हें दे दी गई है किन्तु उन्होंने रिप्रेजेन्टेशन किया है कि यह उन्हें मिलना चाहिये। इनका रिप्रेजेन्टेशन सरकार के विचाराधीन है।

श्री मुंशीलाल महावर : इस पर सरकार कब तक निर्णय कर लेगी ?

श्री ओंकारलाल चौहान : शीघ्र ही।

अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के व्यक्तियों की नौकरियों में सुरक्षित स्थान

990. **श्री मूलचन्द सामरिया** (दौसा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति व जन-जाति के पिछड़ेपन के कारणों में मुख्य कारण उनकी आर्थिक स्थिति है ? यदि हां, तो क्या सरकार नौकरियों में सुरक्षित स्थानों को बढ़ावेगी ?

(2) क्या उद्योग में परमिट व कोटा देते समय उनको कुछ प्रतिशत लाइसेन्स सुरक्षित कराने का प्रयास करेगी ? यदि हां, तो कैसे व कब तक यदि नहीं तो, क्यों ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री ओंकारलाल चौहान) : जी हां। यह सही है कि अनुसूचित जाति व जन-जाति के पिछड़ेपन के कई कारणों

(**श्री ओंकारलाल चौहान**)

में से एक कारण उनकी आर्थिक स्थिति भी है। वर्तमान में राजकीय सेवाओं में सुरक्षित स्थानों में बढोतरी सम्बन्धी मामला राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(2) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय, जब सरकार उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने को उनके पिछड़ेपन का एक कारण यह भी मानती है तो फिर क्या कारण है कि वह उनको परमिट देकर व्यापार उद्योग में भी उन को ऊपर लाने का प्रयास नहीं करना चाहती ?

श्री ओंकारलाल चौहान : सुझाव आपका उत्तम है। पर परमिट देने का उनके उत्थान कार्यक्रम में ऐसा अलग से कोई प्रावधान नहीं है।

श्री मूलचन्द सामरिया : आपको इस में कौन सा नियम रोकता है ? जब आप मानते हैं कि विचार अच्छा है तो आप उस को कार्यान्वित करने से क्यों संकोच करते हैं ? आप इनको उद्योग धन्धों में लगने के लिये प्रोत्साहन क्यों नहीं देना चाहते ? इनको परमिट लाइसेन्स क्यों नहीं देना चाहते ?

श्री ओंकारलाल चौहान : उद्योग धन्धों में स्थिति सुधरेगी या नहीं लेकिन···

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय, उद्योग धन्धों···

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : यह प्रश्न का दूसरा खण्ड है, महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं इसकी भावना सराहनीय है और प्रशासनिक व्यवस्था का इससे सम्बन्ध है। अनुसूचित जाति और जन-जाति के उत्थान के लिये मेरे खयाल से रिजर्वेशन की व्यवस्था, कोटे आदि का संकेत दिया है यह बहुत सुन्दर सुझाव है। मैं समझता हूं क्या सरकार इस सम्बन्ध में विचार नहीं करेगी, अगर विचाराधीन नहीं है तो इस प्रश्न में सुझाव के रूप में आपके समक्ष आया है ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में ऐसे सुन्दर विचार को विचाराधीन नहीं लेगी ?

श्री ओंकारलाल चौहान : माननीय अध्यक्षजी, मैंने निवेदन किया। सुझाव उत्तम है, इस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन कोटा परमिट का लाइसेन्स दिया जाता है वह केन्द्रीय सरकार देती है लेकिन फिर भी आर्थिक स्थिति से सुदृढ करने की स्थिति में ऐसा विचार किया जा सकता है।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : कोटा परमिट लाइसेन्स किसी से लें, लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगा इन्डस्ट्रीज वगैरह में प्रोत्साहन दिया जाय। एक दो इन्डस्ट्रीज शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की अलग से स्कीम बना कर दी जाय। लोन और रॉ मेटीरियल राजस्थान मे दिया जाय और उनको देने के लिये विशेष फेसिलिटी दे सकें तो उनका उत्थान हो सकेगा। क्या सरकार इस पर विचार करेगी ?

श्री ओंकारलाल चौहान : मैंने यह निवेदन किया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिकतर कृषि पर आधारित है और कृषि के सम्बन्ध में समाज कल्याण के माध्यम से लोन दिया जाता है, वह भी उनको मुहैया किया जा रहा है। यह आपका विचार है, उत्तम है इस पर भी विचार किया जा सकता है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर, **व्यवधान**)

Page No. 12

श्री रोशन लाल शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है।

श्री मूलचन्द सामरिया: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो फरमाया उनको पूरी तरह ज्ञात होगा। कृषि की जमीनें एक बीघा, आधा बीघा, पौन बीघा हरिजनों को अलाट इसलिये की जाती हैं कि उनका नम्बर बढ़ा दिया जाय। अगर भूमिहीन हों तो वास्तव में नाम मात्र में किसानों की परिभाषा में ले रखा है। आज उनके पास वास्तविक जमीन नहीं है। राजस्थान में उद्योग की बड़ी गुंजाइश है अगर उनकी आर्थिक स्थिति सुधारनी है तो उद्योग धन्धों में खपाना होगा अन्यथा किसी के भरोसे कुछ नहीं हो सकता है।

श्री रोशनलाल शर्मा: क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वे यदि कृषि पर आधारित हैं और कृषि के साथ पशुपालन का धन्धा हो सकता है। यह तो आप मानेंगे कि जमीन पर्याप्त नहीं है और जो जमीन मिली हुई है, उस पर गुजारा नहीं हो सकता है। क्या पशुपालन का धन्धा बड़े पैमाने पर करने पर राज्य सरकार विचार करेगी ?

श्री ओंकारलाल चौहान: इन सब बातों पर विचार किया जायगा।

श्री नानालाल: अध्यक्ष महोदय, सन 66 में एक....

श्री अध्यक्ष: क्या चाहते हैं, सप्लीमेन्टरी पूछना चाहते हैं ?

श्री नानालाल: हां।

श्री अध्यक्ष: पूछिये।

श्री नानालाल: अध्यक्ष महोदय, सन् 66 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लिये लोन दिया था, क्या वह उद्योग चल रहा है ?

श्री ओंकारलाल चौहान: माननीय अध्यक्षजी, यह अलग से प्रश्न है। आप प्रश्न पूछेंगे तो अवश्य उत्तर दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष: स्थगित प्रश्न।

श्री श्रीराम गोटेवाला: भगवती देवी का नाम ले लिया था, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: No.

श्री श्रीराम गोटेवाला: यह तो आप नाम बोल चुके हैं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: मैं तो बोलना ही चाहता था लेकिन आपने समय ले लिया।

(व्यवधान)

चेयर के बजाय आप ही डाइरेक्शन दे रहे हैं ?

श्रीमती भगवती देवी।

अजमेर व जयपुर की पेयजल योजना

991. **श्रीमती भगवती देवी** (मिनाय): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि अजमेर व जयपुर की पेय जल योजना राजमहल (देवली) से लिन्क करने की बनाई गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि तृतीय एवं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इस योजना के लिये कुछ रकम भी रखी गई थी ? यदि हां, तो कितनी तथा वह रकम खर्च क्यों नहीं की गई ?

(श्रीमती भगवती देवी)

(3) क्या यह भी सही है कि पांचवीं योजना में इस मद पर कोई राशि नहीं रखी जा रही है ?

(4) क्या यह सही है कि अजमेर की जो नल योजना देवली के कुओं से जोड़ी गई है वह स्थायी हल नहीं है और उससे आस-पास की भूमि अन्न उपजाऊ हो गई है तथा लगातार दो या तीन वर्ष वर्षा नहीं होने पर यह योजना पूर्ण असफल हो जावेगी ?

(5) क्या सरकार इस योजना को राजमहल की योजना से जोड़ने का विचार रखती है ?

राज्य मन्त्री, स्वास्थ्य (श्री जुझारसिंह) : (1) योजना में जयपुर को राजमहल से पानी देने का प्रावधान था। अजमेर के लिये सिर्फ बान्ध में पानी संचित करने का प्रावधान था, किन्तु इसको अजमेर से जोड़ने का प्रावधान नहीं किया गया था।

(2) तृतीय पंचवर्षीय योजना में कोई प्रावधान नहीं रखा गया था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में 3 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित था, जिसे बाद में अन्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये घटा कर 8.50 करोड़ रुपया कर दिया गया। योजना पर पुनिर्विचार किये जाने के कारण उक्त राशि में से जयपुर योजना के विकास के लिये वर्ष 1971-72 में राज्य सरकार द्वारा 16.70 लाख रुपये व जीवन बीमा निगम से प्राप्त ऋण के रुपय में 33.40 लाख रुपये व सन् 1972-73 में राज्य सरकार की ओर से 16.00 लाख रुपये व जीवन बीमा निगम से प्राप्त ऋण द्वारा 32.00 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान था। वर्ष 73-74 में राज्य सरकार की ओर से 14.00 लाख रुपये व जीवन बीमा निगम से 28.00 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान है।

(3) जी हां। अलग से कोई राशि प्रस्तावित नहीं है।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय··

श्री अध्यक्ष : No supplementary आपके कहने से ले लिया है यही बहुत है।

स्थगित प्रश्न

श्री मोहनलाल छंगाणी।

राजस्थान राज्य समाज कल्याण सलाहकार मण्डल

544. **श्री मोहनलाल छंगाणी** (फलौदी) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान राज्य समाज कल्याण सलाहकार मण्डल का गठन कब हुआ व वर्तमान में इसके कौन-कौन पदाधिकारी एवं सदस्य है ? इनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है ?

(2) राज्य सरकार द्वारा 31 दिसम्बर, 1972 तक कुल कितनी धनराशि किस-किस रूप में किस-किस वर्ष में और किस कार्य हेतु दी गई ? तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें जिसमें यह उल्लेख हो कि उक्त धनराशि जिस कार्य के लिये दी गई थी वह उस कार्य में ली गई कि नहीं ? यदि ली गई, तो कितनी ? यदि नहीं ली गई, तो कितनी व उस राशि का क्या हुआ ?

(3) इस मण्डल का ऑडिट कौन-कौन से वर्षो का नहीं हुआ ? यदि नहीं हुआ

Page No. 14

(श्री मोहनलाल छंगाणी)
तो क्यों नहीं? जिन वर्षों का ऑडिट हो चुका है उक्त ऑडिट रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) राज्य सरकार द्वारा किस-किस वर्ष में बिना ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त किये कितना-कितना अनुदान दिया गया?

(5) ऑडिट समय पर हो इस संबंध में राज्य सरकार ने क्या कभी मण्डल को निर्देश दिये? यदि हां, तो कब-कब?

राज्य मंत्री, समाज कल्याण (श्री ओंकारलाल चौहान): (1) राजस्थान राज्य समाज कल्याण सलाहकार मण्डल का गठन नवम्बर, 1954 में हुआ था। वर्तमान में मण्डल के पदाधिकारियों तथा सदस्यों की सूची (क) सदन की मेज पर रख दी गई है। इनकी शैक्षणिक योग्यता की सूचना उपलब्ध नहीं है।

(2) राजस्थान समाज कल्याण सलाहकार मण्डल को वर्ष 1955-56 से अनुदान दिया जा रहा है। बोर्ड के कार्यालय एवं संचालित 18 परियोजनाओं के लिये गत तीन वर्षों में जो सहायता की राशि स्वीकृत की गई है उसका ब्योरा निम्न प्रकार है:—

वर्ष	राशि
1969-70	3,53,613
1970-71	3,58,535
1971-72	3,24,580
1972-73	2,57,563

मण्डल को दी जाने वाली राशि का उपयोग मण्डल द्वारा संचालित परियोजनाओं पर विधिवत किया जा रहा है।

(3) राज्य बोर्ड व योजनाओं के लेखों का वर्ष 1971-72 तक का ऑडिट हो चुका है। वर्ष 1972-73 के लेखों का ऑडिट सत्र समाप्ति के पश्चात् महालेखाकार के कार्यालय द्वारा किया जावेगा। वर्ष 1969-70, 70-71 व 1971-72 के ऑडिटेड स्टेटमेंन्ट्स की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(4) गत चार वर्षों में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि बिना आडिटेड स्टेटमेन्ट्स प्राप्त किये ही मण्डल को अनुदान स्वीकृत किया गया हो।

(5) पूर्व वर्ष के व्यय पर ही अगले वर्ष के लिये अनुदान स्वीकृत किया जाता है। अतः ऑडिट समय पर ही कराया जाता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री मोहनलाल छंगाणी : यह पहले अन-ऑडिटेड अकाउन्ट्स थे और आपने उनकी ग्रान्ट चालू रखी है।

श्री ओंकारलाल चौहान : कब?

श्री मोहनलाल छंगाणी : चार साल पहले।

श्री ओंकारलाल चौहान : मेरे पास जानकारी नहीं है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : पहले कभी भी ऑडिट नहीं हुआ है और ग्रान्ट आपने दी है, ऐसा मेरा प्रश्न है।

श्री ओंकारलाल चौहान : ऐसा नहीं हुआ है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : मैं कहता हूं ऑडिट नहीं हुआ है, मैं जानकारी देता हूं। अन-आडिटेड अकाउन्ट्स के बाद भी ग्रान्ट चालू रखी है।

श्री ओंकारलाल चौहान : कौनसे साल का फर्मा रहे हैं ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : 63-64 64-65।

श्री ओंकारलाल चौहान : इतना पुराना रेकार्ड उपलब्ध नहीं है। मैं माननीय सदस्य को भिजवा दूंगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मैं यह जानना चहता हूं एस्टब्लिशमेंट कितना लगा है ?

श्री ओंकारलाल चौहान : एस्टेब्लिशमेंट का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

श्री मूलचन्द सामरिया : इस मण्डल में कितने सदस्य हैं और उन सदस्यों में कितने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के हैं।

श्री ओंकारलाल चौहान : सदस्यों की सूची मैंने मेज पर रख दी है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : क्या क्राइटेरिया है आपका ? माप-दण्ड बतायेंगे कि इस माप-दण्ड पर सदस्य बनाये जाते हैं। माप दण्ड क्या है ?

श्री मूलचन्द सामरिया : ऐसा लगता है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के नाम पर पिंजरापोल गौशाला की तरह है जिसमें बूढ़ी गायें जाती हैं उसी तरह इसमें बूढ़े, अपाहिज शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के कल्याण के लिये लगा दिये जाते हैं और खुद का कल्याण किया जाता है....

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान, अश्रव्य)

श्री श्रीराम गोटेवाला : समाज कल्याण विभाग की नहीं समाज कल्याण बोर्ड की है।

श्री मूलचन्द सामरिया : उनका कोई कल्याण नहीं होता है। उनकी आंखों में धूल झोंका जाता है, अपना कल्याण करने के लिये। मैं निवेदन करूंगा डिपार्टमेंट को बन्द कर दिया जाय जिससे जबरदस्ती जो अहसान थोपने की बात और बदनाम करने की बात बन्द हो जाय...

श्री मोहनलाल छंगाणी : आप क्राइटरिया बताइये ?

श्री ओंकारलाल चौहान : माननीय अध्यक्ष जी, मैं निवेदन करूं कि जो बोर्ड का गठन होता है उसमें अधिकतर महिलाओं को लिया जाता है जो कि पढ़ी-लिखी होती हैं। माननीय सदस्यों को याद होगा कि समाज कल्याण बोर्ड जो कि केन्द्रीय सरकार चलाती है उसका यह आशय रहता है कि महिलाओं में और बच्चों में जागृति हो और उससे गतिविधियां ऐसी हों कि जिससे महिलाओं की जागृति होकर लाभ पहुंचे जैसे बालकों की शिक्षा के लिए शिशु निकेतन केन्द्र खोले जाते हैं और ऐसी गतिविधियां खोली जाती हैं जिससे प्रचार होकर वह आगे आयें और उनको फायदा हो। इसी आधार पर जिनका भी सलेक्शन किया गया है और जो मैम्बर्स बनाये जाते हैं अधिकतर उसमें महिलायें होती हैं और महिलाओं का इसके अन्दर समावेश किया जाता है और उसी आधार पर उनका नामीनेशन किया जाता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इनको कष्ट यह है कि इनको (मूलचन्द सामरिया) सम्मिलित क्यों नहीं किया गया।

(अश्रव्य, शोरगुल)

श्रीमती जमुना सोलंकी (केकड़ी): अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहती हूं कि क्या इसमें शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की महिलाओं को भी लिया जाता है ?

श्री ओंकारलाल चौहान : माननीय अध्यक्षजी, मैं इसके नाम ही पढ़कर सुना दूं हो जायेगा ।

श्रीमती उर्मिलादेवी मसूदा	अध्यक्षा
निदेशक, समाज कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर	कोषाध्यक्ष
श्रीमती सरला माथुर	सदस्या
श्रीमती रतन देवी दम्माणी	,,
श्रीमती प्रेम गोस्वामी	,,
श्री हनुमानमल वैद्य	सदस्य
श्रीमती लीला त्रिपाठी	सदस्या
श्रीमती मंगला देवी तलवार	,,
श्रीमती सुरजीत कौर	,,
श्रीमती शारदा भार्गव	,,
श्रीमती रामेश्वरी सेठी	,,
श्रीमती आशादेवी शर्मा	,,
श्रीमती गौरी पूनिया, एम.एल.ए.	,,
श्रीमती इन्दिरा मायाराम	,,
श्रीमती कान्ता कथूरिया, एम.एल.ए.	,,
श्रीमती नरेन्द्र बाला, एम.एल.ए.	,,
श्री पी. डी. कुदाल	सदस्य
श्री गणेशलाल माली, एम.पी.	,,
श्रीमती मदन कौर, एम. एल. ए.	सदस्या
अतिरिक्त निदेशक, प्राईमरी एन्ड सैकेन्डरी शिक्षा, बीकानेर	सदस्य
अतिरिक्त विकास आयुक्त, राजस्थान, जयपुर	,,
श्रीमती गंगादेवी डाटा	सदस्या
श्रीमती जयन्ति देवी भट्ट	,,
श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल	,,
श्रीमती कमला श्रोत्रीय	,,
श्रीमती हूजा	अभी-अभी सदस्या बनाया गया है।

श्रीमती जमुना सोलंकी : शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की महिलाओं को नहीं रखा गया सिवाय इसके कि श्रीमती लक्ष्मी को और वह बारूपालजी के एम. पी. होने के नाते उनको लिया गया है।

श्री मोहनलाल छंगाणी: आपका नाम विचाराधीन है ।

(शोरगुल, अश्रव्य)

श्रीमती जमुना सोलंकी: अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहती हूं कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की महिलाओं को लिया जायेगा ?

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न है....

(अश्रव्य, शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : The question is closed now.

श्री गिरधारीलाल भार्गव !

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 15-3-73)

आर्म्ड पुलिस में पदोन्नतियां

559. **श्री गिरधारीलाल भार्गव** (हवामहल) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान की आर्म्ड पुलिस में मुख्य आरक्षकों की उप-निरीक्षक के पद पर पदोन्नति का आधार क्या है?

(2) क्या पदोन्नति वरिष्ठता सूची के आधार पर की जाती है? यदि हां, तो क्या इस नियम का पालन होता है और नहीं तो क्यों? वर्ष 1965 से अब तक मुख्य आरक्षकों की वरिष्ठता सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि जयपुर जिले के कुछ मुख्य आरक्षकों को पदोन्नत किया गया है? यदि हां, तो किन-किन को और किस आधार पर? कृपया इस अवधि में पदोन्नत किये गये व्यक्तियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) जिन मुख्य आरक्षकों को वरिष्ठता सूची की अवहेलना कर उप-निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया है क्या उनकी पदोन्नति कर वरिष्ठता सूची की प्राथमिकता के आधार पर पदोन्नति करने का सरकार का विचार है?

राज्य मंत्री, गृह (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) राजस्थान आर्म्ड पुलिस में मुख्य आरक्षकों को उप-निरीक्षक के पद पर पदोन्नति राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1966 के नियम 23 के तहत दी जाती है।

(2) राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1966 में पदोन्नति केवल वरिष्ठता सूची पर देने का प्रावधान नहीं है। पदोन्नति वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर दी जाती है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) वर्ष 1971 में जिला जयपुर के निम्नांकित मुख्य आरक्षकों को तदर्थ तौर पर उप-निरीक्षक (ए० पी०) के पद पर पदोन्नत किया गया था।

(अ) श्री राधा किशन (सराहनीय कार्य के लिये)

(ब) श्री यासीन खां (मुख्य मंत्री के अंगरक्षक के लिये)

(4) उपरोक्त दोनों आरक्षकों को केवल तदर्थ तौर पर ही उप-निरीक्षक (ए० पी०) के पद पर पदोन्नत किया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री अध्यक्ष : श्री केसरीमल, श्री मोहम्मद गफ्फार अली ।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 21-3-73)

सुरक्षा कोष की राशि

657. **श्री केशरीमल** (ब्यावर) : एवं **श्री मोहम्मद गफ्फार अली** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह

(श्री केशरीमल)
बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सुरक्षा कोष के लिये कमानी इन्जीनियरिंग कार्पोरेशन के श्रमिकों ने गत भारत-पाक युद्ध के दौरान एक दिन का वेतन, जो कि 13 हजार रुपये होता है, स्वेच्छा से कटाया था ?

(2) क्या यह सही है कि वह धनराशि कार्पोरेशन के मालिकों ने आज तक जमा नहीं कराई ?

(3) क्या राज्य सरकार कमानी कार्पोरेशन के मालिकों के खिलाफ इस राशि की वसूली के लिये कानूनी कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

राज्य मंत्री, गृह (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) कमानी इन्जीनियरिंग कार्पोरेशन लि०, जयपुर के श्रमिकों, कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने अपनी स्वेच्छा से दिसम्बर, 1971 में सुरक्षात्मक कार्यों के लिये धनराशि एकत्रित करने का प्रस्ताव पारित किया था तदनुसार उन्होंने जनवरी, 72 म 6,691 रु० 55 पैसे की राशि एकत्रित की। किन्तु युद्ध समाप्त हो जाने तथा परिस्थितियां सामान्य हो जाने के कारण उक्त एकत्रित राशि को संग्रहकर्त्ताओं को लौटाने का निर्णय श्रमिकों एवं कर्मचारियों द्वारा लिया गया। इस प्रकार एकत्रित राशि कमानी इन्जीनियरिंग कार्पोरेशन द्वारा संबंधित दानदाताओं को लौटा दी गई।

(2) अनुच्छेद 1 में दिये गये उत्तर के अनुसार यह प्रश्न नहीं उठता।

(3) जी नहीं, अनुच्छेद 1 में दिये गये उत्तर के अनुसार कानूनी कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि यह राशि लौटाने का फैसला कौन सी तारीख को किया गया ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : वापिस दी जाये यह निर्णय दिसम्बर, 72 में लिया गया।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : यह किस आधार पर निर्णय लिया गया ? जो डिफेन्स फण्ड के लिये रकम काटी गयी थी उसको वापिस लौटाने का क्या अधिकार था ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : जिन दानदाताओं ने यह रकम दी उन्होंने निर्णय लिया कि यह राशि वापिस लौटा दी जाये इसलिये लौटा दी।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : 12 महीने तक यह रकम क्यों रोक कर रखी और उसको डिफेन्स में क्यों नहीं मुन्तकिल किया गया ? मेरी मान्यता यह है कि इस रकम का मिस-एप्रोप्रियेशन हुआ है और जब सवाल भेजा तब रकम वापिस लौटाई। अभी साईं बाबा आये तो तमाम मजदूरों का एक एक रुपया काट लिया। काट लिया इसके लिये मुझे एतराज नहीं है खुशी के लिये दिया जाये। मुझे यह गलत इत्तला दी जाती है। मेरा खयाल है कि मुकदमा बनाया जाना चाहिये। एक साल तक रुपया रखने का क्या अधिकार था ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : माननीय अध्यक्षजी, जैसा मैंने निवेदन किया कि पैसा एकत्रित करने के बाद में युद्ध बन्द हो गया। उसके बाद में यह विचार हुआ कि इसको

(श्रीमती कमला बेनीवाल)
जमा कराया जाये या नहीं। उसके बाद निर्णय लिया गया कि वापिस लौटाया जाये।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : कैसे लौटाया जा सकता है।

श्री मोहनराज : वेतन का रुपया लिया गया और दिसम्बर, 72 में निर्णय लिया गया तो 12 महीने तक पैसा रोक कर रखा और जमा नहीं कराया, क्या यह अपने आप में गुनाह नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मंत्री महोदया, यह रुपया कितने दिनों में एकत्रित हुआ सुरक्षा कोष के लिये ? एकत्रित हुआ तो कितने दिनों तक इनके पास रहा और कितने दिनों के बाद यह निर्णय लिया गया ? सुरक्षा कोष इसका नाम है इसका लड़ाई कोष नाम नहीं है। सुरक्षा कोष के आधार पर कमानी इन्जीनियरिंग को क्या अधिकार था वापिस लेबरर को रेफर करते और वापिस लौटाने का प्रस्ताव पारित करते ? यह प्रस्ताव पारित करना और रुपये को रिटेन करना और अपने पास लम्बे अर्से तक रखना इसका द्योतक है कि यह सुरक्षा कोष के लिये भेजना नहीं चाहते थे।

श्रीमती कमला बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस समय यह एकत्रित किया गया और जिस तारीख को इसको वापिस लौटाने का निर्णय लिया गया और जिस तारीख को इसको लौटाया गया इसमें वास्तव में काफी अर्से का फर्क है, इसके बारे में उनसे पूछताछ की जायेगी।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : क्या यह ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : सुरक्षा कोष के संबंध में एक कानून है क्या इसकी जानकारी मंत्री महोदया को है ? क्या उस कानून के अन्तर्गत आप इस दिशा में कुछ कदम उठाने की स्थिति में हैं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : उस कानून का अध्ययन किया जाकर इस मामले में कार्य-वाही की जायेगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक वर्ष तक इसको रख कर अपनी बैंक में रख लिया तो क्या यह ब्रीच आफ ट्रस्ट और मिस-एप्रोप्रियेशन क्लियरली बनता है और इसका केस उनके ऊपर चलायें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसके साथ ही उसका ब्याज कहां है यह भी पता लगायें। पैसा तो एकत्रित हो गया तो उसको कहीं बैंक में जमा कराया होगा ? ब्याज कमानी-जी लौटा रहे हैं या कमानीजी रख रहे हैं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्वयं ने इस स्थिति का नोटिस लिया है कि एक वर्ष तक धनराशि क्यों रही और किसलिये रही, उसके बारे में पूछताछ की जावे। जैसा कि माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया है नियमों के अन्तर्गत यदि दुरुपयोग में आता है तो उसके मुताबिक कार्यवाही की जावेगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसी आधार पर प्रश्न स्थगित हुआ था....

श्रीमती कमला बेनीवाल : इस आधार पर नहीं हुआ था। इस आधार पर स्थगित हुआ था कि किस तारीख को निर्णय लिया था और किस तारीख को लौटाया गया। उन तारीखों की सूचना उस वक्त मेरे पास नहीं थी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपने कहा कि जांच करेंगी तो किस इंस्टीट्यूट के जरिये जांच करेंगी।

(अनुत्तरित)

श्रीमती सुमित्रासिंह (झुंझुनू) : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदया यह बताने का कष्ट करेंगी कि माननीय सदस्य के प्रश्न पूछने के बाद में कमानी ब्रदर्स ने यह निर्णय लिया कि रुपया लौटाया जाय, क्या यह बात सही है?

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैंने आपसे निवेदन किया कि निर्णय तो दिसम्बर, 1972 में लिया गया है जब कि लौटाया जनवरी, 73 में गया है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह: यही तो पूछ रही हूं मैं कि माननीय सदस्य के प्रश्न पूछने के बाद में लौटाया गया या पहले लौटाया गया?

श्रीमती कमला बेनीवाल : निर्णय पहले का है लौटाया बाद में गया है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वश्चन। श्री भंवरलाल भदादा।

श्री भंवरलाल भदादा: प्रश्न सं० 664।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह तो मंत्री महोदया पहले ही स्वीकार कर चुकी हैं।

श्री अध्यक्ष : उद्योग मंत्रीजी।

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैं पहले ही स्पष्ट कर चुकी हूं।

श्री अध्यक्ष : मैंने दूसरा सवाल ले लिया है।

(व्यवधान, शोरगुल- अश्रव्य)

आप ध्यान दें, मैंने दूसरा सवाल ले लिया है।

स्थगित प्रश्न

(दि० 21-3-73)

नये उद्योग की सुविधाएं

664. **श्री भंवरलाल भदादा** (भीलवाड़ा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान में सन् 1971 और 1972 में कितने किस-किस के नये उद्योग लगे ?

(2) इन नये उद्योग वालों को राज्य सरकार की ओर से क्या सहयोग एवं सहायता प्रदान की गई?

(3) राज्य सरकार नये लघु उद्योग को किस-किस रूप में क्या-क्या सहयोग एवं सहायता प्रदान करती है?

राज्य मंत्री, उद्योग (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) राजस्थान में 1971 में 958 तथा 1972 में 1,442 उद्योग लगे जो निम्न प्रकार हैं :-

क्रम सं०	उद्योग का प्रकार	1971	1975
1	2	3	4
1.	फूड प्रोडक्ट	96	105
2.	बेवरेज तम्बाकू और तम्बाकू प्रोडक्ट	5	7
3.	कोटन टैक्सटाइल	72	114
4.	वूल सिल्क एण्ड सिंथेटिक फाइबर टैक्सटाइल	29	1

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

1	2	3	4
5.	टैक्सटाइल प्रोडक्ट्स	46	63
6.	वूड प्रोडक्ट	31	43
7.	पेपर एण्ड पेपर प्रोडक्टस प्रिंटिंग पब्लिशिंग एण्ड एलाइड इण्डस्ट्रीज	37	39
8.	लेदर-एवं लेदर फरप्रोडक्ट्स	75	83
9.	रबर/प्लास्टिक पैट्रोलियम एण्ड कोल प्रोडक्ट्स	51	119
10.	केमिकल एण्ड केमिकल प्रोडक्ट्स (पैट्रोलियम एण्ड कोल के अतिरिक्त)	154	176
11.	नोन-मेटल मिनरल प्रोडक्ट्स	61	93
12.	मेटल एण्ड एलाइड इण्डस्ट्रीज	73	19
13.	मेटल प्रोडक्ट्स एण्ड पार्ट्स (मशीनरी एवं ट्रांसपोर्ट के अतिरिक्त)	189	390
14.	मशीनरी/मशीन टूल्स (इलेक्ट्रिक मशीन के अलावा)	16	38
15.	इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रिकल मशीनरी एपलाइन्सेज एण्ड सप्लाइज पार्ट्स)	14	15
16.	ट्रांसपोर्ट इक्यूपमेंट पार्ट	4	5
17.	अदर्स	65	118
	योग ..	958	1,442

(2) उद्योगों की संख्या जिनको निम्न प्रकार की सहायता एवं सुविधाएं दी गई:—

क्रम० सं०	सहायता एवं सुविधा	उद्योगों की संख्या	
1.	भूमि औद्योगिक क्षेत्र	57	को
2.	फैक्ट्री/शेड प्लाण्ट औद्योगिक वस्ती	25	को
3.	आर्थिक सहायता	310	
4.	हायर परचेज मशीनरी	20	
5.	रिबेट पावर सप्लाई	5	
6.	सबसीडी और पावर	54	
7.	ओक्ट्रॉय एक्जेम्पशन/मशीनरी रॉ-मैटिरियल	257	
8.	रिलीफ पेमन्ट ऑफ सेल्स टैक्स	1	
9.	प्राइस प्रिफरेंस ओन गवर्नमेंट परचेजेज	15	
10.	लोन कम सबसीडी फोर इक्यूपमेंट एण्ड वर्कशेड	54	
11.	असिस्टेंस इन प्रोक्यूरमेंट ऑफ इग्रेस (इम्पोर्टेड)	958	
12.	टैस्टिंग फैसेलिटी	6	
13.	10 पर्सेंट सबसीडी	14	

(3) सहायता एवं सुविधायें राज्य सरकार द्वारा दी जाती हैं उनकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री भंवरलाल भवादा: अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदया ने जिस प्रकार का चित्र खींचा है उससे तो लगता है कि राजस्थान जापान बन

(श्री भंवरलाल भवादा)
गया है। जो राजस्थान में दो हजार चार सौ के करीब इतने उद्योग यदि लग गए होते तो मैं समझता हूं कि राजस्थान की शक्ल बदल जाती और यहां पर जो ये आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं उन पर विश्वास नहीं होता है। बड़ी अच्छी बात है अगर इतने उद्योग लगे हैं तो लेकिन यह बता दीजिए कि ये उद्योग कहां पर लगे हैं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल: इसकी सूची आपको बाद में उपलब्ध करा दी जाएगी।

श्री श्रीराम गोटेवाला: जितने उद्योगों के नाम आपने बताये हैं 2400 के लगभग दो वर्षों में उनमें चालू कितने हैं ?

श्री भंवरलाल भवादा: इसके अलावा यहां के बारे में बाहर के लोगों में दूसरे राज्य के लोगों में इस प्रकार की धारणा बनी हुई है कि यहां के उद्योग विभाग का कोई सहयोग नहीं मिलता है। जब बाहर के लोगों से कहते हैं कि राजस्थान में उद्योग लगाओ तो यही जवाब मिलता है कि राजस्थान सरकार उद्योग-धन्धों में सुविधा नहीं देती है। इसी तरह की बात जब हम मद्रास गए तो वहां पर सुनने को मिली और जो दूसरी स्टेटस में गए तो वहां पर भी इसी प्रकार की बात हुई। इस बारे में नाहर साहब भी एक बात पूछ रहे हैं ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा): यह जो आपने सूची दी है यह पंजीकृत उद्योगों की सूची तो नहीं है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल: जितने उद्योग राजस्थान में पंजीकृत हैं और उनको जो सहायता और सुविधाएं दी गई हैं वह मैंने आपको बता दिया है।

श्री श्रीराम गोटेवाला: इनमें चालू कितने हैं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल: कितने चालू हैं यह मेरे पास सूची नहीं है।

श्री श्रीराम गोटेवाला: यह आपने जो सूचना दी है कि चौईस सौ के लगभग उद्योगों में से 257 को रॉ-मैटिरियल की सुविधा दी गई तो क्या बाकी ने अप्लाई ही नहीं किया या अपन दे नहीं पाए ?

श्रीमती जमुना सोलंकी: अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक प्रश्न है, जो सन् 71 और 72 में नए उद्योग लगाए गए हैं उनमें किसी प्रकार के क्या शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के भी उद्योग हैं ? अगर नहीं, तो राज्य सरकार ने उनको मदद क्यों नहीं की, यह बताइये।

श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद): मन्त्री महोदया यह बतायें कि जो सूची दी है उनमें सारे उद्योग चालू हैं या कितने बन्द हैं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल: मैं इस वक्त यह निवेदन नहीं कर सकती कि इन उद्योगों में से कौन से चालू हैं और कौन से बन्द हैं।

श्रीमती जमना सोलंकी: अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर...

श्री श्रीराम गोटेवाला: मन्त्री महोदया, मेरा पूछना यह है कि जो 257 उद्योगों को रॉ-मैटिरियल उपलब्ध कराया गया तो मैं यह जानना चाहता हूं कि बाकी ने अप्लाई नहीं किया या अपन दे नहीं पाये ?

श्रीमती कमला बेनीवाल: यह जानकारी प्राप्त की जाकर आपको सूचित कर दिया जाएगा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि आपने हाई पावर कमेटी बनाई इस सारे इण्डस्ट्रियलाइजेशन के बारे में, राजस्थान के औद्योगीकरण के बारे में। मैं यह जानकारी चाहता हूं कि इस हाई पावर कमेटी की कितनी मीटिंगें हुईं ? दूसरा यह कि जिस प्रकार महाराष्ट्र ने अपने यहां ओर्गेनाइजेशन बना रखा है कि जहां पर सारे काम एक ही जगह पर हो जाते हैं। तो राजस्थान के औद्योगीकरण को ध्यान में रखते हुए उसी प्रकार का ओर्गेनाईजेशन राजस्थान सरकार भी बनाने की बात सोच रही है।

तीसरा यह कि जो आज आपने सूची दी है और जैसा कि मदादाजी ने भी कहा कि आपने तो राजस्थान को जापान बना दिया है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो 2400 के करीब उद्योग पंजीकृत हुए हैं राजस्थान में उद्योग चलाने के लिए तो उनको राज्य सरकार क्या सहायता करने जा रही है, उसके बारे में बतायें।

श्रीमती कमला बेनीवाल : माननीय अध्यक्षजी, मौजूदा औद्योगिक संस्थानों की ज्यादा से ज्यादा सहायता की जावे और जो व्यवस्था का महाराष्ट्र आदि का आपने उल्लेख किया है कि सब काम एक ही जगह हो जाता है और सारी सुविधाएं एक ही जगह से प्राप्त हो जाती हैं तो उसके बाबत राज्य सरकार ने भी काफी प्रयत्न किया है और उसमें काफी कुछ प्रगति भी हुई है। एक और जहां कोऑर्डीनेशन कमेटी बनाई है····

श्री श्रीराम गोटेवाला: हाई पावर कमेटी के बारे में कह रहा हूं।

श्रीमती कमला बेनीवाल: उसकी बैठक के दौरान अनेक समस्याओं पर विचार किया गया है और उनके हल के बाबत निर्णय भी लिया गया है। इसके अलावा जो इण्डस्ट्रीयल एसोसियेशन्स हैं उनके प्रतिनिधियों की भी दो तीन बैठकें बुलाई गईं और उनकी समस्याएँ सुनी गई हैं और उनकी समस्याओं को सुनने के बाद में उनसे सम्बन्धित अधिकारियों से, निगमों से इस बारे में बात की है और बहुत सारी समस्यायें हल भी हुई हैं।

जहां तक पैकेज सर्विस का सवाल है राज्य सरकार इस बारे में विस्तार से अध्ययन करने के बाद इस बारे में जल्दी ही निर्णय लेने वाली है। उसके लिए व्यवस्था सोची जा रही है और मैं उम्मीद करती हूं कि इस प्रकार का आर्गेनाईजेशन राजस्थान में भी बनने के बाद राजस्थान की औद्योगिक इकाइयों को पैकेज सर्विस देने की व्यवस्था भी जल्दी ही हो जायेगी।

श्री मोहनलाल छंगाणी : जो आपने इन्सेन्टिव के लिए ऐलान किया था, रेमीशन इन इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का ऐलान किया था, सेन्ट्रल सेल्स टैक्स के लिए भी अनाउन्स किया गया था उसके बारे में कृपया मन्त्री महोदय बताने का कष्ट करें।

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैं आपका प्रश्न नहीं समझी हूं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : सेन्ट्रल सेल्स टैक्स के जो उद्योग लगे हैं उनके बारे में आपकी क्या नीति है यह आपने अनाउन्स किया था, पहले जो मुख्य मन्त्री थे उन्होंने यह अनाउन्स किया था कि सेन्ट्रल सेल्स टैक्स के लिए जो यह रियायत है कि सात साल में जमा करा दें और इन मामलों पर ब्याज नहीं लगेगा उसके बारे में क्या किया है क्या यह अनाउन्समेन्ट लागू किया गया है ? दूसरी जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी थी रेमीशन के बारे में क्या यह आपने लागू किया है ? यह दो प्रश्न मन्त्री महोदय बता दें।

Page No. 24

श्रीमती कमला बेनीवाल : इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी को जहां तक माफ करने का प्रश्न है इसके बारे में, इस दिशा में काफी प्रगति हुई है जहां तक मुझे याद पड़ता है पिछले अर्से में तीन सौ औद्योगिक इकाइयों को इसकी सुविधा दी गई है ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : सक्सेना की चिट्ठी है वह मैं पढ़कर सुना देता हूं:—

"Kindly refer to your letter No.—dated the 18th October, 1972 regarding exemption from the electricity duty of the industrial units with retrospective effect. I had sent a detailed D.O. letter to Shri Bhim Singh, Commissioner, Commercial Taxes. I had also reminded him on 27-9-72 and I am again sending him a D.O. reminder to expedite the decision.

As soon as the decision of the Commissioner of Commercial Taxes is communicated to me, I shall inform you."

अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार इन्सेन्टिव देने के लिए जो अनाउन्समेन्ट करती है रियायतों के बारे में उनको वह सरकार इम्पलीमेन्ट नहीं करती है । इसका यह डाक्यूमेन्टरी प्रूफ मैं यहां पर दे रहा हूं। इसके बारे में मन्त्री महोदया उत्तर दें ।

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह एक स्पेसिफिक प्रश्न है। इसमें यह जो खण्ड एक है उसको मन्त्री महोदया ने देखा होगा । इसमें यह पूछा गया है : राजस्थान में सन् 1971-72 में कितने और किन-किन नये उद्योग लगे ? माननीय सदस्य श्री यशवन्तसिंह जी नाहर ने यह आशंका प्रकट की कि यह पंजीकृत उद्योगों की संख्या आप दे रही हैं या वास्तविक रूप में जो उद्योग लगे उनकी संख्या दे रही हैं। This is a very specific question. मैं यह जानना चाहूंगा कि इस स्पेसिफिक क्वेश्चन के खंड एक में जो उत्तर चाहा है वह मन्त्री महोदया द्वारा अस्पष्ट रूप से दिया गया है । इसलिए क्या वे स्पष्टीकरण करेंगी और क्या आप इस सम्बन्ध में और क्वेश्चन कर सकती हैं । यह पंजीकृत उद्योगों की तालिका आपने पढ़कर सदन के समक्ष रखी है और ये उद्योग क्या वास्तविक रूप से लग चुके हैं, चालू हो चुके हैं इस सम्बन्ध में आपका क्या उत्तर है ?

श्री अध्यक्ष : दोनों का उत्तर दें ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जो सूचना उपलब्ध है उसमें यह उल्लेखित है कि सन् 1971 में 958 और सन् 72 में 1442 उद्योग लगे जो निम्न प्रकार हैं ।

श्री मोहनलाल छंगाणी: रजिस्टर्ड हो चुके हैं ।

श्री लक्ष्मणसिंह: यह सामान्य बुद्धि के बिलकुल विपरीत है कि इतने सारे उद्योग लगे। इतने सारे उद्योग लगे हैं तो वे फिर दिखते क्यों नहीं हैं ? कहां पर लगे हैं ? क्या हवा में लग रहे हैं या कागजों में लग रहे हैं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्षजी, उद्योगों के पंजीकरण के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करके ही सदन को अवगत कराया जा सकता है ।

श्री लक्ष्मणसिंह: यह आपका कर्तव्य है कि उत्तर देते समय पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर अस्पष्ट है? यह बड़ा इम्पार्टेन्ट प्रश्न है इसलिए इसको कल पर रखा जाए।

श्री श्रीराम गोटेवाला : इसकी ग्रह दशा को ठीक करावें।

श्री लक्ष्मणसिंह : राजस्थान के औद्योगीकरण के बारे में बार-बार कहा जाता है कि इसमें रेड टेपिज्म हो रहा है। राजस्थान के उद्योगों के सम्बन्ध में जानकारी देने वाला यह प्रश्न महत्वपूर्ण है और सरकार इस विषय पर सजग नहीं है तो यह चिन्ता का विषय है। मुझे बड़ी आपत्ति है।

श्रीमती नगेन्द्र बाला : अध्यक्ष महोदय,......

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त आ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : प्रश्न संख्या 683 के बारे में भी कह दें। इसको कल लगवा दें।

श्री अध्यक्ष : I have no objection, if the Minister is ready to reply.

श्री मोहनलाल छंगाणी: अध्यक्ष महोदय, आप इसकी ग्रह दशा को ठीक कर सकते हैं। कल उत्तर दिलवा दें। सरकार के पास इसका उत्तर तैयार है।

श्री अध्यक्ष : Unfortunately, I am not an astrologer.

श्री बरकतुल्ला खां : अध्यक्ष महोदय, जिस दिन हमारा प्रश्नोत्तर काल हो उस दिन आप इसको ले सकते हैं।

श्रीमती नगेन्द्र बाला : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुए।

श्रीमती नगेन्द्र बाला : व्यवस्था चाहती हूं।

एक स्थगित प्रश्न है 804। वहां पर जानमाल का खतरा है। वहां पर जानवर मरते हैं। कम से कम इस प्रश्न का उत्तर न हो तो इसकी व्यवस्था वहां पर करवा दीजिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, यह एक गंभीर प्रश्न है।

श्रीमती नगेन्द्र बाला : मैं तो इसकी व्यवस्था चाहती हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वहां पर मृत्युएं पहले से हो रही हैं। यह प्रश्न रखा जाए।

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी इसका उत्तर आपको भिजवा देंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न कल ही रख दें। हाइड्रोलिक एसिड से वहां पर पहले ही मृत्युएं हुई हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(अन्य तारांकित प्रश्नों के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

बाड़मेर जिले का भू-जल सर्वे

985. **श्रीमती मदनकौर** (पचपदरा) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले का भू-तल जल संबंधी सर्वे कराया जा चुका है? यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो बाड़मेर जिले का विस्तृत

(श्रीमती मदनकौर)
सर्वेक्षण कब तक पूरा करा लेने की सरकार की योजना है ?

उत्तर

बाड़मेर जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र का भू-जल सर्वेक्षण अभी नहीं किया गया है। केवल दो पंचायत समिति क्षेत्रों सिवाना और धोरीमाना में अर्द्ध विस्तृत सर्वेक्षण पूरा किया गया है। उपरोक्त सर्वेक्षण की रिपोर्ट अभी तैयार की जा रही है।

जिले का विस्तृत सर्वेक्षण कराने की कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन भी तक नहीं है। अर्द्ध विस्तृत सर्वेक्षण वर्ष 1973-74 में एक पंचायत समिति में, वर्ष 1974-75 में चार पंचायत समितियों में तथा वर्ष 1975-76 में जिले की शेष एक पंचायत समिति में करा लिये जाने की राज्य सरकार की योजना है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

अजमेर जिले के शहरों में इण्डस्ट्रियल एस्टेट बनाने का निर्णय

637. **श्री केशरीमल** (ब्यावर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) अजमेर जिले में कितने शहरों में इण्डस्ट्रियल एस्टेट बनाने का अब तक निर्णय लिया गया ? हर शहर में कितने कितने शेड होंगे ? कितने शेड बनाने का निर्णय लिया गया क्या वह बन गये हैं या नहीं ?

(2) जिन शेडों को औद्योगिक इकाइयां लगाने व चलाने हेतु दिये गये क्या उन शेडों में कार्य जारी है ? यदि हां, तो कितने शेडों में ?

(3) राजस्थान में प्रत्येक जिले में कितनी कितनी औद्योगिक बस्तियां बनाने का निर्णय गत वर्ष तक लिया गया ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) अजमेर जिले में माखुपुरा (अजमेर) में औद्योगिक बस्ती में 30 शेड बनाने का निर्णय लिया गया था जो योजना के अनुसार सम्पूर्ण हो चुका है।

इसके अतिरिक्त ब्यावर में प्राईवेट औद्योगिक सम्पदा निर्माणाधीन है।

भारत सरकार की शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने की इण्डस्ट्रियल एस्टट योजना के अन्तर्गत, राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल एण्ड मिनरल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लि०, जयपुर ने अजमेर जिले में एम० टी० सी० के पास वाले औद्योगिक क्षेत्र में सन् 1971–72 में 4 शेड्स व 1972–73 में 1 शेड बनाने का निर्णय लिया था। 5 शेड बन कर तैयार हो गये हैं और 3 शेड बेरोजगार टेक्नोक्रेट को एलॉट कर दिये जा चुके हैं। 2. माखुपुरा औद्योगिक बस्ती में 23 शेडों में कार्य चल रहा है। 5 शेडों में उत्पादन कार्य शुरू नहीं हुआ है और 2 शेड खाली हैं।

(2) राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल एण्ड मिनरल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन द्वारा निर्मित शेडों में उत्पादन कार्य चालू नहीं है।

3. सूची जिलेवार निम्न है :—

1. जयपुर 2. माखुपुरा (अजमेर)
3. उदयपुर 4. पाली
5. सुमेरपुर 6. जोधपुर
7. बीकानेर 8. भरतपुर
9. श्रीगंगानगर 10. कोटा
11. भीलवाड़ा।

Page No. 27

(उद्योग मंत्री)

(3) राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल एण्ड मिनरल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन द्वारा उद्योग सम्पदाओं में बनाये गये शेडों की सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

बीकानेर जिप्सम लि० को दिया गया ऋण

638. **श्री प्रशीतसिंह** (टोंक): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा बीकानेर जिप्सम को 12 लाख रुपये का ऋण दिया गया है ? यदि हां, तो कब और किन शर्तों पर ?

(2) इस ऋण के लिये राज्य सरकार द्वारा कब और किस स्तर पर निर्णय लिया गया ?

(3) क्या यह सही है कि इस ऋण के लिये बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स मैनेजिंग डाइरेक्टर की ओर से राज्य सरकार से मांग की गई थी ? यदि हां, तो कब-कब ? कृपया सही मांग से सम्बन्धित कम्पनी के पत्रों की प्रतियां सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) कम्पनी को 12 लाख रुपये, राइट शेयर्स राज्य सरकार के पक्ष में जारी करने के लिये दिये गये थे परन्तु आवश्यक आवेदन-पत्र समय पर न पहुंचने के कारण कम्पनी ने संचालक मण्डल की बैठक में आवश्यक निर्णय लेकर उक्त राशि को इन्ट्रेस्ट बियरिंग डिपोजिट (Interest Beaing Deposit 8½ प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज पर मान लिया है।

(2) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(3) जी नहीं। 12 लाख रुपये के ऋण के लिये बोर्ड ऑफ डाईरेक्टर्स या मैनेजिंग डाईरेक्टर की ओर से कोई मांग राज्य सरकार से नहीं की गई। अतः इस मांग से सम्बन्धित कम्पनी के पत्रों की प्रतियां सदन की मेज पर रखने का प्रश्न नहीं उठता।

बीकानेर जिप्सम लि० के उदयपुर कार्यालय को एम्बेसेडर कार

639. **श्री भानु कुमार शास्त्री** (उदयपुर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर जिप्सम द्वारा अपने कार्यालय उदयपुर में एम्बेसेडर कार किराये पर ली हुई है ? यदि हां, तो किस किस की और किस किस दर पर ? अब तक किस किस नम्बर की गाड़ी को, कितना-कितना किराया दिया जा चुका है ?

(2) कम्पनी के झामर कोटडा रॉक फासफेट के खाते में किस किस वर्ष में मोटर गाड़ियों (कार्स) के किराये खाते में कितना कितना रुपया दिया गया है और उसमें उदयपुर कार्यालय के हिसाब में कितना-कितना व्यय हुआ है ?

(स्थगित किया गया)

बीकानेर और चूरू जिले में ट्यूब वैल्स लगाने की योजना

640. **श्री रावतराम** (छापर): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा

(श्री रावतराम)
करेंगे :--

(1) चालू वित्तीय वर्ष में बीकानेर और चूरू जिले में कहां कहां ट्यूब वैल्स लगाने का विचार है ? कृपया गांवों के नामों सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार के यह ध्यान में है कि चूरू जिले के रेगिस्तानी एरिया में पर्याप्त रूप से ट्यूब वैल लगायें जायं तो पीने के पानी के अलावा सिचाई की सुविधा भी उपलब्ध हो सकती है ?

उत्तर

(1) सहायता व्यवस्था के अन्तर्गत बीकानेर एवं चूरू जिले में चालू वित्तीय वर्ष में कहीं भी ट्यूब वैल बनाने का इरादा नहीं है।

(2) चूरू जिले के रेगिस्तानी क्षेत्र में भू-गर्भ व सिंचाई के लिए पर्याप्त जल है या नहीं, इसका संबंध भू जल मंडल से है।

बीकानेर जिले की ड्रॉट प्रूफिंग योजना

641. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले की ड्रॉट प्रूफिंग हेतु कोई योजना नहीं बनाई गई है ?

(2) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले के अकाल के स्थायी हल हेतु राजस्थान नहर के बांये किनारे पर पशुपालकों की कालोनी स्थापित कर उनके सर्वांगीण विकास की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर के पानी को ऊंचा उठाकर बीकानेर, नोखा एवं कोलायत तहसीलों को सिंचाई एवं पशुपालन हेतु पानी देकर तथा नोखा तहसील के पूर्वी, उत्तरी, पश्चिमी, बीकानेर तहसील के पूर्वी एवं लूणकरणसर तहसील के पूर्वी हिस्से के भू-तल-जल के उपयोग हेतु ए. आर. सी. ए. एफ. सी/रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कार्पोरेशन की धनराशि के द्वारा एवं डी. पी. ए. पी. के फंड से अनुदान देकर योजनायें तैयार करके क्रियान्वित की जा सकती हैं ? अगर हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां, योजना शीघ्र ही बनाई जायेगी।

(2) जी नहीं। इन विचारों को योजना का रूप देना अभी शेष है।

(3) जब सरकार इस जिले की ड्रॉट प्रूफिंग हेतु योजना बनायेगी तो इन विचारों को ध्यान में रखेगी।

कर्जे की राशि

642. **श्री मोहनलाल छंगाणी** (फलौदी), **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान राज्य पर इस समय कुल कितना कर्जा है ?

(2) इस कर्ज में से कितनी धनराशि स्थायी निर्माण कार्यों में खर्च की गई व कितनी राशि प्रशासनिक कार्यों पर ? विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

(3) कैपीटल हैड और रेवेन्यू हैड पर कितना खर्चा हुआ है ? इन डेट के अगेन्स्ट में राज्य सरकार ने कितने असेट्स का निर्माण किया ?

(4) क्या यह सही है कि संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि राज्य सरकार विधान सभा से कर्जा लेने या उसकी सीमा निश्चित कराने संबंधी प्रावधान करवा सकती है ? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में सदन म कब प्रस्ताव रखने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1971-72 के लेखों के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष के आरम्भ में राजस्थान राज्य पर 735.04 करोड़ रुपये का कर्ज था । ऋणों की प्राप्ति एवं भुगतान के अनुसार ऋण की स्थिति समय समय पर बदलती रहती है । वर्ष 72-73 के बजट के अनुसार ऋण तारीख 31-3-73 को 790.17 करोड़ होने का अनुमान है ।

(2) राज्य को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त राशि संचित निधि में सम्मिलित की जाती है तथा समस्त व्यय उस निधि में से किया जाता है । ऐसी परिस्थिति में कर्ज के रूप में प्राप्त राशि में से कितनी राशि स्थाई निर्माण कार्यों तथा कितनी राशि प्रशासनिक कार्यों पर व्यय की गई बतलाना संभव नहीं है ।

(3) उपरोक्त वर्णित स्थिति में कैपीटल हैड तथा रेवेन्यू हैड पर खर्च का विवरण बतलाना संभव नहीं है । गत तीन वर्षों की स्थिति निम्न प्रकार है :—

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	पूंजी व्यय	राजस्व व्यय
1969-70	28-64	217-61
1970-71	27-61	220-10
1971-72	32-35	203-00

वर्ष 1971-72 के लेखों के अनुसार गत वर्ष के अन्त तक समस्त (Progressive) पूंजी व्यय 413-07 करोड़ रुपये था । 72-73 वित्तीय वर्ष में 24-68 करोड़ रुपये के पूंजी व्यय का अनुमान है ।

(4) जी हां, संविधान में ऐसी व्यवस्था है । सरकार का इस संबंध में सदन में प्रस्ताव रखने का अभी कोई विचार नहीं है ।

तहसील डेगाना के गांवों में पीने के पानी का अभाव

643. श्री राजेन्द्रसिंह (उनियारा) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील डेगाना, जिला नागौर के कितने गांवों में पीने के पानी का अभाव है तथा कितने गांवों में पानी खारा है ?

(2) क्या यह सही है कि डेगाना तहसील के गांव छोटी दुगोर में पीने के पानी का भारी अभाव है ?

(3) क्या यह सही है कि इस गांव के निवासियों ने जिलाधीश, नागौर व मुख्य अभियन्ता, भू-जल मण्डल, जोधपुर को लिख कर भी निवेदन किया था ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या यह सही है कि इस गांव में जो पुराना कुआ है उसमें पानी अत्यन्त ही कम है और जो नया कुआ गांव वालों ने बनाया है उसका पानी अत्यन्त ही खारा व विराना है जिससे पशु मर जाते हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस गांव में पानी का प्रबन्ध कब तक कराने का इरादा रखती है ?

Page No. 30

(जन-स्वास्थ्य मंत्री)

उत्तर

(1) नागौर जिले की डेगाना तहसील के 66 गांवों में पानी खारा है तथा 78 गांवों में पानी का अभाव है ?

(2) जी हां ।

(3) जिलाधीश नागौर से इस विषय में अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है । भू-जल मण्डल जोधपुर ने लिखा है कि उनके पास इस विषय में कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

(4) पंचायत समिति के अनुसार सूचना सही है तथा पशु मर जाने की सूचना गलत है क्योंकि इस प्रकार की सूचना न तो पंचायत समिति व न इस विभाग में उपलब्ध है । आवश्यकतानुसार ग्रामीण जल प्रदाय योजना बनाने हेतु आदेश दिये जा रहे हैं ।

पानेरियों की मान्दड़ी व सवीना गांवों की पाइप लाइन

644. श्री देवीलाल (सराडा) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पानेरियों की मान्दड़ी तथा सवीना दोनों गांव उदयपुर नगर परिषद् के अन्तर्गत आते हैं ? यदि हां, तो क्या इन गांवों में पाइप लाइन बिछाई गई है ?

(2) क्या यह सही है कि पाइप लाइन बिछाई जाने पर भी ग्राम जनता को नल व पानी लेने में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो वह क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त दोनों गांवों में पाइप लाइनें बिछाने की सर्वे की गई है ? यदि हां, तो यह सर्वे कब की गई ? और कार्य कब प्रारम्भ किया गया ?

(4) क्या मान्दड़ी पानेरियान व सवीना में पाइप लाइनों के बिछाने का काम पूरा हो चुका है ? यदि हां, तो कब ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी नहीं । प्रश्न ही नहीं उठता ।

(3) जी नहीं । प्रश्न ही नहीं उठता ।

(4) जी हां । करीब वर्ष भर पूर्व ।

चूरू जिले में पीने के पानी की समस्या

645. श्री लूणाराम सारण (डूंगरपुर) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि चूरू जिले में पीने के पानी की बड़ी भारी समस्या है और कई गांवों में खारा पानी है ? यदि हां, तो कहां कहां और क्या ऐसे गावों की सर्वे की जा रही है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र के लिये कोई भी योजना बनाने में प्राथमिकता खारे व कम पानी वाले ग्रामों को ही दी जावेगी ? यदि हां, तो ऐसे कितने ग्रामों की योजना सरकार द्वारा स्वीकार की गई व कितने ग्रामों की योजना बनाई जा रही है ? तथा ऐसे समस्त अभाव वाले कितने ग्रामों को कब तक स्वीकार किया

(श्री लूणाराम)

जा सकेगा ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) चूरू जिले के कुल 500 ग्रामों में पीने के पानी की समस्या है जिनमें से 48 ग्रामों में पानी खारा है। खारे पानी वाले ग्रामों में से 55 ग्रामों में 9 पेय जल उपलब्ध कराने हेतु कुछ में योजनाएं पूर्ण की जा चुकी है तथा कुछ में निर्माणाधीन है। शेष 430 ग्रामों में से 69 ग्रामों की योजना बनाने हेतु सर्वेक्षण किया जा चुका है तथा बाकी के ग्रामों के लिये सर्वेक्षण कार्य हाथ में लिया जा रहा है। खारे पानी वाले एवं बिना स्रोत वाले 500 ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ?

(2) जी हां, ऐसे 55 ग्रामों की योजना सरकार द्वारा स्वीकार की जा चुकी है व 69 ग्रामों के लिये योजना बनाई जा रही है। योजनाओं की स्वीकृति धनराशि की उपलब्धि पर निर्भर करती है। अतः सूची सदन की मेज पर रखने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राज्य में कन्या सैकेन्डरी व हायर सैकेन्डरी स्कूलों की संख्या

646. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** (हवामहल, जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के 26 जिलों में जिलेवार कन्या सैकेन्डरी व हायर सैकेन्डरी कितने स्कूल्स है ?

(2) राज्य की तहसील अनुसार कितनी कन्या शालाएं हैं ?

(3) क्या सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर कन्याओं की शिक्षा के लिये सैकेन्डरी व हायर सैकेन्डरी शालायें खोलने की योजना रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जिलेवार कन्या सैकेन्डरी व हायर सैकेन्डरी स्कूलों की सूची संलग्न है।

(2) राज्य की तहसील अनुसार कन्या सैकेन्डरी व हायर सैकेन्डरी स्कूलों की सूची संलग्न है।

(3) शिक्षा विभाग कन्याओं की शिक्षा के प्रसार के लिये पांचवीं योजना में व्यापक कार्यक्रम बना रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में कन्याओं की शिक्षा काफी पिछड़ी हुई है। जब तक प्राथमिक शालाओं में पर्याप्त संख्या में कन्याएं शिक्षा ग्रहण नहीं कर लेतीं तब तक कन्याओं की माध्यमिक उच्च माध्यमिक शालाओं की संख्या का बढ़ना सम्भव नहीं है। जैसे जैसे कन्याओं की संख्या बढ़ेगी उच्च प्राथमिक शालाएं उनकी नामांकन स्थिति के अनुसार खोली जावेंगी और भविष्य में उन्हें सैकेन्डरी / हायर-सैकेन्डरी स्कूलों में क्रमोन्नत करने का प्रयास किया जावेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

टोंक जिले के अध्यापक

647. **श्री बनवारी लाल** (धौलपुर) :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) टौंक जिले में शिक्षा निरीक्षक के अधीन तथा पंचायत समितियों के अधीन चल रहे स्कूलों में कितने अध्यापक हैं ? कृपया उनकी सूची सदन की मेज पर रखें ?

(2) वर्ष 1972–73 में टौंक जिले में कितने अध्यापकों की नियुक्ति की गई तथा उनमें अनुसूचित जाति एवं जन जाति के कितने अध्यापक लिये गये ? कृपया उनकी सूची सदन की मेज पर रखें ?

(3) क्या 1972–73 में टौंक जिले में शिक्षा विभाग ने अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लिये सुरक्षित स्थान 28% की पूर्ति कर दी गई ? यदि नहीं की गई तो क्या कारण है ?

उत्तर

(1) टौंक जिले में कार्यरत अध्यापकों की संख्या इस प्रकार है:—

1. शिक्षा विभाग के अधीन शालाओं में –	1140
2. पंचायत समितियों के अधीन शालाओं में—	847
योग: ··	1987

(2) वर्ष 72–73 में कुल 140 अध्यापकों को नवीन नियुक्तियां दी गई उनमें से 11 अध्यापक अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिये गये जिनकी सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(3) 72–73 में (टौंक जिले में) सुरक्षित स्थानों के लिये अनुसूचित जाति जनजाति हेतु जितने भी आशार्थी नियोजन कार्यालय द्वारा भेजे गये थे उन सभी को नियुक्तियां दे दी गई हैं।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

स्कूलों की संख्या

648. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** (हवामहल, जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में सैकेन्डरी स्कूलों की कुल संख्या कितनी है ?

(2) राज्य में हायर सैकेन्डरी स्कूलों की कुल संख्या कितनी है ?

(3) क्या सरकार इस वर्ष सैकेन्डरी स्कूलों को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(4) यदि हायर सैकेन्डरी पद्धति सरकार ने मंजूर की है तो सैकेन्डरी स्कूल को चालू रखने का क्या आधार है और सैकेन्डरी पद्धति चालू रखने से सैकेन्डरी पास विद्यार्थियों को आगे प्रवेश लेने में होने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिये क्या उपाय हैं ?

उत्तर

(1) राज्य में सैकेन्डरी स्कूलों की संख्या 798 है।

(2) राज्य में हायर सैकेन्डरी स्कूलों की संख्या 449 है।

(3) सन् 1973–74 में सैकेन्डरी स्कूलों को क्रमोन्नत करने के लिये कोई प्रावधान नहीं है।

(4) सैकेन्डरी एवं हायर सैकेन्डरी स्कूल पद्धति भारत सरकार द्वारा समस्त

(शिक्षा मंत्री)

वेश के लिये मंजूर की है। सैकेन्डरी पास विद्यार्थी को सरकार में नौकरी के लिये उपयुक्त माना गया है। अगर विद्यार्थी आगे पढ़ना चाहे तो उसे कक्षा 11वीं में सैकेन्डरी स्कूल में प्रवेश दिया जा सकता है। जहां तक संभव हुआ है, हायर सैकेन्डरी स्कूल में विषयों की ऐसी व्यवस्था रखी गई है कि आस-पास के सैकेन्डरी पास विद्यार्थियों को कक्षा 11वीं में प्रवेश दिया जाना सम्भव हो।

योजना में प्रति व्यक्ति व्यय

649. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य सरकार ने सन् 1956-57 से लेकर सन् 1971-72 तक कुल योजनाओं में विभिन्न जिलों में प्रति व्यक्ति कितना धन व्यय किया ? सदन में आंकड़े प्रस्तुत करने की कृपा करें ?

(2) क्या राज्य सरकार ने उक्त जिलों में जिन जिन में प्रति व्यक्ति बहुत कम व्यय होने के कारण बहुत पिछड़े हुए हैं के विकास में दूसरे जिलों के मुकाबले में पांचवीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता देकर अधिक व्यय करेगी ?

उत्तर

(1) राज्यस्तर की योजनाओं में प्रति व्यक्ति व्यय के जिलेवार आंकड़े निम्नलिखित हैं। जिलेवार व्यय में तथा राज्य के, औसत में मुख्यालय पर स्थित स्टॉफ, इक्यूपमेन्ट तथा ऐसा व्यय जो किसी जिले विशेष को लाभान्वित नहीं करता इसमें सम्मिलित नहीं है। वर्ष 1970-71 व 1971-72 के आवंटन के आंकड़े लिए गये हैं। प्रति व्यक्ति व्यय का औसत 1971 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर निकाला गया है :—

जिला	1956-57 से 1971-72 तक प्रति व्यक्ति व्यय (रुपयों में)
1. अजमेर	191
2. अलवर	103
3. बांसवाड़ा	129
4. बाड़मेर	69
5. भरतपुर	145
6. भीलवाड़ा	155
7. बीकानेर	779
8. बूंदी	338
9. चित्तौड़गढ़	156
10. चूरू	93
11. डूंगरपुर	118
12. गंगानगर	569
13. जयपुर	235
14. जैसलमेर	2,707
15. जालौर	77
16. झालावाड़	139
17. झुन्झुनू	109
18. जोधपुर	199
19. कोटा	415
20. नागौर	89
21. पाली	131
22. सवाई माधोपुर	103
23. सीकर	102
24. सिरोही	147
25. टोंक	123
26. उदयपुर	201
औसत प्रति व्यक्ति समस्त राजस्थान	21,367

(योजना मंत्री)

उपरोक्त आंकड़े किसी जिलेवार तुलनात्मक अध्ययन के लिये न तो पर्याप्त हैं और न उपयुक्त। उपरोक्त राज्य योजनान्तर्गत कार्यक्रमों के अलावा विभिन्न केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं कृषि, सड़कें, शिक्षा, चिकित्सा आदि क्षेत्रों में चल रही हैं तथा कई केन्द्रीय कार्यक्रम जैसे ड्रॉउट प्रोन एरिया प्रोग्राम, ग्रामीण नियोजन का क्रेश प्रोग्राम तथा स्पेशियल एम्पलॉयमेन्ट कार्यक्रम के अंतर्गत काफी राशि व्यय की जा रही है। इसके अतिरिक्त विभिन्न स्वशासी संस्थाएं भी विकास कार्यक्रमों पर व्यय कर रही हैं। इन सब का जिलेवार विवरण उपलब्ध नहीं है। फिर भी यह निश्चित् है कि विभिन्न जिलों में विकास व्यय उपरोक्त आंकड़ों से कहीं अधिक हुआ है।

(2) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकता तथा विकास की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए उस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिये योजना बनाने पर विचार किया जा रहा है।

तहसील रेलमगरा के कुरज गांव की नल योजना

650. श्री नानालाल (राजसमन्द) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या तहसील रेलमगरा के कुरज गांव में नल योजना कार्य के लिये जो धनराशि स्वीकृत हुई उसके आधार पर ठेकेदार को ठेका दिया गया है ? यदि हां, तो क्या वह कार्य नियमानुसार पूरा कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो दोषी व्यक्ति कौन है तथा उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

कुरज ग्राम को पम्प एवं टैंक जल योजना 1,05,000 की लागत की सन् 1971 में स्वीकृत की गई, इस योजना के निर्माण के लिए निम्नलिखित कार्यों का ठेका दिया:—

क्र. सं.	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	रकम
1	2	3	4
(1)	एच० ए० टाईप क्वार्टर का निर्माण	मं० भवन निर्माण सहकारी समिति जि० राजसमन्द	रु० 15,807
(2)	आर० सी० सी० टैंक 20,000 गैलन का 35 फिट ऊंचाई पर निर्माण	,,	रु० 43,999
(3)	पाइप लाइन बिछाने का कार्य	,,	रु० 3,515
(4)	एक नये कुए का निर्माण 16, व्यास व 50, गहरा	,,	रु० 27,137

Page No. 35

(उप-स्वास्थ्य मंत्री)

(6) कुए पर पम्प हाउस का निर्माण	मं० भवन निर्माण सहकारी समिति, जि० राजसमन्द	रु० 2,871

उपरोक्त सभी कार्य लगभग पूर्ण हो चुके हैं अतः खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

गाड़िया लुहारों को दी जाने वाली सुविधाएं ।

651. श्री रावत राम (छापर) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) समाज कल्याण विभाग की ओर से राजस्थान में गाड़िया लुहारों को भवन निर्माण-शिक्षा छात्रवृत्ति रिहायशी भू-खण्ड काश्त की जमीन आदि के सम्बन्ध में क्या क्या सुविधाएं प्रदान की जाती हैं ?

(2) सन् 1972-73 में गाड़िया लुहारों के उत्थान हेतु कितनी धनराशि किन-किन कार्यों में खर्च की गई है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान में समाज कल्याण विभाग द्वारा गाड़िया लुहारों को निम्न सुविधाएं प्रदान की जाती हैं:—

1. भवन निर्माण हेतु अनुदान 1,000 रु० प्रति परिवार ।

2. छात्रावास सुविधा ।

3. छात्रवृत्ति-पूर्व मैट्रिक व उत्तर मैट्रिक ।

4. रिहायशी भू-खण्ड– निल

5. काश्त भूमि का आवंटन–निल

(2) सन् 1972-73 में गाड़िया लुहारों के उत्थान हेतु विभिन्न कार्यों पर खर्च की गई राशि की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

कर्मचारियों का स्थानान्तरण

852. श्री मनोहरलाल (कामां) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकारी विभागों में कार्य कर रहे कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर सम्बन्धित विभाग द्वारा कार्य-मुक्त किये गये कर्मचारी की एल. पी. सी. उसके कार्य-मुक्त किये जाने पर कितने दिन के भीतर नियमानुसार इश्यू कर दी जानी चाहिए ?

(2) क्या यह सही है कि कई विभागों से स्थानान्तरण पर जाने वाले कर्मचारियों की एल. पी. सी. बार बार प्रार्थना किये जाने पर भी इश्यू नहीं की जाती हैं ?

(3) क्या यह सही है कि श्रम आयुक्त कार्यालय, जयपुर के अन्य विभागों में या इसी विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में स्थानान्तरित किये गये कर्मचारियों की एल. पी. सी. इश्यू करने में इस विभाग द्वारा असाधारण विलम्ब किया जाता है ? यदि हां, तो क्यों और इस सम्बन्ध में सरकार क्या आवश्यक कार्यवाही करना चाहती है ? कृपया श्रम आयुक्त कार्यालय, जयपुर के उन कर्मचारियों की तालिका सदन की मेज पर रखें जिनका स्थानान्तरण सन् 1972 में किया गया था ? उनके कार्य-मुक्त करने की तिथि और उनकी

(श्री मनोहरलाल)
एल. पी. सी. इश्यू करने की तिथि भी कृपया अंकित करें ।

उत्तर

(1) सरकारी विभाग में कार्य कर रहे कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर सम्बन्धित विभाग द्वारा कार्य-मुक्त किये गये कर्मचारियों को अन्तिम वेतन भुगतान प्रमाण-पत्र शीघ्रातिशीघ्र भेज देने चाहिए ।

इस विषय में राज्य सरकार के वित्त विभाग की आज्ञा क्रमांक एफ 1(24) एफ.डी. (नियम) 68,-दिनांक 4 जुलाई, 1968 के अनुसार यथा-संभव चार दिन में जारी कर देना चाहिए ।

(2) यह सही नहीं है कि स्थानान्तरण होकर जाने वाले कर्मचारियों का अन्तिम वेतन भुगतान प्रमाण पत्र बार-बार प्रार्थना-पत्र देने पर भी नहीं भेजा जाता है ।

(3) यह सही नहीं है कि अन्तिम वेतन भुगतान प्रमाण पत्र भेजने में असाधारण विलम्ब किया जाता है । नियमानुसार अन्तिम वेतन भुगतान प्रमाण-पत्र शीघ्रातिशीघ्र जारी कर दिया जाता है लेकिन विशेष परिस्थितियों में जबकि राज्य कर्मचारी का कोई उपार्जित अवकाश पूर्व में स्वीकृत न किया गया हो, या नियमानुसार चार्ज रिपोर्ट नहीं आई हो या अन्य विविध परिस्थितियों में देर अवश्य हो जाती है, श्रम आयुक्त कार्यालय, जयपुर के उन कार्मचारियों की तालिका जिनका स्थानान्तरण सन् 1972 में किया गया है, उनके कार्य मुक्त होने की तिथि तथा अन्तिम वेतन भुगतान प्रमाण-पत्र जारी करने की तिथि की तालिका सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

सर पर मैला ढोने की कुप्रथा का उन्मूलन

653. **श्री शंकर लाल** (पाली) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) राजस्थान में सर पर मैला ढोने की कुप्रथा के उन्मूलन हेतु राज्य सरकार द्वारा किन-किन नगरपालिकाओं को कितने-कितने रुपयों की राशि अनुदान व ऋण के रूप में कब-कब दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) इस प्रकार स्वीकृत राशि का किस-किस प्रकार उपयोग किस-किस नगर-पालिका द्वारा किया गया और किस नगर-पालिका द्वारा उपयोग नहीं किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) जिन नगरपालिकाओं द्वारा इस धनराशि का उपयोग नही किया गया उनके विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) राजस्थान में सिर पर मैला ढोने की कुप्रथा के उन्मूलन हेतु राज्य सरकार ने जिन नगरपालिकाओं को विभिन्न वर्षों में अनुदान स्वीकृत किया है उसकी सूची सदन की मेज पर रखदी गई है । इस कार्य हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा कोई ऋण स्वीकृत नहीं किया गया है ।

(2) विभिन्न नगरपालिकाओं द्वारा स्वीकृत राशि में से उपयोग की गई राशि का ब्योरा सूची में अंकित कर दिया गया है ।

(3) इस राशि के उपयोग की अवधि

Page No. 37

(समाज कल्याण मन्त्री)

30-6-73 तक बढ़ादी गई है, अतः नगरपालिकाओं के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

तहसील केकड़ी के ग्राम बोगला का छात्रावास

654. **श्री रामचरण** (अटरू): क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि ग्राम बोगला, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर में आदिवासी छात्रावास था? यदि हां, तो क्या इस छात्रावास को सन् 1971-72 में वहां से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है? यदि हां, तो क्यों तथा कहां?

उत्तर

जी नहीं।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 21-2-73 व 7-3-73 तथा 21-2-73)

अकाल राहत कार्य हेतु सामान की खरीद

25. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (सूरतगढ़): क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में अकाल राहत कार्यों के लिए 1966-67, 1967-68, 1968-69, 1969-70, 1970-71, 1971-72 व 1972-73 में क्या क्या सामान कितनी-कितनी राशि का किस-किस वर्ष में कब-कब खरीदा गया?

(2) उक्त सामान का उपरोक्त वर्षों में स्टोर वेरीफिकेशन कब कब किया गया तथा किस-किस स्टोर में कितने-कितने मूल्य के सामान की कमी पाई गई तथा इसके लिये किस-किस को जिम्मेदार ठहराया गया तथा गबन के कितने केस बने और दोषियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 22-2-73)

अकाल सहायता कार्य हेतु खरीदा गया सामान

32. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर): क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में सन् 1967-68 से लेकर आज तक जो अकाल सहायता कार्य खोले गये उन अकाल सहायता कार्य-स्थलों पर कितना-कितना सामान कितनी राशि का किस प्रकार का अभी तक पड़ा हुआ है? प्रत्येक सहायता कार्य-स्थल पर पड़े सामान की अलग-अलग से सूची देने की कृपा करें।

(2) उक्त सामान की देखरेख के लिए सहायता विभाग द्वारा क्या व्यवस्था की हुई है?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

दिनांक 22-8-73

नमक उत्पादन करने हेतु भूमि का आवंटन

40. **श्री निरंजननाथ आचार्य** (मावली): क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जुलाई-अगस्त, सन् 1971 में उद्योग विभाग द्वारा राजस्थान में कहां-कहां किन-किन व्यक्तियों अथवा फर्म्स को नमक उत्पादन करने हेतु कितनी-कितनी भूमि का आवंटन किया गया? कृपया इसकी एक तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(श्री निरञ्जननाथ आचार्य)

(2) उपरोक्त आवंटन के सम्बन्ध में कब कब आवेदन-पत्र आमन्त्रित किये गये और किन व्यक्तियों के कब-कब आवेदन-पत्र प्राप्त हुए ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) उपरोक्त आवंटन के अन्तर्गत आने वाली भूमि को कब-कब किस-किस विज्ञप्ति द्वारा नमक क्षेत्र घोषित किया गया था ? कृपया विज्ञप्तियों की प्रतियां सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) क्या यह सही है कि जुलाई-अगस्त, 1971 में नमक उत्पादन हेतु दिये गये लीज की अवधि में वृद्धि की गई है और रिन्युअल किया गया ? यदि हां, तो किस-किस लीज के सम्बन्ध में कितने-कितने समय के लिये और क्यों?

(5) उपरोक्त लीज की अवधि में वृद्धि करने हेतु या इनका रिन्युअल करने हेतु किस किस व्यक्ति अथवा फर्म के आवेदन-पत्र कब-कब से राज्य सरकार के विचाराधीन थे ? कृपया इसकी एक तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) तालिका 'अ' संलग्न है।

(2) तालिका 'ब' और 'स' संलग्न है।

(3) विज्ञप्तियों की प्रतियां संलग्न हैं।

तालिका द. I व II

(4) लीज की अवधि में कोई वृद्धि नहीं की गई। लीज की अवधि नियमानुसार 10 वर्ष होती है, अतः जुलाई-अगस्त, 1971 में दी गई लीज के नवीनीकरण का प्रश्न अभी नहीं उठता।

(5) प्रश्न नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 1-3-73 व 15-3-73)

अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत व्यय की गई धनराशि

112. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राज्य के विभिन्न जिलों में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत 1 जनवरी, 31 जनवरी और 15 फरवरी, 1973 एवं अब तक कितना-कितना व्यय हुआ ? कितने मजदूर अकाल राहत कार्यों में लगे हुए थे ? प्रत्येक जिल का अलग से विवरण देते हुए आंकड़े सदन में प्रस्तुत करने की कृपा करें।

उत्तर

31 दिसम्बर, 1972 एवं 31 जनवरी, 1973 तक अकाल राहत कार्यों पर जिलेवार जो व्यय हुआ है, उसके महालेखाकार से प्राप्त आंकड़े संलग्न सूची में दिये जा रहे हैं जो सदन की मेज पर रख दी गई है।

15 फरवरी, 1973 के आंकड़े उपलब्ध नहीं किये जा सकते क्योंकि आंकड़ों का संकलन तारीखवार करना सम्भव नहीं है। 31 मार्च, 73 के आंकड़े अभी तैयार नहीं हैं, महालेखाकार के यहां से उपलब्ध होने में समय लगेगा।

(अकाल सहायता मन्त्री)
जहां तक मजदूरों की संख्या का संबंध है दिनांक 30-12-72, 27-1-73, 17-2-73 एवं 31-3-73 के आंकड़े सूची में दिये गये हैं जो सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 7-3-73)

उद्योगों के लिये दिये गये ऋण की बकाया

263. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान सरकार द्वारा कितना-कितना ऋण किस-किस उद्योगपति को दिया गया और उनमें कितना-कितना रुपया बाकी है व कितना वसूल हो चुका है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) जिन उद्योगों ने वक्त पर रुपया जमा नहीं किया है उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 20-3-73)

अन्ता के गांवों की लघु सिंचाई योजना

288. श्री शिवनारायण (बारां) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि चम्बल सिंचाई योजना के अन्तर्गत जो गांव लिफ्ट कमाण्ड में आ रहे हैं और उन्हें सिंचाई के नक्शों में दिखा रखा है? यदि हां, तो राज्य सरकार यहां कार्य कब तक चालू करेगी?

(2) क्या यह भी सही है कि कुछ गांव अन्ता सब-तहसील के लघु सिंचाई योजना में आ गये हैं? यदि हां, तो क्या वहां ट्यूब-वेल लगेंगे या कुओं के लिए ऋण दिया जावेगा और यह कार्य कबसे प्रारम्भ होगा?

उत्तर

(1) जी हां, परन्तु इस योजना को कार्यरूप में परिणित करना आवश्यक धनराशि की उपलब्धि पर निर्भर है।

(2) जी हां, पंचायत समिति, अन्ता के गैर क्षेत्र की लघु सिंचाई योजना बनाई जाने का विचार है। पंचायत समिति, अन्ता का अर्द्ध विस्तृत भू-जल सर्वेक्षण करवाया गया, उसका प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही इस विषय में कुछ कहा जा सकेगा।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 21-3-73)

जयपुर जिले के स्थापित उद्योगों को दिया गया अनुदान व ऋण

310. श्री केदारनाथ (गंगानगर), श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर जिले में मार्च, 1965 के बाद कुल कितने उद्योग स्थापित हुए? नाम, पता व मालिकों के नामों की सूची मय पतों के सदन के पटल पर रखें?

(2) उक्त तिथि के बाद राज्य

(श्री निरन्जननाथ आचार्य)
सरकार ने किन किन उद्योगों को कितनी-कितनी राशि अनुदान अथवा ऋण के रूप में दी है ?

(3) जितने उद्योग जिले में स्थापित हुए उनमें से कितने चालू हैं और कितने बन्द हो गये ? उद्योगों के बन्द होने के क्या कारण रहे ? विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 21-3-73)

टूल्स एवं प्लान्ट्स की खरीद

325. श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली): क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सन् 1966-67, 1967-68, 1968-69 एवं 1969-70 में कितने मूल्य के टूल्स एवं प्लान्ट्स (फावड़ा, गेंती, परातें आदि) खरीदे गये थे ?

(2) इन टूल्स एवं प्लान्ट्स का कब-कब वास्तविक सत्यापन किया गया और उसके क्या परिणाम निकले ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 27-3-73)

उदयपुर डिविजन में हाइड्रोलोजिकल सर्वे

439. श्रीमती निर्मला कुमारी (चित्तौड़गढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या उदयपुर डिवीजन की सभी तहसीलों का हाईड्रोलोजिकल (भूमिगत जल) सर्वे हो गया है ? यदि हां, तो इसमें सबसे अधिक किस तहसील में जल की सम्भावना है ? यदि सर्वे नहीं हुआ, तो क्यों तथा भविष्य में कब तक इस सर्वेक्षण के हो जाने की सम्भावना है ?

उत्तर

भू-जल विभाग द्वारा उदयपुर जिले में एक पंचायत समिति-मांगरोल के अलावा शेष समस्त क्षेत्र का प्रारंभिक सर्वेक्षण करा लिया गया है। इसके अतिरिक्त रेलमगरा, राजसमन्द, सलुम्बर, गिरवा, मावली तथा देवगढ़ पंचायत समितियों का विस्तृत सर्वेक्षण किया गया है। वर्ष 1972-73 में सराडा पंचायत समिति का अर्द्ध विस्तृत सर्वेक्षण किया गया है।

पहले की 6 पंचायत समितियों की सर्वे-रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। सराडा की सर्वे रिपोर्ट तैयार की जा रही है। जिले के रेलमगरा तथा सलुम्बर पंचायत समितियों में पानी की मात्रा अधिक पाई गई है। पानी अधिक मात्रा में विशेष रूप से बनास नदी के तटवर्ती इलाकों में ही पाया जाता है। राजसमन्द पंचायत समिति में भी बनास नदी के तटवर्ती इलाकों में ही पानी की मात्रा अधिक मांगी गई है। सराड़ा पंचायत में भू-जल की सम्भावनाओं के बारे में सर्वे रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् विचार व्यक्त किया जा सकता है।

झाडोल का प्रारम्भिक सर्वेक्षण प्रगति पर है तथा मार्च, 1973 के अन्त तक पूर्ण हो जाने की संभावना है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 27-3-73)

बनास नदी के साथ ट्यूब वैल्स लगाने की योजना

440. श्रीमती निर्मला कुमारी (चित्तौड़गढ़) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या राज्य सरकार की बनास नदी के सहारे-सहारे ट्यूब वैल्स लगाने की योजना है ? यदि नहीं, तो क्या भविष्य में एसी कोई योजना बनाई जावेगी ?

उत्तर

राज्य सरकार ने बनास नदी के सहारे नल कूप बना कर अजमेर शहर को पीने का पानी देने की योजना सन् 1968 में शुरू की थी, वर्तमान में और अधिक नल कूप बनाने की कोई भी योजना अभी तक सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं की गई है। ब्यावर नगर के लिये पीने के पानी की व्यवस्था बनास नदी पर एक पिक अप वियर बना कर व कलस्टर वैल्स बना कर देने की योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 28-3-73)

नियोजन सेवा निदेशालय विभाग के अन्तर्गत रिक्त स्थान

463. श्री मुन्शीलाल महावर (बस्सी): क्या श्रम एवं नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

नियोजन सेवा निदेशालय राजस्थान विभाग के अन्तर्गत कौन कौन सी रिक्तियां पड़ी हुई हैं ? कब से पड़ी हुई है तथा आज तक उनको नहीं भरे जाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

सूची संलग्न है। खाली पदों को भरने के लिये सरकार की ओर से पाबन्दी लगी हुई है। फिर भी कुछ अत्यन्त आवश्यक पदों को भरने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं। रिक्तियों को भरे जाने के लिये कुछ आवश्यक औपचारिकताएँ जैसे जिलाधीशों तथा सामान्य प्रशासन विभाग से अनुपलब्धि प्रमाण-पत्र निकालने, विज्ञापन निकालने आदि के कारण इन्हें भरने में देरी हुई है। अवर नियोजन अधिकारियों के पदों के लिये साक्षात्कार किये जा रहे हैं। वरिष्ठ लिपिकों के पदों को भी पदोन्नति से भरने की कार्यवाही की जा रही है। कनिष्ठ लिपिकों के 15 पदों के लिये अनुपलब्धि प्रमाण-पत्र प्राप्त हो गया है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के चार में से तीन पदों के लिये अनुपलब्धि प्रमाण-पत्र प्राप्त हो गया है तथा उन्हे भरने की कार्यवाही की जा रही है।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 28-3-73)

विभिन्न कर्मचारियों की संख्या

468. श्री केशरीमल (ब्यावर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान सरकार के विभिन्न

Page No. 42

(श्री केशरीमल)

विभागों और राजकीय औद्योगिक प्रतिष्ठानों में अस्थाई, वर्कचार्ज, केज्युअल, डेली रेटेड आदि कर्मचारियों की संख्या कितनी है? अलग अलग विभागों व प्रतिष्ठानोंवार ब्यौरा देने की कृपा करें।

(2) क्या इनको साप्ताहिक सवैतनिक अवकाश, आकस्मिक अवकाश, शिक्षण एवं चिकित्सा सुविधायें, सेवामुक्ति आदि सुविधायें प्राप्त हैं ? कृपया प्रत्येक विभाग व प्रतिष्ठान की स्थिति से अलग से सूचित करें ?

(3) क्या इनको स्थाई करने के भी कोई नियम है ? यदि नहीं हैं तो क्या सरकार इस बारे में कोई नियम बनाने का विचार रखती है ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 28-3-73)

उद्योगपतियों पर बकाया ऋण

476. **श्रीमती भगवती देवी** (मिनाय) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान सरकार का किन किन उद्योगपतियों पर पिछले पांच वर्षों में राजकीय ऋण बकाया है ? वर्षवार तथा व्यक्तिवार सूचना सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) उक्त उद्योगपतियों से ऋण की वसूली की क्या कार्यवाही की गई ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 28-3-73)

नीम का थाना में केम्प लगाकर गांवों से चोरी का माल बरामद

477. **श्री मालाराम** (नीम का थाना) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

नीम का थाना में सन् 1972 में जो केम्प लगाया था उस केम्प में आर० ए० सी० और वर्तमान एस० पी० व डी० वाई० एस० पी० ने कितना किन-किन गांवों से चोरी का माल बरामद किया ? किस-किस के पास नाजायज हथियार बरामद किये ?

उत्तर

सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि:—

1. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा और श्री केशरीमल, सदस्य विधान सभा ने भारत सरकार द्वारा सूत पर नियन्त्रण लगाने के बाद राजस्थान में हरिजनों व आदिवासी मजदूरों को सूत उपलब्ध न होने के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है

2. श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य विधान सभा ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा इस वर्ष कुछ पुस्तकें, जो गत वर्ष पाठ्यक्रम के लिए रखी गई थीं, बदले जाने के निर्णय के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

Page No. 43

(श्री अध्यक्ष)

3. श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य विधान सभा ने बंगला देश शरणार्थी सहायता टिकिट की समाप्ति के पश्चात् उसके स्थान पर लगाये जाने वाले अकाल सहायता टिकिट की व्यवस्था न होने के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है

4. श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य विधान सभा ने जयपुर में चांदपोल शमशान भूमि में नल बिजली की समुचित व्यवस्था न होने और उस भूमि पर प्लाट काटे जाने के संबंध में एक स्थागन प्रस्ताव की सूचना दी है।

5. श्री केदारनाथ और श्री गुरदयाल सिंह संधु, सदस्य विधान सभा ने चूरू जिलाधीश द्वारा वहां के एक एडवोकट श्री रणवीरसिंह के साथ दुर्व्यवहार करने के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है

6. सर्व श्री भानुकुमार शास्त्री गुमान मल लोढ़ा, अजीतसिंह, गिरधारीलाल भार्गव और मनोहरलाल, सदस्य विधान सभा ने श्रीराम रेयन्स, कोटा द्वारा स्टाक की अधिकता हो जाने के फलस्वरूप कतिपय मजदूरों को नौकरी से मुक्त करने आदि के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

7. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा, सदस्य विधान सभा ने अनूपगढ़ तहसील के अनेक हरिजनों द्वारा बेदखलियों के विरुद्ध गत 3 अप्रेल से भूख हड़ताल पर बैठने के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

8. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा, सदस्य विधान सभा ने गंगानगर जिले और विशेष रूप से गंगानगर शहर में शराब का ठेका इस वर्ष नीलाम न होने के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

9. सर्व श्री रामानन्द अग्रवाल, योगेन्द्र नाथ हांडा व केशरीमल, सदस्य विधान सभा ने भीलवाड़ा में सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस द्वारा ला कालेज के विद्यार्थी की पिटाई करने के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

इन सब स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

10. सर्वश्री योगेन्द्रनाथ हांडा, भानुकुमार शास्त्री, मनोहरलाल, गिरधारीलाल भार्गव, व अजीतसिंह, सदस्य विधान सभा ने अनाज के राष्ट्रीयकरण के बाद राजस्थान की मंडियों में गेहूं उपलब्ध न होने के संबंध में 2 स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है। इस प्रश्न पर सदन में कल राज्य सरकार की ओर से एक वक्तव्य दिया जा रहा है। अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों की स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

11. श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य विधान सभा ने जयपुर शहर में काफी लोगों के राशन कार्ड नहीं बने हैं, इस संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। सदन में कल अनाज के वितरण की व्यवस्था के संबंध में राज्य सरकार की ओर से एक वक्तव्य दिया जा रहा है और मैं चाहूंगा कि माननीय खाद्य मंत्रीजी इस विषय पर अपने वक्तव्य में प्रकाश डालें। मैं इस स्थगन प्रस्ताव की स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

12. श्री मनोहरलाल और श्री गिरधारी लाल भार्गव, सदस्य विधान सभा ने डीग जयपुर रूट पर निजी बसों को गत 28 फरवरी से बंद कर देने के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

13. सर्वश्री मनोहरलाल, गिरधारीलाल भार्गव, अजीतसिंह और भानुकुमार शास्त्री

Page No. 44

(श्री अध्यक्ष)
सदस्य विधान सभा ने भरतपुर शहर के दो व्यक्तियों को बहका कर नसबन्दी किये जाने के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

14. सर्वश्री रामानन्द अग्रवाल, योगेन्द्र नाथ हांडा व केशरीमल, सदस्य विधान सभा ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मंडाना, जिला अलवर के चिकित्सा अधिकारी डाक्टर चौधरी द्वारा एक वैक्सीनेटर के साथ मारपीट करने के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी हैं।

ये प्रश्न अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं और मैं इन स्थगन प्रस्तावों की स्वीकृति देने में असमर्थ हूं ।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कडाना बान्ध के बारे में था ।

श्री अध्यक्ष : आप बहुत सीनियर मेम्बर हैं और पुराने सदस्य हैं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव...

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा के एक विद्यार्थी श्री जगदीश प्रसाद को एस० पी० के द्वारा पीटने के संबंध में मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है । अध्यक्ष महोदय, पिछली 2 तारीख को जगदीश प्रसाद ....

श्री चतुर्भुज : अध्यक्ष महोदय ....

श्री अध्यक्ष : दूसरे बोल रहे हैं। आप बैठ जाइये ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो कि परसिस्टेन्ट एग्रीकल्चर आफिसर भी हैं और लॉ कालेज के फर्स्ट इयर के स्टुडेन्ट भी हैं अपनी साईकल पर जा रहे थे । सामने से एस० पी० साहब, जो श्री प्रसन्न कुमार चौधरी हैं, अपनी जीप पर चार सिपाहियों के साथ बैठे हुए बड़ी तेजी से आ रहे थे । दोनों एक दूसरे के मुकाबले में थे । साईकल लड़खड़ाई और साईकल सहित वह लड़का गिरकर नाली के अन्दर पड़ा । एस० पी० साहब ने अपनी जीप रोक कर जगदीश प्रसाद, ला कालेज के विद्यार्थी को सिपाहियों से पकड़वाकर बुरी तरह से पिटवाया, और उनको पकड़कर हथकड़ी लगाकर कोतवाली ले गये और कोतवाली में उन्होंने उनको बहुत बुरी तरह से डंडे से पीटा । अध्यक्ष महोदय, उसी रात को उन्होंने मेडिकल एक्जामिनेशन भी करवाया । उनकी आंखों में जख्म आया । चार टांके उनके लगे हैं और जबरदस्त चोटें आई हैं । दो रोज तक उनको हॉस्पिटल के अन्दर रहना पड़ा । अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना है कि स्टूडेन्ट्स में इससे बड़ा रोष रहा है । कल चार तारीख को वहां पर तमाम एज्यूकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स की हड़ताल थी और आज सारे भीलवाड़ा के अन्दर हड़ताल रही है । इस पर भी एस० पी० के खिलाफ कोई भी एक्शन वहां पर नहीं हुआ । वहां के स्टूडेन्ट्स की यह मांग है कि एस० पी० को फौरन निलम्बित किया जाय और इसकी निष्पक्ष न्यायिक जांच की जाय । अध्यक्ष महोदय, इस तरह की घटनाएं जगह जगह पर हो रही हैं । और फौरन जब तक एक्शन नहीं हो तब तक नेचरली लोगों में फ्रस्टेशन होना स्वाभाविक है....

श्री अध्यक्ष : जानकारी चाही है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अभी युनिवर्सिटी में एक केस हुआ है । जानकारी चाही है तो

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
कल तो सत्र बन्द हो जायगा। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि या तो आज ही या कल इस पर वक्तव्य निश्चित रूप से दिला दिया जाय।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, इस तरह से रोज पुलिस द्वारा पीटने की घटनाएं होती हैं। यहां तक कि डॉक्टरों तक को पीटते हैं अगर वह उनके खिलाफ सर्टिफिकेट दे देता है तो। इस तरह से रात-दिन लोगों को पीटा जाता है। यह रोज की घटनाएं हो रही हैं इसलिए कल या आज ही इस पर वक्तव्य होना चाहिए।

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : अध्यक्ष महोदय, इसकी रिपोर्ट माननीय मंत्री महोदय के पास है। यह दो दिन पहले का वाकया है। जानकारी अगर राज्य सरकार के पास नहीं हो तो अलग बात है लेकिन जानकारी उनके पास है। इसमें ज्यादा समय न दिया जाकर आज ही वक्तव्य दिलाया जाना चाहिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास खून से सने कपड़े हैं जो कि त्रिपाठी ने पहन रखे थे। कितने गहरे खून से सने हैं कपड़े। उसका मेडिकल हो चुका है और चार टांके आये हैं। एस० पी० का कहना है कि शराब पी रखी थी। उसका मेडिकल एक्जामिनेशन हो गया है। अध्यक्ष महोदय, सभी भीलवाड़ा बन्द है।

श्री अध्यक्ष : हो चुका है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मेरा कहना यह है कि मैं उसको प्रेस करता हूं जो माननीय मावली से आने वाले सदस्य ने कहा है। गृह मंत्री वक्तव्य देने की कृपा करें। यह कपड़े सदन की प्रापर्टी हैं।

श्री अध्यक्ष : आप अदालत में पेश करें।

(सदन की मेज पर कपड़े रखे गये)

श्री यशवन्तसिंह नाहर : इनको रहने दें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पजामा रख लिया है कुरता दे दिया है।

श्री चतुर्भुज : टोंक जिले में····

श्री अध्यक्ष : आप क्या कहना चाहते हैं ? आपका स्थगन प्रस्ताव है क्या ? मैं आपको बोलने दूंगा। आप यह बता दें कि आपका स्थगन प्रस्ताव तो नहीं है ?

श्री चतुर्भुज (टोडा रायसिंह) : टोंक जिले में नाज ले जाने के लिए राज्य सरकार ने आदेश दिये थे और कहा गया था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो राहत कमेटी है, डिस्ट्रिब्यूट कर देगी और उसके लिए बना दिये गये और वह सारे बैठे हैं लेकिन उनको नाज नहीं मिल रहा है। उनसे कह देते कि नहीं देंगे। वह सारे यहां पर बैठे हैं तो यह अनर्थ है। राज्य सरकार अपने आदेश को वापिस ले ले। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आदेश देकर लोगों को बुलाकर और बिल बनाकर अब मना करें यह बहुत बुरी बात है। टोडा रायसिंह की जनता वहां पर पड़ी हुई है। इसलिए मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं····

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, अभी जो माननीय रामानन्दजी ने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है उसके बारे में मेरा यह निवेदन है कि एस० पी० के लेवल का ऑफिसर अगर एक स्टूडेण्ट को पीटता है

(श्री केदारनाथ)

और हथकड़ी लगाकर उसको ले जाता है कोतवाली में और अपने सिपाहियों के मारफत पिटवाता है और फिर उसके खिलाफ कार्यवाही करता है तो इसको कन्डेम करना चाहिए और राज्य सरकार से लाजिमी तौर पर आज या कल वक्तव्य दिलाना चाहिए।

श्रीमती कमला बेनीवाल (राज्य मंत्री, गृह) : कल इसके बारे में स्टेटमेंट दिया जायगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आज ही दे रही है?

श्री केदारनाथ : मेरा जो स्थगन प्रस्ताव है कि 7 तारीख को....

श्री रामानन्द अग्रवाल : आज ही अगर वे दें तो अच्छा हो।

श्री केदारनाथ : चूरू के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर ने एक वकील के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और कोर्ट के अन्दर, मान्यवर, यह शब्द कहे, "यहां से चले जाओ वर्ना मैं आपको गिरफ्तार कर लूंगा।" इसके कारण से 24 तारीख से सारे चूरू के वकीलों ने उसकी अदालत का बायकाट कर दिया है। मान्यवर, यह वही कलेक्टर हैं जिन्होंने सीता परीक्षा काण्ड में एक रिलीजस सेक्शन के साथ में अपना एलाइनमेंट दिखाया था, यह वही कलेक्टर हैं जिन्होंने स्टूडेन्ट्स एजीटेशन में बहुत बुरे तरीके से लाठीचार्ज किया है, यह वही कलेक्टर साहब हैं कि जो भी कोई यह सूचना दें कि मृत्यु हो गई है, अकाल पड़ गया है, हालत खराब है तो उसके साथ उन्होंने बुरा व्यवहार किया है। उस कलेक्टर के खिलाफ उसकी अदालत का बहिष्कार है। इसकी जब सूचना आ गई। अध्यक्ष महोदय, ऐसे कलेक्टर के बारे में सारे चूरू जिले में असन्तोष है और बहुत बुरी हालत है। इसलिए मैं आपकी मारफत निवेदन करना चाहता हूं कि इसके बारे में स्टेटमेंट दिया जाना चाहिए।

श्री लूणाराम (श्री डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव पर मैं अर्ज करना चाहता हूं क्योंकि यह चूरू जिले के बारे में है..

श्री अध्यक्ष : आपका स्थगन प्रस्ताव तो है नहीं कोई मर्यादा होनी चाहिए।

श्री लूणाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव आया हुआ है यह एक बड़ा ही लोकमहत्व का है। लोग वहां पर पेशी के लिए जाते हैं तो वकीलों के अदालत में हाजिर नहीं होने के कारण बड़ी भारी परेशानी में होते हैं। इसलिए सरकार आज ही वक्तव्य दे।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, मैंने 5 स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है।

श्री मनोहर लाल (कामां) : मेरे दो स्थगन प्रस्ताव हैं। एक तो यह है कि भरतपुर शहर में दो व्यक्तियों को नसबन्दी की गई है एक का नाम तो होतीलाल है और एक का नाम है गेंदालाल...

श्री अध्यक्ष : This is his pet subject.

श्री मनोहर लाल : उन दोनों आदमियों को बहका कर ले गये कि तुम्हारे

Page No. 47

(श्री मनोहरलाल)
बच्चे हो जायेंगे । माननीय अध्यक्ष, यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है । मैं केवल दो मिनिट में ही समाप्त कर दूंगा और स्थगन प्रस्ताव को समाप्त कर दूंगा । माननीय अध्यक्ष महोदय, इन दोनों को बहका कर ले गये··

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : माननीय अध्यक्ष, प्रस्तावों की नसबन्दी की जानी चाहिए ।

श्री मनोहर लाल : मैं आपकी करा दूंगा ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैंने तो करवा ली है । अब आप भी करवा लें ।

श्री मनोहर लाल : दोनों को बहका कर ले गये कि तुम्हारे बच्चे जल्दी हो जायेंगे, इनकी नसबन्दी कर दी । उसके बाद घर पर पहुचे तो उनको असलियत मालूम पड़ी तो दोनों की औरतें छोड़कर चली गई । दोनों आदमी यहां पर बैठे हुए हैं । दोनों आदमी इस कदर परेशान हैं कि दोनों आत्माहत्या करने को तैयार हैं । दोनों डॉक्टर के पास गये कि हमारी नसें वापस जोड़ दो····

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : गिरधारी-रामजी की नसबन्दी हुई या नहीं ।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, आपने आदेश दिया है मंत्री महोदय को तो वह नाज के बारे में बयान देंगे । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय यह व्यवस्था करायें कि उनकी नसें वापस जोड़ दी जाय ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : नसबन्दी के लिए अपनी पत्नी की कन्सेन्ट लेना आवश्यक है या नहीं ?

श्री मनोहरलाल : है और लाजमी है । वह नहीं ली गई ।

श्री अध्यक्ष : I would request the Hon'ble Minister to take note of it

श्री मनोहरलाल : दूसरा अध्यक्ष महोदय ने फरमाया है कि कल मंत्री महोदय बयान देंगे तो बयान की जरूरत नहीं और नाज की जरूरत है······

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधी नगर, जयपुर) : आपने नाज बन्द कर लिया है ।

श्री मनोहरलाल : मैं क्या करता हूं और आप क्या करते हैं वह मैं जानता हूं । वहां हमारे यहां से उत्तर प्रदेश, हरियाणा में सारा जौ और चना जा चुका है और आपको एक पैसा भी सैल्स टैक्स का नहीं आ रहा है । 80 लाख·····

श्री अध्यक्ष : इसके लिए स्थगन प्रस्ताव लाइये ।

श्री मनोहरलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव है । मैं यह चाहूंगा कि सरकार यह बताए कि सेल्स टैक्स कितना मिला है । पिछले पन्द्रह दिनों में आपके, मंत्री जी के जिले को भी गेहूं जा रहा है, जो चोरी से जा रहा है, जब कि हालत यह है कि भरतपुर में उपभोक्ता को भी नहीं मिल रहा है । इस प्रकार काश्तकारों को चोर बना दिया गया है । चोरी से गेहूं बाहर ले जाया जा रहा

(श्री मनोहरलाल)

है । सारे दुकानदारों को डाकू बना दिया गया है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सेल्स टैक्स का नुकसान हो रहा है । और उपभोक्ता को मिल नहीं रहा है । अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही पल्लेदारों की मजदूरी कम हो गई है । इसलिए इस बारे में मंत्री महोदय बयान दें ।

इसके साथ मैं निवेदन करूंगा, कोटा में एक श्रीराम रैयन्स है, इस पर मेरा स्थगन प्रस्ताव है, इसमें 2-4-73 को बिजली की कमी बता कर मजदूरों को नोटिस दे दिया गया····

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर आपके साथी तो नहीं बोल रहे हैं ।

श्री मनोहरलाल : मैं निवेदन कर रहा था कि कोटा में मिल में जो पावर कटौती की बात की है, वह पावर की कटौती तीस, चालीस पर्सेन्ट हुई है, लेकिन सत्तर, पिचहत्तर पर्सेन्ट मजदूरों को नोटिस दे दिया गया है । इससे प्राडक्शन कम होगा । बिजली की कटौती कम है लेकिन ज्यादा मजदूरों को निकाला जा रहा है । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसके सम्बन्ध में आज या कल बयान दें ।

इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं, मंत्री जी कल कह रहे थे, बिजली की कटौती की गई है, यह बीस हार्स पावर या बीस किलोवाट से जिनका कन्जम्पशन नीचे हैं, उनकी कटौती नहीं की गई है । लेकिन स्थिति यह है कि दस हार्स पावर वाले को भी नोटिस दे दिया गया है, दस हार्स पावर वाले हैं उनकी पिचहत्तर पर्सेन्ट कटौती कर दी गई है तो दो यूनिट उनके हिस्से में आयेगी । मंत्री जी ने कहा कि जिनमें अधिक मजदूर लगे हुए हैं उनके सम्बन्ध में कम कटौती की गई है, बिजली की कटौती पच्चीस पर्सेन्ट, बीस पर्सेन्ट की की गई है, लेकिन वहां पर 30 पर्सेन्ट मजदूरों को हटा दिया गया है । इसलिए इसके सम्बन्ध में मंत्री महोदय वक्तव्य दें ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरा एक··

श्री अध्यक्ष : यह बैंच खत्म हो जाय ।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, कम्युनिस्टों की पॉलिसी के चक्कर में आकर हमारी सरकार ने अनाज के बारे में, जिसका राष्ट्रीयकरण किया गया है और जिस पर कल वक्तव्य देने वाले हैं, ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है । आपने एक अप्रेल को सही व्यवस्था नहीं की और अनाज का व्यापार बन्द कर दिया । उसके कारण आज दो रुपये किलो अनाज मिलता है । दो रुपये किलो अनाज भी उपलब्ध नहीं होता है । लोग अनाज के लिए भटक रहे हैं । मैं कहता हूं कि वक्तव्य आप भले ही कल दें, लेकिन आज ऐसी व्यवस्था कर दें जिससे जनता अनाज के लिए भटके नहीं । अगर यह व्यवस्था नहीं कर सके तो हिंसा के और अभद्र दृश्यों का आपको सामना करना पड़ेगा । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि शीघ्रातिशीघ्र गेहूं उपलब्ध कराने की आप व्यवस्था करें, अन्यथा इस प्रकार चौराहे पर लाकर खड़ा करने का सरकार को कोई अधिकार नहीं है । ····

श्री केदारनाथ : सारा श्रेय इनको दे दिया ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, जो स्थगन प्रस्ताव मैंने रखा है....

श्री लक्ष्मण सिंह : अनाज के सम्बन्ध में, मैं भी दो शब्द निवेदन करना चाहता हूं।

श्री केदार नाथ : कल डिबेट है।

श्री लक्ष्मण सिंह (डूंगरपुर) : मुझे सरकार की नीति से या हठधर्मी से कोई मतलब नहीं है। मैं आशा करता हूं कि उनकी हठधर्मी और नीति है, उसमें उनको सफलता मिले। लेकिन जहां तक मेरा सम्बन्ध है, अनाज के वितरण की समस्या के सम्बन्ध में, माननीय सदस्य, जो उदयपुर से आये हैं, उनकी जो कुछ आपत्ति है, उनके साथ एक हद तक मेरी सहानुभूति है। आपकी नीति आप रखिये, लेकिन कम से कम अनाज के वितरण के सम्बन्ध में व्यवस्था सरकार के द्वारा होनी चाहिए – यह सरकार का उत्तरदायित्व है। अगर सरकार यह नहीं कर सकी तो मेरे खयाल में, खुशहाली और समाजवाद – यह सब वहुत अच्छी बातें हैं, बहुत सुन्दर हैं, विण्डो ड्रेसिंग हैं, लेकिन सरकार अनाज के वितरण की समस्या को और विषम बना देगी तो जनता के उत्पीड़न और शोषण की पराकाष्ठा हो जायगी। सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक अन्य स्थगन प्रस्ताव रखा है, गंडाला चिकित्सा अधिकारी के सम्बन्ध में। एक वेक्सीनेटर, जिसने नशबन्दी कराई थी, उसकी पिटाई चिकित्सा अधिकारी ने की। इस सम्बन्ध में मैंने जो स्थगन प्रस्ताव रखा था, वह आपने अलाऊ नहीं किया है। मेरा निवेदन है, आपकी रूलिंग मुझे शिरोधार्य है परन्तु जरा इसकी अहमियत पर ध्यान दें। एक वेक्सीनेटर ने 23 तारीख को नशबन्दी अलवर में कराई थी, उसका गंडाला में पोस्टिंग था। 29 तारीख को उसके टांके खुल गये, लेकिन जख्म बाकी रह गया, सूजन बाकी रह गई, 31 तारीख को गंडाला के हास्पीटल के चिकित्सा अधिकारी को उसने कहा, मेरे पीड़ा है, आप देख लें। चिकित्सा अधिकारी कहने लगा, आपने अलवर में आपरेशन कराया है, वहां पर जाओ। उसने कहा, मैं ड्यूटी पर हूं, आप देख लें। वह नाराज हो गया और उसने लात घूसे से उसकी मारपीट की है। जो मुझे सूचना मिली है, वहां जो आर्गेनाइजेशन है, जो चिकित्सा विभाग के एम्पलाई हैं, उन्होंने एक रिजोल्यूशन पास करके अलवर में सी०एम० ओ० को दिया है, उसके पास गये हैं, कलेक्टर के पास गये हैं। कलेक्टर ने कहा कि मैं एस०डी०ओ० से जांच करा लूंगा। वह यहां भी आये। मेरा निवदन है कि वहां के तमाम एम्पलाई हैं, गंडाला के अन्दर, वहां से वह छोड़ कर आगये हैं, वे कहते हैं इस अधिकारी के साथ मिल कर काम नहीं कर सकते क्योंकि उसने दरवाजा बन्द करके, एक दो आदमियों को लेकर उसकी पिटाई की है। बाहर से दरवाजा को धक्का देकर, उसको तोड़कर उसको बचाना पड़ा। इस हद तक नौबत पहुंच गई। चिकित्सा मंत्री यहां बैठे हैं, वह इसका उत्तर न दें....

श्री हरिदेव जोशी : उस वेक्सीनेटर को मेरे पास भेज दीजिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, मैंने पांच स्थगन प्रस्ताव दिये थे......

श्री श्रीराम गोटेवाला : लंगोटी वाले के होलसेल बिजनेस कर लिया है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपका गोटा उतार लिया है।

श्री अध्यक्ष : आपके साथी बोल लिये हैं। कोई पाइन्ट छोड़े जाने लायक हो तो बोल लीजिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सारे के सारे नवीन प्रस्ताव हैं। सबसे पहले तो हरिजनों के ऊपर अत्याचार का प्रश्न प्रस्तुत करूंगा, जो सबसे बड़ा प्रश्न है। पच्चीस आदमी इस समय विधान सभा के सामने दो तारीख से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। यह लोग 25 दिन से अनूपगढ में भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। इन पर 28 तारीख को भयंकर लाठी चार्ज हुआ, जिससे 25 हरिजन तो गम्भीर-रूप से घायल हो गये। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान नहर की कई तहसीलों में इस समय बहुत बड़ी तादाद में हरिजनों को बेदखल किया जा रहा है, और वह भी ऐसे हरिजनों को, जिनका बीस बीस साल से, पन्द्रह पन्द्रह साल से लगातार कब्जा राजस्थान नहर क्षेत्र में चला आ रहा है। राजस्थान नहर क्षेत्र में अनूपगढ़ तहसील में, तीन, पांच, छः गांवों के अन्दर हरिजनों की फसल कुर्क कर ली गई है..........

श्री अध्यक्ष : जानकारी चाही है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसके ऊपर स्टेटमेंट चाहिए।

श्री अध्यक्ष : वह फर्मा दिया है, जानकारी चाही है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इस पर मंत्री महोदय स्टेटमेन्ट दें, यह एक आध गांव की बात नहीं है, आजादी की पच्चीसवीं वर्षगांठ, रजत जयन्ती के सिलसिले में हरिजनों को जमीन देने और आवास की सुविधा देने के लिए सरकार कमिटेड है। जिस तरह की आवास की समस्या कोलोनाइजेशन क्षेत्र और गंगानगर क्षेत्र में है, सरकार जमीन दे रही है हरिजनों को, यह एक गम्भीर और ज्वलन्त उदाहरण है, जिन हरिजनों के बीस बीस, पन्द्रह पन्द्रह साल से जमीन पर मकानात बने हुए हैं, उन मकानों से उनका सामान निकाल कर बाहर फेंका जा रहा है, उनकी फसलों को कुर्क कर लिया गया है...

श्री अध्यक्ष : सिर्फ इतना निवेदन करूंगा, बोलने से रोक नहीं रहा हूं। आपका विवेचन और वर्णन है, वह दोनों रूप में हो सकता है, विस्तृत हो सकता है और सूक्ष्म हो सकता है। सूक्ष्म में हो जाय।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सूक्ष्म में चलेगा, अध्यक्ष महोदय, बल्कि जानकारी के रूप में सूक्ष्म में चलेगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : समाधि में चले जायेंगे फिर।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : समाधि तो लोगों की लगवा दूंगा, मेरी क्या लगेगी समाधि।

मैं निवेदन कर रहा था कि उपनिवेशन मंत्री इस सम्बन्ध में स्टेटमेंट दें। इस समय जब कि हरिजनों का आप उद्धार कर रहे हैं, उन हरिजनों को इस सदन में बुला कर पूछा जाय, इतने लोगों का इजेक्टमेंट तो हरिजनों को बढाने का तरीका है नहीं। मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं, मैं अपने कर्त्तव्य को पूरा नहीं करूंगा यदि यह नहीं

Page No. 51

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

कहूं, सारे गंगानगर जिले के और सारे राजस्थान के हरिजन, यदि इस प्रकार हरिजनों का लार्ज स्केल पर इजेक्टमेंट होता रहा तो बहुत बड़ा आन्दोलन करेंगे और मजबूती के साथ करेंगे।

दूसरा स्थगन प्रस्ताव है, वह गंगानगर के शराब के ठेके के सम्बन्ध में है। गंगानगर में डेढ़ करोड़ का औसतन शराब का ठेका नीलाम होता है। पिछले वर्ष गंगानगर का ठेका तीस लाख के आस-पास नीलाम हुआ, वह सुगर मिल को चलाने के लिये दे दिया गया, यह 15 लाख रुपये की राशि की शराब बेच सका.....

श्री अध्यक्ष : इसकी जानकारी चाही है। जो जानकारी चाहिए वह कर लें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : लाखों रुपये का घाटा सरकार को हुआ। करीब 53 लाख रुपये में शराब का ठेका नीलाम करने की सरकार ने घोषणा की। इसमें षड्यंत्र स्पष्ट है। 53 लाख के ठेके को नीलाम में लेने को तैयार नहीं और इसके पास जितने छोटे-मोटे ठेके थोड़े पैसों में एक्साइज कर्मचारियों ने नीलाम कर दिये जबकि पब्लिक सेक्टर में फंक्शन कर रहे थे और ब्यूरोक्रेसी से मिलकर ठेकेदार ने इसको फेल किया।

श्री अध्यक्ष : I suppose your five adjournment motions will take fifty minutes.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इससे सरकार को 50 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। मैं चाहूंगा कि इस संबंध में मंत्री महोदय स्टेटमेंट दें।

तीसरा प्रस्ताव मेरा अनाज के संबंध में है, कोटा से, भीलवाड़ा से उदयपुर से, गंगानगर से मेरे पास तार आए हैं कि वहां पर और दूसरे क्षेत्रों से भी सूचना आई है कि एक तारीख के बाद वहां पर अनाज नहीं मिल रहा है।

श्री अध्यक्ष : आपकी बात मान ली।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ब्लैक में दो तीन रुपये प्रति किलो में मिलती है। यहां तक भी स्थिति ठीक थी लेकिन वे लोग आज अनाज के थोक व्यापार को निश्चित रूप से असफल करना चाहते हैं (श्री मनोहर लाल के कुछ कहने पर) मैं आपकी नसबंदी बता दूं नहीं तो आपकी नसबंदी करनी पड़ेगी। लेकिन जो मोटा अनाज आ रहा है उसको भी व्यापारी खरीद नहीं रहे हैं। सरसों की खरीद बंद है, ज्वार की खरीद बंद, चने की खरीद बंद है, कोटा की मंडी में एक ट्रक आया, कोटा के कलेक्टर देखते रहे, कोटा का सारा प्रशासन देखता रहा, उस अनाज के ट्रक को व्यापारियों ने घेर लिया और उस अनाज को बाजार में नहीं बिकने दिया जबकि कोटा कलेक्टर व एस० पी० मौजूद थे और सारा पुलिस प्रशासन मौजूद था। मैं कहना चाहता हूं कि आज का बड़ा व्यापारी और उनके निहित स्वार्थ और राजनैतिक दलों के लोग इस बात को असम्भव बनाते चले जा रहे हैं कि किसी प्रकार से राजकीय व्यापार सफल हो और हमारी ब्यूरोक्रेसी आज उनकी मददगार है। कांग्रेस में बैठने वाले बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी तैयारी नहीं है, जिनकी मानसिक तैयारी नहीं है। कांग्रेस हाई कमांड के स्पष्ट आदेश हैं और मेरी पार्टी के भी कि वे लोग जो कि कमिटेड हैं अनाज के थोक व्यापार के संबंध में और

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
सारे के सारे कार्यकर्ता इस दिशा में सक्रिय होकर दक्षिण पंथियों की चाल का मुकाबला करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

और अंत में मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि ये जो तीन आवश्यक प्रस्ताव मैंने दिए हैं उन पर कृपा करके मंत्री महोदय से स्टेटमेंट दिलायें। वैसे मेरे भंडार में तो बहुत कुछ कहने को है लेकिन क्योंकि आपके आदेश हैं, मैं अधिक नहीं कहना चाहता।

श्री केशरीमल (ब्यावर) : मेरा भी स्थगन प्रस्ताव था जिसको आपने जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार के पास भेजा है। यह सूचना कब आएगी जब कि विधान सभा का वर्तमान सत्र-कल स्थगित हो रहा है। मैं अपनी ओर से जानकारी देना चाहता हूं ताकि सरकार व्यवस्था करे तो अच्छा है। सरकार ने सूत का कन्ट्रोल किया है, उससे सभी जगह सूत का मिलना मुश्किल हो गया है। इसका असर यह हो रहा है कि पावर लूम्स करीब करीब सभी बंद हो गई हैं और सूत की खड्डियों का काम हरिजन और आदिवासी लोग मिलकर करते हैं। उनको सूत न मिलने के कारण उनके काम बंद हो गए हैं। जिसके घर में एक खड्डी चलती है औरत बच्चे सभी काम करते हैं सारे घर के घर बेकार हो गए हैं। वहां बेकारी की समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया है। इसके अलावा छोटे छोटे कारखानें जो राजस्थान में सूत बनाने के हैं उनके आगे समस्या आ गई सूत बेचने की इजाजत नहीं, न तो उनसे कहा गया है कि उनका सूत कन्ट्रोल्ड रेट पर बेचा जाएगा न उनसे कहा जा रहा है कि बेचो। आज एक-एक, दो-दो मशीन से चलाने वाले कारखानें जो हैं उनके सूत बेचने की व्यवस्था नहीं की जाएगी, उनको सही बात नहीं बतायेंगे तो उनका माल जमा हो जाएगा, कारखाने बंद हो जायेंगे। एक तरफ सूत कतना बंद हो जाएगा, दूसरी तरफ सूत मिलना बंद हो जाएगा। इससे छोटे उद्योगों को नुकसान हो रहा है। सरकार जल्दी से जल्दी नियमों का सरलीकरण करे, कैसे माल बेचा जा सकता है, छोटी फैक्टरीज के बारे में विचार करें, उन पर सूत कन्ट्रोल की व्यवस्था लागू है या नहीं।

श्री अध्यक्ष : ध्यनाकर्षण प्रस्ताव।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा भी स्थगन प्रस्ताव है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : चैप्टर तो आपके कहने के बाद क्लोज होता है।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु (करणपुर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान नहर के क्षेत्रों से हरिजनों को बुरी तरह से हटाया जा रहा है और उनकी स्थिति यह है कि वे गंगानगर जिले के बाजारों में घूम रहे हैं। मैं उपनिवेशन मंत्री के मकान पर गया था, वहां बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई थी। सरकार को बुलाकर कम से कम उनकी बात तो सुननी चाहिए, उनकी जो तकलीफ है किसी तरह से दूर करनी चाहिए।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : कल मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था कि जयपुर शहर में अनाज का वितरण नहीं हो रहा है, दुकानें बंद हैं, मंत्री महोदय से आपने वक्तव्य देने को कहा है लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कल सेशन समाप्त हो जाएगा और जयपुर शहर के लोगों के लिए दुखद बात यह है कि अभी तक कई लोगों के राशन कार्ड नहीं बनें। इसलिए यह बिल्कुल

Page No. 53

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

छोटा प्रश्न है। राशन कार्ड न होने के कारण लोगों को न सस्ते गल्ले की दुकानों से अनाज मिल रहा है, न बाजार से जो मोटा अनाज है, वह व्यापारियों की हड़ताल के कारण नहीं मिल रहा है। एक व्यक्ति को 8-8 रुपये खर्च करने के बाद, 4 महीने बराबर परेशान होने के बाद उनको कार्ड मिलता है। सरकार की जो पद्धति है नाम जोड़ने और काटने की, वह बड़ी दोषपूर्ण है। पहले जयपुर शहर में 5 जोन्स थे उनके आधार पर राशन कार्ड्स बनते थे, आसानी से बनते थे, लेकिन अब 7 लाख की आबादी वाले जयपुर शहर के लिए राशन कार्ड बनाने की व्यवस्था केवल मात्र कलेक्टरी में है वहां लोग मारे मारे फिरते हैं, 8-8 रुपये खर्च करते हैं। अनाज के व्यापार का सरकार ने राष्ट्रीयकरण तो कर दिया लेकिन कम से कम लोगों को राशन कार्ड तो मिल जाये। कल जब मंत्री महोदय अपना वक्तव्य दें तो जयपुर शहर के लोगों को जो राशन कार्ड मिलने में कठिनाई है, उनको जो खर्च करना पड़ता है, उसका भी आप उल्लेख करें।

दूसरी बात चांदपोल शमशान के लिए मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा है। वहां पर पानी व बिजली की व्यवस्था नहीं है। लेकिन दुखद घटना यह हो रही है कि एक दो दिनों में किन्हीं लोगों ने वहां प्लॉट्स काटने शुरू किए। चांदपोल का शमशान जयपुर के आधे से अधिक लोगों के दाहसंस्कार के लिए काम में आता है। जहां पहले ही गंदा पानी एकत्रित है, वहां पर लोगों को प्लाट्स काटकर दिए गए तो जयपुर शहर के आधे से अधिक लोगों के लिए जो स्थान शमशान के काम में आता है, दाहसंस्कार जैसे काम के लिए। फिर लोगों को और किसी स्थान पर जाना पड़ेगा। तो मंत्री महोदय इस संबंध में भी व्यवस्था करें कि किसी प्रकार के प्लाट्स वहां न काटे जायें और चांदपोल शमशान में जैसे जमशेदपुर का शमशान है, वह बहुत बढ़िया है हर सुख सुविधा है, पीने के पानी की, बिजली आदि की, वैसी व्यवस्था यहां करें। फिर तीसरा स्थगन प्रस्ताव मैंने दिया है शिक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में। अध्यक्ष महोदय, यहां पर राज्य सरकार ने 15 दिसम्बर, 71 को यह घोषणा इसी सदन में की थी कि पाठ्यक्रम को एक साल में बदला नहीं जायेगा लेकिन अध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि पाठ्यक्रम बोर्ड के बदल गये हैं। उसमें जो पुस्तकें थीं वह बदली गयी हैं, जिनमें आपकी जानकारी के लिये कुछ पुस्तकों का नाम दे रहा हूं एक तो संस्कृत में प्रवेशिका में गद्य-पद्य प्रवेशिका को बदला गया, श्रेष्ठ कहानियां को बदला गया है। और शार्ट स्टोरीज की बुक थी उसे बदल दिया गया है हिन्दी व्याकरण व रचना भाग को बदला गया है तथा डॉन रीडर्स को बदला गया है। अध्यक्ष महोदय, पहले ही एक साल तक पुस्तकें बाहर नहीं आयीं और अब वह पुस्तकें छपी हैं तो आपने उनके बदले दूसरी पुस्तकें रख दीं। इससे पुस्तकों वालों को तो नुकसान होता है उसके साथ बोर्ड को भी नुकसान होता है।

अन्तिम मेरा प्रस्ताव है वह यह है कि सरकार ने एक अप्रेल से अकाल के लिये स्टेम्प ड्यूटी लगायी है। आज स्थिति ऐसी है कि रेवेन्यू टिकट एवेलेबल नहीं हो रहे हैं अकाल के नाम के स्टेम्पस नहीं है। इसलिये लोगों को वेतन नहीं मिल रहा है इसके अलावा कई विभागों में अकाल के लिये टिकट लगाये बिना ही तनख्वाहें मिल गयी हैं इस प्रकार आज काफी अनियमिततायें हो रही है। इसके लिये राज्य

(श्री गिरधारीलाल भार्गव) सरकार क्या कार्यवाही कर रही है उसके बारे में आपनी व्यवस्था दें। इसके अलावा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कामां से आने वाले माननीय सदस्य ने, अध्यक्ष महोदय, यह कहा था कि लोगों की जबरन नसबन्दी की जा रही है और लोग चाहते हैं कि वापिस नसबन्दी को जोड़ा जाय आज आपके राजकीय विभाग के डॉक्टरों ने 55 रुपये देकर उनकी बन्दी कर दी ।

श्री हरिदेव जोशी (स्वास्थ्य मंत्री) : मैं माननीय सदस्य को निवेदन करूंगा कि आप उन्हें मेरे पास भेज दें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : वह बाहर बैठे हैं। मैं आपको मिला दूंगा। इसके अलावा आप उनके बारे में जल्दी से जल्दी व्यवस्था करावें ।

श्री हरिदेव जोशी : मैं उनकी भरसक सहायता करूंगा ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, इसके बाद मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा कि अलवर में लोगों की नसबन्दी भी की और उन्हें डाक्टर ने पीटा भी है । इसमें रिकार्ड में 23 तारीख बतायी है और 15 तारीख को यह सब काम करके उन्हें डाक्टर ने पीटा है । तो इसके लिये डॉक्टर के खिलाफ में कार्यवाही की जानी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर वक्तव्य।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया था उसमें मन्त्री महोदय का वक्तव्य कल होने वाले के बारे में···

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। मन्त्री महोदय ने कहा है हां। श्री श्रीराम गोटेवाला ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

ताल कटोरा गृह निर्माण समिति के नक्शे नगरपरिषद् जयपुर द्वारा पास नहीं किये जाने सम्बन्धी

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशन पोल) : अध्यक्ष महोदय, मैंने ताल कटोरा के गृह निर्माण समिति के संबंध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया है उसके संबंध में मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य जानकारी बाद में दीजिये पहले आप यह बतादें कि नियम फलां के अन्तर्गत मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : वह तो मैंने कर दिया है ।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय का वक्तव्य। श्री स्वायत्त शासन मन्त्री ।

श्री परसराम मदेरणा (स्वायत्त शासन मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, ताल कटोरा क्षेत्र में जयपुर नगरपरिषद् द्वारा कुछ लोगों को मकान बनाने की स्वीकृति न देने से उत्पन्न स्थिति पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है । इस संबंध में कानून स्थिति बिलकुल स्पष्ट है । राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 170 में निर्माण स्वीकृति के बारे में विस्तृत प्रावधान किये गये हैं । इजाजत तामीर के नोटिस के प्राप्त होने पर

(श्री परसराम मदेरणा)

नगरपरिषद् या तो कुछ अन्य जानकारी मांग सकती है या उस पर स्पष्ट आदेश दे सकती है। धारा 170 की उप-धारा में प्रावधान है कि यदि नगरपरिषद् मूल नोटिस या अतिरिक्त जानकारी प्राप्त होने के एक महीने तक निश्चित् आदेश न दे तो संबंधित व्यक्ति नगरपरिषद् का ध्यान आकर्षित कर सकता है और इसके 15 दिन तक कोई आदेश प्राप्त नहीं होता तो निर्माण कार्य आरम्भ किया जा सकता है बशर्ते यह निर्माण कार्य अधिनियम या उप-नियमों के प्रावधानों के विपरीत न हो। यदि नगर-परिषद् द्वारा आदेश दे दिया गया हो तो उप-धारा (12) के अधीन जिलाधीश के समक्ष अपील पेश की जा सकती है। इस तरह दोनों ही परिस्थितियों में चाहे परिषद् द्वारा आदेश दे दिया गया हो अन्यथा नहीं दिया गया हो निश्चित प्रक्रिया निर्धारित है जिनके अनुसार संबंधित व्यक्तियों को कार्यवाही करनी चाहिये। इस मामले में नगरपरिषद् द्वारा सभी प्रार्थना-पत्रों पर आदेश दिये जा चुके हैं। जो लोग इन आदेशों से प्रभावित हैं वे जिलाधीश के समक्ष नियमानुसार अपील कर सकते हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य के मन्त्री महोदय से यह जानकारी चाहता हूं कि ताल कटोरा की गृह निर्माण समिति के बारे में इस सदन में कई बार प्रश्न उठाया जा चुका है हालांकि इस बात से यह संबंधित नहीं है लेकिन वह विभाग भी इन्ही मंत्री महोदय के पास है इसमें जो जमीन बेची गयी है इसमें करोड़ों रुपये की स्टाम्प ड्यूटी की हेराफेरी हुई राज्य सरकार को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। यह ताल कटोरा की जमीन है वह एक्स रूलर्स की इन्वेन्ट्री में नहीं है वह तो मन्दिरों के पीछे जमीन थी जैसे गंगामाता के मन्दिर के पीछे, गोविन्द देवजी के मन्दिर के पीछे, आमेर के मन्दिर के पीछे जमीन दी हुई वह इन मन्दिरों की मेन्टीनेन्स के लिये थी। यह जमीन एक्स-रूलर्स की नहीं थी। लेकिन इन एक्स-रूलर्स ने किसी प्रकार से मेनूपुलेट करके यह जमीन गृह निर्माण समिति को खुर्द बुर्द करदी और वहां पर मकान बन गये। इनमें से 40 मकानों के तो नक्शे बनाने की व्यवस्था नगरपरिषद् द्वारा कर दी गयी और बाकी 80 मकान और बनने थे जिन्होंने मकान बनाने के लिये नक्शे पेश किये थे पर उनके नक्शे पास नहीं किये गये। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि नगरपरिषद् ने उन चालीस मकानों को ही जायज माना और बाकी जो 80 मकान के और नक्शे थे उन्हें पास क्यों नहीं किया। दूसरे इस ताल कटोरा गृह निर्माण समिति के अलावा जयपुर में जयपुर के महाराजा द्वारा राम-बाग पैलेस भी एक करोड़ 70 लाख रुपये में बेच दिया। आप सीलिंग का बिल लाये लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपको चाहिये कि जो रुपये इन जमीनों के इन्होंने लिये वह क्या राज्य सरकार इनसे वापिस लेगी। क्योंकि यह प्रोपर्टी तो मन्दिरों की थी जो कि इन्हों-ने खुर्द बुर्द की है। अध्यक्ष महोदय, इन प्रापर्टीज का उल्लेख इन्वेंट्रीज में किया गया है उनके बारे में लिखा है कि-

"Following will be maintained as hitherto and will be under the control of the Ruler:—

1. Mataji's temple at Amber.

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

2. Shri Govind Deoji's temple at Jaipur.

3. Jamwa Mata's temple at Jamwa Ramgarh.

4. Man Mandir at Benaras.

5. Man Mahal at Pushkar.

6. Gopalji's temple and Gangaji's temple behind Govind Deoji's temple."

यह इन मन्दिरों को एलॉट की गयी थी इन्हें मेन्टेन करने के लिये। लेकिन इन्होंने इल्लिगल तरीकों से इन्हें बेचकर राज्य सरकार को जो करोड़ों रुपये की स्टाम्प ड्यूटी मिलने वाली थी वह नहीं दी गयी। अध्यक्ष महोदय, यह जयपुर महाराजा का ही अकेले का सवाल नहीं है। इसी प्रकार और कोटा महाराव ने भी जमीनें बेची हैं, जोधपुर महाराजा ने भी करोड़ों रुपये की जमीन बेची है और कोटा महाराव के बारे में तो यहां सदन में हमने प्रश्न भी उठाये थे। तो अध्यक्ष महोदय, क्या कारण है कि इन 40 मकानों के तो आप नक्शे पास कर रहे हैं और 80 मकानों के नक्शे पास नहीं किये जा रहे हैं। इसके लिये मेरा पहला निवेदन है कि राज्य सरकार इन जमीनों को जो बेचा गया है उनसे वापिस रुपये प्राप्त करें। दूसरे जिन लोगों के नक्शे नगरपरिषद् के द्वारा पास नहीं किये हैं उनके नक्शे शीघ्रातिशीघ्र पास करने की व्यवस्था करें। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार को चाहिये कि वह एक ही जमीन पर कुछ लोगों के नक्शे तो पास करती और दूसरों के नहीं यह सौतेला व्यवहार आज जो किया जा रहा है उसे समाप्त करने की व्यवस्था करावें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में कहें। भाषण नहीं करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : भाषण नहीं करूंगा साहब मैं तो सिर्फ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह इन्हीं के इलाके का मामला है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इलाके की बात नहीं है। लेकिन मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह नक्शे पास करने में राज्य सरकार ने सौतेला व्यवहार क्यों अपनाया है। अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा। पहला यह है कि जिन गरीब लोगों ने जमीन ताल कटोरा के पास की जमीन खरीदी है वहां पर आसपास गन्दगी है, वहां बहुत हालत खराब है भयंकर रूप से मच्छर हैं वहां बेचारे वह गरीब लोग आज रह रहे हैं क्या राज्य सरकार उन गरीब लोगों के मकान क्या नगर विनियोजन विभाग द्वारा या नगर-परिषद् द्वारा उन मकानों को तोड़ दिया गया है या तोड़ दिये जायेंगे। जब कि उन्होंने नक्शे पेश कर दिये। इसलिए जिनके मकान तोड़ दिये गये हैं, उनके नक्शे पास करके, उनको मुआवजा दें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक प्रश्न मेरा अध्यक्ष महोदय। मैं यह प्रश्न पूछना चाहूंगा कि क्या राज्य सरकार की जानकारी में नहीं था कि जो जमीन कोवेनेन्ट एन्टरी में दर्ज है उसका बेचान हुआ? इस प्रकार के प्रश्न पहले भी आये हैं। माननीय सदस्यों ने बार बार सदन में उपस्थित किये हैं कि इस प्रकार

Page No. 57

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
से जमीन बेची जा रही है और सरकार की जानकारी में होते हुए भी उसको रोका नहीं गया। इस प्रकार से सारी सम्पत्तियां बिकती चली जावेंगी। राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : सेल लीगल मानते हैं या इल्लीगल ?

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष-जी, किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षित किया उन कामों के बारे में जहां लोग तामीर करना चाहते हैं और उसकी परमीशन के लिए नगरपालिका से इजाजत मांगी। नगरपालिका ने किसी को इजाजत नहीं दी। माननीय सदस्यों को यह गलतफहमी है कि किसी को मिल गयी और किसी को नहीं मिली। दूसरा प्रश्न यह है कि 80 को वंचित रखा गया। परिषद् को 80 आदमियों की जानकारी नहीं है। केवल 30 आदमियों ने परमीशन मांगी है। पहले तो यह जानकारी की थी कि क्या कानून के अनुसार उनको हक प्राप्त है। राजस्थान म्युनिसिपल एक्ट की धारा 164 के अन्तर्गत जिन्होंने इजाजत मांगी है, नक्शे पेश किये हैं, ले आउट पेश किये हैं। उनको 164 में पूर्व में स्वीकृति लेनी चाहिए, नहीं ली और तामीर के स्वीकृति पेपर्स उनके पास नहीं हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : कहां पेश हुए हैं ले आउट ?

श्री परसराम मदेरणा : कोई भी व्यक्ति एग्रीव्ड था तो उसको जिलाधीश के पास अपील करनी चाहिए थी। वर्डिंग है वह यह है :

"Any person aggrieved by an order of the Board under clauses (a), (b) or (c) of sub-section (6) or clause (a) or (b) of sub-section (11) may, within 30 days from the order, exclusive of the time requisite for obtaining a copy thereof, may appeal to the Collector, and no such order shall be liable to be called in question otherwise then by such appeal."

इसका राजस्थान विधान सभा में क्वेश्चन आया। राज्य सरकार सक्षम नहीं है आदेश देने के लिए।

दूसरी बात यह है कि स्टाम्प एक्ट के प्रावधानों की अवहेलना करने की बात है। इन्वेन्टरी में प्राइवेट प्रोपर्टी है हिज हाईनेस की, लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि रोक क्यों नहीं लगायी....

श्री श्रीराम गोटेवाला : प्राइवेट प्रोपर्टी मेन्टीनेन्स के लिए लिखा है। प्राइवेट प्रोपर्टी नोट फोर दी सेल इसमें क्लीयर है।

श्री परसराम मदेरणा : राज्य सरकार रोक क्यों नहीं लगा रही है यह कहा है। जब सदन में प्रोपर्टी के संबंध में रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिए विधेयक लाये उसकी सेन्क्शन ले ली। उससे पूर्व कोई कानून नहीं था जिसमें रेस्ट्रिक्शन लगाये जा सकें। उसको भी रिट्रोस्पेक्टिवली एप्लाई कर रहे हैं। इस ओर्डिनेन्स के अन्तर्गत जो ओफेन्स करेगा वह पीनल ओफेन्स होगा और उससे पूर्व जो ओफेन्स करेगा उसकी प्रोपर्टी सीलिंग परपजेज के लिए इन्क्ल्यूजिव मानी जावेगी चाहे फरोख्त कर दी हो। अरबन सीलिंग एक्ट के लागू होने के बाद पर्टीक्यूलर डेट उसमें एन्फोर्स की है प्रोपर्टी

(श्री परसराम मदेरणा)
को खुर्द बुर्द कर दी है उससे नहीं बचेंगे। पीनल क्लॉज भी इसमें रखा गया है। यह भी कहा गया कि स्टाम्प एक्ट की अवहेलना हुई है। इसको मैं देख लूंगा और उस पर राज्य सरकार उचित कदम उठायेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं क्लेरिफिकेशन चाहूंगा। जो प्रोपर्टी उन्होंने बेच दी और सीलिंग से ज्यादा थी, जो प्रोपर्टी बेच दी उसको वापिस पूल में लेंगे या जो प्रोपर्टी उनके पास बच गयी है उसमें से उस वेल्यूएशन की प्रोपर्टी को काट कर फिर उनके पास छोड़ेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : कानून बनेगा तब ही कह सकता हूं। अभी तो रेस्ट्रिक्शन्स हैं। उसमें एग्जम्प्शन किस प्रकार हो सकेंगे यह कानून बनने के बाद की बात है। कानून कोई है नहीं राजस्थान और सारे हिन्दुस्तान में।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी द्वारा वक्तव्य।

शासकीय वक्तव्य

उदयपुर नगर में पीलिया रोग

श्री हरिदेव जोशी (चिकित्सा मंत्री): उदयपुर नगर में पिछले कुछ दिनों में पीलिया रोग की शिकायत हुई है। चिकित्सा विभाग से जानकारी करने पर ज्ञात हुआ है कि उदयपुर नगर के अस्पतालों में दिनांक 1-3-73 से 25-3-73 तक कुल 291 रोगी पीलिया से ग्रस्त पाये गये। पीलिया रोग वायरस (सूक्ष्म कीटाणु) द्वारा फैलता है। यह वायरस खाने-पीने के जरिये पेट में चले जाते हैं। इस रोग का प्रसार अशुद्ध भोजन, सड़े कटे हुए फल, अशुद्ध आइस क्रीम, कीचड़ में पैदा की गई सब्जियां, गन्दे कुओं से प्राप्त पानी व अशुद्ध जल आदि से हो सकता है।

उदयपुर नगर में विभाग द्वारा जल सप्लाई मुख्यतः फतेहसागर, पिछोला, गोवर्धन विलास व बड़ी झीलों से किया जाता है इन झीलों से प्राप्त पानी को विभाग प्रीट्रीटमेंट, फिल्टरेशन व क्लोरीनेशन करने के उपरान्त सप्लाई करता है। इस वर्ष वर्षा कम होने के कारण इन झीलों में पानी कम उपलब्ध हुआ। इसके कारण जो जल इन झीलों से प्राप्त किया जाता है उसमें गन्दगी की मात्रा अधिक है जल के शुद्धिकरण का कार्य भी विभाग द्वारा उसके अनुरूप ही किया जा रहा है। शुद्धिकरण के कार्य को ठीक प्रकार से सुपरवाइज करने के लिये विभाग के वरिष्ठ रासायनिक ने 17 जनवरी को जल शुद्धीकरण कार्य की जांच की। इसके उपरान्त दिनांक 9 व 10 मार्च को वरिष्ठ रासायनिक ने प्रभारी वैज्ञानिक केन्द्रीय जनस्वास्थ्य अभिसंस्थान, जयपुर केन्द्र के साथ भी जल शुद्धिकरण की जांच की। उन्होंने जो शुद्धिकरण के कार्य में सुधार सुझाये उनके अनुसार कार्य किया जा रहा है। रोजाना शहर के हर भाग में वितरित होने वाले जल में उपलब्ध क्लोरीन की जांच की जाती है। शुद्ध किये जल में किसी प्रकार के रोगाणु न हों इस दृष्टि से जल में क्लोरीन इस हिसाब से डाली जा रही है कि दूरतम स्थान पर एक पी. सी. एम. रेजीड्वल क्लोरीन हो। दिनांक 21 मार्च, 1973 को अध्यक्ष, नगरपालिका द्वारा एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें सहायक निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उदयपुर डॉ. टी.पी. जैन, प्रोफेसर ऑफ प्रीवेन्टिव मेडिसिन्स, उदयपुर, सभापति, स्वास्थ्य तथा स्वच्छता समिति, नगरपरिषद्, उदयपुर, सदस्यगण व आयुक्त, नगरपरिषद् उदयपुर, स्वास्थ्य अधिकारी, नगरपालिका, उदयपुर, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक, नगरपालिका, उदयपुर आदि भी सम्मिलित थे। इस बैठक में इन सभी व्यक्तियों को उपरोक्त तथ्यों से

(श्री हरिदेव जोशी)
अवगत कराया गया। इस बैठक के उपरान्त सहायक निरीक्षक, स्वास्थ्य सेवाएं, उदयपुर, कोटा रेंज, उदयपुर द्वारा जनता के लिये एक अपील-पत्र भी निकाला गया जिसमें उन्होंने जनता को गन्दगी से बचाव करने का सुझाव दिया था।

उदयपुर में दिनांक 1 मार्च, 1973 से 25-3-73 तक पीलियाग्रस्त रोगियों की सूची का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि उसमें बहुतायत में बी०एन० कॉलेज व ए०जी० कॉलेज के छात्र हैं। ये छात्र पुराने स्टेशन से लेकर जे. सी. बोस होस्टल ए० जी० कॉलेज पुलिस लाइन तक रहते हैं और सूरजपोल के चारों तरफ स्थित होटलों में भोजन करते हैं इन होटलों में पेय जल सार्वजनिक कुओं, नलों व निजी कुओं से भी प्राप्त किया जाता है जैसे सूरजपोल के अन्दर सब्जी मार्केट के पास वाली कुई से बन्सल मेडिकल स्टोर के पास वाली कुई से राजा स्टोर व बापू बाजार इत्यादि में स्थित है कुओं से कुमावत वाड़ी से राम भरोसे हिन्दु होटल तक, सूरजपोल दरवाजे से लेकर अस्तल तक और सूरजपोल से लेकर देहली गेट वाले समस्त होटल वाले कुए के पानी का भी प्रयोग करते हैं इन्हीं इलाकों में पीलिया की विशेष शिकायत है। इसके अतिरिक्त अन्य इलाकों में जैसे बोई वाड़ा, धोली बावड़ी, बहावत बाड़ी, सलावट वाड़ी, चान्दपोल देवाली अशोकनगर, कॉलोनी, विद्याभवन मालदास स्ट्रीट बोरदियों की सेरी चित्तौड़ों का टीबा, सिका कॉलोनी जगदीश चौक आदि नगर के समस्त भाग में इनेगिने लोगों को ही इस बीमारी की शिकायत है।

उपरोक्त सभी तथ्यों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि पीलिया रोग का जो प्रकोप इस माह उदयपुर में हुआ है उसका सम्बन्ध जलदाय विभाग द्वारा प्राप्त जल से नहीं है क्योंकि अगर जलदाय विभाग के स्रोतों में इस रोग के कीटाणु होते तो इस रोग की व्यापकता सारे शहर में पाई जाती जैसा कि वास्तव में नहीं है, फिर भी जिन कोलोनीज में ये शिकायत पाई गई हैं उस सम्बन्ध में निम्न लिखित सावधानियां बरती जानी चाहिए जिसके लिये सम्बन्धित अधिकारीगणों को आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं।

(1) पानी की लाइनों में लीकेज आदि की पूरी तरह से रोकथाम, ताकि गन्दे पानी का पीने के पानी से समावेश नहीं हो सके।

(2) अन्य स्रोतों जैसे शहर में स्थित कुओं से पानी का प्रयोग बिलकुल बन्द कर दिया जावे, क्योंकि इन स्रोतों में इस बीमारी के कीटाणु पाये जाने की सम्भावना है।

(3) जलदाय विभाग द्वारा प्राप्त पानी इन भागों में उबाल कर काम में लिया जावे।

(4) क्लोरीन की मात्रा जलदाय विभाग द्वारा वितरित पानी में बढ़ाने के सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं। फिल्टर करने से पहले भी पानी में क्लोरीन डालने के लिये निदश दे दिये गये हैं, इस तरह दोहरा क्लोरीनेशन किया जा रहा है।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो पीलिया रोग के फैलाव के बारे में स्पष्टीकरण दिया गया है यह तथ्यों को कई स्थानों पर तोड़ मरोड कर दिया गया है। जैसे सूरजपोल और घोष होस्टल और एग्रीकल्चरल कॉलेज के होस्टल एरिया और सूरजपोल के अन्दर कुओं के पानी के पीने से यह उस एरिया में अधिक फला

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

इन कुओं की बात कह कर इस आड़ में जलदाय विभाग ने अपनी अकर्मण्यता का परिचय दिया है और अपने दोषों को छिपाने का प्रयास किया है। यह भी कहा गया कि कुओं के पानी और बावड़ियों के पानी का उपयोग करने वालों को यह अधिकतर हुआ है और अधिकतर विद्यार्थियों को जो इन कुओं बावड़ियों का पानी काम में ले रहे थे, उनको हुआ है। यह तथ्यों से बिलकुल विपरीत बात कही गई है। इस एरिया में कोई भी होस्टल अथवा होटल और विद्यार्थी कुओं के पानी का प्रयोग नहीं करते। सभी नल के पानी का उपयोग करते हैं। बंसल स्टोर के पास वाली कुई की बात कही गई। मैं बताऊं अध्यक्ष महोदय, उस कुई का पानी खारा है और खारा होने से कोई उसका उपयोग वैसे ही नहीं करता। बाकी और कोई कुआ इस क्षेत्र में नहीं है। एक बावड़ी है जो नगरपरिषद् के द्वारा कई वर्ष हुए बन्द कर दी गई है। बाकी आस-पास कोई बावड़ी भी नहीं है।

(समय म. प. 1.03 बजे)

(श्री रामसिंह, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

दूसरी बात जलप्रदाय योजना से जो पानी आता है उस पानी की जांच होकर जो रिपोर्ट आपके विभाग में पहुंची है, वह क्या है? क्या उसमें वे कीड़े पाये गये हैं जिससे पीलिया होता है। मुझे पूरी विश्वस्त जानकारी मिली है कि उदयपुर में जो जलदाय विभाग के दिये गये पानी का परीक्षण किया गया उस में कीटाणु पाये गये। नगरपालिका ने इस पानी को टैस्ट कराया है। इसलिये मेरा कहना है कि यह स्पष्टीकरण आपका तथ्यों से बिलकुल विपरीत है और विभाग द्वारा अपनी लापरवाही पर लीपापोती करने के लिये यह गलत स्पष्टीकरण आपके हाथ में थमा दिया है और इसको आपने सही मान लिया है आंखें बन्द करके। इस तरह गोलमाल करने से और तथ्य को बिलकुल तोड़ मरोड़ कर रखने से समस्या का समाधान नहीं होगा। पानी को शुद्ध रूप से पूरी तरह से फिल्टर करके जनता को दिया जावे इसकी पुख्ता व्यवस्था की जावे और इसमें जिस अधिकारी अथवा कर्मचारी ने लापरवाही बरती है उसके साथ सख्ती से बरताव किया जावे।

एक निवेदन और कर दूं पिछोला में पानी कम हो गया है, दूसरी बात, नगर का गन्दा पानी और गन्दी नालियों का पानी आज भी पिछोला में जा रहा है। इसकी सख्ती से और मुस्तैदी से रोकथाम की जाय और इन नालियों को और इस गन्दे पानी को दूसरे रास्तों से निकाल कर दूसरी तरफ डालने की व्यवस्था की जाय। आज पिछोला में केवल चार फीट पानी रह गया है।

मैं राज्य सरकार से निवदन करूंगा कि नागरिकों के जीवन की रक्षा के इस महत्व-पूर्ण मामले में इस तरह से लीपापोती से काम न लें। पिछोला में गन्दा पानी न छोड़ा जावे, न जाने दिया जावे और जो पानी बच गया है उसे सुरक्षित रखें। फिल्टर का बराबर प्रबन्ध किया जावे।

मैं सरकार से इस बारे में यह आश्वासन चाहता हूं कि यह सारी व्यवस्था सरकार पूरी सावधानी से करेगी और जनता को शुद्ध जल देने की व्यवस्था शीघ्रातिशीघ्र की जावेगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी !

श्री हरिदेव जोशी : माननीय उपाध्यक्ष, महोदय, जैसा कहा गया कि तथ्यों को तोड़-

(श्री हरिदेव जोशी)

मरोड कर दिया गया है। आखिर तोड़ मरोड़ कर देने में लाभ हमें क्या मिल रहा है? राज्य सरकार यह कभी नहीं चाहती कि किसी भी स्थान में और उदयपुर में भी पीने के पानी के कारण से बीमारी फैले। अगर डॉक्टर बीमारी का लक्षण नहीं जानेंगे तो डाइग्नोसिस करेंगे कैसे सही तौर पर। इसलिये मेरा कहना यह है कि जो तथ्य बतला रहा हूं मैं वे उनके ही दिये हुए हैं। फिर भी माननीय सदस्य ने जो अपने विचार व्यक्त किये हैं, मैं उनको उन तक पहुंचाऊंगा।

अब उनका जो यह कहना है कि पानी का फिल्टराइजेशन पूरी तरह से या ठीक तरह से नहीं होता है या क्लोरीनेशन नहीं होता है तो मेरी सूचना के अनुसार यह बात तो कम से कम सही नहीं है। फिल्टर बराबर होता है, क्लोरीनेशन बराबर होता है और इस चीज को भी समझने की कोशिश की गई है कि किस इलाके में बीमारी ज्यादा है और किस में कम और इन कम और ज्यादा के पीछे क्या कारण हैं। इन सब बातों को समझने की कोशिश की गई है। फिर भी जो सुझाव दिये गये हैं उसको ध्यान में रखा जावेगा और हमारी ओर से यह भरसक प्रयत्न होगा कि बीमारी की हर सूरत में रोकथाम हो।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा: यह ठीक है कि वायरस से पीलिया होता है और यह गन्दे पानी के साथ पीने के पानी का कन्ट्राक्ट होता है तो इसमें हो जाता है।

पर एक बात डॉक्टर लोग और भी कहते हैं कि एक्सेस मात्रा में अगर क्लोरीन डाली जाती है पानी में तो उससे भी वायरस पैदा होकर पीलिया फैल जाता है। यह दिल्ली का अनुभव है डॉक्टरों को भी और लोगों को भी। तो इस एपेडेमिक के फैलने में यह एक्सेस क्लोरीनेशन भी कारण है। इस बात की भी आप सावधानी रखें।

श्री हरिदेव जोशी: मैं इसको भी देखूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल: यह भी देखना होगा कि पोलिटिकल स्टडी के अनुसार यह पीलिया की बीमारी मार्च, 72 के बाद वहां शुरू हुई है जिसे स्कूलर शिक्षा के द्वारा ही दूर किया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष: विधायी कार्य। माननीय मंत्रीजी।

विधायी कार्य

व्यवस्था के प्रश्न नाहर समिति का प्रतिवेदन विधान सभा सदस्यों को वितरित न किये जाने सम्बन्धी

श्री केदारनाथ: ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर सर। इससे पहले कि माननीय मंत्री महोदय इसको विचारार्थ पेश करें राजस्थान प्रोड्यस मार्केट अमेण्डमेंट एक्ट के बारे में मेरा यह निवेदन है कि यह बिल 61 में सदन में पेश हुआ था। बाद में एक्ट के रूप में आया। इसके बाद जब राजस्थान सरकार ने सोचा कि इस मार्केट के रेगुलेशन में डिफिकल्टी हुई तो उसने कमेटी का निर्माण किया। जसवन्तसिंह नाहर के सभापतित्व में। इसने 68 में अपनी रिपोर्ट दे दी। दूसरी आसपास की स्टेटों में किस तरह से ऑपरेशन हो रहा है इसको देखकर जो अमेण्डमेंट्स करने थे जो फाइंडिंग इस कमेटी को देनी थी वह दे दी। मान्यवर, इस अमेण्डमेंट बिल के लाने से पहले उस कमेटी की रिपोर्ट का सबमिशन होना लाजमी था। जितने एक्सपर्ट थे उन्होंने अपने

(श्री केदारनाथ)

सुझाव रखे हैं, टाइम लिया है उसकी फाइनल रिकमन्डेशन हमारे पास न हो। यह लोकसभा में भी डिसकस हो चुका है। आज इस डिबेट में पार्टीसिपेट नहीं कर पायेंगे और न जस्टिफाइड है और पूरा जस्टिफिकेशन भी नहीं कर पायेंगे। मान्यवर, दूसरे लोकसभा में होल सेल ट्रेड के सम्बन्ध में कृषि मंत्री जी ने कहा है इसको बिना असाइन किये करेंगे तो उचित नहीं रहेगा। होल सेल ट्रेड में किसको रेसपोन्सीबिलिटि देने वाले हैं, उसका भी जिक्र होता। मैं आज मानता हूं टाइमली अमेण्डमेंट बिल है। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को निवेदन करना चाहता हूं आप जानकारी ले लें। क्या असाइन करने जा रहे हैं। कृषि उपज मण्डी का क्या रोल होगा। कल कन्सीडरेशन के लिये पेश कर दें। सारी जानकारी दे दें, किताब सरक्यूलेट कर दें ताकि डिबेट में अच्छा हिस्सा ले सकें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, नाहर कमेटी जो सन् 1967 में बनी थी उसने 68 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी और आज 73 के अन्दर साढ़े चार साल से अधिक हो गये नाहर कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत हो चुकी है और जैसा इसके स्टेटमेंट ऑफ ओबजेक्ट्स एन्ड रीजन्स हैं सारे हिन्दुस्तान में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बोर्ड बनाने के लिये हैं और दूसरे सब्सटेन्टिव अमेण्डमेंट करके प्रस्तुत किया गया है। आज स्टेट ट्रेडिंग का भी मसला है, हम उसके लिये भी ऐजेन्सी तलाश कर रहे हैं। व्हीट का डिस्ट्रिब्यूशन कर पायेंगे या नहीं इसलिये नाहर कमेटी की रिपोर्ट अपनी अहमियत रखती है। माननीय गंगानगर से आने वाले सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है—ये सारे अमेण्डमेंट हमारे पास आते, नाहर कमेटी की रिकमन्डेशन पहले पढ़ लेते और उसके बाद यह देखकर कि कितनी अमेण्डमेंट्स इसमें आ गई हैं। फिर भी यह बिल स्वागत योग्य है और टाइमली बिल है, इम्पारटेंट बिल है इसलिये हम नहीं चाहते कि यह बिल एक घंटे भी डेफर हो लेकिन इस बिल के सम्बन्ध में पूरी तैयारी होती तो इस सदन में सुझाव प्रस्तुत अच्छी तरह कर सकते थे। इसलिये नाहर कमेटी की रिपोर्ट का डिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत जरूरी है। गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है इस सदन में पेश हो और पूरी राय से पेश हो। मेरी भी यही राय है नाहर कमेटी की रिपोर्ट डिस्ट्रिब्यूट की जाय।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं भी निवेदन करना चाहूंगा। इसके उद्देश्यों और कारणों का जो विवरण दिया गया है सन् 1961 में यह विधेयक पेश हुआ और 24 नवम्बर, 1961 से यह लागू हो गया। इसके बाद जसवन्तसिंह नाहर साहब की 1967 में एक कमेटी बनी, 68 में उसने रिपोर्ट दी। सबसे बड़ा खेद का विषय है 73 में बहुत दिनों बाद इस विधेयक को यहां लाया जा रहा है और फिर भी खामियों के साथ। उसमें कहा गया है—नाहर साहब की अध्यक्षता में और सन् 1968 में अपनी रिपोर्ट उक्त अधिनियम की धाराओं में कतिपय सुधार करने के लिये सुझाव दिये। वे सुझाव क्या थे, यह माननीय सदस्यों को मालूम नहीं है। इस समिति की सिफारिशों को व्यापक रूप से संशोधन करने का मामला विचाराधीन है। इसका अर्थ है जो नाहर कमेटी बनी और जो संशोधन उसने रखे, उन्हीं संशोधनों को आज संशोधन रूप में लिया जा रहा है। बाकी संशोधन ज्यों के त्यों पड़े हैं। व्यापक संशोधन करने में थोड़े समय की सम्भावना है। कृषि

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

जोतों पर अधिकतम सीमा वाला बिल राष्ट्रपति के पास गया और उसमें कुछ कमियां रह गईं और फिर लाया गया और संशोधन किया गया और उसी भाषा के आधार पर यह लगता है। संशोधन बिल को पेश कर देने के बाद क्या सरकार वापिस संशोधन के साथ सदन में लाना चाहती है। बहुत देर से यह बिल लाया जा रहा है एक तो यह आपत्ति है दूसरी आपत्ति जो नाहर कमेटी की रिपोर्ट है उसमे जितने संशोधन दिये हैं उसका सबका एक साथ विचार किया जाना आवश्यक है। नहीं तो ऐसा लगता है राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद फिर संशोधन इस सदन में लाया जायेगा इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं सरकार जो जल्दी से इन विधेयकों को पास कराना चाहती है. वह उचित नहीं है। यह महत्वपूर्ण विधेयक है। कृषि उपज मण्डी सारी जगह होगी उसमें डाइरेक्टर होगा। एक बोर्ड बनाये जाने की आशा है। सरकार पहले इसकी स्टडी करे और जो नाहर साहब की कमेटी की जो रिपोर्ट है वह रिपोर्ट माननीय सदस्यों को वितरित हो जाय और सम्पूर्ण संशोधनों के साथ इस बिल को पेश करे तो उपयुक्त होगा वरना अभी संशोधन करना कोई महत्व नहीं रखेगा।

श्री शंकरलाल (कपासन) : उपाध्यक्ष महोदय, सन 1961 के बाद बहुत देरी से यह बिल लाया गया है लेकिन जहां तक नाहर कमेटी का प्रश्न है उसके स्टेटमेंट आफ आबजेक्टस एन्ड रीजन्स में जो बताया गया है नाहर कमटी की जो रिकमन्डेशन है उसके आधार पर कुछ अमेन्डमेन्ट्स लाये गये है अगर वह इनकारपोरेट नहीं हुये और संशोधन चाहते हैं तो संशोधन के रूप में ला सकते हैं लेकिन उसके आधार पर आज विचार स्थगित करना मेरे खयाल से उचित नहीं होगा क्योंकि यह बताया गया है:—

The Committee in its report submitted in the year, 1968 suggested certain amendments in the working of the said Act, it is under consideration to amend the said Act comprehensively.

इसलिये उसी के अनुसार लाया जा रहा है। जो सुझाव होंगे वे डिसकसन के बीच में दे देंगे लेकिन इसको स्थगित करना उचित नहीं रहेगा जबकि थोक व्यापार को हमने अपने हाथ में लिया है इसका स्थगित करना कतई उचित नहीं होगा......

श्री केदारनाथ : एक दिन के लिये स्थगित कर रहे हैं, रिपोर्ट मिल जाय तब तक के लिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, रिपोर्ट का पहले मिल जाना प्रॉपर था लेकिन इस बिल की अहमियत को महसूस करते हुये और हाऊस कल तक ही चल रहा है इसलिये यह बिल इस सेशन पास होना चाहिये खास तौर पर जब हमनें व्हीट के ट्रेड को टेक-ओवर किया है उसके इम्पलीमेन्टेशन के लिये यह ज्यादा अफेक्टिव कानून गवर्नमेंट के हाथ में हो जिससे टेक ओवर के प्रोविजन्स को ठीक तरह से लागू किया जा सके। मैंने बिल को देखा है उसके लिये आवश्यक है इसलिये बहुत उचित होता कम्प्रीहेन्सिव बिल होता, कमेटी की रिपोर्ट आ जाती लेकिन उस कमी के बावजूद यह बिल पास न हो हम यह नहीं चाहते जितने अमेन्डमेंट और सुधार हम डिसक्शन से कर सकते हैं कर लें। मैं गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य से भी निवेदन करूंगा इस बात के लिये एग्री कर लें क्योंकि वे भी टेक-ओवर के मामले

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
में एग्री करते हैं और चाहते टेक-ओवर हो। इसलिये यह बिल इस सदन में पास हो जाय इसलिये मैं इसके पोस्टपोन में एग्री नहीं हूं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री परसराम मदेरणा (कृषि मंत्री) : माननीय उपाध्यक्षजी, गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने, सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने और अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया है कि नाहर कमेटी की रिपोर्ट नहीं मिली, उन्हें। इसलिये वे अध्ययन नहीं कर सके हैं। नाहर कमेटी की जो रिकमन्डेशन्स थीं वह मण्डी कमेटीज फंक्शनिंग में जो कुछ कमियां थीं या जो उनके डे डे टू वर्किंग में डिफिकल्टी थी इस सम्बन्ध में थी। आज बिल इस सदन में आया है उसमें मण्डी कमेटी का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। उस समय नाहर कमेटी के सामने यह प्रश्न नहीं था। मण्डी कमेटीज के डेवलपमेंट के सम्बन्ध में, उसके फंक्शनिंग के बारे में, डे टू डे वर्किंग में डिफीकल्टी आ रही है उसमें हम यह महसूस कर रहे हैं अमेन्डमेंट होने जरूरी हैं और उतने ही अमेन्डमेंट लाये हैं।

नाहर कमेटी की कितनी बातें एक्सेप्ट कर ली जाय और कितनी बात अक्सेप्ट नहीं की जाय यह दूसरा प्रश्न है लेकिन राज्य सरकार इस बात के लिये एमरजेन्सी महसूस कर रही है और भारत सरकार ने बार-बार यह लिखा है इन मण्डियों का डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो फाइनेंशियल इन्स्टीटयूशन और भारत सरकार से जो वित्तीय सहायता मिल सकती है उस सम्बन्ध में कुछ रिसोर्सेज बनाने पड़ेंगे, अमेन्डमेंट लाइये, यह बात भी कही है। उपाध्यक्ष महोदय, बोर्ड के गठन की बात भी कही है। यह प्रश्न उस समय विचाराधीन नहीं था इसलिये मैं नाहर साहब की कमेटी की रिपोर्ट की प्रतिलिपि कितनी ही कोशिश करूं काफी बड़की रिपोर्ट है साइक्लोस्टाइल्ड कॉपी नहीं है, मैं कोशिश करूं तो भी कल 10 बजे पहले नहीं मिल सकती है। जिस परपज से पोस्टपोन करवाना चाहते हैं वह परपज पूरा नहीं होगा और यह इम्पार्टेन्ट बिल पास होने से रह जायगा। इसलिये मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि जो कुछ भी मैं अमेंडमेंट अलग अलग क्लॉजेज में लाया हूं 25-26 क्लॉजेज के अन्दर आप देखेंगे कि वह बहुत जरूरी अमेन्डमेंट्स हैं और उनमें कुछ तो डे टू डे वर्किंग के हैं, कुछ फंक्शनिंग के बारे में हैं और कुछ जो मण्डियों के डेवलपमेन्टल अस्पेक्ट्स के बारे में हैं इसलिये उस संबंध में इसको लाना जरूरी है ताकि जो कुछ रिपोर्ट मार्केटिंग डेवलपमेंट के लिये बनाई जा रही है और उसमें जो दिक्कत आ रही है उसको दूर किया जा सके। तो मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य यह स्वीकार करेंगे कि इसको आज ही पारित करना है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपकी बात स्वीकार है।

श्री केदारनाथ : मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सलाह भारत सरकार से कर-ली है कि जो आप होलसेल ट्रेड ले रहे हैं उसमें क्या जिम्मेदारियां असाइन करने जा रहे हैं यह क्लियर कर दें तो मैं वापिस ले लूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: उपाध्यक्ष महोदय, यह इंटेन्शन कतई नहीं है कि यह बिल आज सदन में पास नहीं हो। बिल के सारे क्लॉजेज मैंने देखे हैं और वह काफी यूजफूल

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

हैं और आज की स्थिति को देखते हुए हमारा प्रान्त वाइज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फील्ड बनाना बहुत आवश्यक है। जो दो एजेन्सीज हैं, वेयर-हाउसिंग कारपोरेशन या एफ. सी. आई. उसमें तीसरी एजेन्सी जुड़ जाती है तो वह भी एक वक्त की मांग है। इसलिये मुझे माननीय मंत्री महोदय ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कोई मन्शा नहीं है कि बिल इसी सदन में पास न हो और अगर कठिनाई आती है तो बिल पर आज ही बहस कर ली जाये और नाहर कमटी की रिपोर्ट बाद में भी जोड़ी जा सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपना प्रस्ताव वापिस लेते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मैं वापिस लेता हूं।

श्री केदारनाथ : आप होलसेल व्हीट का ट्रेड ले रहे हैं उसमें क्या रेस्पान्सीबिलीटीज असाइन कर रहे हैं इसके बारे में सेन्टर से कन्सल्टेशन कर ली है आपने?

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य शायद कुछ रोल असाइन करना चाहते हैं मार्केटिंग समितियों को। मण्डी समितियों को क्या रोल हम दे सकते हैं यह तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूज की बिक्री ठीक तरह से हो और प्रोड्यूसर का एक्सप्लाइटेशन नहीं हो और उसको सुविधायें मिलें यह हमारा मकसद है। इनको हम क्या रोल दे सकते हैं? परचेज वगैरह का भी जो रोल है वह तो कोआपरेटिव सोसाइटीज को देने की बात समझ में आती है लेकिन मार्केटिंग सोसाइटीज जो कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को बिकवाने का प्रश्न है उसको बिकवाने की जो एज-ओल्ड प्रेक्टिस थी उनको रिमूव करने के लिये ही तो मैं एक्ट लाया था सन् 1961 में और इसके वर्किंग में डिफिकल्टी महसूस की गयी। इसमें कुछ प्रोवीजन्स तो ऐसे हैं कि लाइसेंन्स होल्डर, या नान लाइसेंन्स होल्डर मार्केट यार्ड के अन्दर गड़बड़ी करेंगे तो उनको बाहर फेंका जा सकता है। आज भी आप देख रहे हैं कि जो होल-सेलर्स है वह किस तरह से गलत प्रचार कर रहे हैं। इसलिये कुछ स्ट्रिन्जेन्ट प्रोवीजन्स किये हैं कि उनको मण्डी कमेटीज में नहीं घुसने दिया जाय।

दूसरे होलसेल ट्रेड को लेने का सवाल है इसमें तो प्रक्योरमेन्ट प्राईस फिक्स कर दी है। इसमें नीलाम वगैरह का भी प्रश्न नहीं है और पर्टीकुलर प्राईस के ऊपर जिसका ग्रेडेशन तय कर दिया जाय, स्पेसिफिकेशन तय कर दिया जाय उसी प्राईस में राज्य सरकार खरीदेगी। इसलिये इस एक्ट में जो प्रावधान है वह सबजेक्ट टू दी आर्डर है। यह भी मैंने प्रोवीजन निकाला है। राजस्थान व्हीट रेगुलेशन ऑफ ट्रेड ऑर्डर 1973 इसके सेक्शन 30 में इस बात का प्रोवीजन रखा है क्योंकि मण्डियों में जो भी माल आता है एग्रीकल्चरल प्रोडयूस का वह कम्पीटीटिव रेटस पर आक्शन के ऊपर जो हाइएस्ट बिड देगा वह खरीद सकेगा। इसलिये मैंने रेस्ट्रिक्शन डाली है कि यह पद्धति नहीं नहीं रहेगी ताकि एसेन्शल कमोडिटीज एक्ट में प्रावधान है राज्य सरकार को या केन्द्रीय सरकार को कि कोई भी कानून आवश्यकता पड़ने पर आपरेटिव हो जायगा। इसलिये जहां तक यह क्लाज है मण्डी कमेटी के अन्दर या राजस्थान एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट में यह प्रोवीजन है इसको भी इफेक्टिव बनाया है। अब हम उनको क्या रोल दे सकते

(श्री परसराम मदेरणा)

ह वह अलग से वाडीज हैं। यह हम बहुत बड़ा चेन्ज करने जा रहे हैं और इसको सफल बनाने क अंदर मण्डी कमेटीज बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती हैं और काश्तकार जब कि आजकल मण्डीज में आ रहे हैं तो सीधा माल लाने में और मंगवाने में और हमारी अरजेन्सी जो खरीद की है उसके अन्दर कोई दूसरा बीच का आदमी किसी तरह से गलतफहमी नहीं कराय, उनको प्राइस इमीडियटली मिल जाय और जिनको प्राइस नहीं मिल रही है या कीमत मिलने में थोड़ी देरी हो रही है तो इमीडियेटली प्राईस दिलवायें और उनका माल जिस ग्रेडेशन का है वह उनका माल जाय, यह रोल है उनका।

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था संबंधी प्रश्न पर व्यवस्था।

प्रस्तुत विधेयक के संबंध में जो व्यवस्था का प्रश्न गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने और हवा महल से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाया—माननीय सदस्य श्री नाहर की अध्यक्षता में 1968 में एक समिति इस संबंध में स्थापित की गयी थी जिसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है लेकिन उक्त विधेयक के साथ ही उद्देश्य एवं कारणों का विवरण है उसको पढ़ें और उसमें विशेष रूप से इस बात को लिखा गया है कि यह मौजूदा संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है सदन में वह वास्तव में समिति के प्रावधानों पर आधारित नहीं है और यह सब कुछ लिखा है।

इस समिति की सिफारिशों के आधार पर इस अधिनियम में व्यापक रूप से संशोधन करना विचाराधीन है चूंकि व्यापक संशोधन करने में कुछ समय लगने की सम्भावना है और चूंकि इस अधिनियम में कुछ सारभूत मांगों में तुरन्त सुधार किया जाना आवश्यक है, अतः यह उचित समझा गया है कि ऐसे संशोधन, जो महत्वपूर्ण हैं और जिनकी तुरन्त आवश्यकता है, इस बीच पुरःस्थापित कर दिये जायें। मण्डियों के विकास के लिए आवश्यक कदम उठाने और विश्व बैंक से और अन्य वित्तीय एजेन्सियों से वित्तीय सहायता लेने के लिए भारत सरकार के बारबार अनुरोधों के प्रत्युत्तर की दृष्टि से भी इस अधिनियम के विद्यमान उपबन्धों का संशोधन करना आवश्यक समझा गया है।

इन कारणों को गौर करने के पश्चात में आवश्यकता है कि इस विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व नाहर कमेटी की रिपोर्ट का सरकुलेशन आवश्यक नहीं था। यह विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है और विचारार्थ लिया जा सकता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री महोदय इस विधेयक को विचारार्थ करने के लिए पेश करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव: आपने यह कहा है कि इसका आधार नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष जी यह प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है मेरा निवेदन है कि नाहर समिति की रिपोर्ट के आधार पर जो संशोधन किये हैं, वह जो कमेटी ने सिफारिश की है उन्हीं में से संशोधन को लागू कर रहे हैं इसलिए यह कहना कि नाहर कमेटी का कोई संबंध नहीं है मैं समझता हूं कि यह गलत है या ठीक है, रिपोर्ट नहीं दे सकते हैं और उसमें समय लग जायेगा यह ठीक है लेकिन आसानी से जो आज हम पास करना चाहते हैं मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है...

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रश्न बाद में आयेगा विचारार्थ प्रस्ताव आये तब कह दें। यह स्टेज इस समय नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : सरकार इसको जल्दी पास करना चाहती है और मैं निवदन कर दूं कि जल्दी में पास करने का परिणाम यह होगा कि थोड़े दिनों के बाद वापिस इस सदन में संशोधन लाया जायेगा। इसलिए आपसे प्रार्थना की थी कि वह मिल जाय और नहीं मिलती तो ठीक है। वैसे मिलनी चाहिए।

राजस्थान कृषि उपज विपणि (संशोधन) विधेयक, 1973

श्री उपाध्यक्ष : विचारार्थ के लिये प्रस्ताव करें।

श्री परसराम मदेरणा : नाहर कमेटी की रिकमण्डेशन्स जो भी....

श्री उपाध्यक्ष : वह आ चुकी है....

श्री परसराम मदेरणा : उनमें कुछ को मैंने 7 और 8 में इनकार्पोरेट किया है, बाकी सारी रिकमण्डेशन को लाने में अभी काफी समय लगता और यह आवश्यक हो गया था कि जो कुछ वाईटल इम्पोरटेंस के संशोधन करना आवश्यक हैं उनको फौरन किया जाय, उनको पोस्टपोन्ड नहीं किया जा सकता था और इसीलिये यह बिल लाया गया है, और इसीलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कृषि उपज विपणि (संशोधन) विधेयक, 1973 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनाराण चौधरी। (अनुपस्थित)

श्री गुरदयालसिंह संधु।

राजस्थान कृषि उपज विपणि (संशोधन) विधेयक, 1973 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव

श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रस्ताव है कि कृषि उपज विधेयक, 1973, संशोधन विधेयक को जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जावे मैं यह मान कर चलता हूं कि यह जो इस वक्त बहुत बड़ी जरूरत है कि यार्ड बनाया जाना चाहिये लेकिन जो फण्डामेंटल एक्ट है, उसमें इतनी खामियां हैं कि अगर वह पूरी नहीं की गई तो जिन लोगों के लिये यह कानून बनाया जा रहा है उनको अगर पूरी तरह से राहत न मिल सके तो इसका लाभ नहीं होने वाला है। मैं उस पर थोड़ा आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि जैसा कि फण्डामेंटल एक्ट में है, यार्ड हमारी मण्डियों से जुड़ा हुआ हो। बीस-बीस तीस-तीस मील से किसान अपनी उपज लेकर आते हैं। पड़ौसी राज्य हरियाणा और पंजाब में वहां मार्केटिंग कमेटीज के अन्दर यह प्रावधान है कि टेम्परेरी यार्ड बना सकते हैं। इस एक्ट में कोई प्रावधान नहीं है। कोई टेम्परेरी यार्ड नहीं बनाया जा सकता है और मण्डियों के अलावा अनाज नहीं बेचा जा सकता है। जबकि पड़ौसी राज्य में हर गांव में अनाज बेचने की सुविधा पैदा की जाती है और वहीं से स्टाक किया जाता हैं या सरकार खरीद करती है तो वहीं से गेहूं उठा ले जाती है और लोगों को करेंज आदि की सुविधा मिलती है। इसलिये इस बिल में यार्ड का प्रबन्ध करने के बारे में कोई प्रावधान नहीं है कि मार्केटिंग कमेटीज को टेम्प्रेरी यार्ड मंजूर करने का अधिकार है, जो होना चाहिये।

(श्री गुरबयालसिंह संधु)

जहां तक इस कमेटी को बनाने का प्रश्न है कम से कम मैं यह देखता हूं कि जो सैकिंड क्लास लोग हैं, जो नोकर लोग हैं, जो हरिजन लोग हैं उनको वहां इलेक्शन लड़ने का अधिकार नहीं है। इलेक्शन का तरीका बिल्कुल गलत है। 20-20, 25-25 मील से माल लाकर हम ट्रोलीज, कार में भर कर लाते हैं लेकिन उनको लौटा दिया जाता है। कोई सिंगल वोट कांस्टीट्एंसी नहीं है, ना कोई हरिजनों के लिये कोई रिप्रजेन्टशन ही दी गई है, दो सैकिंड क्लास लोग हैं, नौकर हैं, ठेलेवाले हैं, दूसरे लोग हैं उनकी अलग कांस्टीट्एन्सी बनाई जानी चाहिये। और इसके अन्दर बनियों को अधिकार ज्यादा दिया गया है। वहां किसी तरह के आर्बीट्रेटर के दो आदमी होते हैं और दो आदमी यार्ड से लिये जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि लोकल कांस्टीट्यूएंसी से दो आदमी लिये जाते हैं। आप यह कहेंगे कि जिसके पास लाइसेंस है वह लड़ा नहीं हो सकता लेकिन होता यह है कि जो भी खड़े होते हैं उन बनियों के ही आदमी होते हैं। उनके द्वारा ही चुने जाते हैं, उनके ही आदमी होते हैं और उनके हकों के लिये वे काम करते हैं। एक आदमी गवर्नमेंट का नोमीनेटेड होता है। पांच आदमी होते हैं उनमें से अगर एक आदमी को भी अपनी तरफ ले लें तो उनकी मेजोरिटी बन जाती है। इसलिये इस मार्केटिंग कमेटी के अन्दर किसानों को रिप्रजेन्टेशन बहुत कम मिल रहा है।

इसके अलावा मैं यह अर्ज करूंगा कि अपने पड़ौसी राज्य में जहां पहले से ही कमीशन का एक रुपया है, अपने यहां 1 रुपया 25 पैसे कमीशन है जिसको घटा कर एक रुपया कर रहे हैं जब कि पड़ौसी राज्य में पहले से ही एक रुपया है। लेकिन वहां पर एक रुपया कमीशन जो खरीदता है उससे लिया जाता है। हमारे यहां पर कैरेज चार्जेज भी बहुत ज्यादा हैं। अब जो हमारे यहां पर परचेजिंग करने जा रहे हैं 76 रुपये प्रति क्विंटल में उसमें से एक रुपया कमीशन का हमारे से काटा जाएगा जब कि पड़ौसी राज्यों में एक रुपया जो है वह खरीदने वाले को देना पड़ता है। इसके अलावा 55 पैसे और खर्चा आता है जब कि मण्डियों में कोई रिलीफ नहीं मिल रही है। 25 पैसे तुलाई का लगता है। अगर एक बोरी मूंगी भरी जाय तो एक बोरी का 62 पैसा या 65 पैसा खर्च आ रहा है जब कि पड़ौसी राज्य हरियाणा और पंजाब में 10 पैसा खर्च लगता है। यहां 62 पैसा और वहां पर 10 पैसा। यहां पर 30 पैसा सैकड़ा खर्च आएगा और वहां पर 12 पैसा बोरी का खर्च आएगा। इस तरह से जो किसान पर खर्चा पड़ता है वह बहुत ज्यादा है। इसके अलावा सेफगार्ड भी नहीं है। कोई मार्केटिंग कमेटी को यह अधिकार नहीं है कि कोई चैकअप करे मंडियों का। बनिया यह कहता है कि जब तक किसान फसल साफ नहीं करेगा तब तक हम इस फसल को उठायेंगे नहीं या फिर 32 पैसे दो। 32 पैसे लेकर 16 पैसे बनिया रखता है और 16 पैसे गरीबों को देता है। इस तरह से अनाज साफ करने के नाम पर 32 पैसे का खर्चा उस पर और लग जाता है। 32 पैसे उसमें से काट लिया जाता है। इस बिल में इसका कोई प्रावधान नहीं है, नहीं सेफगार्ड है कि जिससे यह चीज हटाई जा सके।

इसके अलावा मौके पर यह होता है जिसका मैं जिक्र करूंगा कि वहां पर फार्म नम्बर 6 पर तीन फार्म निकाले जाते हैं और इसमें यह है कि जब पेमेंट करेंगे तो उसमें

(श्री गुरदयालसिंह संधु)

से हमारा 1 रुपया 25 पैसे कमीशन का देते हैं उसमें से दस आने इसलिये देते हैं कि उसी दिन पेमेंट करेंगे, उसके इंटरेस्ट के रूप में दिया जाता है। लेकिन यह सवा रुपये से एक रुपया जो होने वाला है उसको देने के बाद भी आठ आठ दिन तक पेमेंट नहीं हो रहा है। यह पेमेंट जो है माल की तुलाई हो जाने के बाद ही हर हालत में जो खर्चा नम्बर 6 है और जिसमें से तीन पर्चे काटे जा रहे हैं यह उसी वक्त पेमेंट दिया जाना चाहिये। उसी वक्त उसका पेमेंट हो जाना चाहिये बिना खर्च। मार्केटिंग कमेटी को अधिकार नहीं है कि इस मामले में उनको मजबूर करे। आज जो स्थिति हो रही है उसमें किसान को पेमेंट नहीं हो सकेगा।

इसके अलावा किसान स्टाक करता है अनाज को ले जाकर, तरीका यह है कि जो माल वहां स्टाक किया जाएगा उस माल को तोल कर बनिया अन्दर रखेगा और उसकी पर्ची काटेगा और एडवांस मनी देगा और उस एडवांस मनी की अकाउण्ट बुक बनाएगा। लेकिन इस प्रकार की कोई अकाउण्ट बुक नहीं बनाई जा रही है और वहां जो स्टाक में माल रखा जाता है उस पर तरह 2 खर्चे आते हैं और मंडियों में अनाज कई 2 दिन तक नहीं बिकता। यार्ड इतने छोटे हैं, गंगानगर मंडी में इस साल जब कि नर्मे की फसल आई तो यार्ड में जगह नहीं मिलने के कारण पब्लिक पार्क में ढेरियां लग गई और कानून के मुताबिक कोई बोली नहीं लग सकी। कानून के अनुसार यार्ड से बाहर कोई बोली नहीं लग सकती। लेकिन जगह नहीं थी इसलिए बाहर ढेरी लगानी पड़ी। मैं यह अर्ज करूंगा कि यह जो फण्डामेंटल कानून है उसमें बहुत बड़ी खामियां हैं, उन खामियों को जब तक दूर न किया जाय, पेमेंट का पूरा प्रावधान न किया जाय, जब तक तुलाई का प्रबन्ध न किया जावे, तुलाई में यह है कि एक क्विन्टल के साथ दो सौ ग्राम और फालतू डाला जाता है। और कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है मैं यह अर्ज करूंगा कि .....

श्री श्रीनिवास शारदा : उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य फर्मा रहे हैं मेरे ख्याल से एक्ट में तो यह है जो शिकायत आपको है, वह सारा का सारा प्रावधान है। एक्ट के रूल के बिना कोई पैसे का चुकारा नहीं ले सकता है और न एक्ट के अन्तर्गत कोई भी आदमी बेशी माल ले सकता है। वहां की जो लोकल कमेटी है के स्वयं के बायलॉज होते हैं। बायलॉज में एक्ट की मंशा के खिलाफ प्रॉवीजन नहीं कर सकता है। जो लोकल कमेटियां हैं उनके देखरेख की आवश्यकता है।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : मैं वे खर्चे बता रहा था जो कि बाइलाज अलाउ कर रहे हैं। मैं उसके लिये कह रहा हूं वे उसमें है। पंजाब में एक्ट बना हुआ है। यह बाद में हुआ है। यह विशेष है कि बायर को नहीं जाएगा, खरीदने वाला देगा। बेचने वाला नहीं देगा। इसमें कोई प्रावधान नहीं है। बायर रखेगा। मैं यह अर्ज कर रहा था कि 55 पैसे जुड़ गया है नये खर्चे को जोड़ दिया गया है। इसके लिये अर्ज कर रहा था। 55 पैसे जायज है या नाजायज है, यह गलत है। मैं यह अर्ज कर रहा था कि पेमेंट 24 घंटे बाद मिलता है। पैसा नहीं होता है। फार्म नम्बर 6 पंजाब में पेमेंट के बिना जारी नहीं किया जाता है। कोई कारण नहीं है। कम्पाउन्ड इन्टरेस्ट लगा कर हर फर्म पर कर्जा काट लिया जाय।

(श्री गुरदयालसिंह सन्धु)

कोई ऐसा कानून नहीं है लेकिन इस एक्ट में खामी है। यह एक्ट में होना चाहिये कि इसका पेमेंट उसका बिक जाने के बाद आखिर में वह दिया जाना चाहिये। फार्म नंबर 6 दिया जाना चाहिये। ऐसा होना चाहिये जब पेमेंट किसान के पास पहुंच जा फार्म नंबर 6 भेजी जाए। मार्केटिंग सोसाइटी को एक सेक्रेटरी को रखने का अधिकार है। वह सेक्रेटरी लिखता है, किस वजन का है, किस का है। किस को बेचा गया है। उसकी तुलाई हो रही है। वह उसको चेक नहीं कर सकता है। तुलाई को चेक करने के लिये इन्सपेक्टर होना चाहिये। वही जाकर के तुलाई को चैक कर सकता है वरना तुलाई चेक नहीं होगी। किसान पढ़ा लिखा नहीं है। वह हर काम को नहीं कर सकता' है। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि फन्डामेन्टली इस एक्ट में खामियां है। इसलिये इन खामियों को दूर करने के लिये इसे जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: श्री विजयसिंह।

श्री विजयसिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोलना नहीं चाहता।

श्री उपाध्यक्ष: श्री दीपंकर।

श्री दीपंकर (लाडनू) : उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक कितना सामयिक है। एक तरफ जब हम समाजवादी समाज की रचना की बात करते हैं और धान जैसे व्यापार को भी सरकार अपने हाथ में लेना चाहती है तो काश्तकारों की उपज को सहकारिता के आधार पर बनायी गयी मंडियों के बाजार में लाकर बिकवाएं, यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण है। परन्तु इस प्रकार की मंडियों का निर्माण किस आधार पर हो, यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। इस विषय में सरकार का चिन्तन स्पष्ट होना चाहियें। आज जबकि हम व्यापार को अपने हाथ में लेने जा रहे हैं इन मंडियों का निर्धारण करने के पूर्व इस तरह की हमारी कोई एजेन्सी नहीं है। कहां कहां ये मंडियां होना उपयुक्त है यह भी मालूम नहीं है। सरकार ने एक बार घोषणा की थी कि राजस्थान के अमुक अमुक शहरों में ये स्थान मंडियों के लायक है और सरकार इन शहरों को मंडियों के लायक उपयुक्त समझती है। बाद में यह घोषणा धरी रह गई और दो तीन शहरों को मिलाकर कृषि उपज मंडी का स्थान बना दिया। इस तरह दो तीन तहसीलों को सम्मिलित कर देना एक जगह मार्केट होना और उन दोनों को मिलाकर कृषि उपज मंडी बनाकर वह उसकी व्यवस्था देखे यह यह संभव नहीं है। इसलिये जहां सभी तहसीलों के हैड क्वार्टर्स हैं वहां यह होना चाहिये। इसके लिये एक व्यापक दृष्टिकोण होना चाहिये कि इस प्रकार हर जगह मौजूद हो। काश्त हर तरह की पैदा होती है तो उस काश्तकार का शोषण नहीं हो सके। व्यापारी भी आज हर जगह मौजूद हैं और काश्तकार का शोषण कर रहा है। चाहे कितनी ही कृषि उपज मंडी बनाकर कोशिश करें। कृषि उपज मंडी में अनाज ले जाएं लेकिन वहां पर भाव पूरा नहीं मिले और वह माल भी बिचौलियों को चला जाता है। परन्तु जैसी कि परिस्थिति है, इसमें कोई शक नहीं है कि काश्तकार को प्रतिनिधि चुना है। अभी साधारण काश्तकार प्रतिनिधि चुने जा सकें और चुनाव में भाग ले सकें यह कतई नामुमकिन है। पंचायत समितियों के चुनाव को हम देखते हैं, तीन चार महीने का समय लग जाता है

(श्री दीपंकर)

और वह हजारों की तादाद में होता है। यह एक खर्चीली पद्धति है। इसलिये तहसील हैडक्वार्टर पर मंडियां हों, चाहें उसका छोटा स्वरूप हो, वहां जो भी उपज होवे हम उसको व्यापारी तक न जाने दें और वह कृषि उपज मंडी के माध्यम से काश्तकारों से सीधा सम्बन्ध करा दें। सरकार ने जो मंडियों के कायम करने की घोषणा की है, उदाहरण के तौर पर एक पुरानी लिस्ट की और, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। लाडनू की एक मंडी थी परन्तु यह कह कर कि इतना हजार मन, इतना पैदावार नहीं है वहां पर मंडी नहीं होगी। यह इधर नहीं होनी चाहिये। गांवों को जब हम देखते हैं, लाखों की तादाद में वहां से रेवेन्यू आती है। लाखों की तादाद में रेवन्यू देते हैं तो उपज भी करते हैं। वह उपज मंडी में आनी चाहिये। वे उपज करते हैं। जरूरत की चीज वहां पर बिक सकती है। हमारी ऐसी मंडियां के तहसील स्तर पर होने से प्रत्येक का सम्पर्क नहीं होता है और काश्तकारों का परम्परागत शोषण करने वाले व्यापारी से सम्पर्क होता है। जहां-जहां भी मंडियां हैं वहां पर लाइसेन्सशुदा दुकानदार ही घुस जाते हैं आज के इन चुनाव में पैसा भी वे ही लगाते हैं छिपे तौर पर इन मंडियों के इलेक्शन वे ही करवाते हैं और धान भी उन्हीं के पास पड़ा रहता है। उनकी ताकत नहीं है। समय पर वे मूल्य नहीं चुका पाते हैं। वही पुरानी एजेन्सी काम करती है। वे इस तरह की पद्धति अपनाते हैं कि इसको फेल करें। आज इस विधेयक में यह जो संशोधन आया है यह बड़ा प्रशंसनीय है। भारत सरकार का यह सही डाइरेक्शन है कि इन मंडियों में जब तक रकम की व्यवस्था नहीं होगी इनका विकास नहीं हो पाएगा। इसके लिये चाहे आप वर्ल्ड बैंक से रकम लें, चाहे राष्ट्रीयकृत बैंक से लोन लें, या और कोई ऐजेन्सी हो परन्तु जब तक ये संस्थाएं स्वावलम्बी नहीं होंगी यह कार्य सफल नहीं होगा। आज तक यह स्थिति थी कि बराए नाम मंडी में काश्तकारों का अनाज रखवा लेते थे और रकम की व्यवस्था वे नहीं कर पाते थे। रुपया भी महाजनों से लिया जाता था। इस तरह की व्यवस्था मंडियों में चल रही है। तो अब इस तरह की व्यवस्था इन मंडियों में हो तो अच्छा रहेगा। जो कुछ भी नाहर साहं ने सजेशन दिया है वे अच्छे हैं परन्तु सरकार उनको पूर्ण रूप से इस बिल में सम्मिलित नहीं कर पायी है। फिर जितना भी संशोधन सरकार ने किया है वह प्रशंसनीय है। मैंने इसको पढा है। बड़े आमूल चूल परिवर्तन की यह नाहर कमेटी की रिपोर्ट है। इस संशोधन से प्रान्त के काश्तकारों का हित होगा, मंडियों का हित होगा और उनका पूर्ण विकास होगा। यही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस बिल को जनमत जानने हेतु परिचालित करने के लिये निवेदन किया है। मेरा इस सम्बन्ध में यह सुझाव है कि कृषि उपज मंडी कमेटी में नगरपालिका का एक सदस्य, व्यापारियों के दो, पंचायत समिति के एक, कोआपरेटिव बैंक के दो, एस० डी० ओ०, बी० डी० ओ० एक एक। इसमें जो व्यवस्था की है कि विधान सभा का सदस्य सब जगह होना आवश्यक है परन्तु इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों

Page No. 72

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

के लिये प्रावधान नहीं रखा है। दसरा सुझाव यह है कि जो पल्लेदार लोग हैं उनका भी इसमें प्रतिनिधित्व होना चाहिये और जो दलाल लोग हैं उनके प्रतिनिधित्व के लिये भी व्यवस्था होनी चाहिये मंडी कमेटी में। इस प्रकार की व्यवस्था कराना चाहता हूं राज्य सरकार द्वारा जो बोर्ड बन रहा है उसमें। अब तो मैं निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार आपने 18 वर्ष के व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार रखा है किसान के लिए यदि इस प्रकार का प्रावधान लोक सभा और विधान सभा में रखें क्योंकि आप एक कानून में यह रखना चाहते हैं......

श्री उपाध्यक्ष: यह तो आप पार्लियामेंट में जायें तो सुझाव देना।

श्री गिरधारीलाल भार्गव: पार्लियामेंट में जाने कहां देंगे आप।

18 वर्ष के व्यक्ति के लिए आपने मताधिकार यहां पर रखा है तो 18 वर्ष के व्यक्ति को मताधिकार लोक सभा और विधान सभा में जोड दें तो ठीक हो। चौथे में यह आपने लिखा है, रिट्रास्पेक्टिव आपरेशन का आपने रखा है तो यह रिट्रास्पेक्टिव आपरेशन आपको नहीं रखना चाहिए।

इसी प्रकार से इसमें जो 3 (ए) पहले की क्लाज है जो मूल एक्ट की है इसमें तीन महीने का प्रावधान था तो वह तीन महीने का प्रावधान आपने इसमें नहीं रखा है।

अब यह निवेदन करना चाहता हूं कि (4) (2) के लिए shall not be called in any question by the court इसका अर्थ यह होगा कि अदालत में आदमी नहीं जा सकता तो अदालतें बेकार होंगी। इस प्रकार का प्रावधान रखें तो कोई भी व्यक्ति अदालत की शरण में नहीं जायगा यह उचित नहीं है।

इसके बाद में जो 17 नवम्बर का है उसमें 25 नये पैसे से आपने अधिकार दे दिया है 1 रुपये तक टैक्स लगा सकते हैं। यह किसी प्रकार से ठीक नहीं है।

इसी प्रकार से बोर्ड के कम्पोजिशन में है। मैंने जैसा कि पहले निवेदन किया है विधायक को और एक आदमी अनुसूचित जाति और जनजाति में से और पल्लेदार और दलालों में से भी एक आदमी को जोड़ना चाहिए। वहां पर आपने लिखा है वन इकोनामिस्ट फ्रोम एनी आफ दी युनिवर्सिटीज टू बी नोमीनेटेड। जैसा कि सरकार का सिन्डीकेट में एक शिक्षा विशेषज्ञ को नियुक्त करने का अधिकार दिया था और राजस्थान कालेज के एक लेक्चरार को नियुक्त कर दिया गया तो ऐसे ही नियुक्त कर दिया एक लेक्चरार को तो वह शिक्षा विशेषज्ञ हो गया। आपने नियुक्त कर दिया क्यों कर दिया क्योंकि वह एक मन्त्री के रिश्तेदार हैं इसलिए नियुक्त कर दिया। इसी प्रकार से एक एम. एल. ए. हैडमिस्ट्रेस को शिक्षा के नाम पर नियुक्त कर दिया। इस प्रकार से अपने चहेते लोगों को ओब्लाइज करते हैं उसके आधार पर तो मन्शा दूसरी है। तो इस प्रकार के अधिकार आप को नहीं लेने चाहिए, और यदि आप अधिकार ले रहे हैं और वहां पर इस प्रकार के इकोनोमिस्टों को आपको लगाना है तो किसी अच्छे आदमी को आप लगायें।

इसी प्रकार "election of a member in the prescribed manner."

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

मैं इसमें निवेदन करूंगा कि सिविल कोर्ट या ट्रिब्यूनल को इस प्रकार से अधिकार दें तो यह मुनासिब होगा ।

अब मैं यह आपसे निवेदन करना चाहता हूं और विशेष कर जयपुर शहर के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर में एक ही जोन, एक ही कृषि मार्केट एरिया होना चाहिए लेकिन जयपुर में इस प्रकार का आप शुरू नहीं करना चाहते हैं । एक तो आप बना रहे कानून और दूसरा होगा, माननीय उपाध्यक्ष, रूल्स और तीसरे होंगे बाईलाज । मन्डी कमेटी में तीन प्रकार की व्यवस्थायें होगी जयपुर में और यह नोटिफिकेशन निकाला है उसके हिसाब से यहां पर एक कृषि मन्डी कमेटी होना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार ने 18 मार्च, 1967 को गजट नोटिफिकेशन के नं. एफ ।-9।एफ. में जयपुर में एक ग्रेन-मन्डी होगी नं. एफ।10।एफ एग्रीकलचर बी-28-6-66-डेट ऑफ पब्लिकेशन 4-8-66 में जयपुर में एक तो बना दी नाज मन्डी, ग्रेन मन्डी और दूसरा इसका नोटिफिकेशन है 23 नवम्बर का उसमें जयपुर में आपने फ्रूट मन्डी और बना दी तो जयपुर के साथ में ही ऐसा क्यों ? भारतवर्ष में कहीं पर भी चले जायें वहां पर कृषि मन्डी ही बनी है लेकिन जयपुर का दुर्भाग्य रहा कि जयपुर में कृषि मन्डी और जयपुर में फ्रूट मन्डी भी आपने बना दी । दोहरी व्यवस्था सारे भारतवर्ष में जयपुर के लिए ही की जाय । गजट नोटिफिकेशन राजस्थान राज-पत्र मार्च, 67 का मौजूद है । इसमें इस प्रकार की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, और उसका परिणाम यह होगा कि इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होने के कारण हाई कोर्ट में मुकद्मे चल रहे हैं । सिविल कोर्ट में मुकद्मे चल रहे हैं। न तो फ्रूट कमेटी काम कर रही है और न आपकी कृषि उपज मन्डी काम कर रही है

इसके बाद राज्य सरकार ने क्या किया कि सारे मेम्बर्स राज्य सरकार ने नोमीनेट कर दिये । राज्य सरकार को सभी मेम्बर्स नोमीनेट करने का अधिकार नहीं है । अलवर में इस प्रकार का किस्सा किया तो परिणाम यह हुआ कि हाई कोर्ट में गये और इंजक्शन ऑर्डर ले आये और राज्य सरकार का आर्डर निरस्त हो गया । इस प्रकार आज हालत यह हो गयी कि आपने जयपुर में इन्तजाम किया वायस-चेयरमैन का । चेयरमैन ने इस्तिफा दे दिया तो वायस-चेयरमैन बना दिया तो उसने काम नहीं किया । कलेक्टर ने मीटिंग बुलाई तो एक मेम्बर ने कह दिया कि कलेक्टर को मीटिंग बुलाने का कोई अधिकार नहीं है । उन्होंने नियम बना दिये तो उन नियमों के आधार पर वह कोर्ट में चले गये । कमेटी का काम नहीं चल रहा है । जयपुर में यार्ड नहीं है । किसान पहले चुंगी तो अलग दे और मन्डी बना रहे हैं किसान वहां पर जाकर दूसरे टैक्स देगा । मैं यह निवेदन करना चाहूंगा अपनी जानकारी के आधार पर कि नाथूरामजी जब कृषि-मन्त्रीजी थे तो उन्होंने यह फैसला कर लिया था कि यह व्यवस्था अव्यवहारिक है और यह व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए । 3 दिसम्बर, 66 को मन्त्रीमण्डल की मीटिंग हुई और यह निर्णय कर दिया गया था कि जयपुर में जो दोहरी व्यवस्था की गई है फ्रूट मन्डी के नाम पर फल-सब्जी के लिए अलग व्यवस्था की गई है उसको निरस्त किया जाय । क्या कारण है कि जयपुर में दो प्रकार की व्यवस्था चले जब कि इन्डियन सेन्ट्रल कमेटी ने सिफारिश की थी कि केवल अनाज के बारे में एक मण्डी कमेटी बनना चाहिए, फ्रूट के बारे में नहीं बनना

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
चाहिए, लेकिन जयपुर में इस प्रकार की व्यवस्था की है ।

दूसरा मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसी कमेटी ने यह सिफारिश की थी कि जहां पर नगरपरिषद् हो, नगरपालिका हो वहां इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए' और आज की जो व्यवस्था आपकी है कि जहां पर पालिका है वहां पर मन्डी कमेटी भी है तो इसका परिणाम जयपुर में यह होगा कि नगरपालिका के जो सब्जी मार्केट के आधीन हैं जो जमीन है वह नगरपालिका की है और नाज मन्डी और सब्जी मन्डी में जो दुकानें हैं वे राज्य सरकार के इस कानून के पास हो जाने के बाद राज्य सरकार की हो जायेंगी और नगरपालिका की करोड़ों रुपयों की सब्जी मन्डी बनी हुई है, दुकानें हैं और नाज मन्डी में दुकानें हैं वे राज्य सरकार अपने हाथ में ले लेगी। नगरपालिका की आर्थिक हालत पहले ही खराब है और दुकानों से जो किराया प्राप्त होता है और किसानों से जो आय होती है और नाज के व्यापारियों से होती है वह उसके हाथ से चली जायेगी। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दिल्ली तो एशिया की बहुत बडी मन्डी है वहां पर भी फ्रूट मन्डी कमेटी के नाम से किसी प्रकार की अलग-अलग व्यवस्था नहीं है। आखिर में जो फ्रूट जयपुर शहर में बिकने के लिए आते हैं वह जयपुर में पैदा नहीं होते हैं वह राजस्थान के कई अन्य स्थानों से माल्टा, चीकू, केले, संतरे वगैरह बिकने आते हैं। यह जयपुर की प्रोडक्शन नहीं है। उन पर मेड इन जयपुर की छाप नहीं लगी होती है। तो यहां पर फ्रूट मन्डी की व्यवस्था क्यों की है ?

तो अधिनियम की धारा (4) में यह किया है कि व्यापारी को लाइसन्स देते हैं कि उसकी गलती पर उसको सस्पैन्ड या कैन्सिल किया जा सकता है। यह सरकार ने बहुत बड़ा अधिकार अपने हाथ में ले लिया है। व्यापार में उसी की पूंजी लगी हुई है और व्यापारी ने गरीब किसान को पैसा दे रखा है और यदि आपने व्यापारी के लाइसेन्स को सस्पैंड कर दिया तो उसका व्यापार तो चौपट हो गया, और किसान को जो पूंजी दे रखी है वह उससे उसको मिलेगी नहीं। इस प्रकार का अधिकार राज्य सरकार अपने हाथ में लेना चाहती है वह उचित नहीं है।

इसी प्रकार धारा 6 में आपने रखा है कि मार्केट एरिया होगा और इस प्रकार की दोहरी व्यवस्था नहीं होगी। यह अधिकार दिया था फिर जयपुर में दोहरी व्यवस्था क्यों की ? यह मैं आपसे निवेदन करूंगा।

इसके बाद राजस्थान एग्रीकल्चर प्रोड्यूस रूल्स 1963, नियम 31 (1) (5) के अनुसार व्यवस्था करने के लिए वहां पर तुलाईदार व्यक्ति नियुक्त किये जायेंगे। तो जिस व्यक्ति ने अपना जीवन खपा दिया है, जो आड़तिया का काम करता है, या जो नीलामकर्ता का काम करता है, या जो वर्षों से तोल-तोल कर अपना पेट भरता है, उनकी नियुक्ति का अधिकार, तुल्लारे की नियुक्ति का अधिकार आपने ले लिया है, उनकी आप नियुक्ति करेंगे और जो वर्षों से नीलाम करने का काम करते हैं, तराजू से तोलने का काम करते हैं, वह सब इस अधिनियम के आधार पर बेकार हो जायेंगे।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, नियम 31(1) (7) के अनुसार सब कार्यकर्ताओं के सब लाइसेन्स आप वापिस ले सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था की है। अब कौन-कौन से लेंगे, यह कृषि उपज मण्डी समिति (फल एवं सब्जी) की उपविधियां हैं, इसमें लिखा हुआ है, व्यापारी

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
से 50) रु. प्रति वर्ष, फुटकर व्यापारी, थड़ी व पक्की दुकान पर बेचने वाला 20) रु. प्रति वर्ष देगा, ठेले वाले, सड़क पर खुली ढेरी लगा कर या टोकरों में बेचने वाले 7)रु. प्रति वर्ष देंगे, साइकिलों पर टोकरा व झोला रख कर फेरी में बेचने वाले 2) रु. प्रति वर्ष देंगे। इसमें मण्डी में काम करने वाले दलाल, आड़तिया, तौलारा, गाड़ी वाले मय हाथ ठेले वाले, हमाल, सहकारी क्रय-विक्रय समिति–इन सारों पर लगा दिया है। इन सारे लोगों के ऊपर भयंकर टैक्स लगा रखा है प्रति वर्ष के आधार पर।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, आपने यह व्यवस्था की है चाहे सब्जी बेचे साइकिल पर, चाहे सब्जी बेचे ठेले पर, किसी प्रकार का सामान बेचे, उसको रजिस्टर रखना पड़ेगा, रजिस्टर में तमाम हिसाब रखना पड़ेगा लिखित, "एक अनुज्ञापत्रधारी, मण्डी कमेटी द्वारा निर्धारण के अनुसार सब लेन देन का नियमित लेखा रखेगा", सब्जी बेचने वाले के लिए आपने रखा है कि वह रजिस्टर रखेगा, सेक्रेटरी के दस्तखत होंगे, अध्यक्ष के दस्तखत होंगे। आप अन्दाज लगायें, जैसे आपने सेब और नमकीन बेचने वाले पर यह लगा दिया कि वह सेल्स टैक्स दे और उनके ऊपर यह लगाना चाहें, तो कोई धन्धा तो आप रहने दें, जो स्वच्छन्द रूप से अपना व्यापार कर सकें और अपने पेट का पालन कर सकें, या फिर सरकार को ऐसी गोली बना देनी चाहिए जिसे लोग खा लें और उन लोगों को भूख नहीं लगे। ऐसी व्यवस्था आप कर दें, फिर चाहे सारी चीजों का राष्ट्रीयकरण कर दें। आपने रख दिया "एक अनुज्ञापत्रधारी मण्डी कमेटी द्वारा निर्धारण के अनुसार सब लेन-देन का नियमित लेखा रखेगा और अध्यक्ष या सैक्रेटरी द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट किये गये प्रपत्रों में निर्धारित किये गये ऐसे प्रतिवेदन और विवरण-पत्र मन्डी कमेटी को भेजेगा" वहां लिखा है, प्रति माह भेजेगा "प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, कृषि उपज में अपनी सारी लेन-देन का लेखा सजिल्द पुस्तकों में रखेंगे", यानी जिल्द लगा कर रखेंगे "जिनके कि पृष्ठों पर सैक्रेटरी द्वारा मन्डी कमेटी की मोहर लगा दी जायेगी और ऐसी पुस्तकों की पृष्ठ संख्या को सेक्रेटरी प्रमाणित करेंगे।" इस प्रकार हर खोमचे वाले को, हर ठेले वाले को, हर साइकिल पर टोकरी रख कर सामान बेचने वाले को, जो लाइसेन्स फीस देता है, यह सब रजिस्टर रखने चाहिए और उस पर सैक्रेटरी और अध्यक्ष की मोहर लगवानी चाहिए। मैं समझता हूं कि पढ़े-लिखे लोग सब्जी नहीं बेचते हैं, उन पर यह नियम लगायें तो उचित नहीं होगा।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट रूल्स, 1963 के नियम संख्या 31 (1) (9) के आधार पर जो नये बोर्ड का गठन कर रहे हैं, कमेटियां बना रहे हैं, इनसे निरंकुश शासन इस प्रकार का हो जायगा। लेकिन वह आप बनाना चाहते हैं।

आपने फिर नियम 64 (2) में जो वांछित कार्यवाही की बात की है वह किसान वर्ग नहीं कर सकेगा क्योंकि अनपढ होने से रिटर्न भरना उसके लिए बहुत परेशानी का काम होगा। लेकिन नियम 64 (2) में उसे रिटर्न भरने पड़ेंगे। गरीब आदमी जो फल बेचने वाला है, अनाज बेचने वाला है, सब्जी बेचने वाला है, वह रिटर्न किस प्रकार से भरेगा–यह मेरी समझ में नहीं आता।

नियम 66 के अन्दर लिखा है "लिखित में इकरारनामा लिखा जायेगा।" आप अनुमान लगाइये, सब्जी बिक गई, अनाज बिक गया, तो व्यापारी और किसान के बीच में इकरारनामा

Page No. 76

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

लिखा जायेगा तब जाकर सामान उठा कर ले जायेगा। इकरारनामे की बात कही है, वह नियम 66 में है और यह अनपढ़ लोगों पर लागू होती है। वह इकरारनामा लिखेगा, लिखित समझौता लिखेगा यह अच्छी प्रकार की व्यवस्था नहीं है।

'नियम 66 (7) बहुत ही कठोर है और उसका पालन करना बड़ा दुष्कर कार्य है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) मैं निवेदन करना चाहूंगा, सैक्रेटरी को नियम 71 के अनुसार सारी पावर दे दी गई है। इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा और अच्छी प्रकार की बात नहीं होगी।

नियम 76 के प्रावधान का पालन करना व्यवसाय में लगे अनपढ़ व्यक्तियों के लिए बहुत कठिनाईपूर्ण होगा।

अब मैं निवेदन करना चाहूंगा, कि इन लोगों को कानून और रूल्स का मालूम नहीं है, रिटर्न भरने का जो नियम रखा है, उसका मालूम नहीं है, तो उसे जो हिसाब रखना है, उस हिसाब की तीन प्रतिलिपि देनी है वह नहीं देगा तो उसका लाइसेन्स जब्त होगा.....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह एक्ट लागू है। यह नया लागू नहीं हो रहा है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं उसी में निवेदन कर रहा हूं, वर्तमान में व्यवस्था की गई है, वर्तमान व्यवस्था यह की गई है, इससे परेशानी होगी। मैं उदाहरण दे दूं, किसान जो माल लेकर जायेगा, वह जाकर मण्डी के मुख्य द्वार पर खड़ा होगा, वहां पर नाकेदार से परमिट लेगा और फिर अन्दर जायगा। अन्दर आने के बाद वह टमाटर लेकर आया है या कुछ लेकर आया है उसको इकट्ठा किया जायगा। फिर टमाटर छांटे जायेंगे वह किसान की लागत पर छांटे जायेंगे। उसके बाद नीलाम की स्वीकृति आयेगी। उसके बाद में बोली लगाई जायेगी। इसमें दिन भर का समय लगेगा, इसके साथ ही वह इकरारनामा लिखेगा, रिटर्न भरेगा, उसका हिसाब रखा जायेगा। इकरारनामा जो लिखा जायगा उसकी तीन प्रतिलिपि रखी जायेगी (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) इसमें एक आदमी का पूरा दिन बेकार हो जायेगा। यह व्यवस्था की गई है।

'इसके साथ ही यह व्यवस्था रखी गई है कि जिस दिन सैक्रेटरी साहब चाहें उस दिन को वह छुट्टी घोषित कर दें। सैक्रेटरी को पावर दे दी है कि वह हुक्म दे दे, दो दिन की छुट्टी घोषित कर दे। अगर कोई किसान अमरूद लेकर आया है, टमाटर लेकर आया या अन्य प्रकार की वस्तुएं लेकर आया जो कि एक दिन में खराब हो जाती हैं, तो उधर तो छुट्टी की घोषणा हो गई और इधर उसके पेट की छुट्टी हो गई। उसका सारा सामान, सारे फल आदि इस प्रकार बेकार हो जायेंगे।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल को सरकार बहुत जल्दी में पास कराना चाहती है, मैंने जैसा प्रारम्भ में निवेदन किया, 1967 के बाद में सरकार सोयी रही। आज जो संशोधन करना चाहती है उससे एक प्रकार बड़ी दिक्कत होगी किसानों को, और फल बेचने वालों को बडी परेशानी होगी। वह लोग अनपढ़ हैं, वह रिटर्न भरना जानते नहीं हैं, इकरारनामा लिखना जानते नहीं हैं। वह दिन भर खड़े रहेंगे। नाकेदार जो कृषि उपज मण्डी का होगा, वह उनको प्रवेश-पत्र देगा, उसके बाद वह अन्दर पहुंचेंगे। इस प्रकार की व्यवस्था की है, इससे किसानों को परेशान

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

होगी, फल बेचने वालों को परेशानी होगी। मेरा निवेदन है, इन गम्भीर बातों के ऊपर सरकार को विचार करना चाहिए। सरकार इसे जल्दी में पास नहीं करे और इसे जनमत जानने को भेजा जाय। और इसमें सारे संशोधन आने के बाद, जनमत जानने के बाद इसे पास करें तो उपयुक्त होगा वरना राजस्थान के किसान, गरीब, अनपढ़ लोगों के हितों के ऊपर कुठाराघात होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लूणाराम !

(अनुपस्थित)

श्री रामानन्द अग्रवाल !

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल जो इस समय विचारार्थ लिया जा रहा है, इसकी उपयोगिता के सम्बन्ध में मैं पहले निवेदन कर चुका हूं, परन्तु मेरी यह मान्यता है कि जो आज आवश्यकतायें हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के मार्केटिंग सम्बन्ध में यह बिल उन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार को आज उन सोशियो-इकोनोमिक-फेक्टर्स को भी निगाह में रखना चाहिए, उस पृष्ठ भूमि को भी निगाह में रखना चाहिए, जिस पृष्ठ भूमि में आप इस बिल को ला रहे हैं और जो टास्क है इस बिल के जरिये कानून बना कर आप अपने आपको सक्षम बनाना चाहते हैं, वह टास्क जो आपके सामने है, जिसे आपको फेस करना है, आया कि आप इसके जरिये सक्षम हो जायेंगे उन तमाम इवेंचुएलिटी को फेस करने के लिये या नहीं–इसके बारे में मेरा निवेदन करना है कि आज की जो परिस्थितियां हैं, जिनमें यह बिल आप ला रहे हैं, सन् 1961 के पहले के मूल बिल को लेकर जो एक एक्ट बनाया गया था, उससे सर्वथा भिन्न है। 1961 में जो एक्ट पास हुआ, उस समय केवल इसका मकसद एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जहां पर बिक्री होती है, उसके मार्केट्स को रेगुलेट करना था। उस समय जो बिजनेस क्लास थी, चाहे होल सेलर्स हों या जनरल, वह जो उसमें ऑपरेट करते थे, वह क्लास थी, उसका डिफाइन्ड एटीटयूड था, उसके काम या ट्रेड के सम्बन्ध में कोई दूसरा तरीका रखा हो वह स्थिति नहीं थी इसलिए अपनी मार्केट कमेटीज के कॉन्सटीटयूशन में, उनके संचालन के अंदर, यह आप मानकर चलते हैं कि उसमें वह ट्रेडर, वह होलसेलर, वह उसके अंदर लोयल तरीके से सब्सर्व रहकर काम करेगा। इसलिए उसमें जिन फार्सेज को आपने एसोसिएट किया है, उसमें आपने किसान को और ट्रेडर्स को मुख्य पार्टी के रूप में रखा है। आज जब यह संशोधन बिल ला रहे हैं स्थिति बिल्कुल भिन्न है। खास तौर से जो होलसेल ट्रेडर हैं वह स्टेट पोलिसी है, नेशनल पोलिसी है, ट्रेड के संबंध में, खास तौर से फूडग्रेन्स के होलसेल ट्रेड के संबंध, उसको जो सरकार ने टेक ओवर कर लिया, जो गेहूं व चावल से शुरू किया और ट्रेडिंग क्लास होलसेल ट्रेडर्स की तरफ से ही नहीं बल्कि आल इंडिया लेविल पर तमाम इंडस्ट्रीज, कॉमर्स और ट्रेडिंग क्लास एज ए सेक्शन ऑफ दी होल सोसाइटी, आज की डिफायंट मूड में है, जब कि आज सोसाइटी की तरफ से प्रयत्न किया जा रहा है कि कैसे उनके शोषण से बचे यह क्लास एक पैरासाइट क्लास है जो शोषण कर रहा है और समाज में जो इसका कन्ट्रीब्यूशन है, उसके मुकाबले में जो रिटर्न आज उसको मिल रहा है, वह प्रोपोरशन में कहीं अधिक है। इसलिए इसको मिनीमाइज

(श्री **रामानन्द अग्रवाल**)

करना चाहिए। इसलिए वह तबका रिवोल्ट कर रहा है, इसलिए सामान्य क्रय और विक्रय करने की विधि में रोड़ा अटका रहा है तो ऐसी हालत में आज आप वही पुराने मार्केट कमेटीज का कान्सटीट्यूशन रखें, आप वही पुराने तरीके से उसके संचालन का एक तरीका रखें और उन्ही फोर्सेज के कोआपरेशन पर आप आशा करके चलें तो मैं समझता हूं वास्तविकता के अनुकूल नहीं है। आपका कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है, कौन इस चीज के साथ सहयोग करने वाले हैं, कौन सैबोटेज कर रहे हैं, इस बात को समझकर चलना चाहिए।

हमारी इस बारे में स्पष्ट राय है कि पहले तो इन मार्केटिंग कमेटीज या जो बोर्ड कॉन्सटीट्यूट करना चाहते हैं, इनके फंक्शन्स जो अभी भी बहुत नैरो-मीयरली रेग्यूलेटिंग फंक्शन्स हैं, आज की हालत में जबकि सामान्य ट्रेड चेनल रिवोल्ट कर रही है, उसमें नान-कोऑपरेट कर रही है तो आप इन मार्केटिंग सोसाइटीज को, इस बोर्ड को, न केवल एक रेग्यूलेटिंग एजेंसी के रूप में बल्कि एक मार्केटिंग का फंक्शन करने वाली एजेंसी के रूप में, मार्केटिंग ऑपरेशन में खुद हिस्सा लेने वाली एजेंसी के रूप में आप एम्पावर करना चाहते हैं इसलिए यह मार्केटिंग कमेटीज और यह जो बोर्ड आप इसके अंदर बनाने की सोचते हैं, इसको आप केवल रेग्यूलेटिंग पावर्स ही न देकर बल्कि वह मार्केटिंग ऑपरेशन्स में हिस्सा ले सकें, वह खुद खरीद सकें, बिक्री कर सकें, ऐसे फंक्शन्स उनको देने चाहिएं। आज फर्टीलाइजर्स हैं, सीड है, जो प्राइवेट ट्रेड के हाथ में है, ब्लैक मार्केट में जाता है, किसान को ठीक कीमत में नहीं मिलता। उसको शिकायत है कि मेरा जो अन्न है, वह प्रोक्यूरमेंट रेटस पर लिया जा रहा है और उसको आवश्यक इनपुट्स कन्ट्रोल्ड रेट पर नहीं मिलते। मैं समझता हूं मार्केटिंग कमेटीज को, इस बोर्ड को, हम यूटीलाइज कर सकते हैं इस रूप में कि वह होलसेल इम्पोर्टर बने और खरीद व बिक्री कर सके।

इसी तरह से मार्केटस के अंदर समस्या हो गई। आज व्यापारी वर्ग ने हड़ताल कर रखी है न केवल गेहूं के मामले में, दूसरे कोर्स फूडग्रेन्स को भी नहीं खरीद रहे हैं और जो उनके पास स्टाक्स हैं उनको बेच भी नहीं रहे हैं। इसलिए तमाम सोसाइटी को ये एटरैंजुम रख रहे हैं, सोसाइटी को चैलेंज देकर, अपनी कीमत पर उनसे अपनी शर्तें मनवाना चाहते हैं और जो एक राष्ट्रीय नीति है होलसेल ट्रेड को टेकओवर करने की, उसको असफल बनाकर सरकार के घुटने टिकवाना चाहते हैं जिससे इसको एबन्डन किया जाए और वह समाज को फ्रीली एक्सप्लॉइट करता रहे। अगर उनकी नेफैरियस डिजाइन्स को फस्ट्रेट करना है तो आप इन मंडी कमेटीज, इन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूज कमेटीज को न केवल रेग्यूलेटरी कमेटीज बनायें बल्कि मार्केटिंग में सक्षम रूप में ऑपरेटिंग करने वाली पावर्स दें, फाइनेन्सेज उनके हाथ में दें और इनके फंक्शन्स व पावर्स को इस तरह रखें कि वे खरीद कर सकें। इस रूप से इन मार्केटिंग कमेटीज और बोर्ड के इन फंक्शन्स को आपको कॉम्प्रीहेन्सिव बनाना चाहिए, उनके फाइनेन्शियल पावर्स को भी, उनके फाइनेन्शियल रिसोर्सिज को भी कॉम्प्रीहेंसिव बनाना चाहिए, न केवल मार्केटिंग को डेवलप करने के लिए, न केवल सड़कें बनाने के लिए बल्कि खरीद करने के लिए, बिक्री करने के लिए और तमाम कामों के लिए, उनको आप

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

फंड्स प्रोवाइड कर सकें और उनके जरिये ऑपरेट कर सकें, यह करना चाहिए। आज की हालत में यह जरूरी है और खास तौर से जो रिवोल्टिंग एटीट्यूड, डेफायंड एटीट्यूड ट्रेडिंग क्लास का है-

It is a challenge to the whole nation, it is a challenge to the society and we must accept this challenge and tell them that the society is not going to accept these nefarious activities and they are going to be stopped with strong hand.

मैं समझता हूं कि पहली बार इस सदन में आप यह कानून ला रहे हैं और यह देखना है कि सरकार किस डिटरमिनेशन के साथ आगे बढ़ना चाहती है और इस काम को सफल बनाना चाहती है और आप इस बिल के जरिए उस इन्टेन्शन को जाहिर कर सकते हैं ताकि तमाम सोसाइटी को कॉन्फीडेन्स में ले सकते हैं, आश्वस्त कर सकते हैं कि गवर्नमेंट मीन्स बिजनेस Government means what it says and will try to see that the scheme which we have taken into hands is accepted and no element will be allowed to put the whole society to ransom.

एक तो इन पावर्स को कॉम्प्रीहेन्सिव बनाना जरूरी है। दूसरी बात इससे कोरिलेटेड है। जब आप समाज में किसी वर्ग से उनके हाथ से सत्ता छीनना चाहते हैं तो निश्चित तौर से वह वर्ग रेवोल्ट करता है। आपको कोरिलेशन ऑफ फोर्सिज समाज का बदलना पड़ेगा। आपको समाज के उन वर्गों का सहयोग लेना चाहिए और उन्हीं वर्गों का सहयोग मिल सकता है जिनके इकोनोमिक इन्टरेस्ट उस वर्ग के हित के खिलाफ हैं और आप जो मेजर ऑपरेशन में लाना चाहते हैं, जिस वर्ग के हित सिद्ध होते हैं, वह सहयोग करेगा, ट्रेडिंग क्लास से सहयोग की उम्मीद आप मत करें। कुछ सेन्सीबुल सेक्शन्स उनमें हो सकते हैं और कम से कम जो अच्छे ट्रेडर्स हैं जिनको आप रिटेलर कहें उनको आप विश्वास में लेने की कोशिश करें, उनको आप रिप्रेजेन्टेशन देने की बात करें तो बात समझ में आ सकती है लेकिन होलसेलर जो एक्सप्लॉइटर है जो ब्लैक मार्केटिंग का बेस है और सारे का सारा होर्डिंग करता है और जिसके हाथ से आप सोसाइटी को बचाना चाहते हैं, उसको आप रिप्रेजेन्टेशन देकर, उसको पावर्स देकर, फिर आप अपनी स्कीम को सफल बनाना चाहते हैं, यह असंभव है। इसमें वर्क्स और पीजेंटस की एलॉयंस को इस बिल के अंदर बेसिज बनायें, आप कुलक्स से आशा मत करें जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं जिनके पास सीलिंग से ज्यादा जमीन है, उनकी और होलसेलर की एकता बनेगी, उनकी एलॉयंस छिपी हुई है, कल खुले मैदान में आएगी। देहात के कुलक ने अनाज को रुकवा रखा है, वह किसानों से कहता है माल को रोको, शहर में मत आने दो, यह एलॉयंस शहर और देहात के रिच सेक्शन्स की है। होलसेलर और कुलक के बीच में है। शहर के छोटे ट्रेडर पर, वर्किंग क्लास पर, पल्लेदार पर, मुनीम पर, दलाल पर, इन सब पर आपको रिलाइ करना चाहिए। वे इस बात में इन्टरेस्टेड हैं कि वास्तव में टेक-ओवर होना चाहिए, मार्केट का रेग्यूलेशन चाहते हैं। हमारा जो ओपन मार्केट सिस्टम है न केवल किसान का शोषण करता है बल्कि इससे पल्लेदार का शोषण होता है, मुनीम का, दलाल का शोषण होता है।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा जैसा कि और माननीय सदस्यों ने कहा है शायद इस बात को श्रीगंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस बात को कहा था कि इसमें कुछ खामियां हैं उनको इसमें एड की जानी चाहिये। जैसे उसमें आपने पल्लेदार, ठेलेवाले और वर्किंग क्लास को आपने रिप्रेजेन्टेशन इसमें नहीं दिया है। उनको तो कम से कम ड्यू रिप्रेजेन्टेशन दिया जाना चाहिये। और इसमें जो कमियां रह गयी हैं उन्हें दूर करना चाहिये। इसमें आपको ऐसी व्यवस्था करना चाहिये कि जिससे पीजेन्ट्री क्लास और वर्किंग क्लास को भी जो कमेटीज बने उनमें उनका रिप्रेजेन्टेशन होना चाहिये। इसलिये इसमें संशोधन करके आप उन्हें वापिस रीकोन्स्टीटयूट करके बोर्ड को ज्यादा से ज्यादा पावर्स देने का प्रावधान रखें। उनको ज्यादा से ज्यादा फण्ड अलोट होने चाहिये, इसके अलावा उनको फण्डस् रेज करने की पावर्स दी जाने की व्यवस्था होनी चाहिये ताकि वह लोन फलोट कर सकें। तो इस प्रकार की सभी चीजें जो मैंने अपने भाषण में निवेदन की हैं उस पर माननीय मन्त्री महोदय विचार करके इस बिल को पास करावें। वैसे मैंने इस बिल को जनमत जानने हेतु प्रसारित करने के लिए जो संशोधन मूव किए हैं उन्हें मैं प्रेस नहीं कर रहा हूं। मूव नहीं कर रहा हूं लेकिन इतना जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि वह इन सभी मुद्दों पर विचार इस बिल में इस प्रकार का संशोधन जैसा कि मैंने निवेदन किया करें तो ठीक रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द सामरिया !

(अनुपस्थित)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा !

(अनुपस्थित)

श्री केशरीमल !

श्री केशरीमल (ब्यावर) : उपाध्यक्ष महोदय, अब सदन में इतना वाद-विवाद हो गया फिर मैं ज्यादा सदन का समय न लेकर इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि मन्डी कमेटीज में पल्लेदारों, वर्किंग क्लास के रिप्रेजेन्टेशन तथा मुनीम वगैरह जो लोग हैं उनका उसमें रिप्रेजेन्टशन होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई !

राजस्थान कृषि उपज विपणि (संशोधन) विधेयक, 1973 को प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : उपाध्यक्ष महोदय, मन्डी कमेटीज को रेगूलेट करने के लिए यह जो बिल आया है वह बहुत ही सुन्दर आया है। इसके अनुसार आप एक बोर्ड राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना की जायेगी। और जैसा कि नाहर कमेटी ने अपनी रिकमन्डेशन की है उसके अनुसार यह जरूरी था कि जब मार्केटिंग रेलेटिंग एक्ट हमारे लोगों को डे टू डे कामों में डिफिकल्टी आती थी इसलिए उसको रिमूव करने के लिए यह बहुत ही आवश्यक था कि राज्य सरकार इसमें संशोधन करती। इसलिए यह कदम उठाये गये और जो खामियां थीं उन्हें हटायी जायें। इसके अलावा पहले

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)
बोर्ड के बिना कोई मार्केटिंग कन्ट्रोल के लिए कोई एजेन्सी नहीं थी इसलिए एक सेन्ट्रल बोर्ड को गठन करने की आवश्यकता हुई। इससे काश्तकारों का जो आज एक्सप्लोईटेशन किया जा रहा है उसको बचाया जा सके ताकि उनके लिए अच्छे यार्ड्स बना सकें अच्छे मार्केट की व्यवस्था हो सके जिससे कि काश्तकारों को सहुलियत प्राप्त हो सके। आज महाराष्ट्र और गुजरात की जो मन्डी कमेटीज उनके अन्दर भी मार्केटिंग कमेटीज काम कर रही हैं वहां की मार्केटिंग कमेटीज को देखते हुए यहां पर राजस्थान में कुछ सहुलियतें काश्तकारों को नहीं हैं। इसलिए वहां पर देख कर यहां भी ऐसी व्यवस्था करने की जरूरत पड़ी ताकि उन कमेटीज की कठिनाइयां अपने डे-टू-डे वर्किंग के अन्दर नहीं पड़ें। उसके लिए ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं जिससे कि उन्हें अच्छे यार्ड्स मिल सकें और मार्केट का डवलपमेन्ट अच्छी तरह हो सके। हालांकि हमारे यहां भी काफी प्रगति हुई है लेकिन इस बिल के हो जाने से हमारे यहां पर काफी प्रोग्रेस हो जायेगी। उनके लिए यूनीफार्म मार्केट हो जायेंगे। मन्डी कमेटीज को अच्छे फण्ड्स वगैरह भी देने की व्यवस्था होनी चाहिए। आज, उपाध्यक्ष महोदय, जो सेन्ट्रल बोर्ड का गठन किया जा रहा है उसमें उन्हें पावर्स होनी चाहिए कि वह फण्ड्स रेज कर सके तथा उन्हें राज्य सरकार की तरफ से फण्ड्स का भी प्रावधान होना चाहिए। हालांकि, उपाध्यक्ष महोदय, यसवन्तसिंह नाहर कमेटी की रिपोर्ट बाहर नहीं आयी है फिर भी यह एक बहुत ही सुन्दर कदम है जिससे कि काश्तकारों को काफी लाभ होगा। और व्यापारी वर्ग अब उनका एक्सप्लोईटेशन इस बिल के बनने के बाद नहीं कर सकेंगे और यह एक अच्छा रोल पे कर सकेगा। मार्केट में मन्डी कमेटीज अपनी डे-टू-डे कठिनाइयों को दूर कर सकेंगी। और इसके अलावा अगर कुछ और कठिनाइयां काम करने में अगर आयेंगी तो हम छोटी मोटी कठिनाइयों को दूर करने के लिए और भी संशोधन इस बिल में ले आयेंगे। वैसे इसका मकसद जो है वह इससे पूरा हो जायेगा। वैसे तो शार्ट पीरियड है जिसमें हम इस बिल को पास कर रहे हैं। मैंने तो इस बिल को सलेक्ट कमेटी में रेफर करने के लिए संशोधन दिया था क्योंकि जो इस बिल में जो पेनेल्टी इम्पोज की वह बहुत कम थी और उससे व्यापारी वर्ग बार-बार वाइलेशन करते थे और अब जो प्रोविजन्स रखे हैं वह बहुत ही अच्छे रखे गये हैं। इसके लिये मैं राज्य सरकार को धन्यवाद देता हूं। इसमें आपने जो लाईसेन्स का प्रोविजन रखा है वह भी बहुत ही सुन्दर रखा है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तो यही निवेदन है कि जिस प्रकार गुजरात और महाराष्ट्र में मन्डी कमेटीज का लाखों रुपयों का बजट है उसी प्रकार जैसी व्यवस्था वहां चल रही है वह यहां भी हो जाय तो हमारे राजस्थान में काफी काश्तकारों की समस्याओं का हल हो जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आपने इस बिल को सलेक्ट कमेटी में देने का जो एमेंडमेंट मूव किया था उसके बारे में अब क्या कह रहे हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : सलेक्ट कमेटी के अन्दर देने के लिये जो मैंने निवेदन किया था उसका कारण यह था कि यह आप जो बिल ला रहे हैं वह बहुत ही शोर्ट पीरियड में आप पास कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने निवेदन किया कि जो इसका मैंन मकसद था वह पूरा हो गया है इसलिए अब इसको प्रेस नहीं कर रहा हूं और राज्य सरकार इस बिल को शीघ्रातिशीघ्र पास करे। और इसके

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
बाद में भी अगर कुछ खामियां रहती हैं जिसकी वजह से कठिनाइयां आती होंगी तो हम उन्हें संशोधन बिल में लाकर समाप्त कर देंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : जब आपका नाम बोला था तब आप यहां पर हाजिर नहीं थे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : मैं थोडा लेट हो गया उपाध्यक्ष महोदय। मैं अब कुछ निवेदन करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में आज जो बिल चल रहा है वह भी राजस्थान एग्रीकल्चरल प्रोडयूस मार्केट (एमेंडमेंट) बिल 1973 है। उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के स्टेटमेन्ट एण्ड आब्जेक्टस में दिया है कि यहां पर एक बोर्ड का निर्माण इसके अन्तर्गत करना है जो कि प्रोविन्शियल स्केल पर होगा। उसके लिये यह आवश्यक है कि रिजर्व बैंक ऑफ इन्डिया से तथा राज्य सरकार भी लाखों रुपये के फन्ड्स अगर उस बोर्ड को दे तो ठीक रहे जिससे कि वह मार्केटिंग कमेटीज जो विभिन्न तहसीलों में होगी उनको फण्ड्स दे सके जिससे कि अच्छे यार्ड्स उन्हें मिल सकें। उपाध्यक्ष महोदय, यशवन्तसिंह नाहर कमेटी ने अपने जो सुझाव दये हैं उनको भी इसमें एड करना चाहिये हालांकि वह अभी तक बाहर आई नहीं है उसके लिये अगर हो सकेगा तो हम उसके अनुसार फरदर बिल और ले आयेंगे और कुछ प्राविजन्स अगर जरूरत हुई तो एड कर लेंगे। वैसे यह एक प्रोविन्शियल मार्केटिंग एजेन्सी की तरह काम करेगी जो बाद में दूसरी मार्केटिंग सोसाईटीज को रेग्यूलेट करती रहेगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इसमें सभी सदस्यों की सहमति होगी और दूसरे सदस्यों की दो राय नहीं होगी। लेकिन आज जिस ओर से हम गुजर रहे हैं और जो कुछ निर्णय हमने लिये हैं इस सारे एक्ट के अन्दर कुछ मूलभूत परिवर्तन करने की आवश्यकता थी। मार्केटिंग प्रोडयूस को रेगुलेट करने की बात नहीं है उपाध्यक्ष महोदय। सबसे पहले ब्रिटिश टाईम में सन् 1929 में एक बिल आया था। इस सदन में भी बिल आया वह 61 में आया और नवम्बर 62 में वह बिल वापिस पास होकर निकला। यह जरूर था कि ट्रेडर्स वगैरह हाई कोर्ट में गये और बिल के आने में देर हुई। वैसे मार्केट प्रोडयूस को रेगुलेट करने के लिये ब्रिटिश टाइम से ही प्रयास रहा है। आन्दोलन भी चले और बहुत पहले ही यह बिल आ चुका था और मार्केटिंग प्रोडयूस हिन्दुस्तान के कुछ स्थानों में रेगुलेट हुई थी।

उपाध्यक्ष महोदय, आज जो युग है और उसकी मांग है उसके अनुसार पुराने बिल को रिमोडल करने की आवश्यकता है नये सिरे से ढालने की आवश्यकता है। मैंने नाहर कमेटी की कुछ रिकमन्डेशन्स पढी है। मैं पूरी रिपोर्ट तो नहीं पढ सका। जहां तक मुख्य भावना का सवाल है उसकी भावना यही है कि हर तहसील में मार्केटिंग कमेटी हो जिससे कृषक का जो शोषण होता है उससे उसको मुक्त करायें। नाहर कमेटी इससे भी कुछ आगे जाती है। मार्केटिंग सोसाइटी में जो ब्यूरोक्रेसी का ग्रिप है उसको भी कम करिये। मार्केटिंग कमेटी में सेक्रेटरीज का जो स्थान है उसको नाहर कमेटी नहीं मानती है और उसने कहा है कि सेक्रेटरी पूरी तरह से मार्केटिंग कमेटी का सबोर्डिनेट होना चाहिये। और मार्केटिंग कमेटी का पूरा कन्ट्रोल होना चाहिये। मुझे खेद के साथ कहना पडता है कि जहां यह स्वीकार किया है कि नाहर कमेटी को पूरी

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

रिपोर्ट को मानते हैं फिर भी इस बिल में सेक्रेटरी के फंक्शन्स को और ज्यादा प्रोटेक्शन दिया गया है। जहां तक लाईसेंस सस्पेंड करने का प्रश्न है चेयरमैन 15 दिन में और सेक्रेटरी 7 दिन में कर सकते हैं और डाइरेक्टर के पास तो अनलिमिटेड पावर्स हैं। चाहे जितने दिन सस्पेंड कर सकते हैं और कैंसिल भी कर सकते हैं। मार्केटिंग कमेटी एज सच के पास पावर्स नहीं हैं। जो बोर्ड कांस्टीट्यूट किया गया है उस ओर भी दृष्टिपात करें तो यह सारा का सारा ड्राफ्ट आई. ए. एस. अधिकारी ही बनाते हैं इसलिये अपने आपको सुविधाजनक जगह पर रखने में नहीं चूकते हैं। सारी मार्केटिंग कमेटी की दस कोन्स्टिट्यूएन्सी बना कर 10 ओफिसर्स रखने हैं लेकिन इसमें अनाप शनाप ओफिसर्स को भर दिया गया है। सेक्रटरी, डायरेक्टर ऑफ एनीमल हस्बेण्डरी, डायरक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, डायरेक्टर ऑफ शीप एण्ड वूल। इसमें सब शामिल हो रहे हैं। युनिवर्सिटी से एक इकोनोमिस्ट वे भी इसके एक कम्पोनेन्ट हैं। ओफिसर्स ऑफ दी एनीमल हस्बेण्डरी, एग्रीकल्चर, शीप एन्ड वूल सब इसमें ले लिये गये हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मिल्क डेयरी वाले नहीं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इनको भी इसमें रख देते तो छाछ की शुद्धि हो जाती। अनाज का स्टेट ट्रेडिंग करने जा रहे हैं। ट्रेडर्स 1929 के बिल में तो आ सकते हैं और 61 के बिल में भी समझ में आ सकते हैं। लेकिन आज सारी कमोडिटीज के राष्ट्रीयकरण की ओर बढ रहे हैं और पहला कदम रखा है अनाज का, गहूं का और चावल का, इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय फिर मेरी समझ में नहीं आता कि ट्रेडर्स को स्पेशली रखने की क्या आवश्यकता रह जाती है। ट्रेडर्स की इसमें स्पेशल जगह है। ट्रेडर की कान्स्टिट्यूएन्सी अलग रहेगी और चेयरमैन की अलग। ट्रेडर दोनों कॉन्स्टिटयूएन्सी मे फाइट कर सकता है। आज की प्रजेन्ट डेमाक्रेसी में ब्यूरोक्रेसी के द्वारा बनाये हुए बिल मे ट्रेडर को विशिष्ट स्थान देते हैं। कोई व्यापारी हो तो समझ में आ सकता है। मार्केटिंग प्रोसेस मे कोई इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले करने वाला हो तो समझ में आ सकता है। अनाज की सेल में जो इम्पार्टेन्ट स्थिति रखता है पल्लेदार तुलाई करने वाला और जिसको गुमराह करने में दक्षिण पंथी विचारधारा ने पूरा जोर लगा रखा है। आपने यह घोषणा कर रखी है रिटेलर्स को लाईसेंस देंगे लेकिन ट्रेडर्स रिटेलर्स को पकड़ बैठे हैं और राजस्थान में एक छोर से दूसरे छोर तक गेहूं नहीं मिल रहा है। किसान में हवा बदलवा रहे हैं और जो सबसिडाइज्ड कमोडिटी है, चना, जौ, बाजरा, उसको भी मार्केट में नहीं आने दे रहे हैं। कोई प्रोडयूसर ट्रक लेकर आजाय तो वह कन्ज्यूमर तक नहीं पहुंचे इस प्रकार की हवा बना रखी है। एक तरफ कन्ज्यूमर में दूषित वातावरण पैदा कर रहे हैं स्टेट ट्रेडिंग के विषय में और दूसरी तरफ प्रोडयूसर्स में कर रहे हैं, तीसरा अनाज के अन्दर आने वाले जितने वर्ग हैं उनने बगावत का झंडा फहरा रखा है। आपका मोह फिर ट्रेडर को लेने को हो रहा है जब कि आप स्टेट ट्रेडिंग करने जा रहे हैं। मैं यह निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि यह ब्यूरोक्रेसी स्टेट ट्रेडिंग की नहीं है। हमारे सोशियल ट्रान्सफोर्मेशन में, सोसाइटी की प्रजेन्ट स्टेज के परिवर्तन में सबसे बड़ी हर्डल यह ब्यूरोक्रेसी है और सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस पुट अप करती

Page No. 84

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

है। सारे के सारे अधिकार कायम रखे हैं। डायरेक्टर की पावर सुप्रीम, सेक्रेटरी सुप्रीम। बोर्ड भी डायरेक्टर को सेंसर नहीं कर सकता है। जो इलेक्टेड बाडी है वह सारे राजस्थान की है। सारे अपील के पावर्स उसमें हैं। लाईसेंस केन्सिलेशन के पावर्स उसमें हैं हालां कि कई हद तक बोर्ड का पावर्स प्रोवाइड किये हैं। यह एनिमी नम्बर 1 है।

दूसरे तरीके से दक्षिणपंथी पार्टीज हैं और उनसे मिलती जुलती विचारधारा वाले हैं वे रेसिस्टेन्स पुट अप करते हैं ऑल इन्डिया कांग्रेस कमेटी की यह घोषणा है कि जो कमिटेड हैं स्टेट ट्रेडिंग में उन सबको इस दिशा में कार्य करना है। केवल भाषण देने का कार्य नहीं है। विधान सभा में भाषणबाजी से होने वाला नहीं है। गांव के लेवल तक पिपुल्स पार्टिसिपेशन पूरी तरह तैयार करके, मोबिलाइज करके इसका मैदान में उतरना होगा और अनाज का पूर्ण वितरण करना होगा। इस पूरी फौज की इस्ट्रेटीजी के खिलाफ जम कर मोर्चा लेना है। इसके लिये यह आवश्यक है कि बुनियादी तौर से इस सारे के सारे कन्सेप्शन के अन्दर मूलभूत परिवर्तन हों।

उपाध्यक्ष महोदय, केवल अनाज के सेल को रेगुलेट करना ही आज मार्केटिंग कमेटी का या बोर्ड का फंक्शन नहीं हो सकता। हैदराबाद में भी मार्केटिंग कमेटी आपरेट करती है और मैं इस सदन के अंदर अर्ज करूं कि उनका आरबिट आफ फंक्शनिंग केवल इतना ही नहीं है वे ज्यादा भी फंक्शन करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, एक कच्चे आढ़तिया के पास क्या चीज है इसे टेक्निकल साइड से देखना होगा। यह ठीक है कि मार्केटिंग सोसायटी हैं जिससे सुपर मार्केट बनते हैं। कन्जूमर स्टोर्स बनते हैं। उनका अपना क्षेत्र है। पर मार्केटिंग कमेटी को क्या सिर्फ यहीं तक रखना है कि इससे आगे नहीं जाना है जो प्रेजेन्ट सेट अप है। जिसमें अनाज का, किसान की फसल का ट्रेड होता है, होल सेल ट्रेड होता है। सारे सेट अप में देखें तो कुछ आढ़तिये जो अनाज लेते हैं। आढ़त काटते हैं, झाराई, तुलाई काटते हैं। पर इसके साथ साथ वह आपको फर्टीलाइजर देते हैं, पेस्टीसाइड्स देते हैं। सीमेन्ट भी देते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने प्राइसेज फिक्स कर दीं और माननीय मंत्री महोदय ने मजबूती से कह दिया कि हम फिक्स प्राइस से एक पैसा इधर उधर अनाज नहीं देने वाले हैं। फिर बीस रुपये का मार्जिन रखा है और जब कि मेरे जनसंघ के बन्धु भगवा ध्वज के नीचे खड़े होकर कसम खाकर कहते हैं कि एक तीन धारी वाली बोरी पर वे बिजनेस करते हैं और सरकार बीस रुपया पर।

उपाध्यक्ष महोदय, आज जब आप स्टेट ट्रेडिंग इस क्षेत्र में करने जा रहे हैं तो प्रेक्टिकली फेस करना होगा सारे प्रोब्लम्स को। इस बीस रुपया में दो रुपया एफ० डी० सी० के लेवल पर गायब वह आप एडजस्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फिर पांच रुपया निकल गया वह एडजस्ट करेंगे। बाकी तेरह रुपया कलक्टर के आफिस में एडजस्ट हो जाता है। मैं कहता हूं आप को इस प्रकार का प्रोसेस वाल्व करना पड़ेगा कि जिसमें किसान को अपने प्रोड्यूस का अधिक से अधिक रिटर्न मिल सके। आज इस बात की मांग दोनों दिशाओं से हो रही

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

हैं। आप प्रोडक्शन का एस्टीमेट करके इस किस्म की कीमतें तय करें कि जिससे किसान को अपने उत्पादन की सही कीमत मिले। वह सोचे कि उसे जस्टीफाइड प्राइस मिल गई। पांच रुपया आप उसे कम भी दें पर फर्टीलाइजर प्रोवाइड आप उसे समय पर कर देते हैं, सीमेट के बैग्स दे देते हैं, पेस्टीसाइड्स प्रोवाइड कर देते हैं, कुछ कारपोरेशन का एन मार्का सीड प्रोवाइड कर देते हैं, हाई ब्रिड बीज दे देते हैं, एग्रीकल्चरल इम्पलीमेंट्स प्रोवाइड कर देते हैं तो इस पांच दस के मारजिन को किसान महसूस करने वाला नहीं है। इसलिये जहां आपने इसमे इतने अधिकारी डालने की कोशिश की है मैं यह समझता हूं कि आप राजस्थान के मार्केटिंग सोसायटी के सेट अप में से एक आदमी डाल दीजिये। कोआपरेटिव सोसायटीज के सेट अप में से एक डाल दीजिये। आप कन्जूमर स्टोर और सुपर मार्केट में काम करने वाले लोग हैं उनमें से एक इलेक्टेड आदमी डाल दें। तो पैटर्न इवाल्व करने में आप अगर सोचें कि एफ० सी० आई० के आधार पर या आपके हाउसिंग कारपोरेशन के आधार पर सारे के सारे बाकी के प्रोसेस को कर लेंगे तो, उपाध्यक्ष महोदय, यह गलतफहमी होगी। यह बहुत बड़ी भूल होगी।

आज वक्त का तकाजा है, समय का तकाजा है, और संसार के चक्र ने जो वैज्ञानिक सिद्धान्त के अनुसार आगे बढते हैं उसने आज हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जब कि जनता चाहती है कि आप ने अपने नारों के अंदर जो जनता से कमिटमेंट किया है उसमें और आपके एक्शन में कितना गेप है कितना तालमेल है इसकी आज वह परीक्षा लेने बैठी है। केवल सदन में भाषण देने से और इस तरह के अमेण्डमेंट्स ला देने से कानून बना देने से सब कुछ नहीं हो जाने वाला है। कानून है पर हो सकता है। हमने कानून बहुत बनाये। एण्टी करप्शन का कानून बनाये, भ्रष्टाचार के विरुद्ध बनाया पर करप्शन नहीं रुका है। करप्शन मिटाने गये तो यह एन्टी-करप्शन विभाग आज एक साझेदार इस करप्शन में और बन गया। कानून के मोबिलाइजेशन से लागू होता है। आपकी पार्टी के भी स्पष्ट डाइरेक्टिव हैं कि कांग्रेस का हर वर्कर मैदान में उतरे, जन सहयोग को मोबीलाइज करे इस मामले में गांव गांव में जाए और वहां वातावरण बनावें लोगों को इस ओर मोड़ें जनमत को मोबीलाइज करे। इस काम में हम भी आपके साथ हैं आइये हम और आप मिलकर इन दक्षिणपन्थी लोगों की आंखें खोल दें और समाज के हर वर्ग को इस दिशा में मोबीलाइज करके इस क्षेत्र में मजबूती से कदम बकदम आगे बढें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव: उपाध्यक्ष महोदय, आज तो हालत यह हो गई है कि लोगों को अनाज मिल नहीं रहा है, राशन कार्ड नहीं मिल रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: आपके दिलों में हूक उठ रही है। नसबन्दी कराई तो घर वाली भाग गई।

श्री गिरधारीलाल भार्गव: आपकी भाग गई होगी।

श्री उपाध्यक्ष: आप भी मार्केटिंग से घर पहुंच गये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: सुबह से ही सदन इसी से आरम्भ किया है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव: वे इनकी

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
करतूतें हैं, इन्जेक्शन लगा दिया, अब बच्चे होंगे तो भाग जावें।

श्री उपाध्यक्ष: आप तो उनके सुर में सुर मिलाने लग गये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: ले जाने वाला कौन था? जनसंघ था।

श्री गिरधारीलाल भार्गव: लाने वाले आप थे। पीछे आप मिले।

श्री केदारनाथ : मान्यवर, इसका बहुत लिमिटड स्कोप है। 61 में जो कानून पास किया था उसका मकसद यह था कि किसान का प्रोड्यूस मार्केटिंग सोसायटियों के मार्फत मार्केट में आवे। मिडिल मेन को खुली छूट थी कि तरह तरह की लेवी वसूल वे लोग कर लेते थे, पांच छः रुपया तक वसूल कर लेते थे। इसको कैसे रेगुलेट करें और काश्तकार को अपनी प्रोड्यूस की सही कीमत मिले और मण्डी में रहने का ठहरने का प्रबन्ध हो, उसकी बैलगाड़ी के लिये स्टेण्ड की भी व्यवस्था हो, बैलों की भी व्यवस्था हो उसको रेगुलेट करने में किसान का नुमाइन्दा भी इसमें हो। यह बुनियादी मकसद इस ओरिजिनल एक्ट की थी।

आज 73 में आप अमेण्डमेंट ला रहे हैं। उससे मैंने पोइन्ट आफ आर्डर रेज किया था कि उनको क्या पावर आप देने जा रहे हैं? जो आपने व्हीट और राइस का ट्रेड अपने हाथ में लिया है उनको क्या नई जिम्मेदारियां और रोल आप असाइन करने जा रहे हैं?

काश्तकार की एक मांग शुरू से रही कि मेरे प्रोड्यूस की कीमत मेरे ही नुमाइन्दे डिटरमिन करें। यह नहीं मानी गई। मेरे प्रोड्यूस की सही तरीके से प्राइस मुझे मिलती रहे मेरे प्रोड्यूस को सही तरीके से रेगुलेट किया जाय। मेरा इन्तजाम मेरे आदमी करें।

काश्तकार इल्लिटरेट, डेटेड, बड़ा कर्जदार' मार्केट का समझ नहीं सकता, और आज भी 75 प्रतिशत काश्तकार ऐसे मिलेंगे जो इल्लिटरेट हैं, डेटेड हैं, मार्केट की वेल्यू नहीं समझ सकते इसलिये यह कानून उनकी मदद पर खड़ा हो जावे। इस दृष्टि से अब यह अमेण्डमेंट इस मकसद को कितना आगे ले जावेगा। मेरी मान्यता है कि इस अमेण्डेड कानून से भी हमारा परपज सर्व नहीं हो सकेगा। नई थिंकिंग इसने दी है, जहां तक इस थिंकिंग का सवाल है, मैं इसका वहां तक स्वागत करता हूं। सही नुमाइन्दे कमेटियां में हों। अब चेयरमेन उन मे से ही बने यह अमेण्डमट से कभी भी साबित नहीं होगा। न नतीजा इसका निकलेगा। मैं ज्यादा नहीं कहता हुआ जो कृषि उपज समितियां हैं, बाडीज हैं, आज अगर उन का कम्पोजीशन देखें तो उसमें डेरी के आदमी हैं, काश्तकार के आदमी हैं। इनको सरकार नोमिनेट करती है। आज 73 में यह नोमीनेशन की प्रथा समाप्त हो जानी चाहिये। कोई भी राज्य सरकार की तरफ से नोमीनेट न हो। म्युनिसिपल बोर्ड के मेम्बर्स, कापरेटिव बैंक के मेम्बर्स बाकी काश्तकार अपने चुनाव सिंगल वोट के द्वारा अपने नुमाइन्दे का चुनाव करे और ऐसी बाडी में दो बातें हो। एक तो स्माल ट्रेडर्स और दूसरे धानक पल्लेदार अगर इस तरह की बाडी बनेगी तो मैं समझता हूं कुछ रिजल्ट निकलेंगे।

मान्यवर, हमने चुनाव फेस किये हैं। असेम्बली के चुनाव से ज्यादा कास्टली है। कापरेटिव सोसायटी के सारे मेम्बर्स इकट्ठे होकर वोट डालेंगे और एक व्यक्ति को 6

(श्री केदारनाथ)

वोट देने होंगे। कैसे प्रभावित करता, कौन परचेज करता है, कौन इलेक्ट होता है तो वही मान्यवर लैन्ड आनर्स और वेस्टेड इन्टरेस्ट के लोग प्रिवेंट करेंगे। इनके हाथों में यह सारी कमेटियों का संचालन देना खतरनाक होगा। इसलिये राज्य सरकार चाहती है आम काश्तकार के लिये सिंगल मेम्बर कान्स्टीटयूएन्सी हो तब जाकर कुछ रिजल्ट निकल सकता है। धानक पल्लेदार का एक नुमाइन्दा होना चाहिये और रिटेलर का एक नुमाइन्दा होना चाहिये स्टाकिस्ट का नहीं होना चाहिये स्टाकिस्ट हो मगर इस बात के लिये उनका नुमाइन्दा नहीं होना चाहिये। और मान्यवर तीन साल के बजाय पांच साल में चुनाव हों, पांच साल की की टर्म होनी चाहिये।

दूसरे, मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं मण्डी कमेटीज जो यार्ड्स है वे कायम करे, शेड स कायम करें। इन सब कामों के लिये म्यूनिसीपिलिटी से कनफिक्ट पैदा होते है। हमारे राजस्थान में गंगानगर में कृषि उपज मण्डी है। इसके कायम होने के बाद लगातार प्रेस करने के बावजूद वे आज तक अपना भवन नहीं बना सकी, बैलों के लिये आज तक उनको कोई शेड नहीं मिला यार्ड्स कायम हो जाय वह नहीं करा सके। अब राज्य सरकार को पावर्स लेनी चाहिये। ऐसे समय में इन्टरवीन करना चाहिये। कहीं तंग मार्केट कहीं क्या है। वहीं कच्ची आढ, वहीं पक्की आढत दो प्रोड्यूज मार्केट लाई जाती है। इतना कन्जेस्पशन रहता है। इतनी भीड़ रहती है उनके लिये अच्छी जगह न हो वहां काश्तकार के लिये दिक्कत पैदा होती है। इसलिये इसमें स्माल ट्रेडर्स हो कच्चे आड़तिये हो, धानक, पल्लेदार हो य ही इलेक्ट हो और दूसरे सिंगल मेम्बर कान्स्टीटयूएन्सी हो एक वोटर एक कान्स्टीटयूएन्सी के हिसाब से हो, ताकि आम काश्तकार चुनाव में हिस्सा ले सके। अगर नोमीनेशन करवाना है तो चेयरमेन भिजवायें वह उनके बीच का आदमी हो। यह पोस्ट आप किसी आफिसियल को मत दो। किसी इलेक्टेड को दे दीजिये। आप चाहते हैं मण्डीज को फाइनेन्स करना टेक्निकल असिस्टेन्स देना तो वहां एक्सपर्ट की जरूरत है इसलिये, मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं राज्य सरकार होल सेल ट्रेड को हाथ में ले रही है उसमें वे क्या रोल कर सकते हैं। इनको ज्यादा फाइनेन्स दे, ज्यादा रेसपान्सीबिलिटी असाइन करें, वर्किंग एफिशियन्ट हो तो मैनेजमेंट उन लोगों के हाथ में रहे जो वास्तविक मण्डी में फंक्शन करने वाले हो। कच्चे आड़तिये हो, आम काश्तकार हो धानक और पल्लेदार हो, छोटे रिटेलर हो तब जाकर मालूम पड़ेगा कि आप कुछ चेन्जेज लाना चाहते हैं।

श्री परसराम मदेरणा (कृषि मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष जी, सदन के माननीय सदस्यों ने इस बिल को जन मत जानने हेतु प्रसारित करने का प्रस्ताव रखा है। सिलेक्ट कमेटी को सुपुर्द करने का जो प्रस्ताव रखा है इस संबंध में जो मुद्दे इस सदन में उठाये हैं, उपाध्यक्षजी, यह सदन स्वयं जानता है कि जिस वक्त में राजस्थान एग्रीकल्चरल प्रोडयूज मार्केट अमेन्डमेन्ट बिल लाये थे उस वक्त राजस्थान में होल सेल ट्रेड गेहूं का हाथ में नहीं लिया था और उस समय यह फिजा नहीं बनी थी। इस संबंध में सभी पहलुओं का, जिस तरह के वेस्टेड इन्टरेस्ट थे इसमें कोई दो राय नहीं राज्य सरकार और भारत सरकार उसको समाप्त करना चाहती थी।

(श्री परसराम मदेरणा)

होलसेलर्स का एक शोषण का जरिया था और एक प्रकार की उनकी स्पेकूलेशन बनी हुई थी जिससे भावों में उतार-चढाव होता था, वह समयानुकूल नहीं था । जैसे ही किसान की एग्रीकल्चर प्रोडयूज मार्केट में आती, भावों को गिरा देना उनकी एक चाल होती थी । रेमुनरेटिव प्राइस उनको नहीं मिल पाती थी और जब उसकी क्षमता नहीं हो, होल्ड नहीं कर सकें तो 60 दिन बाद भावों को आसमान में चढा देना, देश में अनाज की कमी हो तो उस समय अनाज को इधर उधर डाल देना । इस तरह की स्थिति को करने के लिए राज्य सरकार ने यह कानून बनाया है और उसी कानून को लागू किया है । इसकी क्रियान्विति के अन्दर बहुत सी डिफिकल्टीज आने वाली हैं और उसको भी राज्य सरकार ध्यान में रखने जा रही है। राज्य सरकार को यह भी जानकारी है जब इस प्रकार की स्थिति, नॉन कॉपरेशन की नहीं बल्कि इस स्ट्रक्चर को सबोटेज करने की कुछ लोगों को जो है उस समय में क्या किया जाना चाहिए इसी लिए भी राज्य सरकार स्टेप्स ले रही है । और उस संबंध में जो भी अनाज को परचेज करने की रखी है उसमें मार्केटिंग सोसायटी, राजस्थान वेयर हाऊसिग कॉरपोरेशन, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और दूसरी प्रकार की जितनी संस्थायें जो मार्केट के अन्दर खरीद फरोख्त का काम करती हैं चाहे मार्केटिंग कॉपरेटिव हो और चाहे कोई अपेक्स बाडी हो उन सबको हम लेने जा रहे हैं और उनका कोपरेशन भी नहीं लेना चाहते हैं । कोपरेशन लेना चाहते हैं हम इस सदन के एक एक माननीय सदस्य का कॉपरेशन लेना चाहते हैं हम विभिन्न राजनैतिक दलों का ।

जो संकल्प कांग्रेस ने लिया है उस उत्तरदायित्व को वहन करने में कांग्रेस पार्टी कभी पीछे नहीं रहेगी । इस स्ट्रक्चर को कामयाब बनाने के लिए बहुत बड़ी जनता का गांव गांव का वार्ड वार्ड का कोपरेशन लेना पड़ेगा नहीं तो यह स्ट्रक्चर फैल हो सकता है । राज्य सरकार इस बात को जानती है इसलिए जो बिल इस संदर्भ में लाये हैं इसमें खास तौर से 3-4 बातें हैं । एक तो बोर्ड के कान्स्टीटयूशन की बात है, एक ऐडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट क्रियेट करने की बात है तीसरी पीनल क्लॉज के बारे में है । माननीय सदस्य चले गए वे सदस्य थे । उन्होंने कमेटी में स्वयं ने सिफारिश की थी कि पैनल्टी बहुत कम है । उस कमेटी के चेयरमैन हैं उन्होंने पीनल क्लॉज में तीन महीने रखा है। उस वक्त के चेयरमैन जिनकी बड़ी बड़ी रिकमन्डेशन थी वे इन्ट्रोड्यूस की गई हैं । उन्होंने पेनल क्लॉज को सख्त बनाने की बात की थी जब वे आयेंगे तो अभी मैं और बात कहूंगा तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि बोर्ड जिसको हम कान्स्टीट्यूट करने जा रहे हैं उस बोर्ड का जो हमने कम्पोजीशन किया है, अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां पर सुझाव दिया कि उस बोर्ड को काम्प्रीहेंसिव पावर्स होनी चाहिए और रेगुलेटरी पावर्स नहीं । मैं माननीय सदस्य को यही निवेदन करना चाहता हूं कि बोर्ड के कान्स्टीट्यूशन के बाद में जो मार्केटिंग कमेटीज या मण्डी समितियां हैं और इनकी अपेक्स बाडी बोर्ड बनने जा रहा है इसका परपज तो केवल मार्केट में जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आता है उस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के बेचने के अन्दर जिन लोगों का एक्सप्लाइटेशन होता था या बेचने के लिए जो काश्तकार सुदूर गांवों से आते हैं उनको जो सुविधायें मार्केट यार्ड में उपलब्ध नहीं हो

(श्री परसराम मदेरणा)

रही हैं उसकी तरफ आज कोई ध्यान देने वाला नहीं है इसलिए उत्तरदायित्व है उनका और बनी हुई इलेक्टेड कमेटीज सार संभाल नहीं कर रही है तो वह सुविधायें जो दूसरे आदमियों को उपलब्ध होती हैं वह किसानों को भी मण्डियों में उपलब्ध होनी चाहिए ।

यहां पर पदमपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने और गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने सिंगल मेम्बर कान्स्टीट्यूएन्सी की बात कही । मैं भी आपके इस सुझाव से सहमत हूं । यह रूल्स में अमेन्डमेन्ट करने से किया जा सकता है । इसलिए मैं जो रूल मेकिंग पावर्स के नीचे राज्य सरकार सक्षम है, मैं इस अमेन्डमेन्ट को करने जा रहा हूं । यहां पर पदमपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक रुपया कमीशन के काट जाने की बात कही और कहा कि यह किसानों से काटा जाता है और पंजाब में परचेजर से काटा जाता है, उससे वसूल किया जाता है। इस प्रकार की बात कही । इसके संबंध में मुझे पूरी जानकारी नहीं है लेकिन मैंने उसके फैक्ट्स मालूम करवाये हैं और पंजाब का जो मार्केट प्रोडयूस एक्ट है उसके बाईलॉज में क्या प्रावधान है, मण्डीज में क्या है उनको भी मैंने मंगवाया है । किसानों का एक डेलीगेशन भी मुझसे करीब महीने भर पहले मिला और उन्होंने भी मेरे सामने इसी बात को रखा । उन्होंने कहा कि एफ० सी० आई० देती है 1.60 कमिशन एजेन्ट को यह बात समझ में नहीं आई कि कमिशन एजेन्ट को 1.60 दिया है और राजस्थान में एफ० सी० आई० नहीं दे रही है । इस संबंध में मैं जानकारी ले रहा हूं और इसको भी देख रहा हूं कि हमारे यहां पर क्या एनामोली है ।

श्री गुरदयालसिंह संधू : इस 1.80 में से 1.25 कमीशन है और यह कमिशन एफ० सी० आई० देती है ।

श्री परसराम मदेरणा : एफ० सी० आई० यहां भी दे रही है । हो सकता है कि पंजाब की एफ० सी० आई० कम्पेल्ड हो या फिर पंजाब सरकार इस पोजीशन में हो कि वह उसको कम्पन्सेट कर सकती हो । हिन्दुस्तान के अन्दर जो भी सरप्लस सेन्ट्रल पूल में गेहूं आ रहा है पंजाब अकेले का कन्ट्रीब्यूशन 3/4 है और दूसरे राज्यों का 1/4 है जिसमें हरियाणा भी शामिल है । इसलिए क्या फेसेलिटीज दे रखी हैं इसकी जानकारी मुझे नहीं है और मैं मालूम कर रहा हूं ।

पेमेन्ट के संबंध में भी उन्होंने कहा कि शीघ्र होना चाहिए । यह एक्ट में प्रावधान है कि पेमेन्ट उसी दिन दिया जाना चाहिए । इसमें अभी कुछ देरी से रही है । अब तो खास तौर से गंगानगर में गेहूं की फसल बाजार में आने वाली है और पब्लिक एजेन्सी गेहूं खरीदने जा रही है तो मैं निश्चित् रूप से इसको देखूंगा कि किसान का पेमेन्ट उसी दिन होना चाहिए और उसमें कुछ घन्टों की भी देरी नहीं होनी चाहिए ।

यहां पर लाडनू से आने वाले माननीय सदस्य ने मण्डी समितियां के क्षेत्र के संबंध में बात कही । रेगिस्तानी इलाके में कुछ क्षेत्र बड़े हैं और बड़े होने के कुछ कारण भी हैं । प्रोडयूस लिमिटड है और अगर छोटी छोटी कमेटीज बना दी गयीं तो आर्थिक रूप से वह सक्षम नहीं रहेंगी । आज मैं क्लॉज 17 में अमेन्डमेन्ट करने जा रहा हूं वह इसलिए जरूरी है कि बहुत सी मण्डी समितियां यार्ड्स को डवलप करने

(श्री परसराम मदेरणा)

के काम को हाथ में नहीं ले सकतीं। यहां पर हवा महल से आने वाले माननीय सदस्य ने इन मण्डी समितियों में और बोर्ड में एम० एल० ए० के रिप्रेजेन्टेशन की भी बात कही। आज भी इस एक्ट में हम प्रावधान ऐसा ला रहे हैं कि ताकि वेस्टेड इन्टरेस्ट के जो दलाल हैं वह किसानों का शोषण नहीं कर सकें। आप एम० एल० ए० को हर जगह रखना चाहते हैं। यहां कोई रिलिफ एडवाइजरी कमेटी नहीं है जिसमें एम० एल० ए० की बात कह रहे हैं कि जिनको हमने तहसीलों में भी रखा। मैं उसको स्वीकार कर लेता लेकिन यहां पर हम काश्तकार के इन्टरेस्टस् को वाच करना चाहते हैं। हवा महल से आने वाले माननीय सदस्य न हल वाले हैं और न अनाज पैदा करते हैं और फिर कमेटी के मेम्बर बनना चाहते हैं तो आपको मेम्बर कैसे बनाया जा सकता है ?.......

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैंने मेरे लिए नहीं कहा प्रत्येक विधायक के लिए कहा है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति, पल्लेदार और दलाल सबके बारे में मैंने कहा है।

श्री परसराम मदेरणा : अनुसूचित जाति के लोगों का रिजर्वेशन हमने सर्विसेज में किया है, लैण्ड के अलॉटमेन्ट के अन्दर उनको प्राथमिकता दी है, दूसरी बातों में भी दी है। यदि वह काश्तकार हैं तो उनका रिप्रेजेन्टेशन उसमें हो सकता है और जब हम सिंगल मेम्बर कान्स्टीट्यूएन्सी बनाने जा रहे हैं तो उसमें देखेंगे कि काश्तकार कितने आते हैं, इनको रिप्रेजेन्टेशन मिलता है या नहीं मिलता है। रूल्स में भी अमेन्डमेन्ट किया जा सकता है। आज इसमें तरमीम करने की आवश्यकता नहीं है।

यहां पर आपने क्लाज 4 में जो अमेन्डमेन्ट मूव कर रखा है 'डाइरेक्शन्स टू रिड्यूस दी स्टाफ' इस संबंध में आपने कहा और यह तो आपका अमेन्डमेन्ट है। क्लाज बाई क्लाज चर्चा होगी उस समय मैं आपको उपयुक्त उत्तर दूंगा। यहां पर मण्डीज के क्लाज 17 के संबंध में आपने कहा कि एक रुपये का टैक्स लगाया है, यह ठीक नहीं है। यह तो मैं जानता हूं कि काश्तकार कई जगह इस बात का ऐतराज कर सकता है। राजस्थान में अभी तक जो मण्डियों के डवलपमेंट के लिए इन्स्टीटयूसनल फाइनेन्सिग करने के लिए जो तीन-चार प्राजेक्टस् बनाये हैं उसमें सबसे बड़ी बाटलनेक यह है कि इन मण्डी कमेटियों के साधन बहुत कम हैं और पंजाब के अन्दर एक रुपया है इसलिए आज पंजाब करोड़ों रुपया वर्ल्ड बैंक से ले जा रहा है, दूसरे इन्स्टीटयूशन्स से भी ले जारहा है और राजस्थान वंचित रह रहा है और हमारा प्रोजेक्ट हैल्ड-अप रह गया है इसलिए मैंने उचित समझा है, पहले मैं आर्डीनेन्स के जरिये ला रहा था लेकिन इसलिए नहीं लाया कि 15-20 दिन में यह सदन मिलने वाला था और मैंने उचित नहीं समझा कि गवर्नर की तरफ से कोई आर्डीनेन्स लाया जाये। इसलिए यह जो अमेंडिग बिल लाया गया है मैं हाउस को फिर निवेदन कर दूं कि अभी तक एक प्रोजेक्ट की जो क्रियान्विति की है जिसके चैयरमेन इसी सदन के माननीय सदस्य सरदारपुरा से आने वाले हैं उन्होंने स्वयं ने प्रोजेक्ट तैयार किया। उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट की तारीफ की है जो गवर्नमेंट आफ इन्डिया के एक्स्पर्टस् आये हैं उन्होंने की ऐसी रिपोर्ट "हमने

(श्री परसराम मदेरणा)

हिन्दुस्तान भर में कहीं नहीं देखी और उसके साथ ही साथ कन्डीशन रखी है, कुछ फण्ड्स रिलीज किये लेकिन इस बात की कन्डीशन थी कि आप फीस को बढ़ायेंगे और राज्य सरकार ने आश्वासन दिया था कि आप प्रोजेक्ट को क्लियर कर दो हम फीस के संबंध में अमेण्ड मेंट लाने जा रहे हैं। इसलिए यार्ड और सब-यार्ड को डेवलप करके काश्तकारों को यह सभी सुविधायें मिलें इस इरादे से यह किया जा रहा है। इसलिए यह मैं इसको बहुत ठीक समझता हूं।

अभी नगरपालिका और दूसरे लोगों के बारे में कि इकोनोमिस्ट हों और इसके अन्दर कोई दूसरे लोग, मिनिस्टरों के चमचे और इसी तरह की बातें कही हैं जैसा कि हमेशा आप कहते हैं···

श्री गिरधारीलाल भार्गव : ऐसा होता है इसलिए कही है। आपने यूनिवर्सिटी में भी ऐसा किया है····

श्री उपाध्यक्ष : आप तशरीफ रखिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : वहां पर आपके रिश्तेदारों को लिया गया है जिनका इससे कोई संबंध नहीं है उनको लिया गया है। इसलिए

(व्यवधान)

मैं सरकार को सचेत करना चाहता हू कि ऐसे लोगों को न लिया जाय, इसलिए आगाह कर रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने सरकार को आगाह किया। लेकिन मैं एक बात निवेदन कर देना चाहता हूं कि जो कुछ भी नोमिनेशन होंगे वे मेरिट के आधार पर होंगे। और हम लोग ऐसी क्लास को बिलोंग करते हैं क्योंकि ट्रेजरी बेंचेज में बैठे हुए हैं इसलिए शायद आप हमारे बारे में गलतफहमी रख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारी रिश्तेदारी में किसी ने मेट्रिक पास तक नहीं किया बीस पीढी में। इसलिए इस प्रकार की भ्रांति होने का प्रश्न नहीं है। इस संबंध में मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि हमें जो उसमें टेक्निकल गाइडेन्स दे सकें और हमने जो भी स्कीम या प्रोजेक्ट रखा है उसमें इण्टेलीजेंट जो हैं, जो एक्सपर्ट हैं ऐसे आदमियों को ही रखना पड़ेगा। इसलिए राज्य सरकार नोमिनेशन करने के संबंध में किसी प्रकार का कोई पक्ष नहीं करेगी।

जयपुर में दो मण्डियों की व्यवस्था के बारे में बात कही गई और नगरपरिषद् के बारे में भी बात कही गई। जयपुर में एक तो आप देखें तो कितनी एड मिली है और दूसरी तरफ राजस्थान की जितनी म्युनिसिपेलिटीज हैं, 139 के आसपास हैं उनको जो कुछ एड मिली है और उसके मुकाबले जो जयपुर को एड मिली है, वह अगर आप देखें तो पिछले फाईनेन्शियल ईयर में आपको ज्यादा मिली है। एक तरफ तो आप यह बात कहते हैं कि जयपुर राजस्थान की कैपिटल है और कैपिटल के नाम पर हाई कोर्ट की मांग करते हैं, दूसरी तरफ यहां फ्रूट खाने वाले लोग भी ज्यादा हैं। जो बंगले यहां पर हैं वैसे बंगले राजस्थान में दूसरी जगह, दूसरे शहरों में कहीं नहीं हैं, फ्रूट खाने वाले भी सबसे ज्यादा यहां पर हैं, अच्छा शरवती गेहूं खाने वाले भी सबसे ज्यादा यहां पर हैं और इन्कम-टक्स सबसे ज्यादा देने वाले भी यहां पर हैं·····

श्री केदारनाथ : मछली खाने वाले भी हैं।

श्री परसराम मदेरणा : मछली का स्वाद लेने वाले भी यहां पर हैं। यहां पर फ्रूट अगर विकता है और एक्ट के अन्दर इस बात का प्रावधान है कि एग्रीकल्चर प्राड्यूज, एनीमल हस्बेंड्री से जो प्रोड्यूज हो, एनीमल पावर से जो प्रोड्यूज हो वह सब इसमें आयेगी और शिड्यूल के अन्दर लिस्ट दी हुई है वह शिड्यूल आपने एक्ट के पीछे देखा होगा और अगर देखा है तो शिडयल मे सीरियल्स हैं तो फ्रूट्स भी हैं शिडयूल नम्बर 7 को आप देख लीजिये। और फिर यह भी निवेदन करूं कि जब यह मण्डी एक्ट बना था, एग्रीकल्चर प्रोड्यूज मार्केट उस समय दो हजार के आस-पास व्यापारियों ने रिट की थी। कमेटीज का कई वरसों तक कांस्टीट्यूशन नहीं होने दिया। कई जगह से स्टे आर्डर लाते रहे और माफ करना मुझे, जयपुर के अन्दर चुनाव होने के बाद मे कमटी का फंकशन नहीं होने दिया। कई तरह के मामले हाई कोर्ट में गये। कलेक्टर ने कोई फैसला कर दिया तो उसको भी वे हाई कोर्ट में ले गये और उसके बाद में अब फ्रूट मंडी कमेटी के चुनाव भी हो चुके हैं और राज्य सरकार जल्दी ही गजट में शाया करने जा रही है। दो तरह की प्रोड्यूज और दो तरह के अलग-अलग मार्केट हैं और इन दोनो प्रकार के मार्केट में जो कुछ भी प्रोड्यूज आती है, चाहे फ्रूट हो, चाहे सीरियल्स हों वह सब कण्ट्रोल से बिकें, वहां पर चाहे पल्लेदार हों, चाहे छोटे कोई आदमी हों, चाहे ठेला लेकर बेचने वाले हैं, इन लोगों का किसी प्रकार का एक्सप्लायटेशन नही हो और वे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रहें, क्योंकि फ्रूट के भाव भी कई दफा गिरा देते हैं इस शहर के अन्दर। इसलिये इस पद्धति को समाप्त करने की आवश्यकता है कि फ्रूट मार्केट का भी रेग्युलेशन होना चाहिए।

उन्होंने नगर परिषद् के बारे में कहा कि जहां पर नगरपरिषद् हो वहां पर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। अनाज भी सबसे ज्यादा चाहते हैं, यहां कण्ट्रोल भी नहीं हो, और काश्तकार यहां पर लाए। पहले यह कहा गया था कि यहां पर अनाज काश्तकार नहीं बल्कि कमीशन एजेन्ट ला रहे हैं। इसका राज्य सरकार ने सर्वे कराया और सर्वे कराने के बाद में यह आंकडे सामने आए कि 70 पर्सेन्ट अनाज काश्तकार लाता है और 30 पर्सेन्ट अनाज कमीशन एजेन्ट लाते हैं। इसलिए यह बात किस आधार पर कही गई यह मेरी समझ में नहीं आई। नगरपरिषद मे यह व्यवस्था नहीं की जावे और नगरपरिषद् की सीमा में काश्तकार कभी आते रहे हैं और आज आप स्वयं जानते हैं कि लिट्रेसी क्या पर्सेन्टेज है, इसका एक्सपीरिएन्स आपको भी है इसलिए राज्य सरकार इस सुझाव को नहीं मान सकती।

यहां पर छोटे रिटेलर के बारे में बात कही गई है और उसको प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा। मैं उनकी राय से सहमत हूं और हम रिटेलर्स से कोआपरेशन ले रहे हैं। रिटेलर्स अपनी एसोसिएशन बना रहे हैं और कुछ एसोसिएशन बनाई भी हैं जो बडे बडे व्यापारियों से अलग होकर राज्य सरकार को कोआपरेट करना चाहते हैं उनसे हमारा संपर्क है पिछले चार दिन से। हम उनका कोआपरेशन लेना चाहते हैं और यदि कोई भी कोआपरेशन देगा तो निश्चित तौर पर कोआपरेशन लिया जावेगा और उनको पूरा बढावा भी दिया जावेगा और आउट

(श्री परसराम मदेरणा)

आफ दी वे जाकर भी उनको प्रोत्साहन देना पड़ा तो वह हम देंगे।

इसलिये जो माननीय सदस्यों ने अपने प्रस्ताव रखे कि पब्लिक ओपिनियन जानने के लिए और उसको सुपुर्द करने सलेक्ट कमेटी में, इसे मैं इस बिल की अहमियत को देखते हुए स्वीकार करने में असमर्थ हूं और मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे अपने प्रस्तावों को वापस ले लें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : एक निवेदन कर दूं। धारा 6 में लिखा हुआ है कि एक मार्केट एरिया में एक ही कमेटी होगी जब कि जयपुर में दो तो यह क्यों और फिर फ्रूट कमेटी को भी कमीशन्ड कर रहे हैं। तीन दिसम्बर, 69 को मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला कर लिया गया था कि जयपुर में यह फल और सब्जी के बारे में जो कमेटी बनेगी उसको डिजोल्व कर देंगे और एक ही कमेटी रहेगी, इस बारे में क्या स्थिति है ?

श्री परसराम मदेरणा : मंत्रिमंडल ने फैसला नहीं किया था उसको रोका था और वह मंत्रिमंडल का फैसला बाद में पुनर्विचार होकर खोल दिया, एक बात।

दूसरी बात यह कहूं कि दूसरी जगह इस बात की कोशिश की गई, उदयपुर में, अलवर में और जयपुर में, तीन जगह ऐसी थीं कि इनकी कमेटियां नहीं बनने दी। दो में तो बन गई हैं, यहां पर कमेटी कांस्टीट्यूट हो गई है लेकिन फंक्शन नहीं कर सकी है। उसमें क्या कमी रह गई है और किस तरह से वह फंक्शन नहीं कर सकी तो अब किस तरह से इफेक्टिवली फंक्शन कराया जाना चाहिए इस संबंध में राज्य सरकार शीघ्र ही निर्णय ले रही है। जहां तक फ्रूट का सवाल है, इसके अन्दर जो कानूनी प्लीज ली गई है उनका इण्टरप्रिटेशन मैं कोर्ट पर ही छोड़ देता हूं। जहां तक फ्रूट मण्डी बनाने का प्रश्न है और जो कुछ बनाई गई है वह ठीक है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जयपुर में ही यह क्यों हो, और भी जगह हो। अभी तक तो दिल्ली तक में फ्रूट मंडी नहीं है। केवल जयपुर में, जबकि भारत वर्ष में और कहीं फ्रूट मण्डी है, जयपुर में ही यह मण्डी बनाई जा रही है तो यह व्यवहार क्यों ?

दूसरी बात यह है कि सारे नाकों पर नाकेदार बैठेंगे, लोग नाकों पर पड़े रहेंगे, वहां ढेरियां होगी, पैसा देंगे, बिल किस-किस प्रकार से बनेगा, तीन–तीन रिटर्न भरने पड़ेंगे, इकरारनामा लिखना पड़ेगा, इस संबंध में विचार किया है।

(समय-समाप्ति-सूचक अनवरत घण्टी)

श्री परसराम मदेरणा : यह इस प्रकार के नाको, ढेरियों और बिलों की भूल भुलैया में आप मत डालिए। क्योंकि जो कुछ इकरारनामा भरना है वह पद्धति सब समय पर सीख जायेंगे। जिस वक्त यहां पर पंचायत समिति और जिला परिषद् एक्ट आया तो उस वक्त भी यह शंका जाहिर की थी कि लोगों को किस प्रकार से सूचना मिलेगी। लेकिन इस सदन में बिल पास होने के दस 12 दिन में इलेक्शन होने की बात आई तो राजस्थान का एक-एक वोटर इसके प्रावधानों को समझ गया था। ऐसी मशीनरी हमारे पास में है जो उनको इसकी सूचना दे देगी। इस प्रकार की दलील देना कि इस प्रकार से छोटी-मोटी दिक्कतें आ जायेंगी तो यह तो लंगड़ी दलील है। इस प्रकार की दलील की रसीद देनी

Page No. 94

(श्री परसराम मदेरणा)

पड़ेगी. हिसाब रखना पड़ेगा और लोगों को दिक्कत हो जायेगी यह सब भ्रान्तिपूर्ण प्रचार आप कम से कम यहां जयपुर तक ही सीमित रखें तो ही ठीक रहेगा। काश्तकारों में इसके लिये भ्रान्ति और गलत फहमी पैदा करने की कोशिश न करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : लोगों को इससे बड़ी कठिनाई होगी मैं माननीय मंत्रीजी फिर निवेदन करूंगा····

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। (व्यवस्था-सूचक-अनवरत-घण्टी) (अश्रव्य) आपके प्रश्नों के जवाब दे दिए फिर एक प्रश्न दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न और फिर वही दोहराना, तो इसका तो कोई अन्त ही नहीं होगा।

श्री केदारनाथ : जो तोल और दलाली करते हैं उनकी नुमाइन्दगी के बारे में भी आप कह दें।

श्री परसराम मदेरणा : ब्रोकर्स के संबंध मे अभी जो निवेदन किया गया है, उस बारे में मैं विचार करूंगा। क्यों कि आज ही यह मुद्दा सामने आया है।

श्री उपाध्यक्ष : पदमपुर से आने वाले माननीय सदस्य क्या अपने प्रस्ताव को वापिस लेते हैं।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने प्रस्ताव को वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव वापिस लेने का अनुमति दी जाती है।

श्री गुरदयालसिंह सन्धु : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केशरीमल।

श्री केशरीमल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है।

(स्वीकृत)

अनुमति दी जाती है।

श्री केशरीमल : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

राजस्थान कृषि उपज विपणि (संशोधन) विधेयक, 1973 पर खण्डशः विचार एवं उसका पारण

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि उपज विपणि (संशोधन) विधेयक, 1973 को विचारार्थ लिया जाए।

(स्वीकृत)

विधयक विचारार्थ लिया गया।

खंड 1 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि उपज विपणि (संशोधन) विधेयक, 1973 के खंड 1 को पारित किया जाए। कोई संशोधन नहीं है।

श्री झाबरमल सूंडा : उपाध्यक्ष महोदय!

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज!

श्री झाबरमल सूंडा : मेरा निवेदन यह है कि इस विधेयक को पारित नहीं किया जाए।

Page No. 95

श्री उपाध्यक्ष: आपने नियमों को समझा नहीं है। पारित नहीं कर रहे हैं।

प्रश्न यह है कि खंड एक को पारित किया जाए।

(स्वीकृत)

खंड 1 पारित किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि उपज विपणि (संशोधन) विधेयक, 1973 के खंड 2 को पारित किया जाए।

(स्वीकृत)

खंड दो पारित किया गया।

खंड 3. श्री यशवन्तसिंह नाहर, श्री अमृतलाल गहलोत।

श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय मैंने और नाहर सहाब ने संयुक्त रूप से यह संशोधन प्रस्तावित किय था। परन्तु मैं अभी अपने इस संशोधन के लिए प्रेस नहीं करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : क्या आप इसको वापिस लेते हैं।

श्री अमृतलाल गहलोत: इसको वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय, क्लाज 3 में मेरा संशोधन है :

Insert the words "within three months' between the words 'unde sub-section (1)' and the words 'The State Government' in clause (a) of sub-section (2) sought to be substituted."

क्योंकि इस एक्ट में राज्य सरकार को कोई टाइम दिया हुआ नहीं है। इसलिये तीन महीने जब पूरे हो जावें तो राज्य सरकार को नॉमीनट करने का पूरा अधिकार हो जाता है। यह मेरा संशोधन है और माननीय मंत्रीजी मूल एक्ट की भावना और प्रजातंत्रीय व्यवस्था को देखते हुए सरकार मेरे इस अमेन्डमेन्ट को स्वीकार करेगी और यह तीन महीने का समय दिया जाना चाहिए।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता हूं। इसलिए नहीं कर सकता हूं कि राज्य सरकार यह अनुभव कर रही है कि मार्केटिंग सोसाइटी को कॉन्स्टीटयूट करने के लिये नॉमीनेट नहीं करके तीन महीने का समय ले सकती है और तीन महीने के बाद फिर नोटिस देकर फिर चुनाव करवाए जायेंगे। इसमें डिले होगी। इस डिले को अवाइड करने के लिये मैंने यह क्लाज लिया है और माननीय सदस्य का संशोधन मान लेते हैं तो पूर्व में तो डिले हो रही है और मंडी कमेटियां फंक्शन नहीं कर रही हैं। इसलिए यह संशोधन मुझे स्वीकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : क्या आप इसको वापिस लेते हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं वापिस नहीं लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि उपज विपणि (संशोधन) विधेयक, 1973 के खंड 3 पर श्री गिरधारीलाल भार्गव ने जो संशोधन प्रस्ताव मूव किया है, वह पारित किया जाए।

(अस्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)
संशोधन प्रस्ताव गिर गया ।

प्रश्न यह है कि खंड 3 पारित किया जाए ।

(स्वीकृत)

खंड 3 पारित किया गया ।

खंड चार ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : श्री अमृतलाल गहलोत ।

श्री गहलोत मूव नहीं करते ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय,

"Provided that if the term of office of the outgoing members of a market committee has expired before the commencement of the Rajasthan Agricultural Produce Markets (Amendments) Act, 1973, it shall be deemed to extend to and expire with the day before the date of the first general meeting of the market committee constituted in its place.."

इसमें वह जो समाप्त हो गया है उसको भी प्रोवाइडेड क्लॉज रखने से समय और मिल जाएगा और तब तक लागू रहेगा तक कि मार्केटिंग कमेटी गठित न की जाए । पहले वाली मीटिंग न हो तो रिट्रास्पेक्टिव ऑपरेशन है उसको समाप्त किया जाए और उसके स्थान पर ऊपर वाली बात है :

"The State Government may, by notification, extend from time to time the term of office of the members of a market committee for such period or periods not exceeding one year in the aggregate as it thinks fit."

श्री उपाध्यक्ष : आप खंड तीन में यह संशोधन मूव कर रहे हैं जबकि वह स्वीकृत हो गया है । आप कृपया खंड चार लीजिए ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं खंड चार ही ले रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : यह नहीं है । यह तो खंड तीन में है जो आप कह रहे हैं ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इसके बाद चार में है प्रोवाइडेड......

श्री उपाध्यक्ष : जो आप कह रहे हैं वह खंड 3 का सब-क्लॉज है ।....

श्री परसराम मदेरणा : यह आपने मूव नहीं किया और खंड पारित हो गया । आप एक अमेन्डमेन्ट पर ही बोले हैं ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप जवाब देना नहीं चाहते हैं और जल्दी कर रहे हैं । आपके सदस्य अपने अमेन्डमेन्ट को प्रेस नहीं कर रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या आप खंड चार को मूव नहीं करना चाहते हैं ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : No act of a market committee, or of any sub committee thereof, or of any person acting as a member, Chairman, Vice-Chairman or Secretary shall be deemed to be invalid

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

by reason only of some defect in the constitution or appointment of such market committee, sub-committee........ यह कान्स्टीट्यूशन गलत है। कांस्टीट्यूशन वाली कमेटी जो इस प्रकार से काम करेगी वह वेलिड माना जायेगा। यह ठीक प्रकार से नहीं बनी है। यह प्रजातंत्र के अन्दर गलत आधार पर कान्स्टीट्यूशन हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : यह भी तीन में है। आप चार पर आइये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : Any person aggrieved by an order of the market committee or from the notice of termination of services served by the Secretary may, within 15 days from the date of receipt... final and...

इसके आगे जो दिया है।

"shall not be called in question by any court."

मेरा निवेदन है, इन शब्दों को डिलीट कर दिया जाए क्योंकि यह एक प्रकार से अन्याय होगा कि वह न्यायालय की शरण में नहीं जा सकता। इस प्रकार का प्रावधान करना गलत है। न्यायालय की शरण में जाने का सबको मूल भूत अधिकार है। इसलिए मेरा निवेदन है कि न्यायालय की शरण में न जाने के लिए जो क्लाज वह गलत है और उससे मैं सहमत नहीं हूं।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय सदस्य ने जो इस क्लॉज को डिलीट करने के लिए सुझाव दिया है जैसा कि स्कीम्स हैं और कुछ मंडी समितियों में, कमेटी के अन्दर इस प्रकार के अमेन्डमेन्ट्स किए हैं और उनका इतना टॉप हैवी एडमिनिस्ट्रेशन हो गया है कि वे घाटे में चल रही हैं और उनकी तनख्वाहें कई महीनों तक नहीं चुका पा रही है। जयपुर का ही यही हाल है। यहां का जो सैक्रटरी है उनकी स्वयं की तनख्वाह 7-8 माह से नहीं दी गयी है। राज्य सरकार उसको लोन देने की बात सोच रही है। वह यह भी सोच रही है कि इतने स्टाफ की आवश्यकता है या नहीं। आवश्यकतानुसार ही स्टाफ रहे लेकिन कई कारणों से मंडी कमेटी में अनावश्यक रूप से स्टाफ रखा जाता है जो कि जरूरी नहीं है। उनकी सर्विसेज टर्मिनेट करने के लिये जो अपारचुनिटी की गई है, यह अपील की अपारचुनिटी राज्य सरकार तक है। राज्य सरकार द्वारा उसकी अपील पर निर्णय लिया जायेगा और उसके बाद उसको किसी प्रकार से कोर्ट में जाने का राइट नहीं रहेगा। यह राज्य सरकार उचित नहीं समझती है। अगर ऐसा किया गया तो झगड़े होंगे इसलिये माननीय सदस्य ने जो अमेन्डमेन्ट मूव किया है उसको राज्य सरकार स्वीकार करना उचित नहीं समझती है।

श्री मनोहर लाल : जिसको सरकार...

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जवाब तो सुन लिया। मैं वापिस नहीं लेता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आपका इस पर अमेंडमेंट नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं राय तो दे सकता हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : एमेंडमेन्ट देने के बाद ही उसके उपरान्त बोलने का अधिकार हो इस बारे में मुझे निवेदन करना है कि उसके सपोर्ट में तो बोल सकते हैं। इस प्रकार की परिपाटी है कि जिसमें एमेंडमेन्ट नहीं हो और मूल एक्ट की धारा पर एमेंडमेन्ट हो तो उस एमेंडमेन्ट पर राय तो दे सकता है। मूल एक्ट पर कोई विधेयक आता है और उसके जरिये अमेंडमेन्ट लाते हैं तो मैं समझता हूं कि आपकी जो कार्य संचालन प्रक्रिया संबंधी नियमावली है उसके आधार पर आप देख लें कि प्रत्येक माननीय सदस्य को बोलने का अधिकार है, वर्ना यह एमेंडमेन्ट नहीं हो तो 10 मिनिट तक बिल पर बोलें और पास कर दें, छुट्टी हो जायगी। मेरी पुनः प्रार्थना है कि जो मूल एक्ट में एमेंडमेन्ट लाते हैं तो प्रत्येक सदस्य को एक-एक क्लाज पर अपने विचार रखने का अधिकार है। इस प्रकार का प्रोवीजन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हांडा !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जो माननीय मंत्रीजी ने इस संबंध में दृष्टिकोण रखा है......

श्री यशवन्तसिंह नाहर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप अवसर दें बोलने का, उससे मुझे ऐतराज नहीं है, उसमें मुझे कोई हर्ज नहीं है। वह अधिकार नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि नियमों का हवाला दिया गया है उसके बारे में कहना चाहता हूं कि ऐसा कोई नियम में प्रोवीजन नहीं है जिसमें यह कहा गया हो कि एमेंडमेन्ट नहीं दिये हों उसके उपरान्त भी बोलने का अधिकार है। मैं आपके (श्री हांडा से) बीच में नहीं आता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपकी आज्ञा नहीं हो तो नहीं बोलूंगा।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मेरी आज्ञा का प्रश्न नहीं है। आज्ञा तो माननीय उपाध्यक्ष की होगी। नियमों का हवाला दिया गया है इसलिए कहा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपकी आज्ञा शिरोधार्य है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : आप बोलें। मैं आपके बीच में नहीं आना चाहता।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जो माननीय मंत्रीजी ने दृष्टिकोण रखा है उससे मेरी सहमति नहीं है। उन्होंने जो कारण बताया है कि टॉप हैवी एडमिनिस्ट्रेशन हो यह भी ठीक नहीं है। आप एक यू. डी. सी. और एक एल. डी. सी. को इस प्रकार से निकाल दें और अपील का कोई भी प्रोवीजन नहीं हो तो यह न्यायसंगत नहीं होगा। इसमें एमेंडमेन्ट यह लाया गया है कि टॉप हैवी एडमिनिस्ट्रेशन को रिड्यूस करने के लिए रखा है तो इसमें जो अपील और फरदर अपील का प्रोविजन था उसको कैन्सिल कर दिया तो विक्टेमाइजेशन हो सकता है। तो उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए अपील की गुन्जाइश एम्प्लाईज को देना बहुत जरूरी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि यह दृष्टिकोण में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाय तो ठीक रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो कहा है मंत्रीजी ने कि अपील का प्रावधान है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट का फाइनल डिसीजन हो गया उसके बाद में किसी कोर्ट में जाने का प्रोवीजन होना चाहिए।

श्री प्रताप सिंह : यह जो अनावश्यक स्टाफ है उसके बारे मे एमेडमेन्ट लाया गया है या सारे स्टाफ के बारे मे यह लागू होगा। मंडी कमेटी जब रिकमण्ड करती है कर्मचारियों के बारे में और गवर्नमेंट डिनाई कर देती है तो उसकी अपील कहां होगी ? हाई कोर्ट बन्द कर दिया है तो मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष, माननीय सदस्य ने एक बात कही है वह पॉइंट इन्वॉल्ब्ड नहीं होता है। प्रश्न यह है कि जब डाइरेक्टर स्वयं डाइरेक्शन देता है कि यह स्टाफ ज्यादा है इसका रिड्यूस कर दिया जाय चाहे वह टेम्प्रारेरी हो चाहे दूसरे प्रकार का है, उसके अन्दर डाइरेक्शन देने के बाद अपील का प्रावधान तो रखा है गवर्नमेंट के पास, लेकिन गवर्नमेंट के पास अपील करने के प्रावधान के बाद जब वह रेमेडी एक्जास्ट हो जाती है तो क्या वह कोर्ट मे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता ? इस प्रकार का रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है वह कोर्ट मे नही जा सकता तो इस प्रकार का प्रावधान म्युनिसिपल एक्ट मे है और उसके एनालागस इस प्रकार का प्रावधान यहां पर कर रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : एक स्पष्टीकरण 'टर्मिनेशन' के बारे में चाहता हूं कि ज्यादा स्टाफ है उसकी सर्विस का टर्मिनेशन कर दिया लेकिन कोई किसी प्रकार का अपराध कर देता है या किसी को ऐसे ही परेशान करने के लिए उसकी सर्विसेज को टर्मिनेट कर देते हैं और बाई दी ऑर्डर ऑफ दी मार्केटिंग सेक्रेटरी आफ नोटिस ऑफ टर्मिनेशन सर्व कर देते हैं तो टर्मिनेशन का अर्थ यह है कि ज्यादा स्टाफ है तो उसको हटा दिया जायेगा और उसको ही टर्मिनेशन मानेंगे या कोई परमानेन्ट सर्वेन्ट है और उस से कोई अपराध हो जाय और उसके आधार पर सर्विसेज टर्मिनेट की जाय उसके लिए भी If any person aggrieved by an order of the market committee or from the notice of termination of services served by the Secretary may, within fifteen days from the date of receipt of such order or notice, appeal to the State Govt. and the order of the State Government in appeal shall be final and shall not be called in question by any court.

श्री उपाध्यक्ष : और पढ़ दें 'If at any time, it appears to the Director that the number of persons employed by a market committee is in excess of the requirements or that an irregular appointment has been made by the market committee the Director shall issue a direction to reduce the number of such employees or terminate the irregular appointment......'

श्री गिरधारीलाल भार्गव : 'टर्मिनेशन' वाला शब्द है उसका अर्थ यह तो नहीं है कि जो ज्यादा स्टाफ है, उसी की सर्विसेज के टर्मिनेशन के लिए है, लेकिन अगर उसका टर्मिनेशन किसी और कारण से होगा और राज्य सरकार का फैसला उसके विरुद्ध आता है और न्यायालय में नहीं जायगा इस प्रकार का प्रावधान रखते हैं तो यह प्रजातान्त्रिक नहीं है। न्यायालय मे जाने की छूट इनको देना चाहिए।

श्री परसराम मदेरणा : "टर्मिनेशन" का वर्ड किया है वह विथ रिगार्ड टू इर्रेग्यूलर एम्प्लॉयमेंट है यह माननीय सदस्य ने स्वयं ने स्वीकार किया है। समिति ने एपॉइंटमेंट इर्रेग्यूलर किया है और इर्रेग्यूलर एपाइटमेंट होने की वजह से सर्विसेज टर्मिनेट करने का प्रश्न है तो इसका एक्सेस स्टाफ को कम करने से ताल्लुक नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि युनाइटेड बार्गेनिंग का राइट सबको है और वह कान्स्टीटयूशनल राइट है। आप टर्मिनेट कर देते हैं। यह डाइरेक्टर का डिसीजन है, आपका डिसीजन है और आपने टर्मिनेशन कर दिया क्योंकि वह इर्रेग्यूलर था। डाइरेक्टर का डिसीजन यह है कि एक्सेज था स्टाफ वह रिमूव कर दिया। तो उसमें गवर्नमेंट एक पार्टी बन जाती है तो दूसरी पार्टी कहां जायेगी। उसको युनाइटेड बार्गेनिंग करने का राइट है, तो उसके लिए कोर्ट आपन होना चाहिए। यह ठीक है लेबर लॉज के अन्दर जो आपके यहां कार्य करते हैं वह ट्रिब्यूनल में चले जायगें। उसके बारे में मैं नहीं कहता। लेकिन जो लेबर लॉज से गाइड नहीं होते हैं और सर्विस रूल्स से गाइड होते हैं उनको राज्य सरकार को रोकने का क्या अधिकार है ?

श्री परसराम मदेरणा : जो मैंने उत्तर दिया है उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। राज्य सरकार को अपील करने का प्रावधान है, और राज्य सरकार एक पार्टी बन जावेगी तो बहुत सी सर्विसेज के अन्दर उनकी सर्विस रूल्स मे इस तरह का प्रावधान है कि राज्य सरकार के पास अपील करवाते हैं। तो जैसा कि मैंने निवेदन किया कि दूसरे इनेक्टमेंट में भी एनोलोगस प्रावधान इस प्रकार का है और उनमें जब कोई इंजस्टिस नहीं हो रही है। म्युनिसिपल एक्ट में इस प्रकार का प्रावधान है और वही प्रावधान यहां पर रखा है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि माननीय गिरधारीलाल जी भार्गव ने जो संशोधन का प्रस्ताव रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया। है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 4 स्वीकार किया गया।

खण्ड 5

प्रश्न यह है कि खण्ड 5 को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 5 स्वीकार किया गया।

खण्ड 6 श्री यशवन्त सिह नाहर।

खण्ड 6

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मेरा संशोधन तो थोड़े से शब्दों के हेर फेर का है। "in addition to" के बजाय 'without prejudice to' यह शब्द रखे जायं। यह हो जाय तो लैंग्वेज ठीक हो जाय। अगर माननीय मंत्री महोदय चाहते हों कि 'without prejudice to' के बजाय 'in addition to' ही रहे तो रहे।

श्री परसराम मदेरणा : "without prejudice to" मेरी राय में उपयुक्त नहीं रहेगा । "In addition to" ही ठीक रहेगा । मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय सदस्य इसको मान लेंगे और अपने एमेंडमेंट को वापिस ले लेंगे ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : ठीक है । मैं मूव नहीं करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमृतलाल गहलोत ।

श्री अमृतलाल गहलोत : मैं मूव नहीं करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 6 को स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

खण्ड 6 स्वीकार किया गया ।

श्री उपाध्यक्ष : खण्ड 7 ! श्री यशवन्तसिंह नाहर !

श्री यशवन्तसिंह नाहर : I don't want to move.

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमृतलाल ! ,

श्री अमृतलाल गहलोत : I don't move.

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह अच्छी तरकीब है, पास करा लें खटाखट ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 7 स्वीकृत किया जाय ।

(स्वीकृत)

खण्ड 7 स्वीकृत किया गया ।

खण्ड 8 । श्री यशवन्तसिंह नाहर !

श्री यशवन्तसिंह नाहर : हां साहब, यह भी क्या विथड्रा करना है । आप जैसा कहें ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपकी कमेटी थी, यह आपकी कमेटी की रिपोर्ट में है । उसे राज्य सरकार ने नहीं माना ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : I don't want any suggestions from you.

श्री मनोहरलाल : आपकी रिपोर्ट थी और आपके सजेशन का ही विरोध है ।

(विराम)

श्री यशवन्तसिंह नाहर : हां साहब, विथड्रा करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : मूव नहीं करते हैं ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : हां साहब ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमृतलाल गहलोत !

श्री अमृतलाल गहलोत : मैं भी मूव नहीं करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 8 स्वीकृत किया जाय ।

(स्वीकृत)

खण्ड 8 स्वीकृत किया गया ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 9 से 11 स्वीकृत किये जायें ।

(स्वीकृत)

खण्ड 9 लगायत 11 स्वीकृत किये गये ।

(श्री उपाध्यक्ष)

खण्ड 12। श्री यशवन्तसिंह नाहर।

श्री यशवन्तसिंह नहर : क्या कहूं। My suggestions are there.

श्री मनोहरलाल : आपने तो रिपोर्ट दे दी।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : I don't move. 12 को लीजिये, पास कर लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमृतलाल गहलोत !

श्री अमृतलाल गहलोत : मैं भी मूव नहीं करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 12 स्वीकृत किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 12 स्वीकृत किया गया।

खण्ड 13। श्री यशवन्तसिंह नाहर !

श्री यशवन्तसिंह नाहर : 13 में तो मानना पड़ेगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : नया चेप्टर है।

श्री उपाध्यक्ष : फर्माइये।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मेरा क्लॉज 13 में संशोधन है,

"In section 22-A, —(1) Replace the word 'by' for the word 'be' occurring before the word notification sub-section (1);"

इसमें कुछ गलती है, बी की जगह बाई कराया है। आप मंजूर करेंगे। इसे आपको मंजूर करना है।

श्री परसराम मदेरणा : मैं स्वीकार करता हूं। इस अमेंडमेंट को मान लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमृतलाल गहलोत !

श्री अमृतलाल गहलोत : मार्केटिंग सोसाइटी के बारे में कहना चाहता हूं, कम्पोजीशन के बारे में जनरल बात कहना चाहता हूं यदि आप अनुमति दें।

श्री उपाध्यक्ष : फरमाइये।

श्री अमृतलाल गहलोत : पीछे लास्ट में बोल लूंगा, सब पर शामिल बोल लूंगा।

श्री अध्यक्ष : थर्ड रीडिंग में।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : फिर भी यह लेना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 13 में जो संशोधन प्रस्ताव माननीय यशवन्तसिंह नाहर ने मव किया है वह स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 13 में संशोधन स्वीकृत किया गया।

खण्ड 13 के पार्ट ए में जो संशोधन प्रस्ताव मूव किया गया उसे स्वीकृत किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 13, मय संशोधन के स्वीकृत किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 13 मय संशोधन के स्वीकृत किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

खण्ड 14 व 15 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खण्ड 14 व 15 स्वीकृत किये जांय।

(स्वीकृत)

खण्ड 14 व 15 स्वीकृत किये गये।

खण्ड 16। श्रीमती उषा प्रकाश।

श्रीमती उषा प्रकाश : उपाध्यक्ष महोदय, इस एक्ट की अहमियत को समझते हुए, इस बिल की अहमियत को समझते हुए मैंने इसमें अमेंडमेंट मूव किया है। क्लॉज 16 के द्वारा सेक्शन 27-बी के सब-सेक्शन (1) के क्लॉजेज (बी) और (सी) इन्सर्ट कर रहे हैं, उसमें (बी) और (सी) को डिलीट करने के लिए मैंने संशोधन मूव किया है। इसके पीछे मेरा मकसद यह है, उपाध्यक्ष महोदय, हम इन सब क्लोजेज से सैक्रटरी ऑफ दी समिति को काफी पावर दे रहे हैं और आज सभी जानते हैं कि इलेक्टेड बॉडी में जो सैक्रटरी है, वह इन पावर्स को, जिसको अपन कहते हैं पक्षपात रहित भावना से यूज करेगा, या नहीं करेगा इसमें मुझे शंकायें हैं। उपाध्यक्ष महोदय, किसान और व्यापारी के लिए, दोनों के लिए, सीजर की पावर हैं। पहले पावर दे रहे हैं कि उनके अकाउन्टस देखे जायं और उसको जो कुछ देखना है, गोदाम, रजिस्टर वह सब चैक कर सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें लिखा है :

"seize any account book, registers and oth r documents...."

"seize any agricultural produce"

यह दोनों प्रावधान हैं, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा ख़याल है, बहुत सख्त हैं और सैक्रेटरी जो कि ए. ई. ओ. कैडर का बनता है, उसको इतने ज्यादा पावर निहित करना मैं समझती हूं, उचित नहीं होगा। इसलिये मैंने अमेंडमेंट मूव किया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी !

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का प्रावधान, सीजर और सीजर, का, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूज मार्केट एक्ट, मैसूर यू. पी., गुजरात स्टेट में है, उनमें इस प्रकार का प्रावधान है। राजस्थान फूडग्रेन लाइसेंसिंग ऑर्डर के नीचे छोटे अधिकारियों, एन्फोर्स के सब इन्सपैक्टर को भी दिया गया है। वहां पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो लोग हैं, इन्हें डॉकूमेंट और जो कागजात, बहियां वगैरह हैं, उनको नहीं बता कर इवेड करना चाहें मार्केटिंग के फंक्शन को, तो मैं समझता हूं कि सैक्रेटरी गवर्नमेंट का अपॉइन्टेड व्यक्ति होगा, वह इस तरह पावर को आर्बीट्रेरीली इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर आर्बीट्रेरीली इस्तेमाल करता है तो राज्य सरकार को शिकायत करने के अलावा भी विजिलेन्स कमिशन और पब्लिक ग्रीवेंएज सेज के रिमूवल के डाइरेक्टर के सामने शिकायत कर सकते हैं। लेकिन इस प्रकार का पहले प्रावधान रहा नहीं है, इस वजह से जो डॉकूमेंट हमारे सामने आने चाहिए या समिति के सामने आने चाहिए, उससे महरूम रह जाते थे। इस पावर से सैक्रेटरी को आम किया जा रहा है, मण्डी कमेटी के उचित फंक्शन के लिए, डे टू डे फंक्शन के लिए आवश्यक है। इसलिए माननीय सदस्या के सजेशन को मैं अस्वीकार करता हूं।

श्रीमती उषा प्रकाश : एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करने वाले जो छोटे-छोटे किसान हैं उनको हरेसमेंट हो जायगा ऐसा मानना है।

श्री उपाध्यक्ष : आप संशोधन प्रस्ताव को वापिस लेना उचित समझेंगी, माननीय सदस्या !

श्रीमती उषा प्रकाश : मैं वापिस लेना चाहती हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि माननीय सदस्या को संशोधन प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति दी जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति प्रदान की गई ।

वापिस लीजिए ।

श्रीमती उषा प्रकाश : मैं संशोधन वापिस लेती हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 16 स्वीकृत किया जाय ।

(स्वीकृत)

खण्ड 16 स्वीकृत किया गया !

खण्ड 17 श्री यशवन्त सिंह नाहर !

(विराम)

श्री अमृतलाल गहलोत !

श्री अमृतलाल गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं कहूंगा । मैं आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, आप चौराहे पर जब आ गये हैं और एक दीवार सामने नजर आ रही है, तो अब किधर जायेंगे । यह बहुत ही जरूरी होता है कि जो सेक्शन ने हमेशा रिवोल्यूशन का विरोध किया, अदालत में जितने तरीके हो सकते थे कानूनी और उसके बाद गैर कानूनी तरीके थे, उन्होंने हमेशा इस एक्ट को लागू करने में बाधा पहुंचायी । मुझे व्यक्तिगत इसका बहुत ही कटु अनुभव है और उसी कटु अनुभव के आधार पर मैं आपके सामने कुछ डिटेल में जिक्र करूंगा । राजस्थान में इस वर्ष लगभग 1,450 करोड़ रुपये का उत्पादन कुल होगा, स्टेट इन्कम ऑफ राजस्थान......

श्री उपाध्यक्ष : वह कटु अनुभव को दूर करने के लिए ही प्रावधान है, पैनल्टी क्लॉज है ।

श्री अमृतलाल गहलोत : इसी पर बोल रहा हूं । उन्होंने किस तरह स्टाल किया है प्रोग्रेस को, उसको डिटेल में मैं कहना चाहता हूं । इस वर्ष कृषि का उत्पादन कुछ ज्यादा गिर गया है, मंत्रीजी ने कहा था जिस वक्त मांग पेश की थी यदि 1971-72 के उत्पादन को औसत मान लें तो उचित होगा, सन् 1971-72 हमारे खाद्यान्न का उत्पादन 64 लाख टन हुआ, तिलहन का उत्पादन 4 लाख टन हुआ, कपास का उत्पादन 4 लाख गांठ हुआ, और गन्ने का उत्पादन 17 लाख टन हुआ । आप देखिये, इनका मूल्य आंका जाय और साथ में पशुपालन करने वाले में, भेड़पालन है, उसका उत्पादन बाजार में आता है, ऊन, वह देश का 45 पर्सेन्ट है । राज्य में कुल 84 लाख भेड़ हैं और ऊन का उत्पादन 1 करोड़ 40 लाख किलो है । तो 1,450 करोड़ रुपये की राशि में जो पशु पालन और कृषि क्षेत्र का कान्ट्रीब्यूशन है, वह 50 है, पचास पर्सेन्ट है अर्थात् 700 करोड़ का लगभग उत्पादन है वह इस क्षेत्र से आता है । खाद्यान्न पूरा बाजार में नहीं आता, मार्केट में सरप्लस में नहीं है । ऐसा अनुमान लगाया जाता है,

(श्री अमृतलाल गहलोत)

कि खाद्यान्न 30 पर्सेन्ट बाजार में आता है और 70 पर्सेन्ट माल उपभोग में आता है। तिलहन सारा मार्केट में आता है, सरप्लस है कपास भी मार्केट में सरप्लस है और गन्ना चाहे गुड के रूप में, चाहे मिल में रखें चाहे बाजार में लाएं, वह मार्केटबुल सरप्लस है। इस सबको देखते हुए मैंने अनुमान लगाया कि राजस्थान में कितना कृषि उत्पादन होता है, उसमें से 300 करोड़ की कृषि उपज बाजार में बिकने को आती है। यदि 300 करोड़ की उपज का ढंग से वितरण किया जाए जैसे किसान माल लेकर आए, उसके उतारने का तरीका, उसके माल के बिकने की विधि, उसका मूल्य और गोदाम और जो सुविधाय होनी चाहिए वह नहीं दी गई तो जो बिचौलिए हैं वे ज्यादा मात्रा में फायदा उठायेंगे। मैंने कृषि विभाग के प्रगति प्रतिवेदन को देखा उससे मालूम हुआ कि राजस्थान में कुल 90 मण्डी समितियां काम कर रही हैं। 90 तो मुख्य मार्केट, 76 गौण मार्केट्स याने सब मार्केट यार्ड्स। उनमें से 76 मण्डियों में समितियां काम कर रही हैं, बाकी ने अभी काम शुरू नहीं किया है। ये आपके आंकड़े हैं। यह भी कहा गया है कि 1971-72 में 175 करोड़ रुपये का वहां पर कृषि उपज का विक्रय किया गया। 300 करोड़ मूल्य का मार्केट में सरप्लस गया याने लगभग 55 प्रतिशत को मार्केट में लाने में सफल हुए हैं। परन्तु जो हालत इस एक्ट में दिखाई गई है, पर वास्तव में जिस तरह से मण्डियां काम करती हैं, वह व्यापारियों के साथ में कॉम्प्रोमाइज के आधार पर कर रही हैं। परन्तु उन व्यापारियों ने, जो मण्डी कमेटियों के नियम हैं, उनको लागू करने नहीं दिया। हाई कोर्ट उनके पास है, उनके रिश्तेदार बड़े-बड़े वकील हैं। मगर अपने व्यवहार से मैंने उनको समझा बुझाकर कहा कि हम नई मंडियां बनायेंगे तो आपको सुविधा होगी, आप लाभ उठायेंगे, अर्थात् व्यापारी वर्ग और किसान भी लाभ उठाएगा अर्थात् उत्पादन वर्ग और उपभोक्ता को भी लाभ होगा अर्थात् समाज को, याने तीनों तबकों को लाभ होगा। हम चाहते हैं कि सख्ती की जाकर ये नियम लागू करने दें लेकिन वह नहीं मानते। थोड़ा सा जुर्माना अदालतों ने कर दिया। मैं मानने को तैयार नहीं कि शत प्रतिशत न्यायपालिका भ्रष्टाचार से परे है, वहां पर क्या होता है, आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है। जब उनकी खुशामद करते हैं, हर समय अदालत की धमकी देते हैं, तो कहते हैं कि हमारा क्या बिगड़ेगा ? उसका मैं उदाहरण देता हूं। जयपुर में व्यापारियों ने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। एक बार हाई कोर्ट ने उनकी अपील को रिजेक्ट किया, वे मुख्य मंत्री के पास गए, उन्होंने कुछ दिनों की मियाद मांगी, मुख्य मंत्री ने मियाद दी, फिर स्टे लाए। इस तरह से हमेशा उन्होंने इस कानून का उल्लंघन करने की कोशिश की है। अब इस संशोधन बिल के अनुसार व्यापारी धर्मादा याने चैरिटी के रूप में उत्पादकों से वसूल नहीं कर सकते। हमारे नियम में साफ है कि कुछ नहीं ले सकते लेकिन अभी तक वे लेते रहे हैं। माल किसान का है, चैरिटी कौन देता है ? किसान देता है, पैसा कहां इकट्ठा होता है ? सेठ साहब के खजाने में। उत्पादक ने पैसा दिया, धर्मात्मा बना सेठ साहब। चाहे मंदिर में लगादें, भले कहीं लगा दें, मगर स्वेच्छा किसकी है ? सेठ साहब की। पैसा किसान ने दिया। इस तरह से काफी कुछ उनको कहा जाता है, फिर भी नहीं मानते हैं। हम जो कुछ आंकड़े देखते हैं वास्तव में किसी मण्डी कमेटी

(श्री अमृतलाल गहलोत)

पर नियम लागू हो गए हैं तो अपने आप को धोखा देना है। तो इन व्यापारियों के साथ सख्ती बरतनी होगी। हम नहीं चाहते हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार हो जिससे वे नाराज हो जायें, लेकिन जब कोई व्यक्ति अनुशासनहीन बन जाता है और समाज द्वारा बनाए हुए नियमों को लागू नहीं करता है तो सामज को कड़े कदम लेने पड़ते हैं। अतः मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसमें जो आपने पेनल्टी क्लॉज रखा है "विच मे एक्सटेंड टु थ्री मन्थ्स" इन तीनों सब-क्लॉजेज में मैं चाहता हूं कि "वन यीअर" सबस्टीटयूट किया जाए। तब ही वे लोग लॉ एबाइडिंग बनने की कोशिश करेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य ने क्लॉज 17 में जो संशोधन रखा है वह ओरिजिनल एक्ट के सेक्शन 28 को सबस्टीट्यूट करते हुए पेनल क्लॉज 17 जो सदन में लाया हूं इस क्लॉज के 28(1), 28,(2), 28(3) तीनों सब-क्लॉजेज में जो पैनल्टी ने क्लाज है तीन महीने का, उसमें तीन महीने के बजाए एक साल कर दिया जाए। माननीय सदस्य का शायद यह संशोधन है:

Words 'Three months' may be substituted with words 'one year'. I want to read original Section 28: "Whoever contravenes the provisions of section 4, shall on conviction, be punishable with fine which may extend to five hundred rupees and in the case of a continuing contravention, with a further fine which may extend to one hundred rupees for every day during which the contravention is continued after the first conviction."

इस पैनल्टी क्लॉज को मैं ज्यादा रिलेवेन्ट नहीं मानता, जो इवेजन हुआ है और जिस परेशानी से माननीय सदस्य निकले हैं जो मण्डी समिति के खुद चेयरमेन हैं इसलिए मैंने पैनल्टी क्लॉज को ज्यादा रिगरस बनाया है। उसमें तीन महीने की सजा रखी है जो पहले नहीं था और दो हजार रुपये का जुर्माना रखा है। पहले में है:

"Whoever contravenes the provisions of section 4 shall, on conviction, be punished with simple imprisonment for a term which may extend to three months and with fine which may extend to two thousand rupees and in case of a continuing contravention, with a further fine which may extend to five hundred rupees for every day during which the contravention is continued after the first conviction.

सब-सेक्शन (2) और (3) में है:

(2) Any person who intentionally evades the payment of a market fee payable under section 17 shall, on conviction, be punished with simple imprisonment for a term which may extend to three months and with fine which may extend to one thousand rupees. The Magistrate shall in addition to any fine which may be imposed, recover summarily

(श्री परसराम मदेरणा)

and pay to the market committee, the amount of market fees due and may in his discretion also, recover summarily and pay to the market committee such amount, if any, as he may fix as the cost of prosecution.

(3) Whoever obstructs the Secretary or the officer authorised for the purpose by the State Government, in entering any shop, godown, factory or any place or taking out the copies of the entries in the accounts, registers or other documents or seizing the documents under section 27-Bshall, on conviction, be punished with simple imprisonment for a term which may extend to three months or with fine which may extend to five hundred rupees or with both; and in case of subsequent ......"।

तो तीनों ही पैनल सब-क्लॉजेज में तीन महीने की सजा पहले सब-सैक्शन में, और दो हजार का जुर्माना दोनों साथ में रखे हैं। इसी तरह से तीन महीने की सजा और एक हजार का जुर्माना, दोनों ही सजायें दी जा चुकी हैं। और इसी तरह से तीन महीने की सजा और 500 रुपये का जुर्माना मैंने दोनों रखे हैं।

माननीय सदस्य सरदारपुरा से आने वाले ने दलील दी कि मैंने ट्रेडर्स को समझा बुझाकर दो-ढाई लाख की आमदनी कर दी है। मैं टैरर क्रीएट नहीं करना चाहता पैनल क्लॉजेज अधिक रिगरस रखकर। अगर सदन की सहमति हो तो मान सकता हूं लेकिन दो कन्टीनियूइंग ऑफेसेज के लिए और पनिशमेंट रखी है।

इन सभी चीजों को देखते हुए हमने यह प्रोविजन रखा है और होल सेलर को इसमें हमने नहीं रखा है। उसे हमने डीलर नहीं माना है। इसलिये हमने डीलर वर्ड रखा है ताकि होलसेलर इसमें नहीं आ सकता। होलसेलर को हम लाईसेन्स नहीं दे रहे हैं। इसमें हमने छोटे व्यापारियों को रखा है और सजा का प्रोविजन भी रखा है वह ठीक रखा है पहले चूंकि सजा का प्रोविजन कम था तो व्यापारी वर्ग के लोग उसको इवेड करते थे। लेकिन अब चेन्जड सरकमस्टान्सेज के अंदर अब यह ठीक नहीं है। इसलिये हमने सेक्शन चार को कोम्प्रहेन्सिव किया है। इसमें हमने पीक्यूनरी पनिशमेंट के क्वान्टम को बढ़ा दिया है। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, यह ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष: क्या माननीय सदस्य अपना संशोधन जो इसमें दिया है वापस लेने को तैयार हैं।

श्री अमृतलाल गहलोत: जी हां।

श्री उपाध्यक्ष: क्या माननीय सदस्य श्री अमृतलाल गहलोत ने जो संशोधन दिया है उसे वापिस लेने के लिये सदन की अनुमति है?

(स्वीकृत)

श्री अमृतलाल गहलोत: मैंने जो संशोधन पेश किये है उस को वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि सेक्शन 17 लगायत 25 को स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

सेक्शन 17 से लेकर 25 तक के सेक्शन को स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड एक, इस अधिनियम का नाम राजस्थान कृषि उपज विपणि संशोधन अधिनियम 1973 स्वीकृत किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड एक इस बिल का संक्षिप्त नाम राजस्थान कृषि उपज विपणि (संशोधन) अधिनियम, 1973 स्वीकार किया गया।

माननीय मंत्रीजी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाय।

श्री परसराम मदेरणा (कृषि मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान कृषि उपज विपणि (संशोधन) विधेयक, 1973 को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष: श्री झाबरमल सूण्डा।

श्री झाबरमल सूण्डा (फतेहपुर): उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल बहुत ही जल्दी में लाया गया है जब कि यह बिल बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस बिल के लिये जो नाहर कमेटी की रिकमन्डेशन्स जरूरी हैं वह अभी तक बाहर आयी नहीं हैं। अगर उनको इनमें इनकोरपोरेट कर लिया जाता है और इसको जरा ठन्डे दिमाग से जरा सोचकर लाया जाता तो हम काश्तकारों का ज्यादा हित कर सकते थे। इस बिल में जो मैंने संशोधन किया है वह यह है कि इसमें एक सैन्ट्रल बोर्ड का गठन किया जायेगा तथा उसकी संरचना होगी। उसके कार्य करने की व्यवस्था होगी तथा इसके अन्दर दस इलेक्टेड मैम्बर्स होंगे। उसमें व्यापारी वर्ग भी होंगे, गवर्नमेन्ट के आफिसर्स भी होंगे। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय इतने बोर्ड का गठन हो उसमें भी इलेक्टेड मेम्बर्स हों तो राज्य सरकार को इसमें क्या जरूरत पड़ी कि वह उसमें यह प्रोविजन रखे कि उस बोर्ड का चेअरमैन जो होगा वह नोमिनेटेड बाई दी गवर्नमेंट होगा। यह क्यों? इसका मतलब यह हुआ है कि आप नोमिनेटेड लोगों को ही काम की पावर्स देना चाहते हैं और जो इलेक्टेड हैं उन्हें काम आप करने नहीं देना चाहते हैं। जहां इलेक्टेड मैम्बर्स हों उसमें आप प्रेसीडेन्ट बाहर से नोमिनेट कैसे करते हैं इसमें संशोधन होना चाहिये। और जो इलेक्टेड मैम्बर्स हैं उन्हें ही चेअरमैन होने का हक होना चाहिये। नहीं तो नोमिनेटेड व्यक्ति हमेशा सरकार का होगा और जो चुने हुए व्यक्ति होंगे उन्हें काम करने का मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि जो काम करने का अधिकार उन्हें दिये गये हैं वह बहुत ही ज्यादा है। इसके अलावा आपको इनके लिये स्टाफ भी रखना पडेगा, भवन निर्माण भी कराना होगा। काफी बडी मशीनरी आपको इनके लिये रखनी होगी काफी खर्चा करना पडेगा। इसके अलावा बोर्ड दूसरी संस्थाओं से कर्जा लेकर मंडी कमेटीज को प्रोत्साहित करना पड़ेगा जो कमेटीज खुद ही अमर बेल की तरह बढ़ रही हैं उनका शासन कैसे होगा। पैसे का दुरुपयोग होगा। इसके अलावा आपने इनका कार्यकाल तीन साल का रखा है उसको आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं अगर वह नोमिनेटेड अध्यक्ष राज्य सरकार का कहना नहीं करता है तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे देखने को यह भी मिला है कि राज्य सरकार इस बिल को जल्दी से जल्दी पास कराने में लगी हुई है। इसमें जो एक तिहाई स्थान रिक्त होंगे उनको भी सुपरसीड करने की व्यवस्था कर रहे हैं

(श्री झाबरमल सुण्डा)

इसमें सुधार होना चाहिये।

(समय म. प. 4.07 बजे)

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली, सभापति, पीठासीन)

मेरी मान्यता है कि इन मंडी कमेटीज के अन्दर इलेक्टेड लोग हमशा डाईरेक्टस की ग्रिप में रहेंगे। मेरा निवेदन यह है कि इलेक्टेड परसनल को ताकत दी जाये। लेकिन आज कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि यहां पर इनकेपेवल मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं उन्हें क्यों नहीं हटाया जा रहा है। सभापति महोदय, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि अजमेर में मंडी कमेटीज के यहां पर जो अध्यक्ष या उसको एग्रीकल्चरल डाईरेक्टर ने यह आदेश दिया कि जो सौ रुपये पर 20 पैसे थे उसको बढ़ाकर 25 पैसे कर दिया जाय। यह सरप्लस वसूल करने के आदेश से जब मन्डी कमेटी ने 25 पैसे कर दिये। वहां पर काफी असन्तोष हुआ। क्योंकि उसमें व्यापारी वर्ग भी थे। उन्होंने कृषि डाईरेक्टर को अपील की लेकिन कृषि डाइरेक्टर ने उन पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया और उन्हें 20 पैसे से लेकर 25 पैसे की राशि करनी पड़ी। सभापति महोदय, मन्डी कमेटीज को बिल्कुल प्रभावहीन कर दिया। तो मेरा उदाहरण देने का जो उद्देश्य था वह था कि आपने उन कमेटीज को एग्रीकल्चर डाइरेक्टर के ग्रिप में रखा है या यों कहिये कि आप उन्हें एग्रीकल्चर डाइरेक्टर के ग्रिप में रखने की चेष्टा कर रहे हैं। सभापति महोदय, यह बात कही जा रही है कि केकड़ी में मंडी कमेटी के अध्यक्ष को हटा दिया जाय ऐसा सुझाव दिया गया था तो बड़े बड़े प्रभावशाली व्यक्ति जो कि उस एरिया के थे वह तथा उस एरिया के एम.एल.एज. सभी मिल कर इन डाईरेक्टर साहब से मिलने गये। और हो सकता है कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर के पास पहुंचे होंगे। इस क्लाज के तहत इनके पेवल करार देकर हटा देते हैं। सब लोगों की सहमति से हटाना पड़ा। यह जो क्लाज है एक तिहाई से ज्यादा होने पर बोर्ड सुपरसीड हो जावेगा और प्रशासक की नियुक्ति हो जावेगी और इनकेपेवल आदमी को डाइरेक्टर बना देंगे दूसरे में। इससे डाइरेक्टर का ग्रिप ज्यादा मजबूत होता है और मंडी कमेटी उनके इशारे पर होगी।

चुनाव का जहां तक सवाल है एग्रीकल्चर कान्स्टिटूयूएन्सीज होंगी, कोआपरटिव, पंचायत, म्युनिसिपैलिटी ये सब अपने एक एक नुमाइन्दे को भेजेंगे। सारा प्रोविजन कोआपरेटिव का अलग से है, म्युनिसिपैलिटी का अलग से है, पंचायत समिति का अलग से रखा है इसके बावजूद एग्रीकल्चर कोआपरेटिव खड़ी करके चुनाव को महंगा बना दिया गया है। मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है और देखता हूं कि गंगानगर में चुनाव होते हैं तो एक एक चुनाव पर लाखों रुपया खर्च हो जाता है। मैं चाहता हूं कि प्राइमरी मंडी समितियां हैं उनको इस ढंग से छोटा बनाया जाय, चुनाव का सिस्टम इस ढंग का रखा जाय जो चुनाव की पद्धति को ज्यादा खर्चीला बनाने से रोकें। चुनाव सख्ती से हों। यह नहीं कि पोस्टपोन करें। मैं यह इसलिये जिक्र कर रहा हूं कि मंडी कमेटीज सीकर में जब से एक्ट आया था तब से, सभापति महोदय, दो साल का पीरियड इसमें रखा गया है लेकिन 64 से आज तक 8 साल हो गये, वही की वही मंडी कमेटी बरकरार काम कर रही है। जैसी पंचायत और पंचा-

(श्री झाबरमल सुण्डा)

यत समितियों की हालत बनायी व्यापारिक संस्थाओं की भी हालत आप उसी प्रकार की बनाना चाहते हैं यह हम नहीं चाहते हैं। हम यह चाहते हैं कि उनका वर्क डे टू डे तेजी के साथ हो और लोगों का इस ओर झुकाव हो। 64 में नाम विड्रो करने की बात थी। वहां का रिर्टनिंग ऑफिसर उस दिन जयपुर आ गया। एक छोटीसी बात पर आज तक चुनाव नहीं हुए। यह चुनाव की प्रणाली रखी है कि तीन साल से आगे सरकार एक साल और बढा सकती है। मैं समझता हूं कि समय बढाने की जो प्रवृति है, जिस प्रकार पंचायतों में लागू किया है, यहां भी लागू करके सरकार की क्या यही इच्छा है कि मंडी कमेटीज भी समय पर काम करें। सरकार की इच्छा यह जाहिर होती है कि उनके इशारे पर चले चाहे हमारी मंशा इनको स्थापित करने की ओर हो। मैं चाहता हूं कि मंडी कमेटीज का काम किसी भी प्रकार से स्थगित न हो। लोगों में इन्ट्रेस्ट कायम रखना है और स्टेट ट्रेडिंग करने जा रहे हैं तो इस प्रोविजन को नहीं बढ़ाना चाहिये।

एक अड़चन और भी पैदा हो जाती है। चुनाव के बाद जब तक गजट नोटिफिकेशन नहीं होता है चेयरमैन का चुनाव नहीं होता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनिट।

या तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गजट नोटिफिकेशन किया जाय या इस प्रोविजन को हटाया जाय। सीकर में चुनाव चेयरमैन का इसलिये नहीं हो सका कि गजट में नोटिफिकेशन शाया नहीं हुआ। गजट की बात में ही जाना है तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी गजट में जाने की बात होनी चाहिये अन्यथा उसी दिन चेयरमैन का चुनाव कर दिया जाय। उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिये।

एक बात और कह देना चाहता हूं कि सरकार ने व्यापारियों को कड़ी सजा देने का प्रावधान रखा है इसके मैं बिल्कुल खिलाफ हूं। हम रोज रोज इस प्रकार की व्यवस्था करें कि व्यापारी वर्ग भयभीत हो जाय, हमारे चरणों में आ जाय यह मैं उचित नहीं समझता हूं। इंप्रिजनमेंट का जो प्रोविजन रखा है वह उचित नहीं है। व्यापारी को धमकाओ, व्यापारी पर जुर्माना दो हजार के बजाय पांच हजार कर दो लेकिन इंप्रिजनमेन्ट की सजा रखना यह हमारे प्रजातन्त्र के खिलाफ है। स्टेट ट्रेडिंग के बाद क्या आप यह समझते हैं कि व्यापारियों की जरूरत नहीं होगी यह उचित नहीं लगता है। आप बिचौलियों के चल सकेंगे यह संभव नहीं लगता है। आप उसको सीमित रूप में रखे सकते हैं। उस पर अंकुश रख सकतेह जिससे समाज के खिलाफ न जा सके, अपनी बातों को छिपाने के लिये गुन्जाइश नहीं रख सके। इंप्रिजनमेंटके दायरे में रखना उचित नहीं है। हम नहीं चाहते हैं कि इतना बड़ा अंकुश उन पर लगाये।

सभापति महोदय, मैं इन मंडी समितियों को बहुत ज्यादा इफेक्टिव बनाना चाहता हूं और मैं समझता हूं सरकार की मंशा भी वैसी ही इसमें नजर आती है।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री झाबरमल सुंडा : आधा मिनिट। मेरी कोन्स्टिट्यूएन्सी में एक सब यार्ड है राम-

(श्री झाबरमल खुण्डा)

गढ का सब यार्ड। जिसमें कभी भी 100 बोरी से अधिक प्रोडयूसर नहीं लाया। वहां खाने के लिये भी अनाज बाहर से आता है। बाहर से आने पर क्या मंडी कमेटी में इनकम बढ़ जावेगी। उनकी परेशानियां बढाने के लिये मंडी कमेटी के प्रोविजन लागू करेंगे तो इसमें हमें लाभ तो नहीं होगा बल्कि लोग परेशानी में पड़ जावेंगे। इसलिये हम यह चाहते हैं कि जहां बढ़िया प्रोविजन न हो और मार्केट प्रोड्यूस इतनी मात्रा में न आती हो जिससे मार्केटिंग सोसाइटी को लाभ होता हो तो सोच समझ कर ही इस क्षेत्र को बढ़ाना चाहिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल): माननीय सभापति महोदय, यह बिल तो जल्दी में पास होने जा रहा है। सारांश में यह निवेदन कर दूं कि इसके बहुत दुष्परिणाम होंगे। इसमें विधायकों को जोड़ा नहीं, अनुसूचित जाति और जन जाति को जोड़ा नहीं और समाज का जो सबसे नीचे का तबका है, पल्लेदार और तोलने वाला, उसको जोड़ा नहीं। किसान को भी सजा मिलेगी। दूसरी बार गेहूं नहीं ला सकेगा, अनाज नहीं ला सकेगा। कृषि मंडी बनायी वहां जानवर आकर बिकेंगे। गधे, घोड़े, ऊंट बैल। 100 रुपये का गधा है 25 पैसे मिलते थे वहां एक रुपया मिलना चाहिये। यह नया प्रावधान जोड़कर यह बिल लावेंगे। इस बिल के आधार पर आप लोगों को बेरोजगार करना चाहते हैं। पहले ओक्शन पर लगाने का काम किया करते थे, तोलने का काम किया करते थे, वे लोग पैसा लेकर पेट भरते थे उनको बेरोजगार करके सरकार बिल पास करके हाथ में लेने जा रही है यह नीलाम और बुलावट की बात आपकी मंडी कमेटी करेगी।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपने इस कुछ अधिकार दिये हैं कांग्रेस के प्रचारकों को मामूली सी गलती के आधार पर उस व्यापारी का लाइसेन्स सस्पेण्ड हो जावेगा ऐसी बात कर दी। फिर जिस व्यापारी की पूंजी लगी है व्यापार में पैसा किसान को एडवान्स के तौर पर दे रखा है उस पूंजी और पैसे का क्या होगा। व्यापारी का व्यापार चौपट हो जावेगा। नीलाम कर्त्ताओं, पल्लेदारों, तोलेदारों के साथ साथ व्यापारियों को भी आप बेरोजगार करना चाहते हैं। इनका व्यापार हाथ में लेकर इनको कर दिया, औरों को भी और आप कर देंगे।

फिर भी निवेदन करूंगा कि एक किसी भी प्रकार का कार्यकर्त्ता है, चाहे वह गेहूं या फल बेचता है चाहे फेरी चलाता है सब्जी बेचता है सिर पर टोकरी रखकर बेचता है, थोड़े और छोटे छोटे लोगों के लिये बेचता है। वे सब भी आपके दायरे में इस कानून के माध्यम से आ जावेंगे। फिर आपने लिखा पढ़ी का कानून रखा है। वह लिखापढ़ी अगर उसने नहीं की तो लाइसेन्स सस्पेण्ड हो जावेगा और केंसिल भी हो जावेगा। तो आप इस तरह से प्रत्येक कार्यकर्त्ता को बेरोजगार करना चाहते हैं।

यह नया नया कानून है। लोग सीख जावेंगे। आपकी दलील ठीक है यह। मजबूरी क्या नहीं करा लेगी? पर अनपढ़ लोगों की मुसीबत इसमें हो जावेगी। पढे लिखे लोग तो कर लेंगे यह। पर अनपढ़ क्या करेगा? अनपढ़ है तभी तो वह सब्जी बेचता है। अब वह टमाटर बेचने वाला सब्जी बेचने वाला शिक्षित मुनीम रख नहीं सकता। आय उतनी उसको है नहीं। शिक्षित मुनीम रखेगा नहीं तो रिटर्न भर सकेगा नहीं। इसका दुष्परिणाम

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)
यह होगा कि उसका लाइसेन्स आप कैंसिल कर देंगे।

मंडी के सेक्रेटरी की भी परिभाषा बन गई है। उसको भी आपने निरंकुश बना दिया है। अभी तक तो किसान को गोदाम का किराया नहीं देना पड़ता था।

श्री यशवन्तसिंह नाहर: आप अमेण्डेड एक्ट है उसी पर बोलें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव: मैं उसी पर बोल रहा हूं। गोदाम का किराया और तुलाई उससे आज तक नहीं ली जाती थी। पर अब किसान से गोदाम का किराया और तुलाई भी ली जावेगी। आप किसान पर यह अतिरिक्त भार डालना चाहते हैं। क्रय विक्रय पर 31 पैसे प्रति क्विन्टल का बोझ किसान पर डाला है। वसूली के तरीके ऐसे बनायें हैं कि खरीदार को किसान को 13 तरह के रिटर्न पेश करने पड़ेंगे। अब अनपढ़ किसान व्यापारी के लिये यह सिरदर्द नहीं बन जावेगा तो आखिर होगा क्या?

मैं निवेदन करूंगा चाहे कोई भी लाइसेन्स होल्डर हो जैसा मैंने प्रारम्भ में निवेदन किया था क्रय विक्रय का हिसाब रखना पड़ेगा। बाजार से स्टेशनर की दुकान से रजिस्टर खरीद कर लावेगा, सेक्रेटरी के पास जावेगा, सेक्रेटरी को दर्खास्त देगा, कितना माल बेचान किया, इसका हिसाब रखना जरुरी हो गया। अपढ़ आदमी, बीड़ी वाला आदमी, ठेले पर सब्जी बेचने वाला, खोमचे वाला व्यक्ति भी इस कानून के प्रावधान में आ जाता है। चाहे गली में बेचें चाहे भीड़ में मेले में बेचें। उसे क्रय विक्रय का हिसाब रखना होगा। और सेक्रेटरी महोदय के पास जाकर उन रजिस्टरों में उनसे मोहरें लगवानी पड़ेंगी। किस प्रकार की हालत होगी लोगों की? कोई रजिस्टर अगर नहीं रखेगा, उस पर सेक्रेटरी से टप्पा नहीं लगावेगा हिसाब वक्त पर नहीं देगा तो उसका लाइसेन्स जब्त कर लिया जावेगा। तो मंडी बन गई और इन नेताओं के सामने वे सभी गरीब लोग भिखमंगे बन कर खड़े रहेंगे। दो हाथ वाले को काम मिलना चाहिये। आप इस तरह से लोगों को रोजगार देना चाहते हैं या बेरोजगार और भिखमंगे बनाना चाहते हैं?

किसान अलग परेशान। छोटे मोटे व्यापारी अलग से परेशान। किसान अपने खेतों से तोड़कर बाजार में बेचने के लिये टमाटर लाया। आलू लाया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: गोभी और कद्दू भी लाया।

श्री गिरधारीलाल भार्गव: मंडी में जावेगा, क्यू लगावेगा फिर नाकेदार के पास जावेगा। वहां रजिस्टर होगा उसका नाम लिखा जावेगा, उसके पिता का नाम लिखा जावेगा। गांव का नाम लिखेगा और वस्तु का नाम लिखेगा। नाप तोल लिखेगा। आर० पी० ओ० का नाम लिखेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: दादा परदादा सब का नाम लिखेगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव: दिन भर क्यू लगेगी। तब जाकर उसका नाम आवेगा। फिर अंदर जावेगा और दोहरी चुंगी नगरपालिका की चुंगी अलग से देगा और मण्डी की अलग से देगा। फिर अंदर जाने के बाद वह अपने टमाटर की ढेरी लगावेगा, उनको छांटकर ढेरी लगावेगा। इसके बाद चैकिंग कराई जावेगी। टमाटर हो या और कोई चीज हो,

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)
छंटाई करने की कीमत मण्डी कमेटी नहीं देगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : टमाटर की तो चटनी की जाती है। छंटनी नहीं। कद्दू के बारे में आपका क्या कहना है ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : फिर इसके बाद, सामान की ढेरी लग जाने के बाद अधिकृत कर्मचारी आकर नीलाम करावेगा। क्यू के आधार पर ढेरी की नीलामी होगी। दिन भर उसको केवल एक काम में लग जावेगा। जहां पहले उसे घंटा आधा घंटा में छुट्टी मिल जाती थी और सूरज निकलते निकलते वापिस अपने खेतों पर पहुंच जाता था, खेतों पर काम करने लग जाता था वहां अब उसे दिन भर यहां धूप में क्यू में खड़ा रहना होगा। बैल उसके दिन भर परेशान अलग होंगे उनको खिलाने पिलाने में उसे अतिरिक्त व्यय वहन करना होगा। इन सारी बातों के बाद जब उसकी ढेरी नीलाम हो गई तो इकरारनामा बेचान का करना पड़ेगा, तीन प्रतियां में यह इकरारनामा लिखा जावेगा। किसान के दस्तखत उस पर होंगे, बेचने वाले के और आड़तिया के और खरीददार के सब के दस्तखत उस पर होंगे। फिर विक्रय–पत्र बनेगा। उसकी भी तीन प्रतिलिपि होंगी। एक किसान को दी जावेगी, दूसरी खरीददार को और तीसरी मण्डी कमेटी के दफ्तर में दी जावेगी। कानून में आपने इन सारी चीजों का प्रावधान रखा है। अगर परचे तैयार करने में विलम्ब हो गया तो 12 पैसे दण्ड स्वरूप देने होंगे। इस तरह से न जाने कितने किसानों को गरीब लोगों को लाखों रुपया मण्डी कमेटी को जुर्माना के रूप में देने पड़ेंगे।

यही नहीं, आपका कानून इतनी ही तबाही करके किसान का पीछा नहीं छोड़ेगा। इस सारे काम में किसी दिन अगर क्यू में लगे लगे ही शाम के पांच बज गये, या मण्डी कमेटी का समय निकल गया तो मामला खतम। किसान अपना माल नहीं बेच सकता इसके बाद। या तो उसे अगले दिन तक और ठहर कर इन्तजार करना होगा, या ऐसी चीज हुई जो ठहर नहीं सकती जैसे टमाटर हुआ और कुछ हुआ तो उसे फैंक कर रात को वापिस अपने घर लौटना होगा। उनकी बिक्री फिर उस दिन नहीं हो सकती। समय में कोई रियायत उसको मिलने वाली नहीं है। इसलिए यह जो विधेयक आप लाये हैं किसान विरोधी है। किसान की बरबादी करने वाला है। लोगों की परेशानियां बढाने वाला है। भ्रष्टाचार को पनपाने वाला है। नेता लोगों की जेबें भरने वाला है। मैं निवेदन करूं आपका व्यापार का समय है जो आपने तय किया है प्रातः आठ से दो। समय निर्धारित होगा। कब से कब तक मण्डी चले इसका प्रावधान है आपके इस कानून में। आज तो सदन में आप मनमानी कर लेते हैं कि फलां कानून पास नहीं हो जावे या फलां मिनिस्टर जवाब न दे ले तब तक के लिये सदन का समय बढाया जाता है। पर यहां मण्डी कमेटी के सेक्रेटरी के रूप में एक हिटलर बैठा होगा जो अगर दो बज गया और मण्डी का समय समाप्त हो गया तो किसी सूरत में समय नहीं बढ़ पावेगा। बढ पावेगा तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा। कहेगा कि अपना माल वापिस ले जाओ, नहीं ले जा सकते तो फैंक जाओ। कल दूसरा लाना।

छुट्टी की घोषणा करना सेक्रेटरी के अधिकार में है। कह देगा दो दिन मण्डी नहीं खुलेगी। तो आप अनुमान लगाइये किसान का क्या ह्रास होगा बेचारा गरीब आदमी

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

बेच नहीं सकेगा कुछ भी। अपना पेट पालना उसके लिये कठिन हो जायगा। अगर बेचेगा तो लाइसेन्स जब्त। रजिस्टर नहीं रखा तो जब्त।

कुछ दिन निर्धारित समय होगा, मैं संक्षेप में निवेदन करना चाहूंगा इस प्रकार की खामियां हैं जिनके आधार पर जो विधेयक लाया गया है। पहले जो विधेयक लाया गया, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी। इसकी सारी भावना को न समझकर सदन ने पास कर दिया। यह भी पास कर दिया वह भी पास कर दिया लेकिन जो दुष्परिणाम होने वाले हैं, मैं, माननीय सभापति महोदय, आपका ध्यान आकर्षित करना अपना कर्त्तव्य समझता था, वह किया है। यह विधेयक किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है और गरीब का शोषण करने वाला है, सब्जी बेचने वालों का विरोधी है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : सभापति महोदय, अभी तो गधे बिक रहे थे और बैंगन, कद्दू, टमाटरों की परेशानी इस सदन में हुई लेकिन सभापति महोदय कद्दू की थीसिस और टमाटर उनको बहुत प्यारे हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मुझे तो आप भी प्यारे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : ऐसा तो चाहने वाला जबसे मैं पैदा हुआ हूं, कोई नहीं मिला है। बहुत मेहरबानी आपकी।

तो, सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था सबसे ज्यादा शोषण अगर किसी का होता है तो सब्जी और फलों की बिक्री में होता है अनाज की बिक्री के संबंध में किसानों की सल का शोषण होता है कच्चा आढ़तिया कहता है कट्टे को पानी पिला देना। किसान जब बाहर चला जाता है तो कह देता है कट्टे को पानी पिला देना। अब कट्टे के दो अर्थ हैं एक तो गेहूं का कट्टा होता है जिसमें गेहूं भरा रहता है एक कट्टा भैंसे का पाड़ा होता है जिसको पंजाबी भाषा में कट्टा कहते हैं। लेकिन जब सब्जी और फल की बिक्री होती है तो पुराना तरीका खुले बाजार में आक्शन होता है तो खरीददार जितना माल खरीद सकते हैं, खरीद कर लाते हैं। मैं समझता हूं माननीय सदस्य किसान तो हैं नहीं, तस्वीरों में कहीं किसान को देख लिया होगा इसलिए जो कुछ माननीय सदस्य ने कहा, आप क्षमा कर देंगे......

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं तो किसान हूं और खेती करता हूं। मुझे सब कुछ अनुभव है......

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : पुरानी बस्ती में बहुत हल चलाये हैं गनगौरी बाजार में। तो सभापति महोदय गंगानगर में फलों की बहुत बड़ी मण्डी है, सब्जी की बहुत बड़ी मण्डी है। कृषि उपज मण्डी को सबसे बड़ी परेशानी सब्जी और फलों की मण्डी को रेगूलेट करने की है। आज मुख्य मुख्य मण्डियां गंगानगर में हैं, रायसिंहनगर में हैं, करनपुर में हैं फलों और सब्जी को रेगूलेट करने के लिए हमारी समझ में नहीं आता सब्जी और फल वालों पर होने वाले शोषण को रोकने के लिये जो किसान फल लाता है काश्तकार के साथ हार्टिकल्चरिस्ट है, रखा जाय तो क्या परेशानी है।

जयपुर का केस हाई कोर्ट तक गया, भारी शोषण करते हैं। चाहिए तो यह था

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

कि मार्केटिंग कमेटीज का जहां कन्सेप्शन है, साइन्टिफिक यार्ड्स से बनाये जायें। जिस प्रकार का बाजार हम फलों को दे रहे हैं या जिस प्रकार का बाजार हम सब्जी वालों को दे रहे हैं, वह उचित नहीं है। मैं समझता हूं मार्केटिंग प्रोडयूज का एक बोर्ड बनाया जाय। इस बोर्ड में प्रोवीजन हो जो मार्केटिंग कमेटियां कमजोर हैं, उसको फन्डस प्रोवाइड करें। सारा साइन्टिफिक तरीके से प्रबन्ध करें। तो बहुत बड़े राजस्थान के अन्दर अब आप ले लीजिए चौमू के बेर जो आप पर फिट मिसाल है......

श्री गिरधारीलाल भार्गव : विजयनगर कहिए अब तो। ......

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : तो मैं अर्ज कर रहा था बहुत आवश्यक चीज है, इसको रेगूलराइज करना चाहिए। माननीय सदस्य कह रहे हैं बार बार, हिन्दुस्तान में मिसाल नहीं है फलों को और सब्जियों को मार्केटिंग सोसाइटीज को दे दिया जाय और बड़े दुख के साथ कह रहे कृषि उपज मण्डी के अन्दर दे दिया गया। तो माननीय सदस्य को सारे हिन्दुस्तान का ज्ञान कहां है ? हैदराबाद में कोई मण्डी ऐसी नहीं है–फल और सब्जी कृषि उपज मण्डी से रेगूलेट न हो। आज महाराष्ट्र में मौसमी और चीकू का सबसे बड़ा मार्केट है।

माननीय सदस्य यह जान लें फल इन्डस्ट्रीज का रॉ-मटेरियल है। आज हमारे यहां जो फ्रूट है वे फारन एक्सचेन्ज अर्न कर रहे हैं, आज अनाज फोरन एक्सचेन्ज प्राप्त कर रहा है, आज स्वदेश फोरन एक्सचेन्ज देता है, आज बनाना हमें काफी फोरन एक्सचेन्ज दे रहा है। यह फोरन एक्सपोर्ट की इम्पारटेंट कमोडिटी है। बनाना हम अमेरीका और रूस को दे रहे हैं। ऐसी ही इम्पॉरटेंट कमोडिटी आपने एक कद्दू रख दिया और एक टमाटर रख दिया....

(व्यवधान, अश्रव्य)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा निवेदन है एक एरिया में दो मण्डी नहीं होती हैं....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आपने देखा जेक इन दी बाक्स। बोक्स खुल गया और बच्चा खड़ा हो गया....

(व्यवधान, अश्रव्य)

तो, सभापति महोदय, मैं अर्ज कर रहा था आज हमारे देश को फारिन एक्सचेन्ज इन कमोडिटीज से अर्न करनी है और इनको शोषण से बचाना है तो इन कमोडिटीज का विकास करना है। आज गंगानगर में माल्टा या कोटा में मेन्गो और वह मेन्गो जो कालिया किस्म का होता है अपनी इन्टरनेशनल रेपूटेशन कायम की है। मैंगो के बदले हमें काफी फारिन एक्सचेन्ज मिला है। कोटा में किसी के पास चार पेड़ हैं तो किसी के पास पांच पेड़ हैं। आम सारी कमोडिटीज को बाजार में लाता है और आढ़तिया आता है और उठाकर झोली में डाल लेता है। इसलिए, सभापति महोदय, फ्रूट को और वेजिटेबिल को लेना बहुत जरूरी है। माननीय मंत्री महोदय का मैंने ध्यान आकर्षण किया है लेकिन उस तरफ जाने का कष्ट नहीं किया। व्यापारियों का इसमें क्या काम, बड़े ट्रेडर्स की इसमें क्या जरूरत है। ट्रेडर्स की जगह रिप्रजन्टेशन कच्चे आड़तियों को दीजिए, जिनको आपने दिया है, रिटेल में जो बेचते हैं उन रिटेलर्स को, कच्चे आड़तिये को, उसको इसमें रिप्रजेन्टेशन देने की जरूरत है। आप

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

इसको इम्प्रूव कीजिये। वहां पर मजदूर जो इन सारे जिन्सों से ताल्लुक रखता है, जो अनाज को तोलता है, जो अनाज को ढोता है, उनको रिप्रजेन्टेशन दीजिये मेरे ख्याल से मंत्री महोदय इस संबंध में जरूर आश्वासन देंगे।

दूसरे ट्रेडर्स का कृषि उपज मण्डी में तहसील लेवल पर चैयरमेन है। आपने दो सीट क्रियेट की एक तो चैयरमेन के लिए और एक ट्रेडर्स के लिए। अगर ट्रेडर इलेक्ट होकर आ जाता है तो वह ट्रेडर्स कॉन्स्टीट्यूएन्सी में इलेक्शन कन्टेस्ट कर सकता है और दूसरी जगह पर भी इलेक्शन कन्टेस्ट कर सकता है, इसको दूर कीजिये। तीसरी एनोमली स्टाफ की है-एग्रीकल्चर से कर्मचारियों को ले लीजिये या एनीमल हस्बेन्डरी से कर्मचारियों को ले लीजिये-दो कर्मचारी काफी हैं-ज्यादा की कोई आवश्यकता नहीं है। स्पेशियलिस्ट के बारे में तो आप किताबों में पढ़ लीजिये, उससे कोई थिसिस तो लिखवानी नहीं है। आराम से काफी का प्याला पीकर अपना काम कर लेगा। बहुत सी थिसिस लिखी हुई हैं-बहुत प्रेक्टिकल एक्सपीरियन्स है, एक-दो आफिसियल को रखिये इस समय इसके अन्दर आप मार्केटिंग सोसाइटीज के रिप्रजेन्टेटिव्ज को लीजियेगा, कोआपरेटिव सोसाइटीज के रिप्रजेन्टेटिव्ज को लीजियेगा, मोर्टगेज बैंक के रिप्रजेन्टेटिव्ज को लीजियेगा ताकि आपका पूरा इस किस्म का बोर्ड बन जाये, इस किस्म का कम्पोजिट ढांचा बन जाय जो कि पावरफुल बाडी हो और इस प्रकार की इलास्टिक बाडी हो कि जिसके आप प्रोडयूस को रेग्युलेट करने की जगह खुद भी प्रोडयूस की सेल अपने हाथ में लेना चाहें तो ले सकें और जो काम आप करना चाहते हैं उसके अन्दर इसका बड़ा इम्पारटेन्ट रोल हो सकता है। इसलिए सभापति महोदय, मेरी यह विनती थी कि सारे कम्पोजीशन को टोटली चेन्ज करने की जरूरत है।

जहां तक कान्सटीटयुएन्सी बनाने का सवाल है तहसील लेवल के ऊपर तो मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा मंत्री महोदय को कि उन्होंने यह कान्सटीटयुएन्सी स्वीकार कर ली लेकिन इसके साथ ही साथ मैं यह भी अर्ज करूंगा कि आज जो वोटर्स की लिस्ट है, जो वोटिंग स्कूल है उसको राजस्थान के बहुत बड़े पार्ट में रिवीजन की जरूरत है। अभी जो मार्केटिंग सोसाइटीज के इलेक्शन हुए उसमें जो वोटर्स लिस्ट बनी है उसमें कम से कम मैं गंगानगर के बारे में दावे के साथ कह सकता हूं और हमारे यहां पीलीबंगा है वहां की सोसाइटी के बारे में तो मैं चैलेन्ज के साथ कह सकता हूं कि जिसको हमारे कलेक्टर महोदय ने भी स्वीकार किया और इसी प्रकार करनपुर के बारे में है और इसको भी कलेक्टर ने स्वीकार किया कि 60 परसेन्ट वोटर्स लिस्ट बोगस है। उसमें ऐसी सोसाइटीज के वोटर्स डाल दिये गये जो कि सोसाइटीज बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, लिक्विडेट हो चुकी हैं उनके वोटर्स भी बाकायदा उसमें मौजूद हैं और उन्होंने वोट किया है और इन सोसाइटीज में पर्टीक्यूलर क्लास का डॉमीनेशन सारे डिस्ट्रिक्ट में आया है। इसलिए आपके जितने भी वोटिंग कालेज हैं और वोटर लिस्ट है इसकी पूरी स्क्रूटिनी की आवश्यकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अन्त में सभापति महोदय, बहुत अधिक समय नहीं लेता हुआ केवल एक सजेशन देना चाहूंगा और वह यह है कि इस सारे के सारे प्रोसेस को स्टडी करने के लिए और जो को-आपरेटिव की सारी की सारी एजेन्सी को

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)
लिंक-अप करने के लिए में समझता हूं कि बड़ी जरूरत है कि हम बड़ी मुस्तैदी और तेजी के साथ एक स्पेशियल स्टडी इस संबंध में करें और इस संबंध में उसको फौरन लागू करने की बात को फौरन करें क्योंकि हमें बहुत बड़ा चैलेन्ज फेस करना है ।

श्री सभापति : मंत्री महोदय

श्री अमृतलाल गहलोत : समापति महोदय••••.....

श्री सभापति : आपका नाम तो नहीं है फिर भी बोलना चाहें तो बोलें ।

श्री अमृतलाल गहलोत : समापति महोदय, अभी हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने एक ऐसा बड़ा विचित्र चित्र हमारे सामने पेश किया कि इस अधिनियम के लागू होने से लोगों की परेशानी बढ़ जायेगी । मेरे ख्याल से वह सत्यता से परे है । उन्होंने न तो नियंत्रित मण्डियों देखी हैं और न किसानों के पास गये हैं और न फलों के व्यापार का पूरा अध्ययन किया है••

श्री गिरधारीलाल भार्गव : कृषि उपज मण्डी देखी है और यहां जो बनी है और जो कठिनाइयां आ रही हैं, उनको देखा है और उन्हीं को यहां रखा है ।

श्री सभापति : आपको सुनने की आदत होनी चाहिए ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : इन्होंने तो गिल्ली डंडादेखा है ।

श्री अमृतलाल गहलोत : समापति महोदय, कुछ दिनों पहले जयपुर के बारे में कहा गया था कि यहां की दो चीजें मशहूर हैं एक तो मिश्रीमावा और दूसरी जयपुर की झूठ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपको मिश्रीमावा पसन्द है या झूठ वही पेश किया जाये ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : झूठ तो पेश कर दी अब मिश्रीमावा पेश कर दो ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैंने तो सत्यता की बात रखी है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अब तो मिश्रीमावा पेश करो । झूंठ तो पेश कर दी ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : झूंठ तो एक शब्द भी नहीं कहा ।

श्री श्री राम गोटेवाला : भार्गव साहब के लिए झूंठ की बात मत कहो । और भी कई कह चुके हैं ।

श्री अमृतलाल गहलोत : तो समापति महोदय, फलों के विक्रय और नियंत्रण के बारे में काफी कहा गया । मैं एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं अपने शहर की जो आपके सामने क्लियर कर देगी कि व्यापारी और खुदरा विक्रेता उत्पादन चाहता है या नहीं । हमारे शहर की जनसंख्या अब लगभग 4½ लाख के पास पहुंच चुकी है और वहां पर दो-तीन करोड़ रुपयों के फलों का विक्रय वर्ष में होता है । 15-20 रोज पहले मैं जब जोधपुर गया था तो फलों के व्यापारियों ने एक प्रतिवेदन पेश किया । व्यापारियों ने खुद ने प्रतिवेदन पेश किया । वह व्यापारी उस जमाने में सब के सब मुसलमान थे वह तो पाकिस्तान चले गये और अब पुरुषार्थी सिन्धी हैं और वह राजनैतिक दृष्टि से भी मैं कह सकता हूं कि वह कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं ।

(श्री अमृतलाल गहलोत)
उन्होंने प्रतिवेदन यह लिखकर दिया कि आप अवश्य फलों के विक्रय पर मण्डी नियंत्रण लागू कीजिये और हम स्वेच्छा से आपको मण्डी फीस देने के लिए तैयार हैं। उनका कहना है कि बिना मण्डी नियंत्रण के हम लोग इतने परेशान हो गये हैं कि कुछ कह नहीं सकते। लोग नियंत्रण चाहते हैं क्योंकि इससे उनको सुविधायें मिलती हैं, उनको नया मार्केट मिलता है, बैठने की जगह मिलती है, कोल्ड स्टोरेज की सहूलियत मिलती है। आपने इसका सुखदायी पक्ष नहीं देखा है और ऊट-पटांग जिसके न सिर और न पैर और अपनी लचीली भाषा में एक ऐसी तस्वीर हमारे सामने पेश कर दी कि जैसे बहुत बड़ा कुठाराघात होने जा रहा है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैंने सही चित्र पेश किया है। यह ऊटपटांग जैसी भाषा का प्रयोग करना उचित नहीं है।

श्री अमृतलाल गहलोत : फिर भी मैं आपको बता दूं कि यदि लोगों को कष्ट होता तो लोग चलाकर खुशी से नहीं कहते उस चीज को लागू करने के लिए। यह इस चीज का ज्वलंत उदाहरण समझिये।

दूसरे यह कहा जाता है कि जो खुदरा बेचने वाले और ठेले वाले हैं उनको रेकर्ड रखना पड़ेगा और रिटर्न भी भरने पड़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि यह कानून में कहीं समावेश नहीं है। वह तो केवल खरीद के लिए आते हैं। एक किसान जो माल लाता है उसको भी रेकर्ड नहीं रखना पड़ेगा। रेकर्ड तो दलाल को रखना पड़ेगा जिससे मालूम रहे कि किस किसान का कितना माल आया और वह बता सके कि किस किसान का कितना का माल आया और कितना पैसा उसका हुआ। बाकी जो खुदरा विक्रेता हैं उनको कोई रेकर्ड रखने की जरूरत नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : कृषि उपज मण्डी में हर एक व्यक्ति को रेकर्ड रखना पड़ेगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य सुनने की आदत डालिये।

श्री अमृतलाल गहलोत : माननीय सदस्य को मैं निवेदन करूंगा कि मैं मण्डी चला रहा हूं, इसलिए मुझे ज्यादा पता होगा।

अब जो दूसरी चीज हमारे सामने नयी आई है जिसका मैं बहुत ही स्वागत करता हूं और आपके माध्यम से मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि आपने बोर्ड के गठन का प्रयास किया है, यह बहुत ही अच्छी है।

श्री मनोहरलाल : बेरोजगार नेता लग जायेंगे।

श्री अमृतलाल गहलोत : मार्केटिंग बोर्ड की कई वर्षों से आवश्यकता थी और इसके नहीं होने की वजह से कई काम अधूरे पड़े हैं। जो स्पेशल सेल है एग्रीकल्चर का जहां जहां स्कीम बनाई गयी है मण्डी के लिए उनमें यह प्रावधान किया गया है कि वे एग्रीकल्चर रि-फाइनेन्स कोरपोरेशन, एग्रीकल्चर फाइनेन्स कारपोरेशन, वर्ल्ड बैंक और कॉमर्शियल बैंक इन चार तरह की वित्तीय संस्थाओं से धन प्राप्त करें और मण्डियों का निर्माण शुरू किया जाये, परन्तु जो कृषि उपज मण्डी समितियां हैं वह इतनी सक्षम नहीं हैं कि वह धन प्राप्त कर सकें, वह अपना और प्रावधान तैयार कर सकें और इसमें भी मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय

(श्री अमृतलाल गहलोत)

को एक बड़े शोषण के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। हमारे जोधपुर की कृषि उपज मण्डी समिति को एग्रीकल्चर रि-फाइनेन्स कार्पोरेशन ने 70 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत किया लेकिन वह ऋण प्रदान किया जायेगा या नहीं? स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर के माध्यम से। अब वह ब्याज लेगा साढे छः पर्सेंट और बैंक हमसे ब्याज लेगा 9 पर्सेन्ट यानि ढाई पर्सेन्ट ब्याज यह बीच का बिचौलिया लेगा जो बिल्कुल अनुचित है। दर-असल में अपने जो कोआँपरेटिव हाउसिंग सोसायटी है वह भी लाइफ इंश्योरेंस कार्पोरेशन से लोन लेकर हाउसिंग लोन पर देती है और उसका मार्जिन है हाफ पर्सेन्ट। हमारे लिए रखा गया है ढाई पर्सेन्ट। जबकि उसमें ज्यादा रिस्क है, ज्यादा लोगों से कॉन्ट्रेक्ट करना पड़ेगा वहां पर तो रखा है हाफ पर्सेन्ट और कृषि उपज मण्डी जिसकी गारण्टी सरकार देती है वहां पर ढाई पर्सेन्ट जिसका मतलब यह है कि 70 लाख के लोन पर 1 लाख 75 हजार रुपया साल भर का ब्याज जो कि बीच में बिचौलिया इधर से उधर देने में ले लेगा। यह बिल्कुल अनुचित है। साथ ही मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से नम्र निवेदन है कि यह जो मार्केटिंग बोर्ड बनाया गया है वह इन चार तरह की वित्तीय संस्थाओं से पैसा ले और मंडियां बनावें और मंडियां बना कर समितियों को दे और ब्याज का जो मार्जिन रखा है हाउसिंग बोर्ड का वही मार्जिन कृषि उपज मण्डी पर रखें, क्योंकि ये ज्यादा सक्षम हैं, इसमें कोई जोखिम नहीं है, ढाई पर्सेन्ट अनुचित है। जोधपुर की मण्डी पर जो 1 लाख 75 हजार रुपये साल का ब्याज है वह सर्वथा अनुचित है और किसी हालत में मान्य नहीं हो सकता।

दूसरी चीज मार्केटिंग बोर्ड में जो यह रखा है, अभी तक जो निर्माण काम होता है, मंडियों का निर्माण होता है...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, पांच मिनिट में।

जो निर्माण कार्य होता है वह पी० डब्ल्यू० डी० के माध्यम से, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से होता है। आपको मालूम है कि उन पर खर्चा कितना किया जाता है। वे साढे चार पर्सेन्ट वर्क चार्ज का और 18 पर्सेन्ट रेग्युलर स्टाफ का लेते हैं। यानि सौ रुपये के खर्च पर साढे बाईस रुपये देने पड़ते हैं। जबकि हम अपनी मंडियों का निर्माण कराते हैं उसमें मेरा खर्चा केवल 3 पर्सेन्ट आता है। हम तीन पर्सेंट में अपना निर्माण कार्य कराना चाहते हैं और पी० डब्ल्यू० डी० के चार्जेज साढे बाईस पर्सेन्ट आते हैं। मैं समझता हूं कि यह मार्केटिंग बोर्ड तीन पर्सेन्ट में निर्माण कार्य करवा देगा, स्पेशियलाइज्ड अरेंजमेंट करेगा और जो अपने प्रदेश में जितनी मंडियों की आवश्यकता है उनकी पूर्ति करेगा।

दूसरी चीज यह है कि अपने निर्माण कार्य सब तरह से रुक गए हैं और इसका कारण तीन चार चीजें हैं जिनमें मुख्य हैं सीमेंट। सीमेंट मिलती नहीं है, लोहा नहीं मिलता है और मिलता है तो ब्लेक में मिलता है।

(4.53 म.प.)

(श्री रामसिंह, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

इनके अलावा और भी चीजें हैं जो उनको मिलती नहीं है। इसलिए जो मार्केटिंग बोर्ड

(श्री अमृतलाल गहलोत)
बनेगा वह मंडियों के निर्माण में सीमेंट, लोहा, कोयला इत्यादि जो दुर्लभ वस्तुऐं बन गई है, उन्हें कंट्रोल रेट से सरकारी संस्थाओं के जरिये प्राप्त करायें और जहां तक हो सके ये जो मंडियां बन रही हैं उनका निर्माण करावे ।

एक बात अन्त में और निवेदन कर देना चाहता हूं । यहां पर जो आज हमने बिल पास किया है उसमें मंडी फीस एक पर्सेंट तक की लगाग्री गयी है । मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो रीपेमेंट शिडूल बना है, हमारी मंडियों का बना है उसमें 50 पैसा प्रति सौ रुपया और दूसरा वर्ल्ड बैंक से भुगतान होने वाला है और उनका एक रुपया प्रति सैंकड़ा होगा । यदि आप शीघ्रातिशीघ्र कोई भी अपना आर्डर कर नहीं पाये तो यह सारी योजना खटाई में पड़ जाएगी । जब रीपेमेंट का प्रश्न आएगा, मंडी रीपेमेंट कर नहीं पायेगी और जो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन्स हैं वे उनको रुपया नहीं देगीं । अतः मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि शीघ्रातिशीघ्र ज्योंही यह बिल एक्ट का रूप धारण करे यह आप आर्डर करिये । धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्षजी, सदन के माननीय सदस्यों ने जो यह सुझाव दिया है.....

श्री मनोहरलाल : मंत्री महोदय का काम भी गहलोत साहब कर रहे हैं ....

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझ नहीं रहा हूं कि आप बोल क्या रहे हैं । आप बोलना चाहते हैं ।

श्री मनोहरलाल : जी हां ।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, आप बोलिए ।

श्री मनोहरलाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं....

श्री खेतसिंह : मैं निवेदन करता हूं कि सदन का समय जब तक यह बिल पास न हो जाय तब तक के लिए समय बढ़ा दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि सदन का समय बिल पास होने तक बढ़ा दिया जाय ।

(स्वीकृत)

बिल पास होने तक समय बढ़ाया जाता है ।

श्री मनोहरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन बहुत जरूरी समझे गए थे लेकिन मैं यह नहीं समझ पाता उपाध्यक्ष महोदय, कि कैसे, किन संशोधनों के साथ, कृषि उपज मण्डी कमेटी में ना तो शिड्यूल्ड कास्ट के रिप्रजन्टेशन की बात ही सोची गई है, ना पल्लेदारों के रिप्रजण्टेशन की बात सोची गई कि पल्लेदारों का कोई प्रतिनिधि होगा कि नहीं होगा और न इस बात को सोचा गया कि पल्लेदारों की रेट क्या होगी । उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज से पांच साल पहले जो पल्लेदारों के लिए रेट नियत की गई कृषि उपज मण्डी द्वारा वह रेट आज भी है । हर चीज के दाम चौगुने हो गए हैं । आप, उपाध्यक्ष महोदय, गौर फरमायें कि आज से पांच साल पहले जो रेट्स थी वही रेट्स आज भी भरतपुर जिले में लागू हैं । कृषि उपज मंडी को इस बात का अधिकार नहीं दिया गया है कि इन पल्लेदारों की रेट

Page No. 121

(श्री मनोहर लाल)

बढ़ा दें । इसके विपरीत नौकरशाही को पनपाने के लिए सचिव के अधिकार बढ़ा दिए गए हैं लेकिन यह अधिकार कृषि उपज मण्डी को नहीं है कि वे पल्लेदारों की रेट बढ़ा सकें । स तरह से पिछले पांच सालों में सारी चीजों के दाम ज्यादा हो गए हैं, सरकार का सैल्स टैक्स बढ़ गया है, व्यापारियों का कमीशन बढ़ा लेकिन पल्लेदारों के लिए वह 27 पैसे पर बोरी मिलेगा । चाहे डेढ़ रुपया किलो गेंहूं हो, पांच रुपये किलो चीनी हो, चाहे डेढ़ रुपये किलो चना मिले, चाहे मंहगाई चौगुनी हो जावे लेकिन पल्लेदार को मजदूरी उतनी ही मिलेगी क्योंकि पल्लेदारों का कोई रिप्रजण्टेशन नहीं है, पल्लेदारों की तरफ से कोई बोलने वाला नहीं है । यह जो बोर्ड का गठन किया जा रहा है, मैं निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि यह किसी बेरोजगार पोलिटिकल कार्यकर्ता को, किसी हारे हुए कांग्रेसी नेता को बोर्ड का चैयरमेंन बनाना चाहते होंगे, बोर्ड का मेम्बर बनाना चाहते होंगे इसलिए यह जल्दी में बिल लाया गया है नहीं तो कोई वजह नहीं है कि जब कमेटी की रिपोर्ट आ गई जब कमेटी की सिफारिशें आ गई तो उनके आधार पर सम्पूर्ण रूप से अमेंडमेण्ट बिल क्यों नहीं लाया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि आपने कमेटियों के लिए जो सैल्स से एक्वायर करने की बात रखी है, कृषि उपज कमेटी के लिए कहीं 25 पैसा है, कहीं 50 पैसा रखा है, कहीं पर एक रुपया सैंकड़ा तक की बात करते हैं । लेकिन आज तक मुझे बता दें किसी भी कृषि उपज कमेटी ने और खास तौर पर भरतपुर में किसी भी कृषि उपज मण्डी ने एक पैसा भी काश्तकारों की भलाई के लिए नहीं खर्च किया है । एक भी याडं नहीं बनाया है, न रोड्स बनी हैं, न कोई उनके लिए प्याऊ का प्रबन्ध है, न उनके लिए कोई रेन बसेरा या भवन बनाया है जहां पर वे ठहर सकें और न उनके मवेशियों के लिए शैड बनाए गए हैं । जिस कड़ी धूप में और जिस कड़ी सर्दी में उनको और उनके मवेशियों को ठहरना पड़ता है, जहां वे खुद ठहरते हैं उसी जगह मवेशियों को रखते हैं । आज जब कि आप उनसे 75 पैसा प्रति सैंकड़ा, या 50 पैसा प्रति सैंकड़ा या 25 पैसा प्रति सैंकड़ा का कोई भी टैक्स लेने की बात करते हैं तो जब तक आप काश्तकारों को और पल्लेदारों को ये सुविधाएं नहीं देते आपको यह टैक्स लेने का कोई अधिकार नहीं है ।

इसके अलावा एक बात और निवेदन कर देता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि कृषि उपज मण्डी एक्ट की जो भावना थी, इसको बनाने की जो भावना थी कि काश्तकारों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा वह नहीं होता । उनके जो कर्मचारी होते हैं उनका काम केवल इतना है कि व एण्ट्री कर लें, एफ. सी. आई. और जो दूसर व्यापारी खरीद करते हैं व किसी तरह से माल के अन्दर मिट्टी वगैरा मिला कर माल को रद्दी किस्म का बना कर उसकी रेट गिरा देते हैं । इस पर कभी गौर नहीं किया गया । इस सम्बन्ध में कभी कोई विचार नहीं किया गया । कृषि उपज मंडी काश्तकारों को कोई मदद नहीं देती है । व्यापारी उनको तंग करते हैं । एफ. सी. आई. के जो कर्मचारी हैं वे भी उनको तंग करते हैं । इसके सम्बन्ध में कृषि उपज मंडी को कोई अधिकार नहीं है और वह न कोई सहयोग काश्तकारों को करती है । इससे तो अच्छा होता कि आप इस सदन में, इसी सेशन में इसी तरह का कोई बिल लाते जो इस कृषि उपज

(श्री मनोहर लाल)

मंडी को रिपील करता, रद्द कर देता। पिछले 5-7 सालों से काश्तकारों के लिए कृषि उपज मंडी ने कोई सुख सुविधा प्रदान नहीं की है। यहां इस भावना से संशोध लाया गया है कि आपके हारे हुए नेताओं को रोजगार मिल जाए। इन्हीं शब्दों के साथ निवेदन करता हूं कि यह जो बिल इस रूप में पेश किया गया है उसको रद्द कर दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचंद सामरिया।

श्री मूलचन्द सामरिया : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे कृषि मंत्री जी कृषक हैं इसलिए वे कृषकों के हितों की वे रक्षा करने वाले नहीं है यह मैं नहीं मानता हूं। वे स्वयं कृषक हैं इसलिए कृषकों का हित वे सोचते होंगे, यह मैं मानकर चलता हूं। लेकिन जिस प्रकार की व्यवस्था आज है वह व्यवस्था थोड़ी सुधर जाए तो वह और प्रभावी हो सकती है। आज कृषि उपज मंडी मार्केटिंग के लिए है और इन मंडियों के द्वारा कोई नियन्त्रण खरीददारों पर नहीं है। आज भी यह स्थिति है कि यह बड़े बड़े लोगों की कठपुतली बनी हुई है। मेरी इस बात की सत्यता के लिए मैं कृषि उपज मंडी दौसा का उदाहरण यहां पर दूंगा। आशा है मंत्री महोदय को यह बात समझ में आएगी और वे इस नतीजे पर आवेंगे कि बड़े बड़े लोग किस तरह से काश्तकारों को धौंस देते हैं। काश्तकारों के प्रतिनिधि बन कर काश्तकारों से ही लूटखसोट करते हैं। दौसा कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष विनोद बिहारी एडवोकेट हैं और वे नगरपालिका दौसा के द्वारा भेजे हुए हैं। आप श्री नवलकिशोर एम. पी. के भतीजे हैं। उन्होंने कमेटी से कोई रिजूलेशन पास कराए बिना, और न डाइरेक्टरों की सलाह लिए बिना यह तय कर दिया है कि काश्तकार मूंगफली की बोरी पर दो किलो का काटा कटाएगा। यह काटा काटने के लिए उन्होंने मिल्स, आईल मिल्स को छूट दे दी है। जितने भी काश्तकार मूंगफली बेचने के लिए वहां पर आते हैं उनकी एक एक बोरी पर दो दो किलो का काटा काट लिया जाता है। इसके लिए कृषि उपज मंडी का कोई प्रपोजल नहीं है। लेकिन उनको कहे कौन ? वास्तव में यह एक खुला भ्रष्टाचार है, रिश्वत खोरी है जो कि खुली है। अगर आप इसको गलत मानते हो तो मैं इसके लिए प्रमाण देने के लिए तैयार हूं। गत बार 72 में चुनाव हुए थे, तो इन्हीं अध्यक्ष महोदय ने इन महाजनों और मिल ओनर्स ने 2100 रुपयों की माला कांग्रेस के कैन्डीडेट के गले में डलवाई थी और आये दिन जब भी कभी दौसा क्षेत्र में कृषि उपज मंडी के अलावा जो भी इलेक्शन होते हैं, तो कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष इन महाजनों से और मिल ओनर्स से गाड़ियां लेते हैं, पेट्रोल लेते हैं और इस तरह से अपनी स्थिति का नाजायज तरीके से दुरुपयोग करते हैं। यही नहीं जो अपाइन्टमेन्ट्स क्लर्क्स और छोटे छोटे चपरासियों के होते हैं उसमें भी घपला होता है। इसमें भी ये अध्यक्ष नाजायज रूप से फायदा उठाते हैं। जो लोग पहले से लगे हुए थे उनको हटा दिया जाता है। कहा जाता है कि हमारे पास जगह नहीं है और उसी समय दूसरे लोगों को ले लिया जाता है। इसके पीछे कंसीडरेशन होता है या तो राजनीतिक या फिर पैसा। अगर मंत्री महोदय आप इसकी जांच कराएंगे, तो यह साबित हो जाएगा। यह सत्यता है। आशा है आप इस धांधली को दूर करेंगे तो वास्तव में आप किसानों के साथ न्याय करेंगे। मैं यह मानता हूं, मंत्री महोदय आपके मन में

(श्री मूलचन्द सामरिया)

किसानों के प्रति लगन है इसलिए मैं इस बिल का बहुत बड़ा विरोध नहीं करना चाहता हूं। मैं यह स्वीकार करता हूं कि किसानों का जितना भला आप कर सकते हैं उतना मैं नहीं कर सकता हूं और दूसरा कोई व्यक्ति इस मंत्रीमण्डल में भी नहीं हो सकता है। इतनी बड़ी लूट खसोट हो और आप आंख मूंद लेंगे तो फिर किसानों का भगवान् ही मालिक है।

जहां किसानों के बारे में बात कही जाती है तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारे देश में बहुत बड़ी तादाद में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं। वे भूमिहीन हैं अथवा भूमि के काश्तकार हैं। उनकी स्थिति यह है कि अगर आपने उनको कम्पीटिशन में चुनाव लड़ाना चाहा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वे जीत नहीं सकते हैं। इसकी मैं एक मिसाल देना चाहता हूं। हमारे सदन में जितने भी शिड्यूल कास्ट या ट्राइब्स के माननीय सदस्यगण हैं उनमें भीखा भाई, सम्पतरामजी या दिनेश राय जी डांगी प्रमुख हैं। मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि अगर किसी साधारण से साधारण आदमी के सामने ये माननीय सदस्य जनरल सीट से चुनाव लड़ें तो वे उसके मुकाबले नहीं जीत सकते हैं। मैं इस चीज को मानता हूं कि शिड्यूल कास्ट और ट्राइब्स के सदस्यों को आपने बराबर का अधिकार दिया है। मैं यहां तक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर बाबू जगजीवन रामजी आज एक साधारण ब्राहमण के मुकाबले चुनाव लड़ेंगे तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। यह आज हमारे देश की मनोवृत्ति है। अगर ऐसी हालत में इन काश्तकारों के बारे में भी नहीं सोचा गया और शिड्यूल कास्ट और ट्राइब्स के काश्तकारों के लिए स्थान सुरक्षित नहीं रखे गए तो यह संभव नहीं है कि वे कृषि उपज मंडी के अन्दर चुनाव लड़कर पहुंच सकें। उनका कोई रक्षक वहां नहीं रहेगा। कांग्रेस ने और कुछ लोगों ने हरिजनों को कुछ एक्सटेन्ट तक फायदा दिलवाना चाहा है। लेकिन वास्तविक रिप्रिजेन्टेशन रिजर्वेशन के अलावा किसी भी तरीके से संभव नहीं होगा। पल्लेदार और छोटे लोगों को इसमें रिप्रिजेन्टेशन नहीं मिलेगा तो वे अपनी आवाज को कैसे बुलन्द कर सकेंगे। कोई अन्याय या अत्यचार होगा तो उनकी आवाज को कोई सुनने को तैयार नहीं होगा यह प्रिज्यूम करके चलते है जहां कांग्रेस है वहां गरीबों का रिप्रिजेन्टेशन हो जाता है, सभी किसानों का रिप्रिजेन्टेशन हो जाता है जब दूसरे नहीं है तो छोटे आढतियों और दलालों को कम से कम जो पल्लेदार है उनका रिप्रिजेन्टेशन किसी न किसी रूप में अवश्य होना चाहिए।

यहां पर बोर्ड की बात कही गयी है। मैं माननीय मनोहरलालजी की बात से इत्तफाक करता हूं। यह किसी न किसी तरीके से कृषि उपज मंडी पर नियन्त्रण करके, उनकी एक्टीविटीज पर कंट्रोल करने के लिए सेन्ट्रालाइजेशन करने का एक षड़यन्त्र मात्र है जिससे कि कृषि उपज मंडी आपरेशन ठीक ढंग से नहीं करे तो उसको उसी क्षण खतम किया जा सकता है। सेक्रेटरी को उसमें एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया जा सकता है। कुल मिला कर इस विधेयक के अमेन्डमेन्ट का फायदा सरकार को होगा और कृषि उपज मंडी के खिलाफ होगा। वह कन्ट्रोलेबल हो जाएगी। जिस समय चाहा उसको पकड़ लेंगे। राजनैतिक

(श्री मूलचन्द सामरिया)

आधार पर इसको खतम किया जा सकता है। इलेक्टेड बोडी को हटाया जा सकता है। एक बटा तीन के आधार पर बोर्ड को डिजोल्व कर दिया जाएगा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है और अन्य प्रक्रिया की तरह वेकेट करके उसकी पूर्ति नहीं करेंगे और उसको पूरे समय के लिए रन नहीं करने दिया जाएगा।

सरकार इस एक्ट के अन्दर भी यह प्रिजूम करके चलती है कि हमारी मशीनरी निकम्मी है। वह इलेक्शन नहीं करवा सकती है। यह नियम कि इसका समय एक साल के लिए और बढ़ा दिया जाएगा, यह क्लाज रखना सरकार की असफलता, उसकी अयोग्यता का प्रतिपादक है। चूंकि सरकार अपने आपको सक्षम और काबिल नहीं समझती है तीन साल का जो पीरियड है उसके अन्दर ही सरकार कोई चुनाव करा पाए। यह खुला निकम्मेपन का उदाहरण है। इसके बारे में निवेदन करूं कि अगर सरकार अपनी मशीनरी को ठीक करे तो वह तीन महीने के अंदर ही चुनाव करा सकती है। किसी भी तरह से ज्यादा लम्बा टाइम नहीं लिया जाना चाहिए। वरना इसका भी नतीजा वही होगा जैसा कि पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों का हुआ है।

अगर सरकार इस तरह अपनी पावर का दुरुपयोग करे तो मैं समझता हूं कि उससे यह मृतप्राय होगी और किसानों को जो सहायता और लाभ मिलने वाला है उसको बड़ा आघात पहुंचेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, बोर्ड के गठन के बारे में मैंने निवेदन किया कि उसके पावर्स इतने होंगे कि कृषि उपज कमेटी को जो प्राइमरी यूनिट्स होंगीं उनको कभी भी दबोच सकता है। मुझे खतरा है कि सरकार लोगों के द्वारा छिटकाये हुये, जनता द्वारा रिजेक्ट किये हुए, हताश और निराश राजनेताओं को लाकर इस पर बैठायेगी और ऐसे व्यक्ति को संशोधन लाकर लाने की नीति होगी तो मैं समझता हूं दुर्भाग्य की बात होगी। अगर यह आइडिया रखते हो तो चुनाव की व्यवस्था हो, या ऐसी अगर व्यवस्था करते हों कि सरकार नियुक्त करे तो कृषि के मामले में दक्षता प्राप्त किसी व्यक्ति को रखा जाय जो किसानों की समस्याओं से ओतप्रोत हो और इस बोर्ड का प्रेसीडेन्ट एकमात्र किसान होना चाहिए जो कि खुद किसान हो और जो अपने हाथ से हल चलाता हो। उसकी कृषि की योग्यता होनी चाहिए। एक तो यह हो कि कृषि की योग्यता रखता हो और जो एम० पी० और एम० एल० ए० के चुनाव में असफल हो गया हो अथवा एम० एल० ए० हो गया हो और उस वक्त मिनिस्ट्री में रहा हो उसको चैयरमैन बना देंगे तो कृषि उद्योग निगम वाली स्थिति होगी, और उसका नतीजा बड़ा भयंकर होगा जो कि किसानों को देखना पड़ेगा। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि निगम के प्रेसीडेन्ट के लिए कम से कम यह योग्यता हो कि किसी चुनाव में हारा हुआ नहीं हो, जनता से रिजेक्टेड न हो, किसी दूसरे काम को करने वाला न हो, एक मात्र मैनली आधार जिसका जीवन-यापन का मुख्य आधार कृषि हो उसी व्यक्ति को अगर बनायेंगे तो मैं समझता हूं कि कुछ कर सकेंगे, अन्यथा यह विधेयक कृषिकों के लिए बड़ा आघात पहुंचाने वाला होगा और राजनेताओं के हाथ का खिलौना बनकर रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी (किसी माननीय सदस्य के खड़े होने पर) मंत्रीजी को कहने दें। वह स्पष्ट कर देंगे आपकी बात भी।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष, इस बिल के तृतीय वाचन पर बिल के प्रिन्सीपल पर बहस हुआ करती है। हमेशा जो है थर्ड रीडिंग पर बिल के प्रिन्सीपल पर बात होनी चाहिए, लेकिन माननीय सदस्यों ने बिल के प्रिन्सीपल पर बात नहीं करते हुए कुछ मुद्दों के संबंध में अपने विचार रखें। सरदारपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जहां इन मण्डीज के डेवलपमेंट के संबंध में, उनके यार्ड के डेवलपमेंट के संबंध में जो एग्रीकलचर रिफाइनेन्स कार्पोरेशन के द्वारा कर्जा दिया जाता है वह बैंक के थ्रू दिया जाता है और एग्रीकलचर रिफाइनेंस कार्पोरेशन उनसे साढ़े छः पर्सेन्ट पर दे रहा है और वह आगे मंडी कमेटी को 9 पर्सेन्ट पर दे रहे हैं। इस तरह से उन्होंने कहा कि ब्याज का बहुत बड़ा भाग मंडी समितियों पर पड़ेगा। माननीय उपाध्यक्ष, इस मुद्दे को मैं एकजामिन कर रहा हूं और किसी दूसरी संस्था के मार्फत जिसमें कम से कम बीच की संस्था जो फाइनेन्स करती है वह ब्याज चार्ज करे, इस प्रकार की व्यवस्था करने का प्रयास किया जायगा।

यहां पर हवाई महल से आने वाले माननीय सदस्य ने.....

श्री मनोहर लाल : हवाई महल नहीं; हवा महल।

श्री परसराम मदेरणा : ऊटपटांग तो बात नहीं की कुछ इर्रेलेवेन्ट बात जरूर कही है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मेरे पास एक्ट की धारा है।

श्री परसराम मदेरणा : आपके पास एक धारा है और मेरे पास कई स्टेट्स के एक्ट हैं.....

श्री सतसिंह : दुधारा है।

श्री परसराम मदेरणा : इस धारा में वह स्कीम शामिल है। मेरे से पूर्व वक्ता सरदारपुरे से आने वाले और सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्यों के कुछ मुद्दे थे जिनके बारे में आपको संशय था, डाउट्स थे तो आपके डाउट्स को डिस्पेल करने के लिए उन्होंने काफी प्रयत्न किया। लेकिन तो भी मैं आपकी जानकारी के लिए निवेदन करूंगा कि जैसा कि आप कह रहे थे कि फ्रूट्स को रेग्युलेट करने की मंडियां कहीं पर भी नहीं हैं, यह बात सही नहीं है। देश के कई राज्यों में फ्रूट्स के रेग्युलेटेड मार्केट हैं, पंजाब में हैं, बिहार में ह, गुजरात में हैं, हरियाणे में, महाराष्ट्र में और मैसूर में हैं और जो कुछ स्टेटिस्टिक्स एकत्रित की गई हैं तो आप का रेग्यलेटेड मार्केट 147 मंडियों के अन्दर है देश में, नारंगियों का 155 मंडियों में है, शहतूत का 142 मंडियों में और आलू 208 मंडियों में, अरवी 141 मंडियों में हैं, और इसी तरह से गोभी 152 मंडियों में है, प्याज 340 मंडियों में है, मूली 141 में है, शलजम 141 म है, टमाटर 141 में है....

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : टमाटर से ज्यादा प्रभावित थे।

श्री परसराम मदेरणा : इसमें जो है वह जो कह रहे थे सूरतगढ़ से आने वाले

(श्री परसराम मदेरणा)
माननीय सदस्य चीकू का उसका तो इसमें जिक्र नहीं है।

लेकिन हवा महल से आने वाले माननीय सदस्य ने एनीमल हस्बेन्ड्री के प्रोड्यूस के संबंध में एक बात कही है। तो मुर्गी फीट्स हम लगाने जा रहे हैं। मुर्गी फीट्स आज बढ़ रहे हैं और पहले से कई गुना बढ़ा दिये हैं। इस संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एनीमल हस्बेन्ड्री प्रोड्यूस जो हैं वह मेन एक्ट के अन्दर भी जो सेक्शन (2) है उसमें थे वह एग्रीकलचर प्रोड्यूस में आ गये हैं। एग्रीकलचर प्रोड्यूस क्या होंगे इस संबंध में एक शेड्यूल बना हुआ है। उसमें एनीमल हस्बेन्ड्री प्रोड्यूस भी एग्रीकलचर प्रोड्यूस में शामिल हैं— पोल्ट्री भी उसके अन्दर है, मुर्गी भी है, बटर भी है, घी भी है, दूध है, हाइड भी है, स्किन भी है। कुछ केटल्स के संबंध में भी रेग्युलेट करने की बात है। इस शेड्यूल के अन्दर तीन प्रकार के केटल्स को रेग्युलेट करने की बात रखी है— एक गाय को, भैंस को और बछड़े को। वे ऊंट और गधे के बारे में कह रहे थे तो इस शेड्यूल में उनका नाम नहीं है, मगर एनीमल हुस्बेन्ड्री प्रोड्यूस....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपका नाम उसमें है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपका नाम भी उसमें शामिल है।

श्री परसराम मदेरणा : उनकी गधे की जो इजेक्टेड प्रोड्यूस उसमें से निकलती है और इजेक्टेड प्रोड्यूस ऊंट में से निकलती है उसकी आपको जानकारी होगी मुझे नहीं है। माननीय सदस्य ने यह जो बात कही है वह शायद ऊटपटांग ही हो सकती है, और इससे ज्यादा मैं इसको संज्ञा नहीं देना चहता। उन्होंने....

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : ऊंट तो हैं साहब।

श्री परसराम मदेरणा : सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने बोर्ड के गठन के संबंध में एक बात कही। उन्होंने यह कहा कि बोर्ड का गठन और जो चैयरमैन हैं वह ट्रेडर है तो वह एक तरह से बोथ कान्स्टीटुएन्सी को रिप्रिजेन्ट करने वाला हो गया है। इसका सेक्शन में प्रोवीजन है- Provided that a trader or Chairman of the Marketing Committee may choose to seek election from either of the two constituencies. इसलिए वह दोनों से नहीं आ सकता।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : दोनों से लड़ने का चान्स है उसको।

श्री परसराम मदेरणा : दोनों में से एक है। जनरल क्लास ऑफ ट्रेडर्स का अगर वह चैयरमैन है देन सिलेक्टेड चैयरमैन में से है मार्केटिंग कमेटी का तो उसमें से आ सकता है।

आपने यह कहा कि ट्रेडर जो है वह चैयरमैन नहीं बनना चाहिए। एज ट्रेडर वह चैयरमैन नहीं बनेगा। एक उसमें प्रावधान है कि वह दूसरी वाली केटेगरी में से आ जाता है, फर्स्ट केटेगरी का नहीं लेकिन सेकण्ड केटेगरी जो ट्रेडर्स की कान्स्टीटुएन्सी है उसमें आ जाता है तो आगे का सेक्शन (2) है उसको पढ़ लीजिये Chairman and Vice-chairman of

Page No. 127

(श्री परसराम मदेरणा)

the Board, both shall be appointed from amongst members of the Board provided that a member elected under sub-section (1) (b).

यह ट्रेडर वाली कान्स्टीट्यूएन्सी है ।

......shall not be appointed as Chairman or Vice-President of the Board.

यह भी इसमें प्रावधान रख दिया है ।

इस प्रकार की संस्थाओं में विशेष तौर से जहां तक आपने कहा है ट्रेडर्स के संबंध में कि कच्चे आड़तियों को और छोटे डीलर्स जो हैं इनको रिप्रिजेंटेशन मिलना चाहिये । मैं भी माननीय सदस्य की राय से इत्तिफाक करता हूं । इसलिये जहां पर कच्चे आड़तिये थे उनको भी रखा है और एबालिश नहीं कया है उस इन्स्टीट्यूशन को, क्योंकि हम जानते हैं कि वह स्वयं व्यापार नहीं करते हैं लेकिन बीच में कमीशन एजेन्ट का काम करते हैं । उस काम से वह फेसिलिटी काश्तकार को देते हैं । इसीलिए तो फूड रेग्यलेशन का एक्ट बन रहा है व्हीट का उसके अन्दर भी उनको एलिमिनेट नहीं किया है । हमने यों का यों ही रखा है । और यूं ही रखा है । यह बात भी नहीं है । लेकिन दूसरे हमने व्हिट के ट्रेड का आर्डर जारी किया है, इस ऑर्डर के अन्दर ट्रेडर न रख कर डीलर रखा है । ट्रेडर के अन्दर, किस क्वान्टिटी में धन्धा कर सकता है, उस पर पाबन्दी रखी है । डीलर शब्द रखा है क्योंकि डीलर में एनोलोगस प्रोविजन रहेगा, कौन ट्रेडर रह सकता है, कौन नहीं रह सकता ।

आज टाइम बड़ी तेजी के साथ बदल रहा है और जो हालात हैं वह आने वाले चालीस पचास रोज में क्या रहेंगे, उस पर मनहस्सर रहेगा, किस प्रकार का बिहेवियर ट्रेडर का रह सकेगा, इसमें ज्यादा तफसील में न जाकर मैं निवेदन कर रहा हूं, माननीय सदस्य जो कामां से आने वाले हैं, उन्होंने कहा, भरतपुर मण्डी में विकास नहीं हुआ है और कहीं पर कोई सुविधा काश्तकार को नहीं मिली हुई है । जो मुझे जानकारी मिली है, वह यह है कि बयाना में मार्केट यार्ड का निर्माण हो रहा है, रेस्ट हाउस का निमार्ण हो रहा है, मार्केट यार्ड में सड़क का निर्माण हो रहा है, इसलिये यह कहना कि कुछ नहीं हो रहा है, गलत है

बोर्ड का गठन किया है, वह जो सक्षम मार्केटिंग सोसाइटी होगी ? वह कन्ट्रीब्यूट करेगी और डवलपमेंट करेंगी लेकिन जो कमजोर मार्केटिंग सोसाइटीज हैं, जो डवलपमेंट नहीं कर सकतीं उनको रीफाइनेन्स वहां से किया जा सकता है । जो मार्केटिंग यार्ड है, इसमें छोटे किसान और पल्लेदारों को सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो वह बराबर सुविधा उपलब्ध कर सकती हैं। यहां पर मजदूरों के संबंध में जो कहा और पल्लेदारों-मजदूरों के संबंध में कहा, उनके लिए मार्केटिंग सोसाइटी के बॉयलाज में प्रावधान होता है । रेगुलेटेड मण्डी का मतलब है कि हर चीज का रेगलेशन होना चाहिये । उसके अन्दर फीस होती है, कितनी फीस दी जाय, यह फीस जितनी है, आप कह रहे हैं, वर्षों से कम है । तो बॉयलॉज मेरे सामने भरतपुर की मण्डी के हैं नहीं । यह बात निश्चित है, मनचाही पल्लेदार से नहीं ले सकते । इस बात का प्रावधान रूल्स में है । यह बात कही गई कि बोर्ड का गठन किया जा रहा है । दौसा से आने वाले

Page No. 128

(श्री परसराम मदेरणा)

माननीय सदस्य ने और कामां से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को रीहेबीलिटेट करने के लिए राज्य सरकार की चाल है, मैं निवेदन करूं, बोर्ड के संबंध में नाहर कमेटी की स्पष्ट सिफारिश थी, बोर्ड का गठन किया जाना चाहिये। बोर्ड का गठन हुआ है, यह राजस्थान में ही हुआ है— यह बात नहीं है, बोर्ड का गठन दूसरी स्टेटस में भी किया गया है, मैसूर में बोर्ड का गठन है, पंजाब में बोर्ड का गठन किया हुआ है, बिहार में बोर्ड का गठन किया हुआ है, इसलिए यह कहना कि कांग्रेस के नेता, जो चुनाव में हार गये हैं, चुनाव में कई हारते हैं, कांग्रेस के भी हारते हैं और कभी आपकी पार्टी के भी हारते हैं........

श्री मनोहरलाल : आपका यह लक्ष्य है।

श्री मूलचन्द सार्मरिया : आपके अण्डर में डिपार्टमेंट हैं, हमारे पास नहीं हैं। आपके नेता हार जाय तो कोई बात नहीं, फोरन लगा दिया जायगा।

श्री परसराम मदेरणा : हार जीत जनता पर मुनहस्सर है, क्या फैसला करती है। जो जनता ने फैसला किया है वह आपके सम्मुख है। साल भर हुआ है फैसला हुए, फिर भी जब जनता को अवसर मिलेगा तो जनता फैसला करने जा रही है। जनता समझती है, क्या बात कही जा रही है, कितनी बात में सत्यता है, कितनी बात एग्जेगरेटेड कही गई है, कितनी जनता के हित में है, कितनी पब्लिसिटी के पाइन्ट ऑफ व्यू से है, कितनी जनता के दुःख दर्द के लिए है। जनता के दुःख दर्द के बारे में निर्णय जनता के प्रतिनिधि करते हैं। यहां निर्णय होता नहीं है, यहां कानून बनता है। जनहित का कोई निर्णय करे, इसमें कौन पार्टी क्या स्तर रखती है, यह जनता और हरिजनों के सामने क्लीयर है। जनता जब फैसला करती है, हरिजन जब फैसला करते हैं तो कांग्रेस के हित में हुआ करता है क्योंकि वह जानते हैं कि उनका हित कांग्रेस पार्टी के सत्ता में रहने में है.....

श्री मूलचन्द सार्मरिया : वह कमजोर हैं, आपके प्रलोभन हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : वह बहकावे में आ गये थे। अब दुःख पा रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : आपने दौसा कृषि उपज मण्डी के संबंध में बात कही। आपने यह कहा कि यहां पर काफी गड़बड़ी है। एक कर्जा लेने वाली और दूसरी आपने मूंगफली की बात कही, यह रियायत दी गई, यह मण्डी कमेटी का प्रस्ताव नहीं है। मैं जांच के आदेश दे रहा हूं और जांच की रिपोर्ट आने के बाद मालूम होगा, यह सही है या नहीं। मैं आफ हैंड नहीं बता सकता।

श्री मूलचन्द सार्मरिया : बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री परसराम मदेरणा : जो उत्तरदायित्व है, उसको डिस्चार्ज करने में कोई कमी है तो राज्य सरकार रियायत करने वाली नहीं है।

मैं पूर्व में निवेदन कर चुका हूं, यह अमेंडिंग बिल लाया हूं, यह बात सही है कि काम्प्रीहेन्सिव बिल नहीं आया है। इसका मतल यह है कि जल्दबाजी में बिल लेकर आया हूं? बिल जल्दबाजी में नहीं लेकर आया हूं, बहुत सोच समझ कर लाया हूं.....

श्री यशवन्तसिंह नाहर : पांच वर्ष के बाद ।

श्री परसराम मदेरणा : पांच वर्ष के बाद। पांच-सात रिकमन्डेशन नाहर कमेटी की मानी हैं । काम्प्रीहेंसिव बिल हिन्दुस्तान के दूसरे प्रान्तों में हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट बिल, उनका अध्ययन करने के बाद लाया हूं । इसमें एडमिनिस्ट्रेटर की बात रखी है । एडमिनिस्ट्रेटर की बात में भी किसी भी स्वायत संस्था या और संस्था को राजनैतिक कारणों से सुपरसीड करने का इरादा नहीं है । एडमिनिस्ट्रेटर की बात कह रहे हैं, यह हिन्दुस्तान के दूसरे प्रान्तों में भी है.....

श्री झाबरमल सुण्डा : आप ज्यादा प्रगतिशील हैं। दूसरों का उदाहरण नहीं दें ।

श्री केदारनाथ : इनहैरेंट पावर हैं ।

श्री परसराम मदेरणा : फतेहपुर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं, मैं उनकी जानकारी के लिये कह दूं, अपाइन्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर का प्रावधान दूसरे राज्यों के अधिनियमों, मैसूर, यू० पी०, पंजाब, मध्य प्रदेश में भी है । यह नई बात नहीं है । मैं दूसरी बात निवेदन करूं कि आज एडमिनिस्ट्रेटर बिठाने का, जहां कभी भी अनियमितताये हों वहां कोई प्रावधान रहे तो क्या आप यह प्रिज्यूम करके चलते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अच्छा काम करने वाली संस्था हैं उनको काम नहीं करने देगी और एडमिनिस्ट्रेटर को बिठायेगी । अगर गलत है, और ऐसा कोई प्रावधान रखा है, वह प्रावधान नहीं हो तो नहीं होने की स्थिति में जब तक नये चुनाव नहीं हो जाते हैं तब तक इस प्रकार की अनियमितताये, इरेंगुलेरिटी हो रही हैं, उनको रोकने का कोई प्रावधान नहीं है .....

श्री झाबरमल सुण्डा : अनुभव के आधार पर कहा है ।

श्री परसराम मदेरणा : अनुभव के आधार पर ... ।

श्री केदारनाथ : स्टेट को इनहैरेंट पावर हैं ।

श्री परसराम मदेरणा : अनुभव के आधार पर ही मैं कह रहा हूं ।

श्री केदारनाथ : आप कह रहे हैं कि सुपरसेशन की पावर्स नहीं है । स्टेट के पास इनहैरेंट पावर्स हैं, सुपरसीड कर सकती है ।

श्री परसराम मदेरणा : इसलिये ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, जो बिल जिस इन्टेन्शन से, जिन उद्देश्य से, इस संबंध में लाया हूं, माननीय सदस्य इस बिल को पारित करेंगे ।

श्री मूलचन्द सामरिया : रिजर्वेशन के बारे में निवेदन किया था, उस पर क्या विचार है ।

श्री परसराम मदेरणा : रिजर्वेशन के ऊपर पहले कह चुका हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान, कृषि उपज विपणि (संशोधन) विधेयक, 1973 को, यथा संशोधित, पारित किया जाय ।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया ।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 6 अप्रेल, 1973 के दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन कि कार्यवाही मध्याह्न पश्चात् 5 बज कर 29 मिनिट पर शुक्रवार दिनांक 6 अप्रेल, 1973 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।)

परिशिष्ट-1

(समयाभाव के कारण सदन में न लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर)

जोधपुर जिले में अनाज का वितरण

992. **श्री रामसिंह** (लूनी) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जोधपुर जिले में तहसील-वाइज माह अक्टूबर से कितना कितना अनाज अलग अलग किस्म का दिया गया ? माहवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखा जावे।

(2) क्या यह सच है कि शहर और गांव में अनाज वितरण में अनियमितता एवं भेद भाव रखा गया है ? अगर हां, तो किन प्रावधानों के अन्तर्गत ? अगर नहीं, तो शहर और गांवों में वितरण व्यवस्था प्रणाली जो रखी गई माह अक्टूबर से जिन्सवार प्रति किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से जो जिन्स दिया गया– उसकी लिस्ट सदन की मेज पर रखी जावे।

(3) क्या यह सच है कि जिला रसद अधिकारी ने जोधपुर जिले की जिला रसद सलाहकार समिति की बैठक आज तक नहीं बुलाई ? अगर हां, तो क्या सरकार उनके खिलाफ कोई कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(2) जी नहीं—शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र में खाद्यान्न समान दर से वितरण करने के आदेश हैं किन्तु खाद्यान्न की उपलब्धि एवं क्षेत्र विशेष की आवश्यकता पूर्ति को ध्यान में रखकर स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार जिलाधीशों को वितरण कराने हेतु आदेश दिये गये थे। प्रति व्यक्ति वितरित किये जाने वाली सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(3) जी नहीं—सलाहकार समिति की बैठक 21-11-72 व 11-12-72 को बुलाई गई थी। 31 जनवरी, 73 को अकाल राहत समिति की बैठक बुलाई गई थी इस समिति एवं खाद्यान्न समिति के सदस्य समान ही थे। राज्य सरकार ने अकाल राहत एवं खाद्यान्न वितरण दोनों कार्य हेतु एक ही परामर्शदात्री समिति दिनांक 1-3-73 से नियुक्त करदी है एवं इसकी बैठक की व्यवस्था की जा रही है।

तालिका खाद्यान्न जो कि जोधपुर जिले की विभिन्न तहसीलों को दिया गया

नाम तहसील	अक्टूबर					नवम्बर					दिसम्बर				
	गेहूं	बाजरा	मक्का	माइलो	योग	गेहूं	बाजरा	मक्का	माइलो	योग	गेहूं	बाजरा	मक्का	माइलो	योग
जोधपुर सिटी	1250	—	—	—	1250	1000	—	—	—	1000	1300	—	—	—	1300
जोधपुर तहसील	200	40	—	—	240	200	100	—	—	300	50	20	—	—	70
शेरगढ़ तहसील	370	75	—	—	445	300	200	—	—	500	150	125	—	—	275
बिलाड़ा	500	—	—	—	500	450	200	—	—	650	175	—	—	—	175
फलौदी	400	80	—	—	480	400	250	—	—	650	175	125	—	—	300
ओसियां	200	75	—	—	275	450	250	—	—	700	250	30	—	—	280
योग	2920	270	—	—	3190	2800	1000	—	—	3800	2100	300	—	—	2400

नाम तहसील	जनवरी					फरवरी					मार्च				
	गेहूं	बाजरा	मक्का	माइलो	योग	गेहूं	बाजरा	मक्का	माइलो	योग	गेहूं	बाजरा	मक्का	माइलो	योग
जोधपुर सिटी	1500	—	—	—	1500	2400	—	—	—	2400	1800		—	—	1800
जोधपुर तहसील	50	165	75	—	290	—	165	486	—	651	—	—	250	—	250
शेरगढ़ तहसील	75	28	145	—	248	—	28	664	—	692	50	—	250	—	300
बिलाड़ा	215	111	85	—	411	—	111	514	—	625	150	300	250	400	1100
फलौदी	210	96	145	—	451	—	96	654	—	750	100	—	375	—	475
ओसियां	100	100	100	—	300	—	100	600	—	700	100	—	375	300	775
योग	2150	500	550	—	3200	2400	500	2918	—	5818	2150	300	1500	700	4650

जोधपुर जिले में वितरण किये गये खाद्यान्नों का प्रति व्यक्ति माहवार ब्योरा निम्न है

(मात्रा किलो ग्राम में)

	अक्टूबर, 72	नवम्बर, 72	दिसम्बर, 72	जनवरी, 73	फरवरी, 73
जोधपुर	6	6	5	5	5
तहसील शेरगढ़	2 से 4	2 से 5	2 से 5	2 से 4	2 से 4½
तहसील फलोदी	2 से 6	2 से 6	3	2 से 3	4 से 5
तहसील ओसियां	6	3 से 6	3	3 से 5	3
तहसील जोधपुर	5	4	4	4	4
तहसील बिलाड़ा	2 से 3	2 से 3	2 से 3	2 से 3	2 से 3

Page No. 133

जालौर जिले में चोरियां

993. **श्री भगराज चौधरी** (रानीवाड़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जालौर जिले के थाने जसवन्त पुरा, मोदरा व रानीवाड़ा में पिछले 4 वर्षों में कितनी कितनी चोरियां कितनी कितनी धनराशि की एवं कौन कौन से माल की कौन कौन से ग्रामों में हुईं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखावें।

(2) उक्त चोरी गये माल में से किस किस चोरी का कितना कितना माल पुलिस द्वारा बरामद किया गया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि ग्राम पूर्ण व रामसीन में हुई चोरियों का माल अभी तक पुलिस ने बरामद नहीं किया है ? यदि हां, तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) चाही गई सूचना तालिका (क) में दर्ज की गई है जो सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) चाही गई सूचना तालिका (ख) में अंकित की गई है जो सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां। पुलिस के भरसक प्रयत्नों के बावजूद भी अभी तक इन दोनों चोरियों के माल-मुलजिमानों का पता नहीं लग सका है और इसके लिए किसी पुलिस अधिकारी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। अतः उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्टेशन रोड, जयपुर में स्थित श्री दिगम्बर जैन मन्दिर का निर्माण

994. **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका क्षेत्र स्टेशन रोड जयपुर पर स्थित आराजी खसरा नं. 103 (भूतपूर्व जयपुर स्टेट) जिसका वर्तमान जयपुर नगर परिषद् खसरा नम्बरान 472 से 496 है श्री दिगम्बर जैन मंदिर सरावगीयान के निर्माणार्थ तत्कालीन जयपुर राज्य द्वारा दी गई थी ? यदि हां, तो उस भूमि के कितने भाग में जैन मंदिर का निर्माण हुआ है ?

(2) क्या भूमि के अधिकांश भाग का उपयोग होटल व दीगर व्यावसायिक कार्यों में हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस विषय में कोई जांच कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) सिटी सर्वे रिकार्ड में खसरा नं० 472 से 494 की मिल्कियत हीरालाल वल्द किशनलाल सरावगी मन्दिर सरावगीयान की नसियां माल वक्फ है अतः राज दर्ज है। खसरा नं. 494 में मन्दिर स्थित है जिसका क्षेत्रफल 23,105 वर्ग फीट है।

(2) जी हां।

जोधपुर जिले के नियोजन कार्यालय में अनियमितताएं

995. **श्री मोहनलाल छंगाणी** (फलौदी) : क्या नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर जिला नियोजन अधिकारी के कार्यालय में सबसे अधिक अनियमितताएं की जाती हैं ?

(2) क्या यह सही है कि पंजीकरण के समय दस रुपये तथा साक्षात्कार के लिये नाम भेजते समय पचास रुपये नियमित रूप से हर व्यक्ति से फीस ली जाती है ?

(3) क्या इस प्रकार की फीस नियमानुसार है ? यदि नहीं, तो भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

(4) क्या यह सही है कि जिला नियोजन कार्यालयों पर पहले एक परामर्शदात्री समिति हुआ करती थी ? यदि हां, तो उसे खत्म करने के क्या कारण हैं ? क्या इस प्रकार की समितियां जिला स्तर पर कायम करने की सरकार की मंशा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी नहीं ।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(4) पिछली समितियों की कार्य अवधि समाप्त हो चुकी है । अब 23 जिलों में नई समितियों का गठन कर दिया गया है । बाकी का विचाराधीन है ।

उद्योग विभाग द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सरप्लस किया जाना

996. **श्री जनार्दनसिंह गहलोत** (गांधी-नगर, जयपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) निदेशक उद्योग विभाग ने अपने आदेश संख्या एफ/स्थापना के पीटो/आई/ दिनांक 11-3-66 के द्वारा किन किन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सरप्लस घोषित किया था ? सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें ।

(2) क्या उक्त कर्मचारियों का एल०, पी० सी० संबंधित विभागों में भेज दिया गया है ? यदि हां, तो कब कब ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(3) ऐसे कितने कर्मचारी हैं, जिनकी एल०पी०सी० अभी तक संबंधित विभागों को नहीं भेजी गयी है ? सूची मय कारणों के सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें ?

(4) एल. पी. सी. जारी नहीं करने के लिये जो अधिकारी जिम्मेदार हैं उनके विरुद्ध क्या राज्य सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(स्थगित किया गया)

आदिवासियों को सागड़ी प्रथा से मुक्ति

997. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (सूरत-गढ़) : क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) आदिवासियों को सागड़ी प्रथा से मुक्त कराने के लिये एवम् कर्जो से मुक्ति दिलाने के लिये राज्य सरकार द्वारा पहली

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

दूसरी, तीसरी, चौथी पंचवर्षीय योजनाओं में कितनी राशि व्यय की गई है ? तथा पांचवीं योजना में इसके लिये क्या प्रावधान रखे गये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि सागड़ी प्रथा से आदिवासियों को मुक्त कराने के लिये मनीलैन्डर्स के विरुद्ध जो कानून बनाये गये हैं उसके बावजूद भी सागड़ी प्रथा चालू है ? यदि हां, तो क्यों ? इस संबंध में विभिन्न आदिवासी जिलों में क्या क्या कदम उठाये गये हैं ? कितने बोहरों पर मुकदमे बनाये गये हैं ? जिलेवार कानून बनाने के बाद से आज तक सूचित करें।

उत्तर

(1) आदिवासियों को सागड़ी प्रथा से मुक्त कराने के लिये तथा कर्जों से मक्ति दिलाने के लिये पहली, दूसरी, तीसरी व चौथी पंचवर्षीय योजना में समाज कल्याण विभाग के बजट में कोई प्रावधान नहीं था अतः व्यय होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना का आकार अभी विचाराधीन है।

(2) जी नहीं। राजस्थान में सागड़ी प्रथा चालू रहने के संबंध में कहीं से भी सूचना प्राप्त नहीं है। सागड़ी प्रथा से आदिवासियों को मुक्त कराने के लिये मनी-लैण्डर्स के विरुद्ध किसी भी जिले में कोई केस दर्ज नहीं हुआ है।

ग्राम नाहरगढ़, तहसील किशनगंज में हत्या का मामला

998. **श्री रामगोपाल जारवाल** (खण्डार): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम नाहरगढ़, तहसील किशनगंज, जिला कोटा में कुछ दिन पूर्व किन्हीं व्यक्तियों द्वारा मिट्टी का तेल छिड़क कर श्री मोहनलाल तेली को उसके मकान में जिन्दा जला दिया गया ? यदि हां, तो क्या अब तक पुलिस थाना नाहरगढ़ के एस. एच. ओ. द्वारा उक्त घटना की जांच की गई है ? जांच की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त मुकदमे के संबंध में पुलिस थाना नाहरगढ़ में नामजद रिपोर्ट की गई ? यदि हां, तो उन व्यक्तियों का नाम बताने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि उन व्यक्तियों को पुलिस थाना नाहरगढ़ में लगभग 10-15 दिन हिरासत में रखने के बाद छोड़ दिया गया और उस पुलिस थाना के एस. एच. ओ. की निष्क्रियता से अब वहां के पूरे क्षेत्र में आतंक फैला हुआ है ?

(4) क्या यह सही है कि इसी घटना के पूर्व इसी थाने के अधिकार क्षेत्र में एक हत्याकाण्ड हो चुका है ? यदि हां, तो उस समय कौन एस. एच. ओ. था और उस घटना की पुलिस जांच के बाद में क्या परिणाम रहे ? और अब दिन प्रति दिन इस प्रकार की हत्याओं को रोकने के लिये पुलिस विभाग क्या कोई कार्यवाही कर रहा है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) जी हां। ऐसी शिकायत प्राप्त हुई थी। मुकदमा हाजा में पुलिस द्वारा अब तक की गई जांच का विस्तृत विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी नहीं। मुकदमे में दर्ज कराई

(गृहमंत्री)

गई एफ. आई. आर. में कोई मुल्जिम नामजद नहीं है।

(3) जी नहीं। दौराने तफ्तीश इलाके के जिन जिन संदिग्ध व्यक्तियों को वास्ते पूछताछ थाने पर बुलाया गया था उन्हें बाद पूछताछ उसी दिन वापस छोड़ दिया गया था।

(4) वर्ष 1973 में इसी घटना से पूर्व थाना नाहरगढ़ में कत्ल का कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। वर्ष 1972 को पुलिस थाना नाहरगढ़ में कत्ल के दो मुकदमे मुकदमा नं. 24 व 25, धारा 302, आई. पी. सी. दर्ज किये गये थे। उस समय श्री रामगोपाल बतौर एस. एच. ओ. पुलिस थाना नाहरगढ़ का कार्य कर रहे थे। उपरोक्त दोनों कत्ल के मकदमें की तफ्तीश एस. एच. ओ., श्री रामगोपाल द्वारा की जाकर सम्बन्धित मुलजिमानों को गिरफ्तार कर चालान पेश अदालत किये जा चुके हैं।

विवरण

दिनांक 6,7-2-73 की रात को कुछ बदमाशों ने श्री मोहनलाल तेली, निवासी नाहरगढ़ पर मिट्टी का तेल छिड़क कर, आग लगादी और उस के घर से जेवरात, नगदी आदि कुल 410 रु० का माल लेकर फरार हो गये। घटना की इत्तला मिलते ही मुकदमा नं. 6/73 धारा 458 / 380/ आई. पी. सी. पुलिस थाना नाहरगढ़ दर्ज किया जाकर एस. एच. ओ. फौरन मौके पर पहुंचा और श्री मोहनलाल को वास्ते इलाज अस्पताल नाहरगढ़ ले जाया गया, लेकिन उनकी हालत अधिक खराब होने के कारण, उन्हें बारां अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई। दिनांक 8-2-73 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, शाहबाद मौके पर पहुंचे और इस केस की तफ्तीश अपनी सुपुर्दगी में लेकर जुर्म 302/ 394/ 201 / 436 ता. हि. और लगाया।

मुल्जिमान का पता लगाने के लिये विशेष रूप से पुलिस को लगाया गया तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, शाहबाद ने दिनांक 25-2-73 तक नाहरगढ़ में कैम्प लगाकर मुल्जिम की पता रसी की। पुलिस अधीक्षक, कोटा ने भी दिनांक 24-2-73 को थाना नाहरगढ़ पहुंच कर मौका मुआयना किया और मजीद तफ्तीश हेतु तफ्तीश कुनिन्दा को रहबरी दी। दौराने तफ्तीश इलाके के तमाम संदिग्ध व्यक्तियों को थाने पर बुलाया जाकर पूछताछ की गई लेकिन पुलिस के भरसक प्रयत्नों के बावजूद भी माल मुल्जिम का अभी तक कोई पता नहीं चल सका है जिसके लिये पता रसी जारी है। वर्तमान में इस मुकदमें की तफ्तीश श्री जनार्दनसिंह, एस. एच. ओ. पुलिस थाना नाहरगढ़ द्वारा की जा रही है।

अनुसूचित जन-जातियों को गृह निर्माण हेतु ऋण

999. **श्री अमृतलाल गहलोत** (सरदारपुरा): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सत्य है कि वित्तीय वर्ष 1972-73 के कार्यक्रम में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों के गृह निर्माण के लिये उनकी गृह निर्माण सहकारी समितियों के माध्यम से एपैक्स कोऑपरेटिव हाउसिंग फाइनेन्स सोसाइटी द्वारा बिना ब्याज के एक करोड़ रुपये का ऋण प्रदान करने का प्रावधान है?

(श्री अमृतलाल गहलोत)

(2) यदि हां, तो अब तक उपरोक्त समितियों को कितना ऋण स्वीकृत हुआ ? इन समितियों के नाम व स्वीकृत ऋण की तादाद की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(3) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त सहकारी समितियों के प्रत्येक सदस्य को 4,000/- रुपये तक का बिना ब्याज ऋण व 300/- रुपये तक का अनुदान दिया जाता है और उन समितियों को प्राप्त ऋण की कम से कम 10 प्रतिशत तक धनराशि के हिस्से एपेक्स सोसाइटी से क्रय करना आवश्यक है ?

(4) जोधपुर नगर की जितनी उपरोक्त समितियों ने ऋण के लिये आवेदन-पत्र दिये हैं, उनके नाम, आवेदन-पत्र का दिनांक, सदस्य संख्या, मांगे गए ऋण की तादाद एवं स्वीकृत ऋण की तादाद की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(5) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त समितियों के प्रत्येक सदस्य को 4,000/- रुपये के ऋण की पहली किश्त प्राप्त करने के पूर्व लगभग 750/- रुपये की लागत का निर्माण कार्य अपने गृह निर्माण के भू-खण्ड पर अवश्य करना पड़ता है ?

(6) क्या यह सत्य है कि 25 सदस्यों तक की समिति को 500/- रुपये और 25 से ऊपर सदस्यों की समिति को 1,000/- रुपये वकील की फीस के रूप में एपेक्स सोसाइटी को अनिवार्य तौर पर देना पड़ता है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) वर्ष 1972-73 में अनुसूचित जाति व जन-जाति की जिन सहकारी समितियों को गृह निर्माण हेतु दी राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव हाउसिंग फाइनेन्स सोसाइटी लि., जयपुर द्वारा ऋण स्वीकृत किया गया है, उनकी सूची (अ) सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) यह सही है कि उपरोक्त सहकारी समितियों द्वारा प्रति सदस्य स्वयं 100/- रुपया हिस्सा पूंजी के लिए जमा कराने तथा 300/-रुपया समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदान देने पर 4,000/- रुपयों का ऋण स्वीकृत किया जाता है । ब्याज समाज कल्याण विभाग द्वारा वहन किया जावेगा । इस प्रकार से 300/- रुपया अनुदान राशि एवं 100/- रुपये स्वयं द्वारा विनियोजित हिस्सा पूंजी कुल 400/- रुपये, स्वीकृत ऋण 4,000/- रुपये के 10 प्रतिशत के रूप में समायोजित किये जाते हैं अलग से 10 प्रतिशत राशि लेने का कोई प्रावधान नहीं है ।

(4) जोधपुर नगर की पंजीकृत सहकारी समितियों तथा जिन समितियों को ऋण स्वीकृत किया गया है उनकी सूची (ब) सदन की मेज पर रखदी गई है ।

(5) प्रथम किश्त स्वीकृत ऋण के 30 प्रतिशत के बराबर होती है, जिसको वितरण करने से पूर्व प्लीन्थ लेवल तक का निर्माण कार्य करना आवश्यक है । परन्तु अनुसूचित जाति व जन-जाति के लोगों को 10 प्रतिशत अर्थात् 400/- रुपया प्रति सदस्य के हिसाब से प्लीन्थ लेवल तक का निर्माण कार्य पूर्ण करने से पूर्व ही भुगतान कर दिया जाता है । तत्पश्चात् प्लीन्थ लेवल तक कार्य पूर्ण होने के बाद ही शेष 20 प्रतिशत राशि दी जाती है ।

(6) जी हां ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम जसवन्तपुरा-झलमलिया को गच्छीपुरा से पानी

1000. **श्री मोहम्मद गफ्फार अली** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्राम जसवन्तपुरा व झलमलिया में गच्छीपुरा से पानी पहुंचा या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों और मार्च, 1972 से फरवरी, 1973 तक जसवन्तपुरा में विभाग ने क्या क्या मुख्य कार्य किया ?

(2) क्या यह सही है कि पाइप लाइन व टंकियों व बिजली का कार्य पूरा हो गया है लेकिन पानी सप्लाई नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो क्यों और अब पानी कब तक मिलेगा ?

(3) गच्छीपुरा से जसवन्तपुरा तक विभाग की सड़क बनी या नहीं ? यदि नहीं तो कब बनेगी जबकि इसी बांका पट्टी स्कीम के तहत जन स्वास्थ्य विभाग को 7 मील सड़क बनाने का 7 लाख रुपया मिल चुका है ?

(4) क्या यह सही है कि बांका पट्टी स्कीम गच्छीपुरा से जसवन्तपुरा तक के 56 ग्रामों को पानी देने की योजना है ?

उत्तर

(1) ग्राम जसवन्तपुरा व झिलमलिया में गच्छीपुरा से पानी पहुंच चुका है। शिवराशि, मनानी रानीगांव से आगे इस समय वहां की टैस्टिंग चल रही है। मार्च, 72 से फरवरी 73 तक विभाग ने पम्प लगाये व क्वार्टर बनाये, बिजली का कनेक्शन लिये व टैस्टिंग शुरू है।

(2) पाईप लाइन टंकियों व बिजली का कार्य पूरा हो चुका है तथा टस्टिंग प्रारम्भ हो गई है। पानी का वितरण भी साथ-साथ किया जा रहा है।

(3) गच्छीपुरा से जसवन्तपुरा तक सड़क अभी नहीं बनी है। यह सन् 74 तक बन जायेगी। इसके लिये 6 मील लम्बी सड़क के लिये 6 लाख रुपये का प्रावधान दिया हुआ है।

(4) बांका पट्टी जल योजना में कुल 44 गांव स्वीकृत हुए थे अब कुछ और गांव सम्मिलित हुये हैं जिनके सम्मिलित होने से कुल 50 गांवों को पानी होद बनाकर वितरण करने की योजना है।

टोंक में चमड़े का कारखाना

1001. **श्री विरदाराम फुलवारिया** (जालौर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सरकार टोंक में चमड़े का कारखाना खोलने जा रही है ? अगर हां, तो उसका कार्य कब से शुरू हो जायेगा ?

(2) क्या यह भी सही है कि चमड़े के कारखाने के कार्य को देखने के लिये कोई कमेटी बनाई गई है ? अगर हां, तो उसमें अनुसूचित जाति के कितने सदस्य हैं ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

आयातित मशीनों के लिए अनुबन्ध कर लिया गया है। प्रशासनिक भवन का कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया है। वर्ष 1973

(उद्योग मंत्री)
के अन्त तक उत्पादन कार्य प्रारम्भ करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

(2) दिनांक 25-3-1971 को चमड़े के कारखाने के कार्य को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने के उद्देश्य को लेकर 2 वर्ष की अवधि के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था । उपरोक्त कमेटी में निम्न चार सदस्य रखे गये थे :—

1) आयुक्त, राजकीय उपक्रम विभाग, राजस्थान, जयपुर ।

2) आयुक्त, वित्त विभाग ।

3) डॉ० वाई० नायुडम्मा, संचालक, सैन्ट्रल लैदर रिसर्च इन्स्टीट्यूट, मद्रास ।

4) उपायुक्त, राजकीय उपक्रम, विभाग, सदस्य-सचिव, राजस्थान, जयपुर ।

इनमें एक भी सदस्य अनुसूचित जाति का नहीं है ।

उत्पादन का सारा कार्य ऑटोमेटिक मशीनों के द्वारा होगा जिसके लिये विशेष तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होगी । ऐसी अवस्था में विभागीय आयुक्त, वित्त आयुक्त तथा एक तकनीकी विशेषज्ञ के अलावा उप-आयुक्त को सदस्य-सचिव रखकर कार्यकारी कमेटी बनाई गई थी और अनुसूचित जाति के किसी सदस्य को नहीं लिया गया था।

अब कम्पनी की स्थापना हो जाने के कारण 1-4-72 से यह कार्य कम्पनी के बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स के द्वारा किया जा रहा है।

स्थगित प्रश्न
(दिनांक 21-3-73)
जनगणना विभाग के सरप्लस कर्मचारी

668. **श्री नाथूराम** (बागीडोरा) : क्या श्रम नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में जनगणना विभाग के सरप्लस कितने आवेदक नवम्बर, 1971 से दिसम्बर, 1972 तक पंजीकृत हुए उनमें से कितने को रोजगार मिला और कितने अभी भी काम की प्रतीक्षा में हैं ?

(2) क्या यह सत्य है कि राज्य सरकार ने इस वर्ष के आवेदकों के लिए 25 प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखने और नौकरी में प्राथमिकता देने के निर्देश दिये थे लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो 1972 में नियोजन कार्यालयों में अधिसूचित रिक्तियों में से कितने प्रतिशत रिक्तियां जनगणना विभाग के कमीशुदा कर्मचारियों के लिए थी तथा नियोजन कार्यालयों द्वारा प्रेषित आवेदकों में से कितने प्रतिशत इस वर्ग के आवेदक प्रेषित किये गये ?

उत्तर

(1) राज्य में जनगणना विभाग के 566 आशार्थियों ने नवम्बर, 1971 से दिसम्बर, 1972 तक अपने नाम नियोजन कार्यालयों में पंजीकृत कराए। इनमें से 70 को रोजगार मिला तथा 366 आशार्थी 31-12-72 को रोजगार की तलाश में उपलब्ध थे ।

(2) (क) राज्य सेवा में नियुक्ति के लिए 25 प्रतिशत जनगणना विभाग के सेवामुक्त कर्मचारियों को प्राथमिकता देने के लिए समस्त विभागों को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्देश दिए गए थे ।

(ख) नियोजन कार्यालयों को

(श्रम नियोजन मंत्री)
अधिसूचित रिक्तियों में इस आरक्षण की सूचना नहीं थी ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 22-3-73)

ग्राम रास्ते पर अनाधिकृत कब्जा

678. **श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा)** : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर स्थित सीकर हाउस और खेतड़ी हाउस के बीच से जो ग्राम रास्ता नाहरी के नाके की ओर जाता है वह स्वीकृत नक्शे के अनुसार कितने फीट चौड़ा है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम रास्ते पर जहां से नाहरी के नाके की तरफ रास्ता जाता है श्री कल्लू खां नामक व्यक्ति ने अनाधिकृत कब्जा करके मकान बनवा लिया है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त अनाधिकृत कब्जे के सम्बन्ध में कई बार नगरपरिषद्, जयपुर व यू०आई०टी०, जयपुर को शिकायतें की गई हैं ? यदि हां, तो नगर-परिषद् द्वारा कब कब क्या क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या यह सही है कि नगरपरिषद् के बार–बार मना करने के बावजूद भी उक्त व्यक्ति ने अनाधिकृत निर्माण कर मकान बनवा लिया है ? यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा उक्त व्यक्ति के खिलाफ नगरपरिषद् के नियमों को भंग करने के कारण क्या कार्य-वाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह सत्य है कि श्री कल्लू खां जो कि कल्याण कोलोनी के नुक्कड़ पर रहता है, वह जमीन उसके पट्टे की है या अनाधिकृत कब्जा कर रखा है अथवा उसे लीज पर नगरपरिषद् से मिली है तो कब और इस प्रकार की अस्थाई लीज पर क्या पक्का मकान बनाया जा सकता है ?

(6) अब सरकार कब तक उक्त अनाधिकृत निर्माण को तोड़ कर रास्ते को साफ करवाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) नक्शे के अनुसार 40 फीट चौड़ा रास्ता है ।

(2) जी हां । श्री कल्लू खां ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करके दो दुकाने हाल ही में तामीर की हैं ।

(3) नगर विकास न्यास, जयपुर व नगरपरिषद् को नगरपरिषद् के सदस्य, श्री सोहनलाल के माध्यम से दिनांक 1-2-73 को एक शिकायत-पत्र प्राप्त हुआ । इस शिकायत से पूर्व ही न्यास द्वारा अतिक्रमण को हटाने के प्रति कार्यवाही की जा रही थी । किन्तु श्री कल्लू खां द्वारा न्यायालय से दिनांक 10-3-73 को स्थगन आदेश प्राप्त कर लेने के कारण अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही अवरुद्ध हो गई ।

(4) ऊपर कथित वाद के निर्णय के पश्चात्, नगर परिषद व नगरविकास न्यास से प्रस्ताव प्राप्त होने पर, नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी ।

(5) जी नहीं । यह भूमि नगरपरिषद् ारा स्वर्गीय भ० उमराव को किराये पर द

(नगर आयोजन मंत्री)

हुई बताई जाती है और श्री कल्लू खां अपने आपको उसका दामाद बताता है।

(5) किराये पर दी गई जमीन पर पक्की तामीर नहीं की जा सकती।

(6) न्यायालय का स्थगन आदेश निरस्त होने के पश्चात् ही अनाधिकृत निर्माण को हटाने की कार्यवाही की जा सकती है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 22-3-73)

पुलिस लाइन्स में पड़े हथियार.

679. **श्री राजेन्द्रसिंह** (उनियारा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में पुलिस लाइन्स में जब्तशुदा एवं डोनेटेड कितने हथियार पड़े हैं? सूची विवरण सहित सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) सन् 1962 से आज तक पुलिस विभाग द्वारा कितने हथियार बेचे गये ? सूची नाम मय कीमत दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) पुलिस लाइन्स में इस समय पड़े हुए हथियारों के बारे में राज्य सरकार की क्या नीति है ?

उत्तर

(1) सूची 'क' विवरण सहित सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी।

(3) पुलिस लाइन्स में इस समय पड़े हुए हथियार जो जब्त राज हो जाते हैं उनमें से कौन-कौन से शस्त्र होम गार्ड्स, स्पेशल पुलिस, सीमा के नागरिकों को तकसीम करने आदि के रखना उपयुक्त होगा व कौन–कौन से शस्त्र बेच देने चाहिए इसका निश्चय करने के लिए प्रक्रिया आदेश संख्या प०।(88)गृह(घ)।65, दिनांक अप्रेल 25, 1968 तथा प०।(80)गृह(घ)।65, दिनांक 29 जून, 1968 के द्वारा निर्धारित की हुई है इसके अनुसार शस्त्रों की कीमत का निर्धारण किया जाता है तथा एम० एल० गन्स के अलावा शस्त्रों को रेन्ज हैडक्वार्टर्स पर बेचा (नीलाम किया) जाता है। सबसे ऊंची बोली लगाने वाले व्यक्ति को ही यदि उसके पास नियमानुसार लाईसेन्स हो तो, प्रत्येक शस्त्र बेचा जाता है। एम० एल० गन्स को जिला मुख्यालय पर कमेटी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया व कार्यवाही के अनुसार कमेटी द्वारा नीलाम किया जाता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 22-3-73)

सुदर्शनपुरा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर

683. **श्री मोहनलाल छंगाणी** (फलोदी): **श्री श्रीराम गोटेवाला** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर स्थित सुदर्शनपुरा औद्योगिक क्षेत्र का अधिग्रहण राज्य सरकार द्वारा किस तिथि को किया गया ?

(2) अधिग्रहण की तिथि को कुल कितने भू-खंड किस-किस श्रेणी के थे व कितने

(श्री मोहनलाल छंगाणी)
अधिग्रहण से पूर्व आवंटित हो चुके थे व कितने आवंटन के लिए उपलब्ध थे ?

(3) अधिग्रहण करने की तिथि से 31 जनवरी, 1973 तक इस क्षेत्र के आवंटन हेतु कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए ? प्राप्त प्रार्थना-पत्रों में किस-किस को व किस तिथि को कौनसी श्रेणी का भू-खंड आवन्टित किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(4) क्या यह सही है कि जिन-जिन इकाइयों ने भू-खंड आवंटन हेतु पहले प्रार्थना-पत्र दिये भू-खंडों का आवंटन उनको न किया जाकर मन चाहे ढंग से किया गया ? यदि नहीं, तो कृपया यह बताएं कि किस किस इकाई को जिस तिथि को भू-खंड आवन्टित किया गया उस तिथि से पूर्व कितने प्रार्थना-पत्र विचाराधीन पड़े हुए थे ?

(5) क्या यह सही है कि जिन-जिन इकाईयों ने भू-खण्ड आवन्टन हेतु प्रार्थना-पत्र दिये थे उनको आज तक भू-खण्ड के आवंटन किये जाने या आवन्टन नहीं किए जाने की किसी भी प्रकार की सूचना नहीं दी गई है ? यदि हां, तो कृपया प्रार्थना-पत्र की तिथि व इकाई को उत्तर देने की तिथि की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

उत्तर

(1) 1-4-70 को अधिग्रहण किया गया ।

(2) अधिग्रहण के समय 40 भू-खण्ड थे और इनमें कोई श्रेणी विभाजन नहीं था । सभी भू-खण्ड आवंटित थे इसलिए आवंटन के लिए कोई भू-खण्ड उपलब्ध नहीं था ।

(3) 135 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए । औद्योगिक क्षेत्र में प्लाटों की श्रेणी नहीं होती । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(4) जी नहीं । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(5) जी नहीं । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 22-3-73)

तेंदू पत्ते पर बिक्री कर

692. श्री जगमोहनसिंह (छबड़ा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील छीपाबड़ौद, जिला कोटा में सन् 1967 से सन् 1972 तक तेंदू पत्ते से कितनी बिक्री कर की राशि वसूल की गई और कितनी बकाया है ?

(2) उक्त समय में कितनी तेंदू पत्ते की उपज सालपुरा रेल्वे स्टेशन से जो कोटा-बीना रेल्वे लाइन पर है बाहर भेजा गया है और क्या इस पर बिक्री कर वसूल किया गया है, या नहीं ?

उत्तर

(1) वर्ष 1967-68 से 71-72 तक बिक्री कर के 14,016.00 रु० वसूल किए गए तथा 1,524.00 रु० बाकी है ।

(2) रेल्वे स्टेशन, सालपुरा से सूचना उपलब्ध नहीं हो सकी है ।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 23-3-73)

भीलवाड़ा जिले के सीमान्त कृषक

712. श्री विजयसिंह (मांडल) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले में सीमान्त कृषक रोजगार योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के लिए उपलब्ध धनराशि का उपयोग हो जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) भीलवाड़ा जिले के कौन–कौनसी पंचायत समिति क्षेत्र में सीमान्त कृषक रोजगार योजना चालू है एवं उन क्षेत्रों में कहां कहां कितनी-कितनी धनराशि व्यय की जानी थी जिसमें से कितनी कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(3) माण्डल पंचायत समिति क्षेत्र के कौन-कौन से निर्माण कार्यों के लिए इस योजना के अन्तर्गत अब तक कितनी–कितनी धनराशि स्वीकृत हुई है उसमें से कौन-कौन से कार्यों पर कितनी कितनी धनराशि खर्च की जा चकी है ?

उत्तर

(1) जी हां, वर्ष 1975-76 तक उपलब्ध धनराशि का उपयोग कर लिया जाएगा ।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

प्रश्न संख्या 2 से सम्बन्धित सूचना

पंचायत समिति का नाम	स्वीकृत राशि	व्यय अब तक
1. सुवाणा	3,21,000	1,43,607
2. कोटड़ी	3,83,385	1,25,300
3. बनेड़ा	2,12,750	79,925
4. रायपुर	2,41,750	74,103
5. सहाडा	3,74,576	72,434
6. माण्डल	3,03,050	76,890
7. माण्डलगढ़	2,34,400	10,216
योग..	20,70,911	5,82,475

प्रश्न संख्या 3 से सम्बन्धित सूचना

क्र. सं.	नाम कार्य	स्वीकृत तकनीकी	स्वीकृत राशि	खर्चा	
	सिंचाई विभाग				
1.	घुवाला तालाब	15,000	15,000	17,361	
2.	करनीपुरा तालाब	10,000	10,000	9,280	पूर्ण हो चुका
3.	नवलपुरा तालाब	15,000	15,000	11,336	
4.	तीखातालाब	15,000	15,000	1,607	
5.	सूरजपुरा तालाब	6,000	6,000	1,648	
6.	आलियास तालाब	10,000	10,000	—	
7.	गोरधनपुरा तालाब	5,000	5,000	—	
	सार्वजनिक निर्माण विभाग				
1.	बोराणा-करेडा रोड	80,000	80,000	—	
2.	बेमाली-बड़ीमथा रोड	20,000	20,000	—	
3.	माण्डल-राजपुरा रोड	50,050	50,050	—	
	चारागाह विकास कार्य				
1.	भगवानपुरा चारागाह	25,000	25,000	28,168	
2.	मेजा चारागाह	50.050	52,050	7,490	

स्थगित प्रश्न
(दिनांक 27-3-73)

ग्रामीण परिवार नियोजन केन्द्र, गोविन्दगढ़.

796. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्रामीण परिवार नियोजन केन्द्र, गोविन्दगढ़, जिला अलवर के कर्मचारियों ने चिकित्सा अधिकारी परिवार नियोजन केन्द्र, गोविन्दगढ़ के खिलाफ एक सामूहिक शिकायत माह जुलाई, 1972 में राज्य परिवार नियोजन एवं मातृ शिशु कल्याण अधिकारी के पास लिखित रूप में भेजी थी ? कृपया शिकायत-पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त शिकायत पर कोई जांच की गई ? यदि हां, तो जांच किस अधिकारी ने की थी ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं की गई ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त शिकायतों के बाद उक्त चिकित्सा अधिकारी ने कुछ कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है ? यदि हां, तो किस किस कर्मचारी के खिलाफ तथा उक्त कर्मचारियों के खिलाफ क्या शिकायतें थीं ?

(4) क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने भी कोई जांच की है ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों नहीं ?

(5) क्या उक्त अधिकारी के खिलाफ रविसुता शर्मा ए. एन. एम. ने तारीख 2-12-72 को जिला परिवार नियोजन अधिकारी व पी. एम. ओ. को शिकायत की थी तथा 1-12-72 व 10-12-72 को सुमेरसिंह चांवरिया एफ. पी. एच. ए., गोविन्दगढ़ ने भी उक्त अधिकारी के खिलाफ उच्च अधिकारियों को शिकायतें की थीं ? यदि हां, तो क्या उनकी जांच की गई ?

उत्तर

(1) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(2) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(3) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(4) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(5) जी नहीं। केवल श्री सुमेरसिंह चांवरिया ने 9-12-72 को एक शिकायत की थी जिस पर जिला परिवार नियोजन अधिकारी के द्वारा जांच की जा रही है।

स्थगित प्रश्न
(दिनांक 28-3-73)

श्रीराम कैमिकल्स, कोटा का नदी में गिरने वाला फालतू पानी

804. श्रीमती नगेन्द्रबाला (दीगोद) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या श्रीराम कैमिकल्स, कोटा द्वारा बनाई जा रही गैस का जो फालतू पानी नदी में गिरता है वह जहरीला है तथा जो भी जानवर अथवा ग्रामवासी इस पानी को काम में लेते हैं उन्हें मौत अथवा शारीरिक व्याधियों से ग्रसित होना पड़ता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस विषय में पूर्व में भी शिकायत उठाई गई

(श्रीमती नगेन्द्रबाला)

और उस पर श्रीराम कैमिकल्स ने नाला बना करके बोर खाडी नदी तक डालने का आश्वासन दिया था?

(3) क्या यह भी सही है कि 10 वर्ष की अवधि में अब तक यह नाला पूरा नहीं बनाया गया है और जिन गांवों के जानवर और व्यक्तियों को इससे बचाना था उनको कोई लाभ नहीं हुआ? यदि हां, तो क्या सरकार शीघ्र ही इस नाले को पूरा करवा कर गांव के जन-जीवन को मौत के मुंह से बचाने की कृपा करेगी?

उत्तर

(1) यद्यपि श्रीराम कैमिकल्स, कोटा द्वारा बनाई जा रही गैस का पानी जो नदी में गिरता है आई. एस. आई. द्वारा निर्धारित मापदन्ड के अनुसार नहीं है एवं यह पानी मनुष्यों, पशुओं एवं फसलों के लिये हानिकारक है। इससे जानवर एवं मनुष्यों के मौत अथवा शारीरिक व्याधियों से ग्रसित होने की कोई अधिकृत सूचना सरकार को नहीं है।

(2) जी हां। इस विषय में पहले भी शिकायत उठाई गई थी लेकिन रीवर पोल्यूशन एक्ट, 69 जो केन्द्र सरकार के विचाराधीन है उसके लागू होने पर ही डी. सी. एम. के अधिकारियों को पाबन्द करने का अधिकार मिल सकेगा। श्रीराम केमिकल्स द्वारा नाला बनाकर बोरखंडी नदी तक डालने के आश्वासन की सरकार को कोई सूचना नहीं है।

(3) जी हां। यह नाला पूरा नहीं बनाया गया है। पहले यह नाला कन्सूआ पुल तक था पर अब उसकी लंबाई और बढ़ा दी है परन्तु बोरखन्डी नदी तक नाला अभी नहीं बनाया गया है।

समस्त तथ्यों की जानकारी कर इस दिशा में सरकार वांछित कार्यवाही करेगी।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 28-3-73)

प्राईमरी हैल्थ सैन्टर, सिरसी के डॉक्टर के विरुद्ध जांच

822. श्री हनुमान सहाय व्यास (बैराठ): क्या स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्राईमरी हैल्थ सैन्टर, सिरसी, जिला जयपुर इन्चार्ज चिकित्सा अधिकारी, डॉ०. यू. एन. सक्सेना ने फर्जी लूप व नसबन्दी करने का रिकॉर्ड तैयार किया ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त तथ्यों की जांच अपराध अनुसंधान विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा दिनांक 27-9-72 एवं 11-10-72 को की गई और उपरोक्त तथ्य सही निकले किन्तु अभी तक अपराधी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गई ? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि डॉ० यो० एन० सक्सैना, चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, प्राईमरी हैल्थ सैन्टर, सिरसी के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर जांच करने पर उनके द्वारा कुछ गलत लूप व नसबन्दी केसेज देने पाये गये।

Page No. 147

(स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री)

(2) इस मामले में अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जांच करली गई है। उसके अनुसार आगे कार्यवाही विचाराधीन है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 29-3-73)

भरतपुर नगर सुधार न्यास के विरुद्ध शिकायतों पर की गई जांच

839. **श्रीमती ऊषा प्रकाश** (वैर) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर नगर सुधार न्यास के सन् 1967 से 1969 तक कार्यकाल के अध्यक्ष द्वारा की गई भ्रष्ट और गैर कानूनी कार्यवाहियों के बारे में कोई जांच राज्य सरकार द्वारा की गई थी ?

(2) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा और उस पर कितना अमल हुआ ?

(3) क्या दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो आज उसकी क्या स्थिति है ?

(4) क्या यह सही है कि उपरोक्त अध्यक्ष ने नगर सुधार न्यास के अध्यक्ष की हैसियत से जिस कार्यकाल का वेतन लिया है उसी कालावधि का वेतन पंचायत समिति प्रधान की हैसियत से भी लिया है ? क्या इस प्रकार दो स्थानों से वेतन लेना नियमित है ?

(5) यदि नियमित नहीं है तो क्या राज्य सरकार इस प्रकार की गलत अदायगी की वसूली करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जांच के परिणामस्वरूप जो अनियमितताएं पायी गई वे तथा उन पर न्यास द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'क' में दे दिया गया है।

(3) इसका उत्तर परिशिष्ट 'क' में दिये गए विवरण में दे दिया गया है।

(4) इन्होंने भरतपुर नगर विकास न्यास के अध्यक्ष की हैसियत से 500) रु० माहवार भत्ता एवं पंचायत समिति प्रधान, वैर की हैसियत से 200) रु० मासिक भत्ता प्राप्त किया था किन्तु वैधिक दृष्टि से यह वेतन की परिभाषा में नहीं आता। अतः दोनों स्थान से भत्ता प्राप्त करना अनियमित नहीं था।

(5) प्रश्न नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 29-3-73)

नगर विकास न्यास कोटा द्वारा प्लाटों का आवंटन

861. **श्री नन्दलाल बैरवा** (पाटन) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा नगर विकास न्यास द्वारा अब तक किन किन स्थानों पर प्लाट देने की योजना बनाई गई तथा योजना में कितने कितने प्लाट हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्लाट लॉटरी सिस्टम से दिये गये ? यदि हां, तो जिन-जिन प्लाटों की लॉटरी निकाली जा चुकी है क्या उन्हें नियमानुसार प्लाट दे दिये गये ? यदि

(श्री मन्थलाल बैरवा)
नहीं, तो क्यों ? जो प्लाट नहीं दिये गये हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि इन प्लाटों में अनसूचित जाति एवं जन-जातियों के लिये भी कुछ प्लाट सुरक्षित रखे गये हैं ? यदि हां, तो कितने और कहां-कहां और कितने अब तक दिये जा चुके हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) सलग्न सूची (क) के अनुसार क्रमांक 1 से 5 तक नाम वाली योजनाएं नगर विकास न्यास द्वारा एवं शेष भूतपूर्व मण्डी कमेटी के द्वारा बनाई गई थी । प्लाटों की संख्या सूची के कॉलम 3 में अंकित कर दी गई है ।

(2) जी हां । केवल 361 भूखण्ड तलवंडी योजना में कोर्ट से निषेध आज्ञा प्राप्त हो जाने से तथा 35 भू-खण्ड स तपुर कुन्हाडी में चीफ टाउन प्लानर से स्वीकृति प्राप्त न होने से अभी तक आवंटियों को नहीं संभलाये जा सके । इस विषयक सूची संख्या 'ख' में व 'ग' में सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) जी हां । आवंटन हेतु निर्धारित प्लाटों का 15 प्रतिशत अनुसूचित एवं जन-जातियों के लिए सुरक्षित रखने का प्रावधान है । 7 भूखण्ड दादावाडी योजना में व 52 भू-खण्ड सावरमती योजना में अनूसूचित जाति एवं जन जाति के व्यक्तियों को आवंटित किये गये हैं । जिनकी सूची 'द' सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 14-3-73)

उदयपुर स्थित पिक्चर पैलेस सिनेमा की लीज

506. श्री गिरधारी लाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:---

(1) उदयपुर स्थित पिक्चर पैलेस सिनेमा मेवाड़ गवर्नमेंट द्वारा कितने वर्षों की लीज पर दिया गया था एवं कब दिया गया था ?

(2) क्या पिक्चर पैलेस सिनेमा की लीज का टाईम खत्म हो गया है, तो कब से ?

(3) क्या इस पिक्चर पैलेस सिनेमा की लीज का टाइम बढ़ाया गया है ? यदि हां, तो कब एवं कितने वर्षों के लिए ? यदि नहीं, तो सरकार ने अब तक इसे अधिकार में क्यों नहीं लिया है ?

(4) क्या सरकार इसे अपने अधिकार में लेने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) दिनांक 26-7-41 से 20 वर्ष की लीज पर दिया गया था ।

(2) जी हां । दिनांक 26-7-61 को ।

(3) जी नहीं । इस मुद्दे पर परीक्षण किया जा रहा है कि क्या संविधान के लागू होने के पश्चात् इस सिनेमा की मोनोपोली खत्म होने के बावजूद भी अवाप्त किया जा सकता है या नहीं ।

(4) यह निर्णय भाग (3) में वर्णित मुद्दों के निर्णय पर आधारित होगा ।

परिशिष्ट 2

(अ. ता. प्र. सं. 637 की सूची)

ग्रौद्योगिक क्षेत्र का नाम जहां शेड्स बनाये गये	1971-72 शेड्स बनाने का निर्णय		1972-73 शेड्स बनाने का निर्णय	
	बेरोजगार टेक्नोक्रेट्स के लिये	निगम के हायर पर्चेज स्कीम के अन्तर्गत	बेरोजगार शिक्षितों के लिये	निगम की हायर पर्चेज स्कीम के अन्तर्गत
जयपुर– विश्वकर्मा इण्डस्ट्रियल एरिया	32	9	49	7
जयपुर– मालविया इण्डस्ट्रियल एरिया	–	–	4	–
कोटा– इन्द्रप्रस्थ इण्डस्ट्रियल एरिया	5	–	2	–
कोटा– पुराना इण्डस्ट्रियल एरिया	5	–	–	–
जोधपुर– पुराना इण्डस्ट्रियल एरिया	10	–	–	1
जोधपुर– बासनी रेल्वे स्टेशन के पास इण्डस्ट्रियल एरिया	–	–	22	–
अलवर– मत्स्य इण्डस्ट्रियल एरिया	6	–	12	–
अजमेर– एम. टी. सी. के पास इण्डस्ट्रियल एरिया	4	–	1	–
योग :	62	9	90	8

परिशिष्ट 3

(अ. ता. प्र. सं. 647 की सूची)

वर्ष 1972-73 में टोंक जिले में अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के नये नियुक्त अध्यापकों की सूची

नियोक्ता का नाम	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति	कुल
(अ) शिक्षा विभाग	1. श्री लादूराम 2. श्री दलेल चन्द	1. श्री रामस्वरूप मीणा	
	2	1	3
(ब) पंचायत समिति	1. श्री रतनलाल वर्मा 2. श्री राधाकृष्ण 3. श्री नाथूलाल वर्मा 4. श्री रामचरण वर्मा 5. श्री भूरा लाल	1. श्री सूरजमल 2. श्री प्रभुदयाल 3. श्री रामभजन मीणा	
	5	3	8
		महा योग :	11

परिशिष्ट 4

(अ. ता. प्र. सं. 651 की सूची)

गाड़िया लुहारों के उत्थान हेतु विभिन्न कार्यों पर खर्च की राशि की सूची

क्रमांक	प्रयोजन	प्रावधान की राशि
1.	छात्रवृत्ति	22,000
2.	राजकीय छात्रावास 2	53,800
3.	अनुदानित छात्रावास, चित्तौड़गढ़ 1	कक्षा 6 से 8 तक के लिये 55/-रुपये प्रति छात्र प्रति माह तथा कक्षा 9 से 11 के लिये 60/-रु० प्रति छात्र प्रति माह की दर से अनुदान स्वीकृत किया जाता है।
4.	पाठशालाएँ चलाने के लिए स्वयं सेवी संस्थाओं को अनुदान	8,000
5.	गृह निर्माण हेतु अनुदान प्रति परिवार 1,000 रु. की दर से	71,000

परिशिष्ट 5

(अ. ता. प्र. सं. 652 की सूची)

सन् 1972 में निम्न कर्मचारियों के स्थानान्तरण इस कार्यालय से हुए

क्रमांक	नाम कर्मचारी	कार्यमुक्त होने की तिथि	अन्तिम वेतन भुगतान प्रमाण-पत्र भेजने की तिथि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1.	श्री गणेशपालसिंह, लेखा लिपिक	31-7-72	26-8-72	
2.	श्री आई० एल० कलकानी, लेखा लिपिक	2-12-72	30-1-73	
3.	श्री आशाराम शर्मा, वरिष्ठ लिपिक	31-7-72	26-8-72	
4.	श्री हरबन्ससिंह, कार्यालय अधीक्षक	27-10-72	24-11-72	
5.	श्री गोपाल विजय, लेखा लिपिक	4-9-72	26-9-72	श्री विजय का स्थानान्तरण पाली कर अं० वे० भु० पत्र 26-9-72 को भेज दिया गया था।
6.	श्री मानसिंह, सहायक सांख्यिकी	29-4-72	21-6-72	
7.	श्री कैलाश चन्द	29-4-72	30-6-72	
8.	श्री प्रेमराज सोनगरा, इन्वेस्टीगेटर	19-5-72	19-6-72	
9.	श्री सतीशचन्द वर्मा	19-5-72	19-6-72	
10.	श्री बी० के० जैन	31-7-72	15-8-72	

परिशिष्ट 6

(अ. ता. प्र. सं. 463 की सूची)

राजस्थान सरकार

नियोजन सेवा निदेशालय

क्रमांक	रिक्ति का नाम	संख्या	कब से खाली है	विशेष विवरण
1.	अवर नियोजन अधिकारी	1	26-11-71	
2.	"	2	मई, 72	
3.	"	1	जुलाई, 72	
4.	"	1	अगस्त, 72	
5.	"	1	सितम्बर, 72	
6.	"	1	अक्टूबर, 72	
7.	"	1	दिसम्बर, 72	
8.	"	1	जनवरी, 73	
9.	"	1	फरवरी, 73	
10.	वरिष्ठ लिपिक	1	फरवरी, 70	
11.	"	1	जून, 70	
12.	"	1	जनवरी, 73	
13.	कनिष्ठ लिपिक	2	सितम्बर, 70	
14.	"	2	जुलाई, 71	
15.	"	1	अप्रेल, 71	
16.	"	2	दिसम्बर, 71	
17.	"	1	जनवरी, 72	
18.	"	2	नवम्बर, 72	
19.	"	1	अगस्त, 72	
20.	"	1	अक्टूबर, 72	
21.	"	2	जनवरी, 73	
22.	"	1	फरवरी, 73	
23.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1	अप्रेल, 71	
24.	"	1	सितम्बर, 71	
25.	"	1	दिसम्बर, 71	
26.	"	8	नवम्बर, 72	
27.	"	1	जनवरी, 73	

शुद्धि-पत्र

(वृहस्पतिवार, दिनांक 5 अप्रेल, 1973)

क्रम संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
2 व 4	ऊपर से 2 व 12	स्टशन	स्टेशन
8	नीचे से 3	सयूंलेट	सक्यूंलेट
16	,, 1	औंकारलाल	ओंकारलाल
26	,, 1	हुअ	हुआ
61	ऊपर से 2	सढन	सदन
67	नीचे से 11	तहलील	तहसील
68	ऊपर से 6	कर्यो	कार्यो
98	ऊपर से 13	जाम्रा	जाओ
100	ऊपर से 9	मकानत	मकानात
107	नीचे से 14	मागंत्र	मार्गव
113	ऊपर से 3	जानकरी	जानकारी
113	नीचे से 7	करां	कहां
117	ऊपर से 15	थित	स्थित
118	ऊपर से 4	की ाणु	कीटाणु
123	नीचे से 5	डिट्रिब्यूशन	डिस्ट्रिब्यूशन
127	ऊपर से 16	डे डे टू वकिंग	डे टू डे वकिंग
151	नीचे से 4	ो	जो
183	ऊपर से 17	लते	लाते
210	ऊपर से 3	उठयेंगे	उठायेंगे
217	ऊपर से 7	हमशा	हमेशा
224	नीचे से 7	लगगी	लगेगी
226	ऊपर से 4	मामल	मामला
,,	,, 8	टमाट	टमाटर
226	,, 13	विध्यक	विधेयक
235	नीचे से 2	कितन	कितने
241	ऊपर से 6	स	इस
247	नीचे से 13	टीइम	टाइम
249	,, 7	आन	आने
250	,, 15	ह	हैं
278	,, 6	वद	वाद
293	ऊपर से 3	पिक्च	पिक्चर